जुलाई-सितंबर, 2022 (संयुक्तांक)

I.S.S.N. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

संपादक

श्री पुंडरीक शर्मा

उप-संपादक

श्री महीपाल सिंह

श्री जसवन्त सिंह

श्री जाहन्वी शेखर शर्मा

श्री अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

परामर्शदाता

श्री असलम खान

श्री कमला कान्त

श्री अविनाश शुक्ला

ISSN-2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ` 125/-

वार्षिक : ` 1,300/-

© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा.................................. द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जुलाई-सितंबर, 2022 (संयुक्तांक)

संपादक

पुडंरीक शर्मा

(2022) 2 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on Website → https://bharatkosh.gov.in/product/product

---

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

क्या किसी पीड़ित लड़की को विवाह के आशय से अभियुक्त द्वारा अपने मित्र के घर पर परिरुद्ध करने संबंधी अपराध में अभियुक्त को केवल इस आधार पर दोषमुक्त किया जा सकता है कि पीड़िता द्वारा बलपूर्वक अपहरण के विषय में कोई कथन नहीं किया गया और अपहरण का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी नहीं है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **ओबलेशा** उर्फ **रंगा** बनाम **कर्नाटक राज्य** (2022) 2 दा. नि. प. 15 वाले मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पीड़िता द्वारा दिए गए साक्ष्य में विरोधाभास और लोप विद्यमान हैं तथा माता-पिता द्वारा भिन्न साक्ष्य दिया गया है । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी और पीड़िता एक दूसरे से परिचित हैं और चूंकि अपीलार्थी के उस मित्र की परीक्षा नहीं कराई गई है जिसके घर में पीड़िता को परिरुद्ध करके रखा गया था और पीड़िता का साक्ष्य उसके माता-पिता के साक्ष्य से मेल नहीं खाता है इसलिए एक भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने पर अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में विफल रहा है । अतः अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है और निचले न्यायालय का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ।

क्या इस आधार पर घरेलू हिंसा से संबंधित किसी मामले को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है कि विचारण न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं है और वे विवाद का समझौता करने हेतु दबाव बना रहे हैं । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **धरा विशाल केशवाला** बनाम **गुजरात राज्य** (2022) 2 दा. नि. प. 79 वाले मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के सुसंगत उपबंध यह अपेक्षा करते हैं कि मजिस्ट्रेट पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए यथा संभव प्रयास करेगा और इसके लिए वह पक्षकारों को एकल या संयुक्त रूप से परामर्श हेतु भेजने का निदेश भी जारी कर सकेगा, इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने केवल उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन किया है और उसके द्वारा की गई कार्रवाई से याचिका

पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, अत:, मामले को अंतरित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

यदि अभियोक्त्री मूक और बधिर है तो क्या उसके द्वारा अपहरण और बलात्संग के संबंध में अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों से अभियुक्त को केवल उसके द्वारा यह कथन किए जाने पर कि अभियोक्त्री तथा उसके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोषमुक्त किया जा सकता है । इसी प्रश्न पर विचार करते हुए **जम्मू-कश्मीर राज्य** बनाम **रवि कुमार** (2022) 2 दा. नि. प. 103 वाले मामले में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियोक्त्री, प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों तथा चिकित्सक द्वारा किए गए कथन से यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री एक प्राप्तवय महिला थी, जो सुसंगत समय पर स्वस्थचित्त थी तथा उसका अभियुक्त के साथ प्रेम प्रसंग भी था, अतः अभियुक्त का यह कहना कि अभियोक्त्री अपनी इच्छा और सहमति से उसके साथ गई थी, न्यायोचित है तथा अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक मैथुन किए जाने का तथ्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी मेल नहीं खाता है, इसलिए अभियुक्त की दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

इस अंक में, निर्णयों के हिन्दी पाठ और शीर्ष टिप्पण पाठकों के ज्ञान के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं । यह अंक विद्यार्थियों, विधि-वेत्ताओं, न्यायाधीशों और आम-जनता के लिए बहुत उपयोगी है । इस अंक में केन्द्रीय अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 को भी ज्ञानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है । इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं ।

पुंडरीक शर्मा
संपादक

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जुलाई-सितम्बर, 2022

निर्णय-सूची

पृष्ठ संख्या

अब्दुल राशिद मीर और अन्य **बनाम** जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य 115

अरुण **बनाम** राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, सलेम नगर सर्व महिला पुलिस थाना, सलेम 129

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लोक अभियोजक उच्च न्यायालय, हैदराबाद प्रतिनिधित्व **बनाम** मामिदीशेट्टी नारायणा 1

एस. जयासीलन **बनाम** राज्य मार्फत पुलिस निरिक्षक, थाना हस्थामपत्ती, सालेम 141

ओबलेशा **उर्फ** रंगा **बनाम** कर्नाटक राज्य 15

केन्द्रप लेप्चा **बनाम** सिक्किम राज्य 220

खुशबूर रहमान **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य 45

गौतम चौधरी बर्मन **बनाम** असम राज्य और अन्य 85

जम्मू-कश्मीर राज्य **बनाम** रवि कुमार 103

धरा विशाल केशवाला **बनाम** गुजरात राज्य 79

फखरुद्दीन इस्माइल मंसूरी और अन्य **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य 190

बुधी राम **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य 234

राजेन्द्र कुमार घिमिरे **बनाम** पश्चिमी बंगाल राज्य 67

लख्य ज्योति बोरा **बनाम** असम राज्य 93

वासु **बनाम** राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना तिरुत्तनी, तिरुवल्लूर 154

श्रीनिवासन **बनाम** राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक 167

सिंजॉइट मैरंग **बनाम** मेघालय राज्य 209

सिबा प्रसाद चक्रबोर्ती **बनाम** राज्य 61

संसद् के अधिनियम

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ 1 – 18

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37)

– धारा 7 – अभियुक्त पर अभिकथित रूप से जनता के बीच बिना अनुज्ञप्ति के संदाय प्राप्त करने के बदले फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया जाना – उक्त वीडियो फिल्म का प्रदर्शन एक पायरेटेड वीडियो कैसेट के माध्यम से किया जाना तथा उक्त फिल्म को सेंसर बोर्ड का किसी प्रकार का प्रमाणपत्र प्राप्त न होना – जहां तक वर्तमान याची द्वारा किए गए अपराध का संबंध है, उक्त निर्णय तथा दंडादेश में हस्तक्षेप करने हेतु सारवान् विवाद्यक अंतर्वलित नहीं है, इस प्रकार विचारण और अपीली न्यायालय द्वारा की गई याची की दोषसिद्धि सर्वथा उपयुक्त है, तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना को 29 वर्ष का लम्बा समय व्यतीत हो चुका है इसलिए इस प्रक्रम पर दंडादेश की अवधि को घटाते हुए जुर्माने की राशि में अभिवृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

सिबा प्रसाद चक्रबोर्ती बनाम **राज्य** 61

तमिलनाडु संपत्ति (नुकसान और हानि निवारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 59)

– धारा 3 – [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – संपत्ति के संबंध में रिष्टि – अभियुक्तों द्वारा बस को क्षति पहुंचाए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया गया है कि बस-चालक और परिचालक ने शिकायत तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों के नाम दर्ज करने के लिए उनकी शनाख्त

पृष्ठ संख्या

कैसे की और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में जो दो दिन का विलंब हुआ है उसका उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और साथ ही स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा भी नहीं कराई गई है, इसलिए अस्पष्टीकृत विलंब और स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है, अतः निचले न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

वासु बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना तिरुत्तनी, तिरुवल्लूर** 154

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 145 और 146 – स्थावर संपत्ति के हक और कब्जे से संबंधित विवाद में संपत्ति की कुर्की किया जाना – याचियों द्वारा उक्त कुर्की को चुनौती दिया जाना – विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच हेतु उसे सिविल न्यायालय को प्रतिनिर्दिष्ट किया जाना – सिविल न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात् अपने निष्कर्षों और मामले के निर्णय को अभिलेख सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाना – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को अंतिम विनिश्चय हेतु सुनवाई के लिए नियत किया जाना – इस प्रक्रम पर याचियों द्वारा यह अनुरोध करते हुए एक आवेदन फाइल किया जाना कि वर्तमान मामले में एसडीपीओ, चरारे-शरीफ की एक महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए – विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन को खारिज किया जाना – चुनौती – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि धारा 146 के उपबंधों के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी सिविल न्यायालय को

पृष्ठ संख्या

मामले का प्रतिनिर्देश कर सकता है जो तीन मास की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा तथा निष्कर्षों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात् ऐसा मजिस्ट्रेट धारा 145 के अधीन उक्त सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्यवाहियों का निपटारा करेगा – अत:, यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने याचियों के आवदेन को खारिज करके कोई अविधिपूर्ण कार्य नहीं किया है और वर्तमान याचिका अपास्त किए जाने की दायी है ।

अब्दुल राशिद मीर और अन्य बनाम **जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य** 115

– धारा 154 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6] – अभिकथित रूप से एक अप्राप्तवय पीड़ित लड़की द्वारा निकाह के वचन पर विश्वास करके अपीलार्थी के घर निवास करने हेतु चले जाना – अपीलार्थी के घर दोनों के बीच कई बार लैंगिक मैथुन की क्रिया किया जाना – कुछ दिनों के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पीड़ित लड़की को एक सार्वजनिक स्थान पर छोड़कर गायब हो जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में लगभग 11 दिन का विलंब होना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया जाना कि चूंकि अपीलार्थी के विरुद्ध सालिश को अनुध्यात किया जा रहा था, इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ – स्पष्टीकरण का उचित प्रतीत होना तथा उक्त विलंब का अभियोजन पक्षकथन हेतु घातक न होना – अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित लड़की की आयु को भलीभांति रूप से स्थापित किया जाना तथा

पृष्ठ संख्या

उसकी आयु से संबंधित दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि या दोष न पाया जाना – अपीलार्थी द्वारा अपनाई गई निकाह संबंधी प्रतिरक्षा से यह तथ्य स्पष्ट होना कि उसके और पीड़ित लड़की के बीच कतिपय अंतरंग संबंध विद्यमान थे – पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत कथन/साक्ष्य का सतत् और संगत रूप से अकाट्य और विश्वसनीय बने रहना – मामले की उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश सर्वथा उचित प्रतीत होते हैं और उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है, अतः, अपील खारिज की जाती है ।

खुशबूर रहमान बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 45

– धारा 216 और 217 – याची द्वारा पूर्व में रजिस्टर किए गए परिवाद में लगाए गए आरोपों में परिवर्तन/आरोपों को जोड़ने का अनुरोध किया जाना – मामला मूल रूप से चैक के अनादर से संबंधित होना – मामले के संज्ञान के पश्चात् विचारण की विधिक कार्यवाहियों के दौरान अंतिम बहस के प्रक्रम पर याची द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध छल किए जाने के अपराध संबंधी आरोप को सम्मिलित करने का अनुरोध करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाना – विचारण और साथ ही पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा याची के अनुरोध को खारिज किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह संप्रेक्षण किया जाना कि वर्तमान मामला प्रथमदृष्ट्या चैकों के अनादर से संबंधित है और उसे अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद के रूप में स्वीकार करके उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं तथा

पृष्ठ संख्या

वर्तमान मामले में चैक के अनादर से संबंधित अनिवार्य घटकों का गठन किया गया है, जो छल के अपराध से संबंधित अनिवार्य घटकों से पूर्णत: भिन्न हैं और इसके अतिरिक्त, परिवाद में इस प्रभाव का कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन नहीं किया गया है कि ऋण किसी उत्प्रेरण के अधीन प्राप्त किया गया था, अत:, वर्तमान प्रक्रम पर अभियुक्त के विरुद्ध अतिरिक्त आरोपों को विरचित नहीं किया जा सकता ।

गौतम चौधरी बर्मन बनाम **असम राज्य और अन्य** 85

– धारा 326 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60] – खतरनाक आयुध से स्वेच्छया गम्भीर उपहति कारित किया जाना – अनुश्रुत साक्ष्य – अभियुक्त और उसकी माता के बीच कहासुनी होने का अभिकथन – परिणामस्वरूप अभियुक्त द्वारा लकड़ी के डंडे से अपनी माता पर हमला किए जाने का अभिकथन – परिणामस्वरूप माता की मृत्यु हो जाना – किसी भी साक्षी द्वारा हमले की वास्तविक घटना नहीं देखी गई है और मृतका की पुत्री घर में मौजूद थी जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई है तथा चिकित्सा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्षतियां किसी कठोर सतह पर गिरने के कारण हो सकती हैं, अतः निचले न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं है और अभियुक्त/अपिलार्थी दोषमुक्ति का हकदार है ।

लख्य ज्योति बोरा बनाम **असम राज्य** 93

पृष्ठ संख्या

– धारा 406 [सपठित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 – नियम 14 का उपनियम 9] – याची द्वारा इस आधार पर अपने मामले को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किए जाने का अनुरोध किया जाना विचारण न्यायाधीश/ न्यायिक मजिस्ट्रेट निष्पक्ष नहीं हैं और वे उस पर विवाद का समझौता करने हेतु दबाव बना रहे हैं – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के सुसंगत उपबंध यह अपेक्षा करते हैं कि मजिस्ट्रेट पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए यथा संभव प्रयास करेगा और इसके लिए वह पक्षकारों को एकल या संयुक्त रूप से परामर्श हेतु भेजने का निदेश भी जारी कर सकेगा, इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने केवल उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन किया है और उसके द्वारा की गई कार्रवाई से याचिका पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः, मामले को अंतरित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

धरा विशाल केशवाला बनाम **गुजरात राज्य** 79

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 300, अपवाद 4, धारा 302, 304 भाग II [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118, 14] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – ज्ञान या आशय – ऋण संबंधी विवाद को लेकर अभियुक्त रसोई में जाकर चाकू ले आया और मृतक की छाती पर वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई – घायल साक्षी द्वारा अभिसाक्ष्य

पृष्ठ संख्या

दिया जाना कि अभियुक्त ने मृतक पर चाकू से वार किया – साक्षी द्वारा, अपराध कारित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले आयुध की पहचान किया जाना – अन्य साक्षियों का घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचना – मात्र इसलिए कि साक्षी पीड़ित का नोतदार है उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता – घटना के अन्य प्रतिभागियों द्वारा अभियुक्त के पास चाकू होने के विषय में न बताया जाना, क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए एक मात्र पर्याप्त आधार नहीं है – घटना का कहासुनी के परिणामस्वरूप घटित होना – चूंकि अभियुक्त द्वारा बिना किसी आशय के मृतक को क्षति पहुंचाई गई है यद्यपि यह ज्ञात होते हुए कि इससे उसकी मृत्यु हो जाना संभाव्य है, इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304 भाग II में परिवर्तित किया जाना न्यायोचित है ।

श्रीनिवासन बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक** 167

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और धारा 30] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा मृतक को पाउडर (विष) दिए जाने का अभिकथन – घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना – अभियोजन पक्ष द्वारा उस व्यक्ति की परीक्षा नहीं कराई गई जिससे अभियुक्त ने मृतक को विष देने को कहा था, इस प्रकार यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही मृतक को विष दिया है ।

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लोक अभियोजक उच्च न्यायालय, हैदराबाद प्रतिनिधित्व बनाम **मामिदीशेट्टी नारायणा** 1

पृष्ठ संख्या

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त की पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंध होने का संदेह – अभियुक्त द्वारा मृतक पर अन्य साथियों के साथ मिलकर हमला किया जाना – मृतक के गले में फंदा डालकर कर घसीटा जाना - परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित होना – उसके गर्दन के पिछले भाग पर गुमचोट के चिह्न का पाया जाना – साक्षी द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से होना – घटनास्थल से जो चूड़ी बरामद हुई है वह सहअभियुक्त की थी, यह तथ्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से साबित हो जाना – जिस रीति में मृतक को झोपड़ी के पीछे ले जाकर उसे घसीटने के साथ-साथ उसका गला घोंटा गया था उससे मृत्यु कारित करने के आशय का पता चलता है साथ ही अपीलार्थियों का कृत्य चिकित्सा साक्ष्य से मेल खाता है, इसलिए दंड संहिता की धारा 300 के उपबंध लागू होते हैं और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

फखरुद्दीन इस्माइल मंसूरी और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 190

– धारा 324 – स्वेच्छया साधारण क्षति कारित किया जाना – अपीलार्थी की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि अभियुक्त ने क्षतिग्रस्त साक्षी पर हमला नहीं किया था – घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से खतरनाक आयुध का उपयोग करके साक्षी पर हमला किया गया है, अतः अपीलार्थी साधारण क्षति कारित करने का भी दोषी है ।

श्रीनिवासन बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक** 167

पृष्ठ संख्या

– धारा 366, 342 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अपहरण और सदोष परिरोध – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अभिकथित रूप से पीड़िता का उस समय अपहरण किया जाना, जब वह ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी – पीड़िता को विवाह के आशय से अपीलार्थी द्वारा अपने मित्र के घर पर परिरुद्ध करके रखा जाना – पीड़िता द्वारा बलपूर्वक अपहरण के विषय में कथन न किया जाना – अपहरण का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना – पीड़िता द्वारा दिए गए साक्ष्य में विरोधाभास और लोप – माता-पिता द्वारा भिन्न साक्ष्य दिया जाना – अपीलार्थी और पीड़िता का एक दूसरे से परिचित होना ही मात्र अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि अपीलार्थी के उस मित्र की परीक्षा नहीं कराई गई है जिसके घर में पीड़िता को परिरुद्ध करके रखा गया था और पीड़िता का साक्ष्य उसके माता-पिता के साक्ष्य से मेल नहीं खाता है इसलिए एक भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने पर अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में विफल रहा है – अतः अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है और निचले न्यायालय का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ।

ओबलेशा उर्फ **रंगा** बनाम **कर्नाटक राज्य** 15

– धारा 376(2)(च), (ढ), (झ) (2013 संशोधन से पूर्व) और धारा 354 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(च), (झ), (ड) 9(च), (झ) (च)] – बलात्संग या गुरुतर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले का आरोप – अभियुक्त/अपीलार्थी (शिक्षक) द्वारा

पृष्ठ संख्या

अभिकथित रूप से विद्यालय की अप्राप्तवय छात्रा पर लैंगिक हमला किया जाना – पीड़िता ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त वक्षस्थल को स्पर्श करता था तथा उसकी योनि पर भी हाथ रखता था – अप्राप्तवय पीड़िता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए कथन की अपेक्षाकृत प्रति-परीक्षा के दौरान दिए गए कथन में सुधार किया जाना – चिकित्सा साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अभियुक्त द्वारा अप्राप्तवय पीड़िता पर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला या बलात्संग किया गया है – अप्राप्तवय पीड़िता द्वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त ने न तो अपने वस्त्र खोले और न ही उसके, ऐसी परिस्थितियों में पीड़िता की योनिच्छद का अविकल न होना मात्र इस बात का प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त द्वारा बलात्संग या प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला किया गया है किन्तु पीड़िता का इस बात पर दृढ़ रहने से कि अभियुक्त ने उसके वक्षस्थल और योनि को स्पर्श किया था, अभियुक्त द्वारा अप्राप्तवय पीड़िता पर लैंगिक हमला किया जाना सिद्ध हो जाता है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि केवल पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च), 9(1) और 9(ड) के अधीन ही की जाती है ।

केन्द्रप लेप्चा बनाम **सिक्किम राज्य** 220

– धारा 406 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45] – आपराधिक न्यासभंग – विशेषज्ञ का साक्ष्य – अभियुक्त राजस्व अधिकारी द्वारा सरकारी दर के अनुसार रैयतों का भूमि राजस्व और उपकर वसूल किया जाना किन्तु वसूल की गई राशि को कदाचार के

पृष्ठ संख्या

माध्यम से सरकारी अभिलेख में घटाकर प्रदर्शित किया जाना – मूल किराया रसीदों तथा उनकी कुछ कार्बन प्रतियों की लिखावट का अभियुक्त के स्वीकार किए गए हस्ताक्षर से मेल खाना किन्तु हस्तलेख-विशेषज्ञ की परीक्षा न कराना – अभियोजन पक्ष भूमि के किराए या किराए की राशि के किसी भाग का दुर्विनियोग किए जाने के विषय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है और न ही न्यायालय में हस्तलेख-विशेषज्ञ की परीक्षा कराई गई है, ऐसी स्थिति में अभिकथित दुर्विनियोग की राशि न्यायालय द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, अतः निचले न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने और अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

राजेन्द्र कुमार घिमिरे बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** 67

रणबीर दंड संहिता, 1989 (1989 संवत् का 12)

– धारा 366, 376 –[सपठित जम्मू-कश्मीर साक्ष्य अधिनियम, 1977 की धारा 3] – व्यपहरण और बलात्संग – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से मूक-बधिर अभियोक्त्री का अपहरण और उसके साथ बलात्संग किया जाना – अभियोक्त्री, प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों तथा चिकित्सक द्वारा किए गए कथन से यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री एक प्राप्तवय महिला थी, जो सुसंगत समय पर स्वस्थचित्त थी तथा उसका अभियुक्त के साथ प्रेम प्रसंग भी था, अतः अभियुक्त का यह कहना कि अभियोक्त्री अपनी इच्छा और सहमति से उसके साथ गई थी, न्यायोचित है तथा अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक मैथुन किए जाने का तथ्य चिकित्सीय साक्ष्य

पृष्ठ संख्या

से भी मेल नहीं खाता है, इसलिए अभियुक्त की दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

जम्मू-कश्मीर राज्य बनाम **रवि कुमार** 103

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32)

– धारा 5 – गुरुतर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला – पांच वर्षीय पीड़िता के सौतेले पिता द्वारा उस पर लैंगिक हमला किया जाना – पीड़िता द्वारा किए गए कथनों में घटना का पर्याप्त और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जिसमें कोई विसंगति या भिन्नता दिखाई नहीं देती है और पीड़िता की नानी के कथन की अभिपुष्टि पीड़िता, उसकी माता और नानी के दो पुत्रों के साक्ष्य से भी होती है और इसके अतिरिक्त चिकित्सक के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पांच वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था और साथ ही यह आशा करना सामान्य नहीं है कि पांच वर्ष की कन्या की योनिच्छद विदीर्ण या फटी हुई प्रतीत हो, अतः निचले न्यायालय का दोषसिद्धि का निर्णय न्यायोचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

सिंजॉइट मैरंग बनाम **मेघालय राज्य** 209

– धारा 8, 7, 3 और 4 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 451 और 506(i) तथा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 1998 (1998 का तमिलनाडु राज्य अधिनियम सं. 44) की धारा 4] – अपीलार्थी द्वारा विवाह का मिथ्या वचन देकर अप्राप्तवय पीड़िता के साथ लैंगिक

पृष्ठ संख्या

मैथुन किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता की अप्राप्तवयता के संबंध में उसका विद्यालय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना तथा चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा भी पीड़िता की आयु को 16 से 17 वर्ष के बीच में बताया जाना – लैंगिक मैथुन के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पीड़िता से विवाह करने से इनकार किया जाना – उक्त धोखे से व्यथित होकर पीड़िता द्वारा विषपान कर लिया जाना – अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल होने के पश्चात् पीड़िता द्वारा यह कथन किया जाना कि अपीलार्थी ने विवाह का मिथ्या वचन देकर उसके साथ लैंगिक मैथुन किया था – पीड़िता को विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया जाना – पीड़िता का उपचार और चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टरों द्वारा पीड़िता के कथन की पुष्टि किया जाना – इस प्रकार पीड़िता द्वारा किए गए कथन की उसकी माता और डाक्टरों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से पुष्टि होना – अतः यह स्पष्ट है कि विद्वान् विचारण महिला न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराकर कोई त्रुटि नहीं की है और इसलिए निचले द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है ।

अरुण बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, सलेम नगर सर्व महिला पुलिस थाना, सलेम** 129

– धारा 9(च) और धारा 10 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – पीड़ता पर गुरुतर लैंगिक हमला किया जाना – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त

पृष्ठ संख्या

द्वारा 12 वर्षीय पीड़िता को घर में बुलाकर उस पर लैंगिक हमला किया जाना – अभियुक्त का धार्मिक संस्था का प्रमुख होना पाया जाना – अभियुक्त के कृत्य की संपुष्टि पीड़िता की सहेली, माता-पिता और दादी द्वारा दिए गए साक्ष्य से होती है और अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अपीलार्थी ने गुरुतर लैंगिक हमला अर्थात् प्रवेशन किया था और यह कि पीड़िता को क्षति भी पहुंची थी, इसलिए पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा न कराया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं हो सकता, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

एस. जयासीलन बनाम **राज्य मार्फत पुलिस निरिक्षक, थाना हस्थाम्पत्ती, सालेन** 141

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

– धारा 25 और 27 – संस्वीकृतिक कथन – वैधता – किसी भी साक्ष्य द्वारा संस्वीकृतिक कथन में इस बात की पुष्टि न होना कि विष गंगाधर राव द्वारा ही दिया गया था – अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा इस कथन की पुष्टि नहीं की गई है – संस्वीकृतिक कथन की स्वीकार्यता के लिए यह आवश्यक है कि संस्वीकृतिक कथन देने वाला व्यक्ति स्वयं को फंसाने के अतिरिक्त उन अन्य लोगों को भी फंसाता है जिनका उसके साथ मिलकर विचारण किया जा रहा है और मात्र इसी परिस्थिति में ऐसा संस्वीकृतिक कथन अन्य लोगों के विरुद्ध प्रासंगिक है – तथापि, वर्तमान मामले में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 बिल्कुल भी लागू नहीं होती है क्योंकि गंगाधर राव का अभियुक्त के साथ सह-अभियुक्त के रूप में विचारण नहीं किया गया था – अत: अभियुक्त की दोषमुक्ति के

पृष्ठ संख्या

आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लोक अभियोजक उच्च न्यायालय, हैदराबाद प्रतिनिधित्व बनाम **मामिदीशेट्टी नारायणा** 1

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 20 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 और 14] – चरस का अवैध कब्जा – अभियुक्त के मन और शरीर की स्थिति – अभियुक्त पर लगभग 2.522 किलोग्राम चरस पाए जाने का अभिकथन किया जाना – कांस्टेबल द्वारा इस प्रभाव का परिसाक्ष्य दिया जाना है कि अन्य अधिकारी के साथ नियमित गश्त ड्यूटी के दौरान अभियुक्त की गतिविधि संदिग्ध पाए जाने पर उसके कब्जे से लगभग 2.522 किलोग्राम चरस बरामद की गई है और प्रतिवादी साक्षी द्वारा केवल यह साक्ष्य दिया है कि अभियुक्त और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था किन्तु झगड़े का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है और साथ ही जीप चालक द्वारा दिए गए साक्ष्य से भी चरस की बरमदगी साबित होना, अत: मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् निराधार है और अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

बुधी राम बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 234

आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा लोक अभियोजक उच्च न्यायालय, हैदराबाद प्रतिनिधित्व

बनाम

मामिदीशेट्टी नारायणा

(2013 की दांडिक अपील सं. 484)

तारीख 3 अगस्त, 2021

मुख्य न्यायमूर्ति अनुप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति निनाला जयसूर्या

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और धारा 30] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा मृतक को पाउडर (विष) दिए जाने का अभिकथन – घटना का कोई भी प्रत्यक्ष साक्षी न होना – अभियोजन पक्ष द्वारा उस व्यक्ति की परीक्षा नहीं कराई गई जिससे अभियुक्त ने मृतक को विष देने को कहा था, इस प्रकार यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही मृतक को विष दिया है ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 25 और 27 – संस्वीकृतिक कथन – वैधता – किसी भी साक्ष्य द्वारा संस्वीकृतिक कथन में इस बात की पुष्टि न होना कि विष गंगाधर राव द्वारा ही दिया गया था – अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा इस कथन की पुष्टि नहीं की गई है – संस्वीकृतिक कथन की स्वीकार्यता के लिए यह आवश्यक है कि संस्वीकृतिक कथन देने वाला व्यक्ति स्वयं को फंसाने के अतिरिक्त उन अन्य लोगों को भी फंसाता है जिनका उसके साथ मिलकर विचारण किया जा रहा है और मात्र इसी परिस्थिति में ऐसा संस्वीकृतिक कथन अन्य लोगों के विरुद्ध प्रासंगिक है – तथापि, वर्तमान मामले में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 बिल्कुल भी लागू नहीं होती है क्योंकि गंगाधर राव का अभियुक्त के साथ सह-अभियुक्त के रूप में विचारण

नहीं किया गया था – अतः अभियुक्त की दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

इस मामले में अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि शेख जॉन ने तारीख 10 मई, 2003 को रात्रि 8.00 बजे पिदुगुरल्ला पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें यह कथन किया गया था कि पूर्ववर्ती रात्रि लगभग 10.00 बजे अचंपेटा श्रीनु और सोमा गंगाधर राव जो उनके बड़े बेटे करीमुल्ला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मृतक" कहा गया है) जो राजमिस्त्री का कार्य करता था, के मित्र थे उसे सूचित किया कि मृतक रेलवे गेट रोड पर पड़ा हुआ है और इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता अपने दामाद शेख हसन के साथ उस स्थान पर गया और मृतक को रिक्शे में डा. अंजी रेड्डी अस्पताल के सामने स्थित एक अस्पताल में ले गया, जहां डा. ने मृतक की चिकित्सा जांच करने के पश्चात् उसे मृत घोषित कर दिया । अपने पुत्र की मृत्यु के विषय में पूछताछ करने पर सोमा गंगाधर राव ने इत्तिलाकर्ता को बताया कि अभियुक्त स्थित अपनी सास के घर से ताड़ी में मिलाने वाला पाउडर लाया था और मृतक को यह कहते हुए वह पाउडर दिया था कि इसे जल में मिलाकर पीने से अच्छा नशा होगा । इसके पश्चात् मृतक गंगाधर राव के साथ एक स्थान पर गया जो अभियुक्त के घर से थोड़ी दूरी पर स्थित था । मृतक ने अभियुक्त द्‌वारा दिए गए पाउडर को पानी की बोतल में मिलाकर पी लिया और वह वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई जबकि गंगाधर राव ने यह पानी कम ही मात्रा में पिया था क्योंकि इसका स्वाद खराब था । इत्तिलाकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि उसके पुत्र को मारने के आशय से अभियुक्त ने कुछ विषैला पदार्थ मिलाया था जिसके पीने के उपरांत उसके पुत्र की मृत्यु हो गई । इत्तिलाकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर पिडुगुरल्ला पुलिस थाने के उप निरीक्षक द्‌वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 96/2003 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इसके पश्चात् अन्वेषण प्रारंभ हुआ और अभियुक्त को तारीख 22 मई, 2003 को सायं 5.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया । पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया और उसका संस्वीकृतिक कथन सिरिपुरापु कुटुम्बा राव और बेतमचेरला श्री हरि राव की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस ने

अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । इस स्थिति में यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की परीक्षा कराए जाने के पश्चात्, अभियोजन पक्ष द्वारा एक आवेदन फ़ाइल किया गया जिसमें सोमा गंगाधर राव को भी अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाने के लिए निवेदन किया गया, इसलिए उसे इस मामले में अभियुक्त सं. 2 के रूप में क्रमबद्ध किया गया है । सोमा गंगाधर राव ने इस आदेश को 2007 की दांडिक याचिका सं. 6188 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । तारीख 12 नवंबर, 2007 के आदेश द्वारा उसे उन्मोचित कर दिया गया । अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं कर सका है । तदनुसार, उसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया । राज्य द्वारा वर्तमान अपील इसी निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गंगाधर राव को अभियुक्त सं. 2 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को वापस बुलाया गया और गंगाधर राव की ओर से प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा कराई गई । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पूर्व में की गई प्रतिपरीक्षा में मृतक द्वारा उनकी अप्रिय टिप्पणियों के कारण आत्महत्या करने के बारे में जो सुझाव दिया गया था वही उनके समक्ष रखा गया था लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया । अभि. सा. 3 ने भी अभि. सा. 1 के समान ही कहानी का उल्लेख किया है । उसके अनुसार गंगाधर राव ने उसे अभियुक्त की पत्नी के साथ मृतक की अभिकथित अवैध अंतरंगता के विषय में बताया था तथा अभियुक्त ने विष लाकर गंगाधर राव से उसे ताड़ी में मिलाने को कहा था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गंगाधर राव ने उसे यह भी बताया था कि उसने ताड़ी में वह पदार्थ मिलाया था और उसे मृतक को पिलाया था । मृतक को यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह पेय पदार्थ सुरक्षित है, उसने भी इस पेय पदार्थ को कम मात्रा में पिया और

उसके पश्चात् उसे बिना निगले ही थूक दिया, लेकिन मृतक ने उसे पी लिया था और उसकी मृत्यु हो गई । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 10) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्हें प्रदर्श-11 में क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने अन्वेषण के दौरान यह कथन नहीं किया था कि गंगाधर राव ने यह बताया है कि अभियुक्त की पत्नी का मृतक के साथ अवैध संबंध था और अभियुक्त के अनुरोध पर गंगाधर राव ने विष मिलाकर मृतक को पिला दिया । अभि. सा. 7 वह चिकित्सक है जिसने मृतक के शव की शव-परीक्षा की थी । उसने यह कथन किया है कि शव-परीक्षा के समय उसने पेट, आंत, यकृत, वृक्क आदि को परिरक्षित कर लिया था और उसे क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गुन्टूर भेजा गया था । उक्त प्रयोगशाला द्‌वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उसने यह राय दी कि मृत्यु ऑर्गनोफॉस्फेट विष के कारण हुई है । (पैरा 17, 18, 19 और 20)

अभियोजन के पक्षकथन की संरचना और आधार यह है कि मृतक का अभियुक्त की पत्नी के साथ अंतरंग संबंध था जिसके कारण अभियुक्त ने विष क्रय किया और मृतक को जान से मारने के आशय से गंगाधर राव के माध्यम से उसने मृतक को पिलाया । यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि गंगाधर राव का, जिसने अभिकथित रूप से अभि. सा. 1 के अनुसार अभियुक्त के कहने पर मृतक को विष देने की बात संस्वीकार की थी लेकिन उसका अभियुक्त के साथ संयुक्त रूप से विचारण नहीं किया गया क्योंकि उसे इस न्यायालय द्‌वारा 2007 की दांडिक याचिका सं. 6188 में पारित किए गए तारीख 12 नवंबर, 2007 के आदेश द्‌वारा दोषमुक्त कर दिया गया था । अभियोजन पक्ष द्‌वारा उसकी साक्षी के रूप में परीक्षा भी नहीं कराई गई । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने अन्वेषण के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया है जैसाकि अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया था । सामान्यत:, एक संस्वीकृतिक कथन मात्र उस अभियुक्त के विरुद्‌ध ही स्वीकार्य होता है जिसने उसे व्यक्त किया होता है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 में उपबंधित उक्त नियम का मात्र एक

अपवाद है जिसमें यह उल्लिखित है कि जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारण किया जा रहा हो तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली संस्वीकृति को साबित किया जाता है तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा । इस प्रकार एक संस्वीकृति का प्रयोग सह-अभियुक्त के विरुद्ध भी किया जा सकता है । इस प्रकार के संस्वीकृति कथन की स्वीकार्यता पर यह आवश्यक है कि संस्वीकृतिक कथन देने वाला व्यक्ति स्वयं को फंसाने के अतिरिक्त उन अन्य लोगों को भी फंसाता है जिनका उसके साथ मिलकर विचारण किया जा रहा है और मात्र इसी परिस्थिति में ऐसा संस्वीकृतिक कथन अन्य लोगों के विरुद्ध प्रासंगिक है । तथापि, वर्तमान मामले में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 बिलकुल भी लागू नहीं होती है क्योंकि गंगाधर राव का अभियुक्त के साथ सह-अभियुक्त के रूप में विचारण नहीं किया गया था । यद्यपि, आरोप पत्र में यह कथन किया गया था कि अभियुक्त का संस्वीकृतिक कथन एल. डब्ल्यू.-10 तथा एल. डब्ल्यू.-11 अर्थात् क्रमशः सिरिपुरापु कुटुम्बा राव और बेटामचेरला श्री हरि राव की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था । एल. डब्ल्यू.-11 की परीक्षा नहीं कराई गई तथा एल. डब्ल्यू.-10 जिसकी अभि.सा.8 के रूप में परीक्षा कराई गई थी । उसने अभियुक्त द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के संस्वीकृतिक कथन के विषय में कुछ भी नहीं कहा है जो उसकी उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के अभिकथित संस्वीकृतिक कथन के विषय में कुछ भी नहीं कहा । दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपीली क्षेत्राधिकार की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है । साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन और उस पर पुनर्विचार करके अपील न्यायालय तथ्य और कानून दोनों प्रश्नों पर अपना निष्कर्ष

निकाल सकता है । तथापि, अपील न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है जिसमें सर्वप्रथम दांडिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के अधीन अभियुक्त के लिए निर्दोषिता की यह धारणा उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न हो जाए । द्वितीयतः, विचारण न्यायालय में अभियुक्त द्वारा प्राप्त दोषमुक्ति इस धारणा को और प्रबलित करती है कि वह निर्दोष है तथा इसके अतिरिक्त यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं तो अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । इस प्रकार, युक्तियुक्त विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त की दोषिता की ओर संकेत करने वाले किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है । तद्नुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है । लंबित प्रकीर्ण आवेदन, यदि कोई हो, समाप्त माने जाएंगे । (पैरा 21, 22, 23, 25, 26 और 27)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020] (2020) 10 एस. सी. सी. 166 =
ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 4519 :
अनवर अली बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** । 24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2013 की दांडिक अपील सं. 484.

2005 के सेशन मामला सं. 262 में दसवें विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) गुन्टूर, नरसारावपेट द्वारा तारीख 30 जनवरी, 2008 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री के. श्रीनिवास रेड्डी लोक अभियोजक

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सी. शरण रेड्डी

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति अनुप कुमार गोस्वामी ने दिया ।

मु. न्या. गोस्वामी – वर्तमान अपील राज्य द्वारा दसवें विद्वान् अपर जिला और सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) गुन्टूर, नरसारावपेट द्वारा 2005 के सेशन मामला सं. 262 में पारित तारीख 30 जनवरी, 2008 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसमें मामीदीसेट्टी नारायण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" निर्दिष्ट किया गया है) प्रत्यर्थी सं. 1 को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) धारा 302 के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया था ।

2. इस मामले में अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि शेख जॉन ने तारीख 10 मई, 2003 को रात्रि 8.00 बजे पिदुगुरल्ला पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें यह कथन किया गया था कि पूर्ववर्ती रात्रि लगभग 10.00 बजे अचंपेटा श्रीनु और सोमा गंगाधर राव जो उनके बड़े बेटे करीमुल्ला (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मृतक" कहा गया है) जो राजमिस्त्री का कार्य करता था, के मित्र थे उसे सूचित किया कि मृतक रेलवे गेट रोड पर पड़ा हुआ है और इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता अपने दामाद शेख हसन के साथ उस स्थान पर गया और मृतक को रिक्शे में डा. अंजी रेड्डी अस्पताल के सामने स्थित एक अस्पताल में ले गया, जहां डा. ने मृतक की चिकित्सा जांच करने के पश्चात् उसे मृत घोषित कर दिया । अपने पुत्र की मृत्यु के विषय में पूछताछ करने पर सोमा गंगाधर राव ने इत्तिलाकर्ता को बताया कि अभियुक्त स्थित अपनी सास के घर से ताड़ी में मिलाने वाला पाउडर लाया था और मृतक को यह कहते हुए वह पाउडर दिया था कि इसे जल में मिलाकर पीने से अच्छा नशा होगा । इसके पश्चात् मृतक गंगाधर राव के साथ एक स्थान पर गया जो अभियुक्त के घर से थोड़ी दूरी पर स्थित था । मृतक ने अभियुक्त द्वारा दिए गए पाउडर को पानी की बोतल में मिलाकर पी लिया और वह वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई जबकि गंगाधर राव ने यह पानी कम ही मात्रा में पिया था क्योंकि इसका स्वाद खराब था । इत्तिलाकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि उसके पुत्र को मारने के

आशय से अभियुक्त ने कुछ विषैला पदार्थ मिलाया था जिसके पीने के उपरांत उसके पुत्र की मृत्यु हो गई ।

3. इत्तिलाकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर पिड्डुगुरल्ला पुलिस थाने के उप निरीक्षक द्‍वारा दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 96/2003 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इसके पश्चात् अन्वेषण प्रारंभ हुआ और अभियुक्त को तारीख 22 मई, 2003 को सायं 5.00 बजे गिरफ्तार कर लिया गया । पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने अपराध स्वीकार कर लिया और उसका संस्वीकृतिक कथन सिरिपुरापु कुट्टुम्बा राव और बेतमचेरला श्री हरि राव की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्‍ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

4. चूंकि मामला विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्‍वारा विचारणीय है इसलिए विद्‍वान् प्रधान कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश (जिन्हें अपर ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश गुरजाला का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार दे रखा था) ने मामले को सेशन न्यायालय गुन्टूर को अग्रेषित कर दिया । जहां से मामला नरसारावपेट में दसवें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) गुन्टूर के न्यायालय को अग्रेषित कर दिया गया । तद्‌नुसार, 2005 का सेशन मामला सं. 262 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

5. तत्पश्चात्, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप विरचित किए गए । आरोप को अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझाए जाने के पश्चात् उसने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की ।

6. अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 10 तक दस साक्षियों की परीक्षा कराई तथा प्रदर्श-पी/1 से प्रदर्श-11 तक ग्यारह दस्तावेज़ प्रदर्शित किए और तात्विक वस्तु-1 को चिह्नांकित किया । अभि. सा. 1, इत्तिलाकर्ता है और मृतक का पिता है । अभि. सा. 2, अभि. सा. 1 की पत्नी है । अभि. सा. 3, अभि. सा. 1 का नातेदार है जो अभि. सा. 1 के भाई का दामाद है । अभि. सा. 5, जिसके बारे में यह कथन किया गया है कि उसने मृतक को रेलवे फाटक पर अचेत अवस्था में देखा था तथा घटना की सूचना देने के लिए सोमा गंगाधर

राव के साथ इत्तिलाकर्ता के घर गया था जिसको पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया । अभि. सा. 5 उस अस्पताल में कम्पाउंडर है जहां मृतक को इत्तिलाकर्ता द्वारा लाया गया था, इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है । अभि. सा. 6 मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-5) का साक्षी है । अभि. सा. 7 वह चिकित्सक है जिसने मृतक के शव की शव-परीक्षा की थी । अभि. सा. 8 एक पंचायत सचिव है और वह प्रदर्श-8 द्वारा अभिगृहीत प्लास्टिक टिन (तात्विक वस्तु-1) के अभिग्रहण का साक्षी है । अभि. सा. 9 पुलिस उप निरीक्षक है जिसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की और पुलिस सर्किल निरीक्षक (अभि. सा. 10) को अन्वेषण अग्रेषित किया । पुलिस सर्किल निरीक्षक (अभि. सा. 10) ने अन्वेषण करने के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

7. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

8. इस स्थिति में यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 की परीक्षा कराए जाने के पश्चात्, अभियोजन पक्ष द्वारा एक आवेदन फ़ाइल किया गया जिसमें सोमा गंगाधर राव को भी अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाने के लिए निवेदन किया गया, इसलिए उसे इस मामले में अभियुक्त सं. 2 के रूप में क्रमबद्ध किया गया है । सोमा गंगाधर राव ने इस आदेश को 2007 के दांडिक याचिका सं. 6188 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । तारीख 12 नवंबर, 2007 के आदेश द्वारा उसे उन्मोचित कर दिया गया ।

9. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त का दोष युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं कर सका है । तदनुसार, उसे दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया । राज्य द्वारा वर्तमान अपील इसी निर्णय को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

10. विद्वान् लोक अभियोजक श्री के. श्रीनिवास रेड्डी ने दलील दी कि अभियोजन का पक्षकथन परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और

अभि. सा. 3 के साक्ष्य को स्वीकार न करके विधि की त्रुटि की है जबकि इन साक्षियों के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्‌वारा कारित किया गया अपराध सिद्‌ध होता है । इसलिए उन्होंने यह दलील दी है कि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए ।

11. दूसरी ओर, अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्‌वान् काउंसेल श्री सी. शरण रेड्‌डी ने यह दलील दी है कि चूंकि अभियुक्त के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने वाला कोई साक्ष्य विद्‌यमान नहीं था इसलिए विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अपराध से ठीक ही दोषमुक्त किया है तथा वर्तमान अपील में भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नहीं है ।

12. स्वीकृततः, इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है ।

13. अभि. सा. 1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि उसे मृतक की मृत्यु को लेकर गंगाधर राव पर संदेह हुआ और जब उसने उससे पूछताछ की तो गंगाधर राव ने उसे बताया कि अभियुक्त की पत्नी और मृतक के बीच अवैध अंतरंगता थी और अभियुक्त-5 ने अपने ससुर के घर से कुछ दवाई मंगवाई और मृतक को यह कहते हुए दी कि इसे जल या फिर ताड़ी में मिलाकर पीने से अच्छा नशा होगा और फिर मृतक तथा गंगाधर राव ने इसे जल में मिला दिया । मृतक ने यह घोल अधिक पी लिया और पीते ही वह वहीं गिर गया जबकि गंगाधर राव ने वह घोल कम पिया था । अभि. सा. 1 ने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गंगाधर राव ने उसे यह बताया था कि उसने अभियुक्त के कहने पर ऐसा कृत्य किया है । अभि. सा. 1 ने इसके आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मृतक का अभियुक्त की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के कारण अभियुक्त ने मृतक से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की है ।

14. अभि. सा.1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य से इनकार किया है कि मृतक मदिरा पीने का आदी था तथा वह अपने घर से धन चोरी करता था जिसके परिणामस्वरूप कुटुंब के सदस्यों द्‌वारा गाली-गलौज करने के कारण मृतक ने आत्महत्या की है, इसलिए वह स्वयं तथा उसके कुटुंब के सदस्य उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी हैं । अपने आप को बचाने के लिए अभियुक्त के विरुद्‌ध मिथ्या मामला दर्ज कराया गया है ।

15. अभि. सा. 2 ने अनिवार्य रूप से यह कथन किया है कि गंगाधर राव ने यह बताया है कि अभियुक्त ने मृतक को विष देने के लिए ही उसे सौंपा था, क्योंकि उसने अभियुक्त की पत्नी के साथ अवैध अंतरंगता स्थापित कर रखी थी और तद्नुसार गंगाधर राव ने अभियुक्त के कहने पर मृतक को विष दे दिया ।

16. प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस तथ्य से भी इनकार किया है कि मृतक मदिरा का आदी था और कुटुंब के सदस्यों की अप्रिय टिप्पणियों के कारण उसने आत्महत्या की तथा अभियुक्त के विरुद्ध मिथ्या मामला दर्ज किया गया था ।

17. जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए गंगाधर राव को अभियुक्त सं. 2 के रूप में सूचीबद्ध किया गया था । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को वापस बुलाया गया और गंगाधर राव की ओर से प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा कराई गई । प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पूर्व में की गई प्रतिपरीक्षा में मृतक द्वारा उनकी अप्रिय टिप्पणियों के कारण आत्महत्या करने के बारे में जो सुझाव दिया गया था वही उनके समक्ष रखा गया था लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया ।

18. अभि. सा. 3 ने भी अभि. सा. 1 के समान ही कहानी का उल्लेख किया है । उसके अनुसार गंगाधर राव ने उसे अभियुक्त की पत्नी के साथ मृतक की अभिकथित अवैध अंतरंगता के विषय में बताया था तथा अभियुक्त ने विष लाकर गंगाधर राव से उसे ताड़ी में मिलाने को कहा था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गंगाधर राव ने उसे यह भी बताया था कि उसने ताड़ी में वह पदार्थ मिलाया था और उसे मृतक को पिलाया था । मृतक को यह विश्वास दिलाने के लिए कि यह पेय पदार्थ सुरक्षित है, उसने भी इस पेय पदार्थ को कम मात्रा में पिया और उसके पश्चात् उसे बिना निगले ही थूक दिया, लेकिन मृतक ने उसे पी लिया था और उसकी मृत्यु हो गई ।

19. अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 10) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्हें प्रदर्श-11 में क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि अभि.

सा. 2 और अभि. सा. 3 ने अन्वेषण के दौरान यह कथन नहीं किया था कि गंगाधर राव ने यह बताया है कि अभियुक्त की पत्नी का मृतक के साथ अवैध संबंध था और अभियुक्त के अनुरोध पर गंगाधर राव ने विष मिलाकर मृतक को पिला दिया ।

20. अभि. सा. 7 वह चिकित्सक है जिसने मृतक के शव की शव-परीक्षा की थी । उसने यह कथन किया है कि शव-परीक्षा के समय उसने पेट, आंत, यकृत, वृक्क आदि को परिरक्षित कर लिया था और उसे क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, गुन्टूर भेजा गया था । उक्त प्रयोगशाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उसने यह राय दी कि मृत्यु ऑर्गनोफॉस्फेट विष के कारण हुई है ।

21. अभियोजन के पक्षकथन की संरचना और आधार यह है कि मृतक का अभियुक्त की पत्नी के साथ अंतरंग संबंध था जिसके कारण अभियुक्त ने विष क्रय किया और मृतक को जान से मारने के आशय से गंगाधर राव के माध्यम से उसने मृतक को पिलाया । यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि गंगाधर राव, जिसने अभिकथित रूप से अभि. सा. 1 के अनुसार अभियुक्त के कहने पर मृतक को विष देने की बात संस्वीकार की थी लेकिन अभियुक्त के साथ संयुक्त रूप से विचारण नहीं किया गया क्योंकि उसे इस न्यायालय द्वारा 2007 की दांडिक याचिका सं. 6188 में पारित किए गए तारीख 12 नवंबर, 2007 के आदेश द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था । अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी साक्षी के रूप में परीक्षा भी नहीं कराई गई । अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने अन्वेषण के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया है जैसाकि अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया था ।

22. सामान्यत:, एक संस्वीकृतिक कथन मात्र उस अभियुक्त के विरुद्ध ही स्वीकार्य होता है जिसने व्यक्त किया होता है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 में उपबंधित उक्त नियम का मात्र एक अपवाद है जिसमें यह उल्लिखित है कि जब एक से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारण किया जा रहा हो तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली संस्वीकृति को

साबित किया जाता है तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा । इस प्रकार एक संस्वीकृति का प्रयोग सह-अभियुक्त के विरुद्ध भी किया जा सकता है । इस प्रकार के संस्वीकृतिक कथन की स्वीकार्यता पर यह आवश्यक है कि संस्वीकृतिक कथन देने वाला व्यक्ति स्वयं को फंसाने के अतिरिक्त उन अन्य लोगों को भी फंसाता है जिनका उसके साथ मिलकर विचारण किया जा रहा है और मात्र इसी परिस्थिति में ऐसा संस्वीकृतिक कथन अन्य लोगों के विरुद्ध प्रासंगिक है । तथापि, वर्तमान मामले में साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 बिलकुल भी लागू नहीं होती है क्योंकि गंगाधर राव का अभियुक्त के साथ सह-अभियुक्त के रूप में विचारण नहीं किया गया था ।

23. यद्यपि, आरोप पत्र में यह कथन किया गया था कि अभियुक्त का संस्वीकृतिक कथन एल. डब्ल्यू.-10 तथा एल. डब्ल्यू.-11 अर्थात् क्रमश: सिरिपुरापु कुटुम्बा राव और बेटामचेरला श्री हरि राव की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था । एल. डब्ल्यू.-11 की परीक्षा नहीं कराई गई तथा एल. डब्ल्यू.-10 जिसकी अभि. सा.8 के रूप में परीक्षा कराई गई थी । उसने अभियुक्त द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के संस्वीकृतिक कथन के विषय में कुछ भी नहीं कहा है जो उसकी उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था । अभि. सा. 10 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त के अभिकथित संस्वीकृतिक कथन के विषय में कुछ भी नहीं कहा ।

24. **अनवर अली** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरुद्ध की गई अपील से संबन्धित विधि पर विचार किया है और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 की परिधि एवं सीमा को लेकर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में माननीय उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप पर भी विचार किया है ।

25. दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपीली क्षेत्राधिकार की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय उन साक्ष्यों की समीक्षा,

---

[1] (2020) 10 एस. सी. सी. 166 = ए. आई. आर. 2020 एस. सी. 4519.

पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है । साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन और उस पर पुनर्विचार करके अपील न्यायालय तथ्य और कानून दोनों प्रश्नों पर अपना निष्कर्ष निकाल सकता है । तथापि, अपील न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है जिसमें सर्वप्रथम दांडिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के अधीन अभियुक्त के लिए निर्दोषिता की यह धारणा उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न हो जाए । द्वितीयतः, विचारण न्यायालय में अभियुक्त द्वारा प्राप्त दोषमुक्ति इस धारणा को और प्रबलित करती है कि वह निर्दोष है तथा इसके अतिरिक्त यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष संभव हैं तो अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

26. इस प्रकार, युक्तियुक्त विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त की दोषिता की ओर संकेत करने वाले किसी भी ठोस साक्ष्य के अभाव में सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे विद्वान् विचारण न्यायालय के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है ।

27. तदनुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है । लंबित प्रकीर्ण आवेदन, यदि कोई हो, समाप्त माने जाएंगे ।

अपील खारिज की गई ।

जाह./अस.

ओबलेशा उर्फ **रंगा**

बनाम

कर्नाटक राज्य

(2011 की दांडिक अपील सं. 1137)

तारीख 8 दिसंबर, 2021

न्यायमूर्ति के. सोमाशेखर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 366, 342 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – अपहरण और सदोष परिरोध – अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अभिकथित रूप से पीड़िता का उस समय अपहरण किया जाना, जब वह ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही थी – पीड़िता को विवाह के आशय से अपीलार्थी द्वारा अपने मित्र के घर पर परिरुद्ध करके रखा जाना – पीड़िता द्वारा बलपूर्वक अपहरण के विषय में कथन न किया जाना – अपहरण का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होना – पीड़िता द्वारा दिए गए साक्ष्य में विरोधाभास और लोप – माता-पिता द्वारा भिन्न साक्ष्य दिया जाना – अपीलार्थी और पीड़िता का एक दूसरे से परिचित होना ही मात्र अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि अपीलार्थी के उस मित्र की परीक्षा नहीं कराई गई है जिसके घर में पीड़िता को परिरुद्ध करके रखा गया था और पीड़िता का साक्ष्य उसके माता-पिता के साक्ष्य से मेल नहीं खाता है इसलिए एक भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी न होने पर अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में विफल रहा है – अतः अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है और निचले न्यायालय का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता ।

इस मामले में, अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 10 नवंबर, 2010 को सायं लगभग 7.00 बजे कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) जोकि पीड़ित बालिका है, श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) के घर गई थी जोकि लगभग 75 वर्ष की महिला है और ट्यूशन पढ़ाने का काम

करती है। जब पीड़िता मुनिसमप्पा-ब्लॉक, आर टी नगर, बंगलुरु शहर में उसके घर में ट्यूशन पढ़ने के पश्चात् घर वापस आ रही थी तो अभियुक्त ने अभिकथित रूप से पीड़िता से विवाह करने के आशय से उसका वहां से अपहरण कर लिया तथा उसे वेंकटेश नामक व्यक्ति के घर में परिरुद्ध कर दिया । वेंकटेश उसका मित्र है । अभियुक्त के कृत्य के अनुसरण में लोकेश (अभि. सा. 5) द्वारा प्रदर्श पी-4 के अनुसार शिकायत दर्ज कराने पर पुट्टलक्कैया (अभि. सा. 9) ने, जो पुलिस थाना आर. टी. नगर में सहायक उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत है, प्रदर्श पी-5 के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित करके दांडिक कार्यवाही आरंभ की । मामला दर्ज किए जाने के पश्चात् महादेव स्वामी (अभि. सा. 13) ने, जोकि अन्वेषण अधिकारी है, वर्तमान मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया और गहन अन्वेषण के दौरान उसने प्रदर्श पी-1 के अनुसार वेंकटेश (अभि. सा. 1) तथा मुनिराजू (अभि. सा. 3) की उपस्थिति में महजर तैयार किया तथा इसी प्रकार प्रदर्श पी-3 के अनुसार श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) तथा लोकेश (अभि. सा. 5) की भी उपस्थिति में महजर तैयार किया । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) द्वारा अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 और 208 के उपबंधों का पालन करते हुए सुपुर्दगी न्यायालय ने सुपुर्दगी आदेश पारित करके मामला सुपुर्द किया । सुपुर्दगी न्यायालय द्वारा मामले को विचारण न्यायालय को सुपुर्द करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध 2011 के सेशन मामला सं. 305 में मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया । वर्तमान मामले को सुपुर्दगी न्यायालय द्वारा सुपुर्द करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल की दलीलें सुनी और परिणामस्वरूप अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 506, 366 और 342 के अधीन आरोप विरचित किए और अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया । आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् संबंधित मामले में विचारण प्रारंभ किया गया और तद्नुसार अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 13 तक सभी की परीक्षा कराई और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-9 तक के दस्तावेजों को चिह्नित किया और अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूर्ण की ।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए अभियोगात्मक कथन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा कराई गई जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सत्यता से इनकार किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात्, अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के अधीन अपेक्षित प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पूर्ण होने तथा अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा प्रस्तुत दलीलें सुनने के पश्चात् निचले न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से आश्वस्त होकर दंड संहिता की धारा 366 और 342 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया । इसी निर्णय को विभिन्न आधारों पर वर्तमान अपील के अधीन चुनौती दी गई है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षियों की गहराई से संवीक्षा किए जाने पर यह पता चलता है कि अभि. सा. 13 जिसने प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-3 पर महजर तैयार किया था, के साक्ष्य के विपरीत साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 2 अर्थात् परशुराम की परीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से कराई गई है किन्तु उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और उनके विपरीत कथन को प्रदर्श पी-2 पर चिह्नित किया गया है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वृतान्त पर कुछ संदेह उत्पन्न करता है । जबकि कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) जोकि पीड़ित बालिका है और अभियोजन पक्ष की ओर से उसकी परीक्षा कराई गई है किन्तु उसने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया कि अभियुक्त ने इस प्रकार का आपराधिक अभित्रास कारित किया था कि यदि उसने उससे विवाह करने से इनकार किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे । अभि. सा. 6 के साक्ष्य तथा अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने में विफल रहा है, किंतु इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा था कि अभियोजन पक्ष ने परिरोध से संबंधित धारा 342 तथा

विधिपूर्ण संरक्षा से अपहरण किए जाने संबंधित धारा 366 के अधीन अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को सिद्ध कर दिया है, यद्यपि, दोषसिद्धि के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य विद्यमान नहीं है । किन्तु अभियुक्त द्वारा पीड़ित बालिका के अपहरण के संघटक, जिसकी आयु तारीख 10 नवंबर 2010 को लगभग 13 से 14 वर्ष पाई गई है, जिसके अनुसार लगभग सायं 7 बजे पीड़िता, श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) के घर में ट्यूशन पढ़ने गई थी और यह अभिकथन करते हुए अपने घर लौट आई थी कि अभियुक्त ने ऑटो रिक्शा में उसका अपहरण कर लिया था और एचएसआर लेआउट, बंगलुरु शहर की सीमा में हलनायकनहल्ली में स्थित वेंकटेश के घर में परिरुद्ध करके रखा हुआ था । किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि वेंकटेश, जोकि कोई और नहीं बल्कि अभियुक्त का मित्र है, की अभियोजन पक्ष की ओर से, परिरुद्ध किए जाने के विषय में साक्ष्य की सत्यता जानने के लिए परीक्षा नहीं कराई गई । किन्तु यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ने पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) जिसकी आयु लगभग 13 से 14 वर्ष है, के साथ कुछ छेड़छाड़ की थीं । पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) के अपहरण के लिए भी अभियोजन पक्ष की ओर से कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विद्यमान नहीं है, किन्तु विचारण न्यायालय ने अधिक विश्वसनीयता प्रदान की है और अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य का अवलंब लिया है जिसमें अभि. सा. 6 भी शामिल है, जो पीड़ित बालिका है, जबकि पूरा मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । तथापि, कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) जोकि मुख्य साक्षी है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए तात्विक साक्ष्य में कुछ विरोधाभास तथा लोप पाए गए हैं जो उसके पिता लोकेश (अभि. सा. 5), माता श्रीमती सौभाग्या (अभि. सा. 7) तथा शिव शंकर (अभि. सा. 8) जोकि उसका चाचा है, द्वारा दिए गए साक्ष्य के विपरीत है । अभियोजन पक्ष की ओर से अभि. सा. 6 की परीक्षा कराई गई है और उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह अभियुक्त ओबलेशा **उर्फ** रंगा से बात कर रही थी । इसलिए अभियुक्त और पीड़ित बालिका एक दूसरे से परिचित हैं, किन्तु यह परिचय अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । साथ ही तारीख 10 नवंबर, 2010 को

पीड़ित बालिका के अपहरण से संबंधित अभियोजन पक्ष की ओर से कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई दृढ़ साक्ष्य विद्यमान है । तथापि, प्रदर्श पी-5 के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित करके दांडिक विधि के अधीन कार्रवाई की गई थी । अभि. सा. 5 की परीक्षा कराई गई और उसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह अभियुक्त के घर के समीप गया और पता लगाया कि क्या अभियुक्त अपने घर में उपस्थित है और जब वह अभियुक्त के घर के निकट था तो उसने अभियुक्त की पत्नी से कुछ पूछताछ की कि अभियुक्त घर पर है या नहीं और अभियुक्त की पत्नी और लोकेश (अभि. सा. 5) जो कोई और नहीं बल्कि पीड़ित बालिका का पिता है, के बीच बातचीत हुई और उसके पश्चात् ही प्रदर्श पी-4 के अनुसार उसने शिकायत दर्ज कराई है । किन्तु लोकेश (अभि. सा. 5), पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) और जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) के साक्ष्यों पर सरसरी दृष्टि डालने से पता चलता है कि वह प्रतिदिन सायं 4.30 बजे से 7.00 बजे के बीच ट्यूशन पढ़ने जाती थी किन्तु तारीख 10 नवंबर, 2010 को सायं लगभग 7.00 बजे पीड़िता श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) के घर ट्यूशन पढ़ने गई थी । उसके घर से अपने घर लौटते समय अभियुक्त ने अभिकथित रूप से पीड़िता का अपहरण कर लिया और उसे वेंकटेश नामक व्यक्ति के घर में परिरुद्ध करके रखा था, जो उसका मित्र है और अभियुक्त ने उसे बताया कि वह पीड़ित बालिका से विवाह करने जा रहा है किन्तु उसने अभियुक्त से विवाह करने से इनकार कर दिया है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह बात मात्र वेंकटेश, जो अभियुक्त का मित्र है, को परीक्षा हेतु बुलाकर उक्त तथ्यों को साबित कराना चाहिए था । किन्तु तारीख 14 नवंबर, 2010 को अभियुक्त पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) को आर. टी. नगर पुलिस थाना लाया और आलूर से हेब्बल जाते समय अभियुक्त ने एक बोतल खरीदी और बेकरी के पास उसने कुछ तरल पदार्थ पिया और ऊपर चला गया। इसके पश्चात् अभियुक्त ने उसे बताया कि उसने पुलिस थाने आते समय विषपान कर लिया है और उसके पश्चात् उसे उल्टी हुई और उसे उसके मित्र वेंकटेश ने उसे अस्पताल पहुंचाया और वह पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) को पुलिस स्टेशन ले आया । ये सभी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत

किए गए हैं और इन्हें अभियुक्त के मित्र वेंकटेश की परीक्षा के माध्यम से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है जोकि पीड़िता (अभि. सा. 6) की पूर्वोक्त तदनुरूपता को साबित करने के लिए आवश्यक थी जिसे वेंकटेश के घर में परिरुद्ध किया गया था, जोकि अभियुक्त का ही मित्र है । किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्षी वेंकटेश (न्यायालय साक्षी-5) की परीक्षा इस संबंध में नहीं कराई गई है कि अभियुक्त ने पीड़िता को वेंकटेश के घर में गलत तरीके से परिरुद्ध करके रखा था । कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) तारीख 10 नवंबर, 2010 से तारीख 14 नवंबर, 2010 तक लगभग 4 दिनों की अवधि के लिए विधिपूर्ण अभिरक्षा से लापता बताई गई थी । तथापि, अभियोजन पक्ष द्वारा कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) को वेंकटेश (न्यायालय साक्षी-5) के घर में परिरुद्ध करके रखने तथा पीड़ित बालिका को अभियुक्त से विवाह करने के लिए मजबूर करने के मामले को साबित करने के लिए कोई सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । तथापि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में तथ्य को साबित करने की अवधारणा के संबंध में यह कहा गया है कि कोई तथ्य तब साबित हुआ कहा जाता है जब उसके समक्ष प्रस्तुत विषयों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय या तो यह विश्वास करता है कि वह तथ्य विद्यमान है या उसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को, मामले विशेष की परिस्थितियों के अंतर्गत इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वह तथ्य विद्यमान है । इसके अतिरिक्त, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में तथ्य को गलत साबित करने की अवधारणा के बारे में यह कहा गया है कि "कोई तथ्य असिद्ध हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों को किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है ।" सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मूल्यांकन का यह अधिकार क्षेत्र विचारण न्यायालय में निहित है । किन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 को ध्यान

में रखते हुए, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ प्रतिरक्षा पक्ष के पास भी अधिकार है, किन्तु सिद्धांत के अनुसार संपुष्टि आवश्यक है । अभियुक्त व्यक्ति को मात्र एक दूसरे अर्थात् पीड़ित और अभियुक्त से परिचित होने के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का संदर्भ देना प्रासंगिक है । किसी भी मामले में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त कथन अभियोजन के पक्षकथन का सत्य और सही वृत्तान्त है तो साक्षी के एकमात्र कथन का अवलंब लिया जा सकता है । इसलिए, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध को साबित करने का अधिकार है, जिसके लिए वह सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत करे, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत में संदेह की कोई गुंजाइश न रहे । जबकि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए साक्षियों द्वारा किए गए कथनों और उपलब्ध कराए गए तात्विक साक्ष्य का अवलंब लेने के लिए न्यायालय को साक्ष्य की गुणवत्ता पर विचार करना होता है, न कि साक्ष्य की मात्रा पर । किन्तु साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन के मामले में साक्षियों की बहुलता का अधिकारक्षेत्र मात्र विचारण न्यायालय के पास है । साक्षियों की संख्या नहीं बल्कि उनके साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि साक्ष्य विधि में यह अनिवार्य नहीं है कि किसी तथ्य को सिद्ध/असिद्ध करने के लिए किसी विशिष्ट संख्या में साक्षियों की परीक्षा कराई जाए । साक्ष्य को तौला जाना चाहिए न कि गिना जाए । इसके अतिरिक्त यह देखना चाहिए कि क्या साक्ष्य में सत्यता की झलक है । वह तर्कपूर्ण, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या नहीं । जबकि कानूनी प्रणाली ने साक्षियों की बहुलता या अधिकता के इतर प्रत्येक साक्षी द्वारा दिए गए मूल्य पर जोर दिया है । यह गुणवत्ता है न कि मात्रा, जो साक्ष्य की पर्याप्तता निर्धारित करती है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 द्वारा उपबंधित किया गया है । इसलिए, यह कहा जाता है कि अभियोजन पक्ष को सार्थक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध को साबित करना चाहिए । यदि अभियोजन

पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले में सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है और संदेह उत्पन्न होता है तो दांडिक न्याय प्रणाली में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त के पक्ष में ही होता है । अपीलार्थी को पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) को सदोष परिरोध में रखने के मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया था। सदोष परिरुद्ध का अर्थ यह है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को सदोष परिरुद्ध किया जाना चाहिए था । यह अपराध का आवश्यक संघटक है और इस तरह का प्रतिबंध पीड़िता को कुछ निश्चित सीमाओं से आगे बढ़ने से रोकने के लिए था । किन्तु पीड़िता (अभि. सा. 6) को वेंकटेश (न्यायालय साक्षी-5) के घर में परिरुद्ध करके रखा गया था जो कोई और नहीं बल्कि अभियुक्त का मित्र है । किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त वेंकटेश की परीक्षा नहीं कराई गई, क्योंकि पीड़िता को उसके घर में परिरुद्ध करके रखा गया था । किसी भी तर्क या कारण से पीड़िता के साथ विवाह करने के आशय से अभियुक्त द्वारा किए गए सदोष परिरोध को उचित नहीं ठहराया जा सकता है । किन्तु विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध से दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया । किन्तु दोनों अपराध पीड़िता (अभि. सा. 6) जिसकी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा की गई थी, को परिरुद्ध करने से संबंधित है । किन्तु उसने अभियुक्त द्वारा उस पर आपराधिक अभित्रास कारित करने से संबंधित अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । अभियोजन पक्ष द्वारा परिरोध से संबंधित आवश्यक संघटकों को सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध किया जाना आवश्यक है यहां तक कि अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8, जो अभियोजन पक्ष की ओर से तात्विक साक्षी है द्वारा भी साबित किया जाना चाहिए था किन्तु अभियोजन पक्ष पीड़ित बालिका का सदोष परिरोध करने से संबंधित अपराधों का दोष साबित करने में विफल रहा है । इसलिए इस अपील के अधीन उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा अभियुक्त उपहत व्यक्ति होगा और न्याय की हानि होगी । जहां तक दंड संहिता, 1860 की धारा 366 के अधीन अपराध कारित किए जाने का प्रश्न है तो पीड़ित लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ विवाह

करने के लिए विवश करके उसका व्यपहरण/अपहरण करने से संबंधित अपराध है । किन्तु अपराध का मुख्य संघटक यह है कि एक व्यक्ति जो अभियुक्त है वह पीड़िता का अपहरण करता है और उसे अपने साथ विवाह करने के लिए बाध्य करता है । किन्तु पीड़िता जिसकी परीक्षा अभि. सा. 6 के रूप में कराई गई है को विधिक संरक्षक से दूर ले जाया गया था । किन्तु जहां तक उपरोक्त अपराधों का प्रश्न है तो इसका सार यह है कि पीड़िता पर दबाव होना चाहिए था और यह अभियुक्त का उसके साथ विवाह करने के विचार से संबंधित होना चाहिए था । किन्तु अभियोजन पक्ष पीड़ित बालिका को उसके साथ विवाह करने के लिए बहला-फुसलाकर अपहरण करने के उक्त अपराधों के संघटकों के संबंध में मामला प्रस्तुत करने में विफल रहा है । किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पर विचार करते समय विचारण न्यायालय को कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा किन्तु प्रज्ञा के नियम के रूप में, इस बात पर बल दिया गया है कि विचारण न्यायालय को आमतौर पर पीड़ित द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य की पूर्ण अभिपुष्टि करनी चाहिए ताकि न्यायालय का यह समाधान हो सके कि पीड़िता अपहरण के संबंध में अभियुक्त के कृत्यों के बारे में सत्य कह रही है । किन्तु वर्तमान मामले में उपरोक्त तात्विक साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, यह पता चलता है कि उनका साक्ष्य अभियोजन पक्ष के किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य से मेल नहीं खाता है । इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध पीड़ित बालिका के अपहरण और उसको उसके मित्र वेंकटेश (न्यायालय साक्षी-5) जिसे आरोप पत्र में साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया है, के घर में सदोष परिरुद्ध करने के मामले को साबित नहीं कर पाया है । इसलिए, इस अपील के अधीन हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो अभियुक्त जो अभियोग का मुख्य कारण है, वह आहत व्यक्ति होगा और साथ ही न्याय की हानि भी होगी, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई उचित या ठोस कारण नहीं दिया गया है कि अभियोजन पक्ष ने सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित कर दिया है । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, और विचारण न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला

है तथा साक्ष्य को गलत दिशा में ले गया है और इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की व्याख्या भी गलत की गई है । किन्तु वर्तमान अपील के अधीन आवश्यक परिस्थितियों को देखते हुए हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है । यदि ऐसा नहीं है तो अभियुक्त जो उसके विरुद्ध लगाए गए अभियोग का मुख्य कारण है, उपहत व्यक्ति होगा । अभियोजन पक्ष को अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध को साबित करने के लिए सकारात्मक, ठोस और अभिपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि यह संभाव्यता बन सके कि अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया है । जबकि, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 366 और 342 के अधीन अभियुक्तों द्वारा कारित किए गए अपराध को साबित करने के लिए सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, यद्यपि कई साक्षियों की परीक्षा कराई गई थी किन्तु दिए गए साक्ष्य में कुछ संदेह उत्पन्न होता है । परिणामस्वरूप, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है । (पैरा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2461 : **गब्बू** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ;	13
[1994]	ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 966 : **कर्नाटक राज्य** बनाम **सुरेशबाबू पुक राज पोराल** ।	12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 1137.

2011 के सेशन मामला सं. 305 में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 21 अक्टूबर, 2011 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री ए. एन. राधाकृष्ण, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राहुल राय, एचसीजीपी

न्यायमूर्ति के. सोमाशेखर – वर्तमान अपील विचारण न्यायालय

द्वारा तारीख 21 अक्टूबर, 2011 को 2011 एस. सी. सं. 305 में पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके अधीन अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 366 एवं 342 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया था ।

2. तथापि, वर्तमान अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त करने और इसमें दिए गए आधारों के अधीन उपरोक्त अपराध के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने की ईप्सा करते हुए फाइल की गई है ।

3. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री ए. एन. राधाकृष्ण और राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् सरकारी प्लीडर, उच्च न्यायालय को सुना गया ।

4. विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 21 अक्टूबर, 2011 को सेशन मामला सं. 305/2011 में पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश का परिशीलन किया गया ।

5. अपील का तथ्यात्मक सार इस प्रकार है –

अभियोजन पक्षकथन से यह ज्ञात होता है कि तारीख 10 नवंबर, 2010 को सायं लगभग 7.00 बजे कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) जोकि पीड़ित बालिका है, श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) के घर गई थी जोकि लगभग 75 वर्ष की महिला है और ट्यूशन पढ़ाने का काम करती है । जब पीड़िता मुनिसमप्पा-ब्लॉक, आर टी नगर, बंगलुरु शहर में उसके घर में ट्यूशन पढ़ने के पश्चात् घर वापस आ रही थी तो अभियुक्त ने अभिकथित रूप से पीड़िता से विवाह करने के आशय से उसका वहां से अपहरण कर लिया तथा उसे वेंकटेश नामक व्यक्ति के घर में परिरुद्ध कर दिया । वेंकटेश उसका मित्र है । अभियुक्त के कृत्य के अनुसरण में लोकेश (अभि. सा. 5) द्वारा प्रदर्श पी-4 के अनुसार शिकायत दर्ज कराने पर पुट्टलक्कैया (अभि. सा. 9) ने, जो पुलिस थाना आर. टी. नगर में सहायक उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत है, प्रदर्श पी-5

के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित करके दांडिक कार्यवाही आरंभ की । मामला दर्ज किए जाने के पश्चात् महादेव स्वामी (अभि. सा. 13) ने, जोकि अन्वेषण अधिकारी है, वर्तमान मामले का अन्वेषण प्रारंभ किया और गहन अन्वेषण के दौरान उसने प्रदर्श पी-1 के अनुसार वेंकटेश (अभि. सा. 1) तथा मुनिराजू (अभि. सा. 3) की उपस्थिति में महजर तैयार किया तथा इसी प्रकार प्रदर्श पी-3 के अनुसार श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) तथा लोकेश (अभि. सा. 5) की भी उपस्थिति में महजर तैयार किया ।

6. अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) द्वारा अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध सुपुर्दगी न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 207 और 208 के उपबंधों का पालन करते हुए सुपुर्दगी न्यायालय ने सुपुर्दगी आदेश पारित करके मामला सुपुर्द किया । सुपुर्दगी न्यायालय द्वारा मामले को विचारण न्यायालय को सुपुर्द करने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध 2011 के एस. सी. सं. 305 में मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

7. वर्तमान मामले को सुपुर्दगी न्यायालय द्वारा सुपुर्द करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल की दलीलें सुनीं और परिणामस्वरूप अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 506, 366 और 342 के अधीन आरोप विरचित किए और अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार किया । आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् संबंधित मामले में विचारण प्रारंभ किया गया और तद्नुसार अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 13 तक सभी की परीक्षा कराई और प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-9 तक के दस्तावेजों को चिह्नित किया और अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूर्ण की ।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए अभियोगात्मक कथन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा कराई गई जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सत्यता से इनकार किया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

313 के अधीन अभियुक्त के कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात्, अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 233 के अधीन अपेक्षित प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पूर्ण होने तथा अभियोजन पक्ष और प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा प्रस्तुत दलीलें सुनने के पश्चात् निचले न्यायालय ने दिए गए साक्ष्यों से आश्वस्त होकर दंड संहिता की धारा 366 और 342 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया । इसी निर्णय को विभिन्न आधारों पर वर्तमान अपील के अधीन चुनौती दी गई है ।

9. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अपनी दलील के दौरान मुझे वेंकटेश (अभि. सा. 1) और मुनिराजू (अभि. सा. 3) के साक्ष्यों से अवगत कराया, जो अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) द्वारा पंच साक्षी बनाए गए हैं जिन्होंने प्रदर्श पी-1 में वेंकटेश नामक व्यक्ति के घर पर महजर तैयार किया था, जहां अभियुक्त ने पीड़ित बालिका को अभिकथित रूप से अपने घर में निरुद्ध करके रखा था । किन्तु उपरोक्त अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 ने महजर प्रदर्श पी-1 को लेकर अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया, किन्तु विचारण न्यायालय ने इसका मूल्यांकन नहीं किया और अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया, जोकि महजर प्रदर्श पी-1 से संबंधित था जो अभि. सा. 13 द्वारा अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 की उपस्थिति में तैयार किया गया था तथा इसी प्रकार महजर प्रदर्श पी-3 भी (अभि. सा. 4) और (अभि. सा. 5) की उपस्थिति में (अभि. सा. 13) द्वारा तैयार किया गया था ।

10. कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) के अभिकथित रूप से विवाह के उद्देश्य से अपहरण के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा परशुराम (अभि. सा. 2) की परीक्षा कराई गई थी किन्तु अभि. सा. 6 ने अपने पिता द्वारा की गई शिकायत के संबंध में प्रदर्श पी-4 में किए गए अभिकथन से संबंधित अभियोजन के पक्षकथन का पूर्णत: समर्थन नहीं किया है तथा महजर (प्रदर्श पी-1) और महजर (प्रदर्श पी-3) का भी समर्थन नहीं किया है । किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से (अभि. सा. 2) की परीक्षा कराई गई है और उसके विरोधाभासी कथन को प्रदर्श पी-2 के रूप में

चिह्नित किया गया है । उपरोक्त साक्ष्य भले ही अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए हों किन्तु विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं किया है । इसलिए वर्तमान अपील में साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करने की आवश्यकता है अन्यथा अभियुक्त जो मुख्य अभियोगी है वह इससे आहत होगा और उसके प्रति न्याय की हानि होगी ।

11. विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील का प्राथमिक आधार पीड़ित बालिका कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) द्वारा दिया गया साक्ष्य है जिसे निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि उसने यह अभिकथन किया है कि बंगलुरु के बी. आर. अंबेडकर चिकित्सा अस्पताल में डा. बी. एम. नागराज (अभि. सा. 12) द्वारा उसकी चिकित्सा परीक्षा की गई थी और उन्होंने पीड़िता (अभि. सा. 6) की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) जारी की थी तथा इसी प्रकार अभियुक्त की भी उन्होंने चिकित्सा परीक्षा की थी और इस संबंध में चिकित्सा रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 जारी की थी । ये रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) ने प्राप्त की थी जिन्होंने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया था । अन्वेषण अधिकारी ने प्रदर्श पी-8 और प्रदर्श पी-9 के अनुसार चिकित्सक (अभि. सा. 12) से अध्यपेक्षा प्राप्त की । अभियोजन पक्ष की ओर से भी उस अध्यपेक्षा को चिह्नित किया गया । मात्र इसलिए कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई अध्यपेक्षा को चिह्नित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि अध्यपेक्षा और साथ ही पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) और अभियुक्त की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) की अंतर्वस्तु अभियोजन पक्ष द्वारा उपयुक्त साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध की गई है । पीड़िता (अभि. सा. 6) की चिकित्सीय जांच अभि. सा. 12, जोकि एक चिकित्सक हैं, द्वारा की गई थी तथा उन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह स्वयं अभियुक्त रंगा **उर्फ** ओबलेशा पुत्र पूजाप्पा के साथ गई थी किन्तु उसका साक्ष्य चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) के साक्ष्य से पूर्णत: विपरीत है । इसके अतिरिक्त यह शिकायतकर्ता (अभि. सा. 5) के साक्ष्य के विपरीत है जिसने प्रदर्श पी-4 के अनुसार शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि अभियुक्त ने उसकी पुत्री कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) का विवाह करने के आशय से अपहरण कर

लिया था तथा उसकी अप्राप्तवय पुत्री को बहला-फुसलाकर निरुद्ध किया था । पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा चिकित्सक (अभि. सा. 12) द्वारा उसकी चिकित्सीय जांच भी की गई थी जिसके पश्चात् चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6) जारी की गई थी किन्तु संपूर्ण अभियोजन पक्षकथन पर सरसरी तौर पर ध्यान देने पर ज्ञात होता है कि अभियुक्त ने जान-बूझकर पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) से विवाह करने का प्रयास किया था । अभियोजन पक्ष का यह वृत्तान्त संदेहास्पद पाया गया है और मात्र इसी आधार पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अपहरण से संबंधित दंड संहिता की धारा 366 और परिरोध से संबंधित धारा 342 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया है । इस महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया और उचित परिप्रेक्ष्य में इसका मूल्यांकन भी नहीं किया गया बल्कि इसे गलत दिशा में ले जाया गया और इसकी गलत व्याख्या की गई । इसके साथ ही यह गलत निष्कर्ष निकाला गया है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है । इसीलिए अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस अपील में दिए गए आधारों पर विचार किए जाने का अनुरोध किया है तथा दंड संहिता की धारा 366, 342 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों से अभियुक्त को दोषमुक्त करने की ईप्सा की है।

12. अपने तर्क के समर्थन में अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने **कर्नाटक राज्य** बनाम **सुरेश बाबू पुक राज पोराल**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "दंड संहिता की धारा 376 – बलात्संग – पीड़िता की आयु अभिकथित रूप से 16 वर्ष से कम बताई गई है । आयु के विषय में साक्ष्य तर्कसम्मत नहीं है । पीड़िता का पुलिस के समक्ष तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन दिया गया है कि अभियुक्त ने

---

[1] ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 966.

उसके साथ कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था । अभियुक्त ने वास्तव में क्या किया यह ज्ञात नहीं है । उसके द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य विद्यमान नहीं है और यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि अभियुक्त ने उसके साथ मैथुन किया था ।

दंड संहिता की धारा 366 – पीड़िता की आयु संदेहास्पद है उसे वैध संरक्षकता से दूर ले जाने का प्रश्न नहीं उठता है । विशेष रूप से तब जब पीड़िता ने स्वयं अभिसाक्ष्य दिया है कि वह स्वेच्छा से अभियुक्त के साथ गई थी ।

13. किन्तु वर्तमान मामले में ओबलेशा **उर्फ** रंगा और पीड़िता, जिसकी परीक्षा अभि. सा. 6 के रूप में की गई थी, दोनों एक दूसरे से परिचित हैं । नि:संदेह, परिचित होने के कारण अभियुक्त ने विवाह करने के आशय से पीड़िता का अपहरण किया और उसने उसे वेंकटेश नाम के एक व्यक्ति के घर में परिरुद्ध रखा था, जो दोषसिद्धि के लिए स्वीकार्य साक्ष्य नहीं हो सकता । उपरोक्त आधार वर्तमान मामले पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं जैसा कि अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा दलील दी गई है ।

गब्बू बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया है :–

"दंड संहिता की धारा 366 और 506 से संबंधित अपहरण और आपराधिक अभित्रास – साक्ष्य – अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त अपीलार्थी ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर आयुध के बल पर अभियोक्त्री को धमकाया और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका अपहरण कर लिया – अभियोक्त्री द्वारा दिया गया यह साक्ष्य कि अभियुक्त उसके घर में घुसे जहां वह अपने पति के साथ सो रही थी और वहां अत्यंत शोरगुल के कारण उसका पति जाग गया था और फिर अभियुक्त अभियोक्त्री को बलपूर्वक अपने साथ ले गए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उल्लिखित अभियोजन

---

[1] ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 2461.

पक्षकथन के अनुरूप नहीं है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में हुई देरी, अभियोक्त्री द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह दर्शित न होना कि अभियुक्त ने उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक विवाह करने के आशय से उसका अपहरण किया था या उसे अवैध मैथुन के लिए मजबूर किया गया था जैसे तथ्य भी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से मेल नहीं खाते हैं । घटनास्थल और अभियोक्त्री को धमकी देकर ले जाने से संबंधित अभियुक्त का हेतु संदेहास्पद है, इसलिए अभियुक्तों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।"

14. वर्तमान मामले में कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) जोकि पीड़िता है जिसकी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा कराई गई थी किन्तु उसने अभियुक्त द्वारा बलपूर्वक अपहरण के विषय में कुछ नहीं बताया तथा उसके पिता (अभि. सा. 5) द्वारा दर्ज की गई शिकायत में किए गए अभिकथन के विषय में भी नहीं बताया जिसकी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा कराई जा चुकी है तथा उसे भी प्रदर्श पी-4 के रूप में चिह्नित किया गया और मात्र उसके पिता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर संदेह किया गया कि अभियुक्त अपने घर में नहीं मिला तथा कुछ पूछताछ की गई थी तथा बाद में पता चला कि अभियोक्त्री वेंकटेश नाम के किसी व्यक्ति के घर में परिरुद्ध थी, जो उसका मित्र है । किन्तु अभि. सा. 5 के साक्ष्य और प्रदर्श पी-4 में किए गए अभिकथन से संबंधित साक्ष्य और यहां तक कि प्रदर्श पी-1 के रूप में तैयार किए गए महजर के आधार पर, जोकि (अभि. सा. 1) और (अभि. सा. 3) की उपस्थिति में (अभि. सा. 13) द्वारा तैयार किया गया था और प्रदर्श पी-3 के रूप में तैयार हुए एक अन्य महजर के आधार पर अभि. सा. 4 और 5 की उपस्थिति में बनाया गया था सरसरी तौर पर दृष्टि डालने पर भी यह पता चल जाता है कि ये सार्थक और निर्णायक साक्ष्य नहीं हैं । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल ने अभियोजन पक्ष की ओर से इन साक्षियों के साक्ष्य की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया है कि यह सिद्धांत संदेहास्पद प्रतीत होता है और संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को ही दिया जाना चाहिए और यहां तक कि अभियोजन पक्ष की ओर से भी जो संभावित संदेह उत्पन्न होगा, उसका लाभ भी दांडिक न्याय प्रणाली में अभियुक्त के पक्ष में भी दिया जाना चाहिए ।

15. वर्तमान मामले में विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध कारित करने से संबंधित मामले में दोषमुक्ति का निर्णय पारित किया है, किन्तु दंड संहिता की धारा 366 और 342 के अधीन दोषसिद्धि की है जबकि वे सभी अपराध पीड़ित बालिका के अपहरण को लेकर एक दूसरे से संबंधित हैं । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 4, अभि. सा. 5 और अभि. सा. 6 जैसे महत्वपूर्ण साक्षियों के साथ-साथ अभि. सा. 13 जो अन्वेषण अधिकारी हैं और जिसने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया है, के साक्ष्य का मूल्यांकन भी युक्तियुक्त रूप से नहीं किया है । इन सभी आधारों पर, अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने प्रतिवाद किया है और उन साक्षियों का साक्ष्य निर्दिष्ट किया है जिनके आधार पर अपील फ़ाइल की गई है और हस्तक्षेप किए जाने की ईप्सा की गई है क्योंकि अभियुक्त जोकि इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी है, व्यथित होगा और उसके साथ अन्याय भी होगा । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने सेशन मामला सं. 305/2011 में तारीख 21 अक्तूबर, 2011 को दिए गए दोषसिद्धि के निर्णय को अपास्त किए जाने और इसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 366, 342 के अधीन अपराध से दोषमुक्त किए जाने की भी ईप्सा की है ।

16. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों के विपरीत, राज्य के विद्वान् सरकारी प्लीडर, उच्च न्यायालय ने मुझे अभि. सा. 6 के साक्ष्य से अवगत कराया है जोकि लगभग 13 से 14 वर्ष की पीड़िता है । जैसा कि डा. बी. एम. नागराज (अभि. सा. 12) के साक्ष्य से ज्ञात होता है, उन्होंने पीड़ित बालिका से संबंधित चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 6) जारी की थी कि वह अप्राप्तवय है । अभियुक्त ने पीड़ित बालिका का अपहरण विवाह करने के आशय से किया था और उसे परिरुद्ध किया था । उसके पिता लोकेश (अभि. सा. 5), श्रीमती सौभाग्य (अभि. सा. 7) जो उसकी माता है और शिव शंकर (अभि. सा. 8) जो उसके चाचा हैं, द्वारा दिए साक्ष्य से उसकी अभिपुष्टि हुई है और उन्होंने कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) के लापता होने से संबंधित अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह श्रीमती जी. सेल्वा

(अभि. सा. 4) जो उसे ट्यूशन पढ़ाती हैं, के घर पर ट्यूशन कक्षा के पश्चात् अपने घर वापस नहीं आई । तारीख 10 अक्टूबर, 2010 को पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) का अभियुक्त ओबलेशा **उर्फ** रंगा ने अपहरण कर लिया था । अभियुक्त द्वारा किए गए अपहरण के अनुसरण में और अभि. सा. 5 की शिकायत में किए गए अभिकथनों के अनुसरण में और यहां तक कि उसने यह पता लगाने के पश्चात् कि अभियुक्त अपने घर में उपस्थित था या नहीं, शिकायत (प्रदर्श पी-4) दर्ज करके दांडिक कार्यवाही आगे बढ़ाई गई और उक्त शिकायत को पुट्टलक्कैया (अभि. सा. 9) ने प्राप्त की जो सहायक उपनिरीक्षक है और शिकायत के आधार पर प्रदर्श पी-5 के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित की गई है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित करके अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक मामला प्रारंभ करने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) ने मामले का अन्वेषण संभाला और उसका गहन कार्यवाही करने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल किया । अन्वेषण के दौरान उन्होंने (अभि. सा. 1) और (अभि. सा. 3) की उपस्थिति में प्रदर्श पी-3 पर एक और महजर तैयार किया और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । पीड़िता की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-6), अभियुक्त की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) और अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 तथा अभि. सा. 8 का साक्ष्य; कुमारी प्रति (अभि. सा. 6) जो अभियुक्त द्वारा अपहरण के समय अप्राप्तवय थी के साक्ष्य के अनुरूप हैं, किन्तु प्रदर्श पी-4 उसके पिता (अभि. सा. 5) द्वारा की गई शिकायत है, जिसकी परीक्षा कराई गई जिसमें उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त उनके घर के समीप आता था और वह पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) से बात करता था । बातचीत के कारण उनके बीच जान-पहचान हुई और उसके पश्चात् अभियुक्त ने उसका अपहरण कर लिया । तथापि, अभियुक्त और पीड़ित बालिका के बीच बातचीत के लिए उसके माता-पिता ने अपनी पुत्री पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं जताई । यह साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिसका उल्लेख अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 की परीक्षा के अधीन भी किया गया है और वे तात्विक साक्षी हैं और यहां तक कि वे कुटुंब के सदस्य

भी हैं जोकि माता-पिता और चाचा हैं और उन्होंने अपने साक्ष्य में जो कहा है वह प्रदर्श पी-4 के अनुसार अभि. सा. 5 द्वारा फाइल शिकायत में अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए अभिकथनों के अनुरूप है, उसी पर विचारण न्यायालय ने विचार किया है । तद्नुसार इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

17. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रदर्श पी-1 यह महजर है जिसे अभि. सा. 13 ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 की उपस्थिति में तैयार किया था, जहां पीड़िता को अभियुक्त ने एचएसआर, लेआउट, बंगलुरु शहर की सीमा में हलनायकनहल्ली में स्थित वेंकटेश नामक व्यक्ति के घर में परिरुद्ध करके रखा था । नि:संदेह, मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पूर्वोक्त वेंकटेश की परीक्षा नहीं कराई गई, किन्तु अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 पंच साक्षी हैं जिनकी उपस्थिति में अभि. सा. 13 द्वारा महजर तैयार की गई थी । ये दोनों साक्षी महजर के अनुरूप साक्ष्य नहीं दे पाए । मात्र इस आधार पर कि उन्होंने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) के साक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने जी. सेल्वा (अभि. सा. 4), जो ट्यूशन अध्यापिका हैं और जिसके अनुसार पीड़िता ट्यूशन पढ़ने उसके घर जा रही थी का कथन अभिलिखित किया है जोकि पर्याप्त साक्ष्य है । महजर प्रदर्श पी-3 पर लोकेश (अभि. सा. 5) ने अपने हस्ताक्षर किए हैं जो अन्वेषण अधिकारी है द्वारा तैयार किया गया है और जिसने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया है । इसलिए, अभियोजन पक्ष की ओर से महजर का आधार साबित करने के लिए अभि. सा. 13 का साक्ष्य पर्याप्त है और इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर भी किए हैं । वेंकटेश, अभियुक्त का मित्र है और वह बीबीएमपी में कार्यरत था । तथापि, ये सभी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं और विचारण न्यायालय ने उनका मूल्यांकन किया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त का यह दोष साबित कर दिया है कि उसने पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) का, श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) के घर के समीप अपहरण किया था और अभि. सा. 4 ने अभियोजन के

पक्षकथन का समर्थन किया है और अभियोजन साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए उसकी प्रतिपरीक्षा में कुछ भी नहीं मिला है किन्तु लोकेश (अभि. सा. 5) अर्थात् पीड़िता के पिता की भी परीक्षा कराई गई है और उसकी उपस्थिति में महजर (प्रदर्श पी-3) तैयार किया गया और उसने भी उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उनके साक्ष्य की पुष्टि अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) के साक्ष्य से होती है और विचारण न्यायालय द्वारा भी उसी पर विचार किया गया और इसका मूल्यांकन किया गया, जैसा कि दलील दी गई है ।

18. अंत में, राज्य के विद्वान् सरकारी प्लीडर, उच्च न्यायालय ने चिकित्सक (अभि. सा. 12) द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-6) और अभियुक्त से संबंधित की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) के संबंध में दलील दी है और ध्यान केन्द्रित किया है । अभियोजन पक्ष की ओर से अभि. सा. 12 की परीक्षा कराई गई तथा उसने अपने साक्ष्य में यह कहा कि उसने पीड़िता प्रीति (अभि. सा. 6) तथा अभियुक्त ओबलेशा **उर्फ** रंगा की परीक्षा कराई तथा उसने पीड़िता (अभि. सा. 6) की शारीरिक जांच कराई तथा उसकी आयु निर्धारित करने के लिए एक्स-रे भी कराया गया । चिकित्सा परीक्षा के अनुसार उसकी आयु लगभग 13 से 14 वर्ष पाई गई और अभियुक्त की आयु लगभग 24 वर्ष है । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 13) ने पीड़ित बालिका से संबंधित स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि ले ली है, जिसकी परीक्षा अभि. सा. 6 के रूप में कराई गई थी । किन्तु पीड़िता के स्कूल प्रमाण पत्र में उसकी जन्मतिथि 6 फरवरी, 1998 दर्ज है । इसलिए प्रदर्श पी-6 में चिकित्सक (अभि. सा. 12) द्वारा जारी की गई चिकित्सा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) के संबंध में यह संकेत मिलता है कि उसकी आयु लगभग 13 से 14 वर्ष है । यहां तक कि अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जिससे अभि. सा. 12 जोकि चिकित्सक है द्वारा जारी प्रदर्श पी-6 के चिकित्सा प्रमाण पत्र की अंतर्वस्तु पर विश्वास न किया जा सके, जिसने प्रदर्श पी-7 के अनुसार पीड़िता और अभियुक्त की भी जांच की थी । ये सभी ऐसे साक्ष्य हैं जिनका विचारण न्यायालय द्वारा मूल्यांकन किया गया है और

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह से परे अभियुक्त के विरुद्ध उसकी दोषिता को साबित कर दिया है । इसलिए इस अपील के अधीन हस्तक्षेप के लिए साक्ष्य के पुन: मूल्यांकन के लिए कोई भी उचित परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है इसलिए इस अपील के सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने की ईप्सा की जाती है ।

19. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील और राज्य के विद्वान् सरकारी प्लीडर द्वारा दी गई प्रति दलीलों पर विचार किए जाने पर यह देखना होगा कि विचारण न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 506 के अधीन आरोप विरचित किया है जो पीड़ित बालिका कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) का अभियुक्त द्वारा आपराधिक अभित्रास किए जाने से संबंधित है । तथापि, अभियोजन पक्ष की ओर से अभि. सा. 6 की परीक्षा कराई गई किन्तु उसने अपने द्वारा दिए गए साक्ष्य में यह नहीं बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ इस प्रकार का आपराधिक अभित्रास कारित किया था कि यदि उसने उससे विवाह नहीं किया तो उसे जीवन में भयंकर परिणाम भुगतने होंगे और परिणामस्वरूप आपराधिक अभित्रास से अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया ।

20. श्रीमती सौभाग्या (अभि. सा. 7) कोई और नहीं बल्कि पीड़िता की माता है और शिव शंकर (अभि. सा. 8) पीड़िता का चाचा है और वे अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी हैं और यहां तक कि उनकी प्रति-परीक्षा भी कराई गई, साथ ही लोकेश (अभि. सा. 5) के साक्ष्य की भी गहराई से संवीक्षा की गई है जोकि पीड़िता कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) का पिता है तथा श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) जिसकी आयु लगभग 75 वर्ष है के साक्ष्य की भी गहराई से संवीक्षा की गई है और वह ट्यूशन अध्यापिका है और पीड़िता ट्यूशन पढ़ने के लिए उसके घर जाती थी, किन्तु तारीख 10 नवंबर, 2010 को पीड़ित बालिका का अभियुक्तों द्वारा अभिकथित रूप से अपहरण कर लिया गया था जैसा कि (अभि. सा. 5) द्वारा फाइल की गई शिकायत (प्रदर्श पी-4) में वर्णित किया गया । यह शिकायत पुट्टलक्कैया (अभि. सा. 9) द्वारा प्राप्त की गई

थी, जो आर. टी. नगर पुलिस थाना में सहायक उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे और शिकायत के आधार पर संबद्ध पुलिस द्वारा प्रदर्श पी-5 के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित करके दांडिक विधि के अधीन कार्रवाई की गई थी । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी ने मामले का अन्वेषण अपने हाथ में लिया और मामले में पूरी तरह अन्वेषण किया और अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 की उपस्थिति में प्रदर्श पी-1 पर महजर तैयार किया और यहां तक कि अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 की उपस्थिति में प्रदर्श पी-3 पर एक और महजर तैयार किया, किन्तु अभियोजन पक्ष ने संघटक के संबंध में प्रत्येक आरोप पर सार्थक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया ।

21. किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त साक्षियों की गहराई से संवीक्षा किए जाने पर यह पता चलता है कि अभि. सा. 13 जिसने प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-3 पर महजर तैयार किया था, के साक्ष्य के विपरीत साक्ष्य दिया है । अभि. सा. 2 अर्थात् परशुराम की परीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा कराई गई है किन्तु उसने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है और उनके विपरीत कथन को प्रदर्श पी-2 पर चिह्नित किया गया है, जो अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वृत्तान्त पर कुछ संदेह उत्पन्न करता है । जबकि कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) जोकि पीड़ित बालिका है और अभियोजन पक्ष की ओर से उसकी परीक्षा कराई गई है किन्तु उसने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया कि अभियुक्त ने इस प्रकार का आपराधिक अभित्रास कारित किया था कि यदि उसने उससे विवाह करने से इनकार किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे । अभि. सा. 6 के साक्ष्य तथा अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंतर्गत अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने में विफल रहा है, किंतु इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा था कि अभियोजन पक्ष ने परिरोध से संबंधित धारा 342 तथा विधिपूर्ण संरक्षा से अपहरण किए जाने संबंधित धारा 366 के अधीन अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को सिद्ध कर दिया है, यद्यपि, दोषसिद्धि के लिए कोई निर्णायक साक्ष्य विद्यमान नहीं है ।

22. किन्तु अभियुक्त द्वारा पीड़ित बालिका के अपहरण के संघटक, जिसकी आयु तारीख 10 नवंबर, 2010 को लगभग 13 से 14 वर्ष पाई गई है, जिसके अनुसार लगभग सायं 7 बजे पीड़िता, श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) के घर में ट्यूशन पढ़ने गई थी और यह अभिकथन करते हुए अपने घर लौट आई थी कि अभियुक्त ने ऑटो रिक्शा में उसका अपहरण कर लिया था और एचएसआर लेआउट, बंगलुरु शहर की सीमा में हलनायकनहल्ली में स्थित वेंकटेश के घर में परिरुद्ध करके रखा हुआ था । किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि वेंकटेश, जोकि कोई और नहीं बल्कि अभियुक्त का मित्र है, की अभियोजन पक्ष की ओर से, परिरुद्ध किए जाने के विषय में साक्ष्य की सत्यता जानने के लिए परीक्षा नहीं कराई गई । किन्तु यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्त ने पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) जिसकी आयु लगभग 13 से 14 वर्ष है, के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी । पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) के अपहरण के लिए भी अभियोजन पक्ष की ओर से कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विद्यमान नहीं है, किन्तु विचारण न्यायालय ने अधिक विश्वसनीयता प्रदान की है और अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 के साक्ष्य का अवलंब लिया है जिसमें अभि. सा. 6 भी शामिल है, जो पीड़ित बालिका है, जबकि पूरा मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । तथापि, कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) जोकि मुख्य साक्षी है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए तात्विक साक्ष्य में कुछ विरोधाभास तथा लोप पाए गए हैं जो उसके पिता लोकेश (अभि. सा. 5), माता श्रीमती सौभाग्या (अभि. सा. 7) तथा शिव शंकर (अभि. सा. 8) जोकि उसका चाचा है, द्वारा दिए गए साक्ष्य के विपरीत है । अभियोजन पक्ष की ओर से अभि. सा. 6 की परीक्षा कराई गई है और उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वह अभियुक्त ओबलेशा **उर्फ** रंगा से बात कर रही थी । इसलिए अभियुक्त और पीड़ित बालिका एक दूसरे से परिचित हैं, किन्तु यह परिचय अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है । साथ ही तारीख 10 नवंबर, 2010 को पीड़ित बालिका के अपहरण से संबंधित अभियोजन पक्ष की ओर से कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई दृढ़ साक्ष्य विद्यमान है ।

23. तथापि, प्रदर्श पी-5 के अनुसार प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिलिखित करके दांडिक विधि के अधीन कार्रवाई की गई थी । अभि. सा. 5 की परीक्षा कराई गई और उसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह अभियुक्त के घर के समीप गया और पता लगाया कि क्या अभियुक्त अपने घर में उपस्थित है और जब वह अभियुक्त के घर के निकट था तो उसने अभियुक्त की पत्नी से कुछ पूछताछ की कि अभियुक्त घर पर है या नहीं और अभियुक्त की पत्नी और लोकेश (अभि. सा. 5) जो कोई और नहीं बल्कि पीड़ित बालिका का पिता है, के बीच बातचीत हुई और उसके पश्चात् ही प्रदर्श पी-4 के अनुसार उसने शिकायत दर्ज कराई है । किन्तु लोकेश (अभि. सा. 5), पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) और जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) के साक्ष्यों पर सरसरी दृष्टि डालने से पता चलता है कि वह प्रतिदिन सायं 4.30 बजे से 7.00 बजे के बीच ट्यूशन पढ़ने जाती थी किन्तु तारीख 10 नवंबर, 2010 को सायं लगभग 7.00 बजे पीड़िता श्रीमती जी. सेल्वा (अभि. सा. 4) के घर ट्यूशन पढ़ने गई थी । उसके घर से अपने घर लौटते समय अभियुक्त ने अभिकथित रूप से पीड़िता का अपहरण कर लिया और उसे वेंकटेश नामक व्यक्ति के घर में परिरुद्ध करके रखा था, जो उसका मित्र है और अभियुक्त ने उसे बताया कि वह पीड़ित बालिका से विवाह करने जा रहा है किन्तु उसने अभियुक्त से विवाह करने से इनकार कर दिया है । अभियोजन पक्ष द्वारा यह बात मात्र वेंकटेश, जो अभियुक्त का मित्र है, को परीक्षा हेतु बुलाकर उक्त तथ्यों को साबित कराना चाहिए था । किन्तु तारीख 14 नवंबर, 2010 को अभियुक्त पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) को आर. टी. नगर पुलिस थाना लाया और आलूर से हेब्बल जाते समय अभियुक्त ने एक बोतल खरीदी और बेकरी के पास उसने कुछ तरल पदार्थ पिया और ऊपर चला गया । इसके पश्चात् अभियुक्त ने उसे बताया कि उसने पुलिस थाने आते समय विषपान कर लिया है और उसके पश्चात् उसे उल्टी हुई और उसे उसके मित्र वेंकटेश ने उसे अस्पताल पहुंचाया और वह पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) को पुलिस स्टेशन ले आया । ये सभी साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं और इन्हें अभियुक्त के मित्र वेंकटेश की परीक्षा के माध्यम से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, किन्तु

अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है जोकि पीड़िता (अभि. सा. 6) उपरोक्त तदनुरूपता को साबित करने के लिए आवश्यक थी जिसे वेंकटेश के घर में परिरुद्ध किया गया था, जोकि अभियुक्त का ही मित्र है । किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण साक्षी वेंकटेश (न्यायालय साक्षी-5) की परीक्षा इस संबंध में नहीं कराई गई है कि अभियुक्त ने पीड़िता को वेंकटेश के घर में गलत तरीके से परिरुद्ध करके रखा था । कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) तारीख 10 नवंबर, 2010 से तारीख 14 नवंबर, 2010 तक लगभग 4 दिनों की अवधि के लिए विधिपूर्ण अभिरक्षा से लापता बताई गई थी । तथापि, अभियोजन पक्ष द्वारा कुमारी प्रीति (अभि. सा. 6) को वेंकटेश (न्यायालय साक्षी-5) के घर में परिरुद्ध करके रखने तथा पीड़ित बालिका को अभियुक्त से विवाह करने के लिए मजबूर करने के मामले को साबित करने के लिए कोई सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

24. तथापि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में तथ्य को साबित करने की अवधारणा के संबंध में यह कहा गया है कि कोई तथ्य तब साबित हुआ कहा जाता है जब उसके समक्ष उपस्थित विषयों पर विचार करने के पश्चात् न्यायालय या तो यह विश्वास करता है कि वह तथ्य विद्यमान है या उसके अस्तित्व को इतना संभावित मानता है कि किसी विवेकशील व्यक्ति को, मामले विशेष की परिस्थितियों के अंतर्गत इस धारणा पर कार्य करना चाहिए कि वह तथ्य विद्यमान है ।

25. इसके अतिरिक्त, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 में तथ्य को गलत साबित करने की अवधारणा के बारे में यह कहा गया है कि "कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों को किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है ।" सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मूल्यांकन का यह अधिकार क्षेत्र विचारण न्यायालय में निहित है ।

26. किन्तु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 को ध्यान में

रखते हुए, अभियोजन पक्ष के साथ-साथ प्रतिरक्षा पक्ष के पास भी अधिकार है, किन्तु सिद्धांत के अनुसार संपुष्टि आवश्यक है । अभियुक्त व्यक्ति को मात्र एक दूसरे अर्थात् पीड़ित और अभियुक्त से परिचित होने के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है ।

27. इसके अतिरिक्त भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 का संदर्भ देना प्रासंगिक है । किसी भी मामले में किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उक्त कथन अभियोजन के पक्षकथन का सत्य और सही वृत्तान्त है तो साक्षी के एकमात्र कथन का अवलंब लिया जा सकता है । इसलिए, अभियोजन पक्ष को अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध को साबित करने का अधिकार है, जिसके लिए वह सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत करे, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत में संदेह की कोई गुंजाइश न रहे ।

28. जबकि अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए साक्षियों द्वारा किए गए कथनों और उपलब्ध कराए गए तात्विक साक्ष्य का अवलंब लेने के लिए न्यायालय को साक्ष्य की गुणवत्ता पर विचार करना होता है, न कि साक्ष्य की मात्रा पर । किन्तु साक्षियों के साक्ष्य के मूल्यांकन के मामले में साक्षियों की बहुलता का अधिकारक्षेत्र मात्र विचारण न्यायालय के पास है । साक्षियों की संख्या नहीं बल्कि उनके साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है क्योंकि साक्ष्य विधि में यह अनिवार्य नहीं है कि किसी तथ्य को साबित/नासाबित करने के लिए किसी विशिष्ट संख्या में साक्षियों की परीक्षा कराई जाए । साक्ष्य को तौला जाना चाहिए न कि गिना जाए । इसके अतिरिक्त यह देखना चाहिए कि क्या साक्ष्य में सत्यता की झलक है । वह तर्कपूर्ण, विश्वसनीय और भरोसेमंद है या नहीं । जबकि कानूनी प्रणाली ने साक्षियों की बहुलता या अधिकता के इतर प्रत्येक साक्षी द्वारा दिए गए मूल्य पर जोर दिया है । यह गुणवत्ता है न कि मात्रा, जो साक्ष्य की पर्याप्तता निर्धारित करती है जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 द्वारा उपबंधित किया गया है । इसलिए, यह कहा जाता है कि अभियोजन पक्ष को सार्थक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त द्वारा कारित किए गए

अपराध को साबित करना चाहिए । यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मामले में सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता है और संदेह उत्पन्न होता है तो दांडिक न्याय प्रणाली में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त के पक्ष में ही होता है ।

29. अपीलार्थी को पीड़ित बालिका (अभि. सा. 6) को सदोष परिरोध में रखने के मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया था । सदोष परिरुद्ध का अर्थ यह है कि अभियुक्त द्वारा पीड़िता को सदोष परिरुद्ध किया जाना चाहिए था । यह अपराध का आवश्यक संघटक है और इस तरह का प्रतिबंध पीड़िता को कुछ निश्चित सीमाओं से आगे बढ़ने से रोकने के लिए था । किन्तु पीड़िता (अभि. सा. 6) को वेंकटेश (न्यायालय साक्षी-5) के घर में परिरुद्ध करके रखा गया था जो कोई और नहीं बल्कि अभियुक्त का मित्र है । किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त वेंकटेश की परीक्षा नहीं कराई गई, क्योंकि पीड़िता को उसके घर में परिरुद्ध करके रखा गया था । किसी भी तर्क या कारण से पीड़िता के साथ विवाह करने के आशय से अभियुक्त द्वारा किए गए सदोष अवरोध को उचित नहीं ठहराया जा सकता है । किन्तु विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपराध से दोषमुक्त करने का निर्णय पारित किया । किन्तु दोनों अपराध पीड़ित (अभि. सा. 6) जिसकी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा की गई थी, को परिरुद्ध करने से संबंधित है । किन्तु उसने अभियुक्त द्वारा उस पर आपराधिक अभित्रास कारित करने से संबंधित अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया । अभियोजन पक्ष द्वारा परिरोध से संबंधित आवश्यक संघटकों को सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत करके सिद्ध किया जाना आवश्यक है यहां तक कि अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 8, जो अभियोजन पक्ष की ओर से तात्विक साक्षी है द्वारा भी साबित किया जाना चाहिए था किन्तु अभियोजन पक्ष पीड़ित बालिका को सदोष परिरोध करने से संबंधित अपराधों का दोष साबित करने में विफल रहा है । इसलिए इस अपील के अधीन उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा अभियुक्त उपहत व्यक्ति होगा और न्याय की हानि होगी ।

30. जहां तक दंड संहिता, 1860 की धारा 366 के अधीन अपराध कारित किए जाने का प्रश्न है तो पीड़ित लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ विवाह करने के लिए विवश करके उसका व्यपहरण/अपहरण करने से संबंधित अपराध है । किन्तु अपराध का मुख्य संघटक यह है कि एक व्यक्ति जो अभियुक्त है वह पीड़िता का अपहरण करता है और उसे अपने साथ विवाह करने के लिए बाध्य करता है । किन्तु पीड़िता जिसकी परीक्षा अभि. सा. 6 के रूप में कराई गई है को विधिक संरक्षक से दूर ले जाया गया था । किन्तु जहां तक उपरोक्त अपराधों का प्रश्न है तो इसका सार यह है कि पीड़िता पर दबाव होना चाहिए था और यह अभियुक्त का उसके साथ विवाह करने के विचार से संबंधित होना चाहिए था । किन्तु अभियोजन पक्ष पीड़ित बालिका को उसके साथ विवाह करने के लिए बहला-फुसलाकर अपहरण करने के उक्त अपराधों के संघटकों के संबंध में मामला प्रस्तुत करने में विफल रहा है । किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य पर विचार करते समय विचारण न्यायालय को कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा किन्तु प्रज्ञा के नियम के रूप में, इस बात पर बल दिया गया है कि विचारण न्यायालय को आमतौर पर पीड़ित द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य की पूर्ण अभिपुष्टि करनी चाहिए ताकि न्यायालय का यह समाधान हो सके कि पीड़ित अपहरण के संबंध में अभियुक्त के कृत्यों के बारे में सत्य कह रहा है । किन्तु वर्तमान मामले में उपरोक्त तात्विक साक्षियों के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, यह पता चलता है कि उनका साक्ष्य अभियोजन पक्ष के किसी भी स्वतंत्र साक्ष्य से मेल नहीं खाता है । इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध पीड़ित बालिका के अपहरण और उसको उसके मित्र वेंकटेश (न्यायालय साक्षी-5) जिसे आरोप पत्र में साक्षी के रूप में उद्धृत किया गया है, के घर में सदोष परिरुद्ध करने के मामले को साबित नहीं कर पाया है । इसलिए, इस अपील के अधीन हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो अभियुक्त जो अभियोग का मुख्य कारण है, वह आहत व्यक्ति होगा और साथ ही न्याय की हानि भी होगी, क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई उचित या ठोस कारण नहीं दिया गया है कि अभियोजन पक्ष ने सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित कर दिया है ।

31. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, और विचारण न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला है तथा साक्ष्य को गलत दिशा में ले गया है और इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्‌वारा प्रस्तुत साक्ष्य की व्याख्या भी गलत की गई है । किन्तु वर्तमान अपील के अधीन हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अभियुक्त जो आरोपों का बोझ झेल रहा है, उपहत व्यक्ति होगा । अभियोजन पक्ष को अभियुक्त द्‌वारा कारित किए गए अपराध को साबित करने के लिए सकारात्मक, ठोस और अभिपुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि यह संभाव्यता बन सके कि अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया है । जबकि, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने दंड संहिता की धारा 366 और 342 के अधीन अभियुक्तों द्‌वारा कारित किए गए अपराध को साबित करने के लिए सार्थक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, यद्‌यपि कई साक्षियों की परीक्षा कराई गई थी, किन्तु प्रस्तुत किए गए साक्ष्य में कतिपय संदेह उत्पन्न होता है । परिणामस्वरूप, इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है । अत: उपर्युक्त कारणों और निष्कर्षों के आधार पर यह राय व्यक्त की जाती है कि वर्तमान अपील पर विचार किया जाना चाहिए । तद्‌नुसार, मैं निम्नलिखित आदेश पारित करता हूं ।

आदेश

अभियुक्त/अपीलार्थी द्‌वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन फाइल की गई अपील को मंजूर किया जाता है । परिणामस्वरूप, 2011 के सेशन मामला सं. 305 में विचारण न्यायालय द्‌वारा तारीख 21 अक्टूबर, 2011 को पारित दोषसिद्‌धि के निर्णय और दंडादेश को अपास्त किया जाता है । दोषसिद्‌धि के निर्णय को अपास्त करने के फलस्वरूप अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 366 और 342 के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है जिसके लिए उसे आरोपित किया गया था । यदि अभियुक्त द्‌वारा कोई जमानत पत्र निष्पादित किया गया है तो उसे रद्‌द किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जा./अस.

खुशबूर रहमान

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

(2017 की दांडिक पुनरीक्षण अपील सं. 715)

तारीख 22 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 154 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6] – अभिकथित रूप से एक अप्राप्तवय पीड़ित लड़की द्वारा निकाह के वचन पर विश्वास करके अपीलार्थी के घर निवास करने हेतु चले जाना – अपीलार्थी के घर दोनों के बीच कई बार लैंगिक मैथुन की क्रिया किया जाना – कुछ दिनों के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पीड़ित लड़की को एक सार्वजनिक स्थान पर छोड़कर गायब हो जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में लगभग 11 दिन का विलंब होना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया जाना कि चूंकि अपीलार्थी के विरुद्ध सालिश को अनुध्यात किया जा रहा था, इसलिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ – स्पष्टीकरण का उचित प्रतीत होना तथा उक्त विलंब का अभियोजन पक्षकथन हेतु घातक न होना – अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़ित लड़की की आयु को भलीभांति रूप से स्थापित किया जाना तथा उसकी आयु से संबंधित दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि या दोष न पाया जाना – अपीलार्थी द्वारा अपनाई गई निकाह संबंधी प्रतिरक्षा से यह तथ्य स्पष्ट होना कि उसके और पीड़ित लड़की के बीच कतिपय अंतरंग संबंध विद्यमान थे – पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत कथन/साक्ष्य का सतत् और संगत रूप से अकाट्य और विश्वसनीय बने रहना – मामले की उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश सर्वथा उचित प्रतीत होते हैं और उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है, अतः, अपील खारिज की जाती है ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 6 नवम्बर, 2015 को पीड़ित लड़की के बड़े भाई द्‌वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि तारीख 19 अक्तूबर, 2015 को प्रात: लगभग 11.00 बजे पीड़ित लड़की, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष थी, अपने घर से बाहर गई थी किन्तु वह मध्य रात्रि तक घर नहीं लौटी, तारीख 27 अक्तूबर, 2015 को सायं लगभग 6.00 बजे पीड़ित लड़की रोते-चिल्लाते हुए घर लौटी । पूछताछ किए जाने पर पीड़ित लड़की ने यह अभिकथन किया कि अपीलार्थी उसे निकाह प्रस्ताव का लालच देकर अपने घर ले गया था । किन्तु उस अवधि के दौरान, जब वह उसके निवास पर थी, उनके बीच एक बार से अधिक शारीरिक संबंध स्थापित हुए फिर भी अपीलार्थी उसे अपने घर से निकट किसी स्थान पर छोड़कर गायब हो गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् अन्वेषण कार्य आरंभ किया गया । पीड़िता और अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा कराई गई तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़िता के कथन को भी अभिलिखित किया गया । अन्वेषण कार्य पूरा होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्‌ध एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । तारीख 28 जून, 2016 को विद्‌वान् विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्‌ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन आरोप विरचित किया । विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को स्थापित करने के लिए दस साक्षियों की परीक्षा की, जबकि अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में तीन प्रतिरक्षा साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी सामग्रियों तथा प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य और प्रतिरक्षा साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए अपीलार्थी को दोषी माना और तद्‌नुसार उसे दंडादिष्ट किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्‌वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यद्यपि पीड़ित लड़की तारीख 19 अक्तूबर, 2015 को गुम हुई थी और उसके पश्चात् वह तारीख 27 अक्तूबर, 2015 को घर लौटी थी, फिर भी पीड़ित लड़की के बड़े भाई ने तारीख 6 नवम्बर, 2015 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट कराई थी । यह आश्चर्यजनक है कि तारीख 19 अक्तूबर, 2015 से 27 अक्तूबर, 2015 की अवधि के दौरान कोई गुमशुदा डायरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई । तथापि, पीड़ित लड़की द्वारा दी गई घटना की जानकारी से, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके कथन तथा विचारण के दौरान उसकी मुख्य परीक्षा से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की को निकाह का वचन देकर प्रलोभन में फंसाया था । अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने के उपरांत यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने उसे किसी प्रकार का निकाह करने का वचन दिया था जिसके कारण पीड़ित लड़की उसके साथ गई थी । तारीख 27 अक्तूबर, 2015 से तारीख 6 नवम्बर, 2015 तक की अवधि के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब को पीड़ित लड़की के बड़े भाई अभि. सा. 1, जो वास्तविक शिकायतकर्ता है, द्वारा सम्यक् रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि उसने पंचायत के एक सदस्य के साथ विचार-विमर्श किया था और उक्त विचार-विमर्श के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध 'सालिश' को अनुध्यात किया गया था । किन्तु ऐसा नहीं हो सका । किसी भी दशा में, हमारे देश की विधि महिलाओं और बालकों के विरुद्ध लैंगिक हमलों के मामलों में शिकायत दर्ज कराने में हुए इस प्रकार के विलंब के संबंध में उदार रीति अपनाती है । वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय का यह मत है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ तात्पर्यित विलंब अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । मामले के प्रारंभ से ही अभियोजन पक्ष ने इस बात पर बल दिया है कि पीड़ित लड़की घटना के समय अप्राप्तवय लड़की थी । यद्यपि, पीड़ित लड़की की आयु को स्थापित करने के लिए कोई चिकित्सा परीक्षा नहीं की गई थी, फिर भी पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर अभि. सा. 5 ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिकित्सा परीक्षा के दौरान पीड़ित लड़की की आयु को 16 वर्ष के रूप में लेखबद्ध किया है । अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से, उस

विद्यालय, जिसमें पीड़ित लड़की अध्ययन कर रही थी, के अध्यापक अभि. सा. 9 ने विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि जिससे यह दर्शित होता है कि घटना की तारीख को पीड़ित लड़की अप्राप्तवय थी । यह सत्य है कि विद्यालय के अध्यापक ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने विद्यालय के रजिस्टर में पीड़ित लड़की की आयु को रजिस्टर करते समय उसके जन्म प्रमाण पत्र की जांच नहीं की थी । किन्तु, यह सारवान् नहीं है क्योंकि किसी बालिका को विद्यालय में प्रवेश कराए जाने के समय विद्यालय के रजिस्टर में बालिका की आयु को अभिलिखित किए जाने के समय कोई भी व्यक्ति यह अनुमान नहीं लगाएगा कि इस प्रकार किसी बालिका की आयु को कम दर्ज किए जाने से उस समय बालिका को फायदा हो सकता है यदि बाद में कभी उसके साथ बलात्संग जैसी घटना होती है । उच्च न्यायालय सारवान् बिन्दु पर पीड़ित लड़की के अप्राप्तवय होने के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य से संतुष्ट है । चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में थोड़ा विलंब हुआ था इसलिए, इस बात को समझा जा सकता है कि पीड़ित लड़की, जिसकी आयु घटना के समय लगभग 16 वर्ष की थी, की चिकित्सा परीक्षा में देरी हुई थी । यद्यपि, उसके गुप्तांगों पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पाई गई थी, किन्तु यह तथ्य अभियोजन पक्षकथन के विरुद्ध नहीं जाता और न ही उसे दूषित करता है । लैंगिक मैथुन, हालांकि उससे बलपूर्वक किया गया था, किन्तु उसे विवाह का वचन देने के पश्चात् ही किया गया था । शायद, इसलिए चिकित्सा परीक्षा करने वाला डाक्टर बलात्संग किए जाने के संबंध में किसी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका था, तथापि, डाक्टर ने पीड़ित लड़की द्वारा किए गए इस कथन को लेखबद्ध किया है कि उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक मैथुन किया गया था । पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सार यह है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए निकाह के वचन पर विश्वास करते हुए पीड़ित लड़की उसके साथ गई और उसके पश्चात् कुछ दिनों तक उसने उसके घर पर निवास किया । इस दौरान अपीलार्थी ने कई बार उसके साथ लैंगिक मैथुन किया । तथापि, कुछ समय पश्चात् अपीलार्थी उसे घर से बाहर ले गया और उसने उसके साथ निकाह से इनकार करते हुए उसे एक स्थान

पर छोड़कर भाग गया । पीड़ित लड़की द्वारा सतत् तथा संगत रूप से इसी प्रभाव का कथन किया गया है । पीड़ित लड़की ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध कराए गए अपने कथन से लेकर विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य लेखबद्ध कराए जाने तक संगत रूप से इसी प्रभाव का कथन प्रस्तुत किया है । प्रतिपरीक्षा के दौरान भी उसका कथन अडिग बना रहा । इस प्रकार उच्च न्यायालय को अप्राप्तवय पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । यदि यह किसी वयस्क पीड़िता का मामला होता तो इन बिन्दुओं/ विवाद्यकों पर विचार किया जा सकता था कि क्या निकाह करने का वचन दिया गया था और साथ ही यह कि क्या निकाह के वचन के पश्चात् ही दोनों के बीच में लैंगिक मैथुन हुआ था । किन्तु किसी अप्राप्तवय पीड़ित लड़की की दशा में इस प्रकार का विचार करना अवश्यंभावी नहीं है । कोई अप्राप्तवय व्यक्ति ऐसे किसी कार्य के प्रति सम्मति देने में सक्षम नहीं है । प्रति. सा. 1 ने यह दावा किया है कि वह एक मौलवी है और उसने अपीलार्थी और पीड़ित लड़की के बीच निकाह संपन्न कराया था । प्रति. सा. 2 के संबंध में यह प्रयास किया गया है कि उसे उस काजी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिसने उक्त निकाह को रजिस्टर किया था । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह समुचित रूप से नियुक्त काजी नहीं है । प्रति. सा. 3, प्रति. सा. 1 का सहायक है । प्ररूप भरे जाने के सिवाय उसने किसी भी अन्य जानकारी से इनकार किया है । प्रति. सा. 2 द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान की गई स्वीकारोक्ति पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समर्थन करती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी और पीड़ित लड़की के बीच किसी प्रकार का निकाह संपन्न नहीं हुआ था । दूसरी ओर, अपीलार्थी ने इस पक्षकथन को स्थापित करने का प्रयास किया है कि उसके और पीड़ित लड़की के बीच निकाह संपन्न हुआ था, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसने दोनों के बीच विद्यमान संबंधों को किसी रूप में स्वीकार किया है । अप्राप्तवय पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए

उसके कथन का समर्थन करता है, चिकित्सीय साक्ष्य और पीड़ित लड़की की आयु से संबंधित अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश में कोई अविधिपूर्ण बात प्रतीत नहीं होती है । तद्नुसार, अपील को खारिज किया गया तथा दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की गई । (पैरा 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2017 की दांडिक पुनरीक्षण अपील सं. 715.

वर्तमान दांडिक पनुरीक्षण अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, रायगंज, उत्तर दीनाजपुर द्वारा वर्ष 2016 के पॉक्सो मामला सं. 106 में तारीख 28 नवम्बर, 2017 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा तारीख 29 नवम्बर, 2017 को पारित दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री अजय देबनाथ, देबरंजन दास और स्वागत दत्ता

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री सुकन्या भट्टाचार्या और मिर्जा फिरोज अहमद बेग

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता – वर्तमान दांडिक पनुरीक्षण अपील विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, द्वितीय न्यायालय, रायगंज, उत्तर दीनाजपुर द्वारा वर्ष 2016 के पॉक्सो मामला सं. 106 में तारीख 28 नवम्बर, 2017 को पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय तथा तारीख 29 नवम्बर, 2017 को पारित उस दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम' कहा गया है) की धारा 6 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए उसे चार वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया था और साथ ही उस पर 20,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था जिसके संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसे छह मास का

अतिरिक्त कठोर कारावास भोगने का निदेश दिया गया था । यदि जुर्माने का संदाय कर दिया जाता है तो उसे पीड़िता को संदत्त किए जाने का निदेश भी दिया गया था । अपीलार्थी ने पहले ही उस पर अधिरोपित दंडादेश की सारवान् अवधि के कारावास को पूरा कर लिया है और अधीक्षक बलूरघाट केन्द्रीय सुधार गृह द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी को, उसके द्वारा जुर्माने की रकम संदत्त किए जाने की दशा में तारीख 16 मार्च, 2021 को और यदि जुर्माने की रकम का संदाय नहीं किया जाता है तो तारीख 16 सितम्बर, 2021 को अभिरक्षा से मुक्त किया जाएगा । अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील के गैर-अभियोजन हेतु फाइल किए गए आवेदन का निपटारा तारीख 8 जनवरी, 2021 को किया गया था । उसके पश्चात्, अपील के संबंध में विस्तार से सुनवाई की गई थी ।

2. तारीख 6 नवम्बर, 2015 को अभि. सा. 1, अर्थात् पीड़ित लड़की के बड़े भाई ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 376 के अधीन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि तारीख 19 अक्तूबर, 2015 को प्रात: लगभग 11.00 बजे पीड़ित लड़की, जिसकी आयु लगभग 16 वर्ष थी, अपने घर से बाहर गई थी किन्तु वह मध्य रात्रि तक घर नहीं लौटी, तारीख 27 अक्तूबर, 2015 को सायं लगभग 6.00 बजे पीड़ित लड़की रोते-चिल्लाते हुए घर लौटी । पूछताछ किए जाने पर पीड़ित लड़की ने यह अभिकथन किया कि अपीलार्थी उसे निकाह प्रस्ताव का लालच देकर अपने घर ले गया था । किन्तु उस अवधि के दौरान, जब वह उसके निवास पर थी, उनके बीच एक बार से अधिक शारीरिक संबंध स्थापित हुए फिर भी अपीलार्थी उसे अपने घर से निकट किसी स्थान पर छोड़कर गायब हो गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् अन्वेषण कार्य आरंभ किया गया । पीड़िता और अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा कराई गई तथा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) की धारा 164 के अधीन पीड़िता के कथन को भी अभिलिखित किया गया । अन्वेषण कार्य पूरा होने के पश्चात्

अपीलार्थी के विरुद्ध एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

3. तारीख 28 जून, 2016 को विद्वान् विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन आरोप विरचित किया ।

4. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को स्थापित करने के लिए दस साक्षियों की परीक्षा की, जबकि अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में तीन प्रतिरक्षा साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।

5. यह प्रतीत होता है कि अभि. सा. 1, जो पीड़ित लड़की का बड़ा भाई है, वर्तमान मामले का वास्तविक शिकायतकर्ता है । उसने स्वयं के द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का समर्थन किया है । अभि. सा. 1 ने इस घटना की सूचना सर्वप्रथम पंचायत के सदस्य को दी थी, जिसने 'सालिश' का आश्वासन दिया था । इसके कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब हुआ । प्रतिपरीक्षा के दौरान अभि. सा.1 को एक निकाहनामा दिखाया गया था किन्तु उसने उक्त निकाहनामे पर विद्यमान हस्ताक्षर के संबंध में आक्षेप किया । अभि. सा. 2 स्वयं पीड़ित लड़की है । उसने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन अपना कथन प्रस्तुत किया था । तारीख 19 अक्तूबर, 2015 को अपीलार्थी पीड़ित लड़की को, उससे निकाह करने के बहाने अपने घर ले गया और वहां उसने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए । तथापि, तारीख 27 अक्तूबर, 2015 को उसे छोड़कर भाग गया और उसके पश्चात् भी उसने उसके साथ निकाह नहीं किया । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि उसे उस समय, जब वह बैंक से घर लौट रही थी एक बोलेरो कार में बिठाकर ले जाया गया था । उसने निकाहनामे पर विद्यमान अपने हस्ताक्षरों से इनकार किया । अभि. सा. 3 पीड़ित लड़की का पड़ोसी है । उसे घटना के संबंध में अभि. सा. 1 से जानकारी प्राप्त हुई थी । अभि. सा. 4 भी पीड़ित लड़की का एक नातेदार है । उसने उस सीमा तक अभियोजन पक्षकथन की पुष्टि की है कि अभि. सा. 1 पीड़ित लड़की को कॉल कर रहा था जब वह गुम हो गई थी । उसे पीड़ित लड़की के साथ हुए

बलात्संग की घटना की जानकारी अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 से प्राप्त हुई थी । अभि. सा. 5 वह डाक्टर है जिसने तारीख 10 नवम्बर, 2015 को पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की थी । अभि. सा. 5 ने चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट को साबित किया है, जो प्रदर्श-3 के रूप में चिह्नित है । यद्यपि, प्रदर्श-3 का अवलोकन करने पर उससे यह उपदर्शित नहीं होता कि पीड़ित लड़की को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित हुई थी किन्तु पीड़ित लड़की ने डाक्टर को यह बताया था कि उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया गया था । अभि. सा. 6 पीड़ित लड़की का एक अन्य सह-ग्रामीण है । उसने यह सुना था कि पीड़ित लड़की गुम हो गई थी । उसे पीड़ित लड़की के साथ हुए बलात्संग की घटना की जानकारी पीड़ित लड़की और उसके पिता से प्राप्त हुई थी । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस तथ्य से इनकार किया कि पीड़ित लड़की विवाहित थी और वह सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी । अभि. सा. 7 भी पीड़ित लड़की का एक सह-ग्रामीण है । अभि. सा. 7 ने भी उपरोक्त घटना के संबंध में सुना था । वस्तुतः पीड़ित लड़की और उसके पिता ने उसे इस घटना की जानकारी दी थी । अभि. सा. 8 वह डाक्टर है जिसने अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा की थी और उसने यह पाया था कि अपीलार्थी लैंगिक मैथुन करने के लिए सक्षम है । अभि. सा. 9 उस विद्यालय का प्रधान शिक्षक है जिसमें पीड़ित लड़की अध्ययन कर रही थी । अभि. सा. 9 ने विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें पीड़ित लड़की की जन्म की तारीख को 7 मई, 1999 के रूप में अभिलिखित किया गया है । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने पीड़ित लड़की की जन्म की तारीख का सत्यापन नहीं किया था और पीड़ित लड़की को विद्यालय में प्रवेश दिए जाने के समय कोई जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था । अभि. सा. 10 वर्तमान मामले का अन्वेषण अधिकारी है । उसने पीड़ित लड़की और अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा कराई थी और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़ित लड़की के कथन को लेखबद्ध किया था । उसने विद्यालय से पीड़ित लड़की की जन्म की तारीख से संबंधित प्रमाण पत्र और साथ ही उसका प्रवेश पत्र भी अभिप्राप्त किया था, जिन्हें पहचान

हेतु चिह्नित किया गया है । उसने तारीख 10 दिसम्बर, 2015 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन उसकी परीक्षा के दौरान अपीलार्थी ने उस पर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया और उसने अपने समर्थन में प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत करने की वांछा की । प्रति. सा. 1, वह मौलवी है जिसने यह दावा किया है कि उसने पीड़ित लड़की और अपीलार्थी के बीच निकाहनामा का निष्पादन किया था । प्रति. सा. 2 ने उक्त निकाह को रजिस्टर किया था । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रति. सा. 2 ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसने पीड़ित लड़की की आयु से संबंधित किसी दस्तावेज को न तो देखा था और न ही उसका सत्यापन किया था । प्रति. सा. 2 काजी है, जिसने तात्पर्यित रूप से निकाह को रजिस्टर किया था । किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वह काजी अधिनियम के अनुसार एक काजी नहीं है और उसके पास यह दर्शित करने वाले दस्तावेज विद्यमान नहीं है कि उसे काजी अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा काजी के रूप में नियुक्त किया गया है । प्रति. सा. 3 ने यह अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया कि उसने प्रति. सा. 2 द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार निकाहनामा भरा । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसे निकाहनामा भरे जाने के अलावा उक्त मामले के संबंध में कोई निजी जानकारी नहीं है और उसने दुल्हा-दुल्हन की आयु को साबित करने वाले किसी दस्तावेज को नहीं देखा ।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत की हैं । सर्वप्रथम, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में असामान्य विलंब हुआ था, जिसे इत्तिलाकर्ता द्वारा उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सका था । यद्यपि, पीड़ित लड़की अभिकथित रूप से काफी लंबे समय से गुम थी, फिर भी उसके कुटुम्ब के सदस्यों ने इस संबंध में कोई गुमशुदगी डायरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध कराए गए अपने कथन में पीड़ित लड़की ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने अभियुक्त के घर के आस-पास किसी अन्य घर को नहीं देखा था । चिकित्सा

संबंधी साक्ष्य, विशेष रूप से पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा से संबंधित साक्ष्य अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं करता है । पीड़ित लड़की के गुप्तांगों पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पाई गई थी । अपराध किए जाने के संबंध में उक्त रिपोर्ट में कोई निर्णायक राय प्रस्तुत नहीं की गई है । यहां तक कि पीड़ित लड़की की आयु को भी समाधानप्रद रूप से साबित नहीं किया गया है । अभि. सा. 9, विद्यालय के अध्यापक ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने विद्यालय रजिस्टर में पीड़ित लड़की की आयु को अभिलिखित करते समय किसी जन्म प्रमाण पत्र की जांच नहीं की थी । इसी प्रकार, विद्यालय प्रमाण पत्र तथा पीड़ित लड़की के प्रवेश पत्र जैसे दस्तावेजों को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । अभि. सा. 3, 4, 6 और 7 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अनुश्रुत प्रकृति का साक्ष्य है । अभियोजन पक्षकथन को साबित करने के लिए किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है । पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत कथन के अलावा अभियोजन पक्षकथन के समर्थन में अभिलेख पर कुछ भी सारवान् विद्यमान नहीं है । इस प्रकार अभियोजन पक्ष सभी सुसंगत संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है ।

7. राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत की हैं । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलंब एक प्रस्तावित 'सालिश' के कारण हुआ था, जिसे तथापि, पूरा नहीं किया गया । इस संबंध में वास्तविक शिकायतकर्ता अभि. सा. 1 द्वारा समुचित स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का पाठ पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से किसी भी प्रकार से प्रतिकूल नहीं है । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि पीड़ित लड़की अप्राप्तवय थी और उसे वर्तमान अपीलार्थी ने निकाह का वचन देकर फंसाया था । पीड़ित लड़की के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने के बावजूद अपीलार्थी उसे छोड़कर भाग गया और उसके पश्चात् पीड़ित लड़की अपने घर वापस आई और उसने इस घटना की जानकारी अपने भाई को दी । यदि पीड़ित लड़की अप्राप्तवय न होकर वयस्क होती तो किसी को भी घटनाओं की श्रृंखला के संबंध में संदेह नहीं होता । किन्तु

विद्यालय के अध्यापक, अभि. सा. 9 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और दो अन्य दस्तावेज, जिन्हें शनाख्त हेतु चिह्नित किया गया है, स्पष्ट रूप से यह दर्शित करते हैं कि घटना के समय पीड़ित लड़की की आयु लगभग 16 वर्ष थी । अत: पॉक्सो अधिनियम के उपबंधों को लागू करना न्यायोचित है । जहां तक चिकित्सा संबंधी साक्ष्य का संबंध है यह सत्य है कि डाक्टर-अभि. सा. 5, जिसने पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की थी, बलात्संग के प्रश्न के संबंध में किसी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका था । सर्वप्रथम यह अपराध निकाह का वचन देकर किया गया था और द्वितयत: पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा अभिकथित घटना के काफी दिनों बाद कराई गई थी । इसलिए, क्षति के चिह्न उपस्थित नहीं थे, तथापि, पीड़ित लड़की ने स्पष्ट रूप से डाक्टर के समक्ष यह कथन किया था कि उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक मैथुन किया गया था । अत:, अभियोजन पक्ष ने सभी सुसंगत संदेहों से परे सफलतापूर्वक अपने पक्षकथन को साबित किया है ।

8. मैंने अपीलार्थी और राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुना तथा आक्षेपित निर्णय और आदेश तथा अपील की याचिका, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और अन्य सामग्रियों का परिशीलन किया ।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलंब

9. यद्यपि पीड़ित लड़की तारीख 19 अक्तूबर, 2015 को गुम हुई थी और उसके पश्चात् वह तारीख 27 अक्तूबर, 2015 को घर लौटी थी, फिर भी पीड़ित लड़की के बड़े भाई ने तारीख 6 नवम्बर, 2015 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई थी । यह आश्चर्यजनक है कि तारीख 19 अक्तूबर, 2015 से 27 अक्तूबर, 2015 की अवधि के दौरान कोई गुमशुदा डायरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई । तथापि, पीड़ित लड़की द्वारा दी गई घटना की जानकारी से, जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए उसके कथन तथा विचारण के दौरान उसकी मुख्य परीक्षा से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी ने पीड़ित लड़की को निकाह का वचन देकर प्रलोभन में फंसाया था । अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने के उपरांत यह प्रतीत होता

है कि अपीलार्थी ने उसे किसी प्रकार का निकाह करने का वचन दिया था जिसके कारण पीड़ित लड़की उसके साथ गई थी । तारीख 27 अक्तूबर, 2015 से तारीख 6 नवम्बर, 2015 तक की अवधि के प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब को पीड़ित लड़की के बड़े भाई अभि. सा. 1, जो वास्तविक शिकायतकर्ता है, द्वारा सम्यक् रूप से इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि उसने पंचायत के एक सदस्य के साथ विचार-विमर्श किया था और उक्त विचार-विमर्श के दौरान अभियुक्त के विरुद्ध 'सालिश' को अनुध्यात किया गया था । किन्तु ऐसा नहीं हो सका । किसी भी दशा में, हमारे देश की विधि महिलाओं और बालकों के विरुद्ध लैंगिक हमलों के मामलों में शिकायत दर्ज कराने में हुए इस प्रकार के विलंब के संबंध में उदार रीति अपनाती है । वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का यह मत है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ तात्पर्यित विलंब अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

पीड़ित लड़की की आयु

10. मामले के प्रारंभ से ही अभियोजन पक्ष ने इस बात पर बल दिया है कि पीड़ित लड़की घटना के समय अप्राप्तवय लड़की थी । यद्यपि, पीड़ित लड़की की आयु को स्थापित करने के लिए कोई चिकित्सा परीक्षा नहीं की गई थी, फिर भी पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर अभि. सा. 5 ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिकित्सा परीक्षा के दौरान पीड़ित लड़की की आयु को 16 वर्ष के रूप में लेखबद्ध किया है । अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से, उस विद्यालय, जिसमें पीड़ित लड़की अध्ययन कर रही थी, के अध्यापक अभि. सा. 9 ने विद्यालय के प्रवेश रजिस्टर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है कि जिससे यह दर्शित होता है कि घटना की तारीख को पीड़ित लड़की अप्राप्तवय थी । यह सत्य है कि विद्यालय के अध्यापक ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उसने विद्यालय के रजिस्टर में पीड़ित लड़की की आयु को रजिस्टर करते समय उसके जन्म प्रमाण पत्र की जांच नहीं की थी । किन्तु, यह सारवान् नहीं है क्योंकि किसी बालिका को विद्यालय में प्रवेश कराए जाने के समय

विद्यालय के रजिस्टर में बालिका की आयु को अभिलिखित किए जाने के समय कोई भी व्यक्ति यह अनुमान नहीं लगाएगा कि इस प्रकार किसी बालिका की आयु को कम दर्ज किए जाने से उस समय बालिका को फायदा हो सकता है यदि बाद में कभी उसके साथ बलात्संग जैसी घटना होती है । उच्च न्यायालय सारवान् बिन्दु पर पीड़ित लड़की के अप्राप्तवय होने के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य से संतुष्ट है ।

चिकित्सा संबंधी साक्ष्य

11. चूंकि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने में थोड़ा विलंब हुआ था इसलिए, इस बात को समझा जा सकता है कि पीड़ित लड़की, जिसकी आयु घटना के समय लगभग 16 वर्ष की थी, की चिकित्सा परीक्षा में देरी हुई थी । यद्यपि, उसके गुप्तांगों पर किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पाई गई थी, किन्तु यह तथ्य अभियोजन पक्षकथन के विरुद्ध नहीं जाता और न ही उसे दूषित करता है । लैंगिक मैथुन, हालांकि उसे बलपूर्वक किया गया था, किन्तु उसे विवाह का वचन देने के पश्चात् ही किया गया था । शायद, इसलिए चिकित्सा परीक्षा करने वाला डाक्टर बलात्संग किए जाने के संबंध में किसी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका था, तथापि, डाक्टर ने पीड़ित लड़की द्वारा किए गए इस कथन को लेखबद्ध किया है कि उसके साथ बलपूर्वक लैंगिक मैथुन किया गया था ।

अप्राप्तवय पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

12. पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सार यह है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए निकाह के वचन पर विश्वास करते हुए पीड़ित लड़की उसके साथ गई और उसके पश्चात् कुछ दिनों तक उसने उसके घर पर निवास किया । इस दौरान अपीलार्थी ने कई बार उसके साथ लैंगिक मैथुन किया । तथापि, कुछ समय पश्चात् अपीलार्थी उसे घर से बाहर ले गया और उसने उसके साथ निकाह से इनकार करते हुए उसे एक स्थान पर छोड़कर भाग गया । पीड़ित लड़की द्वारा सतत् तथा संगत रूप से इसी प्रभाव का कथन किया गया है । पीड़ित लड़की ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध

कराए गए अपने कथन से लेकर विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य लेखबद्ध कराए जाने तक संगत रूप से इसी प्रभाव का कथन प्रस्तुत किया है । प्रतिपरीक्षा के दौरान भी उसका कथन अडिग बना रहा । इस प्रकार इस न्यायालय को अप्राप्तवय पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है । यदि यह किसी वयस्क पीड़िता का मामला होता तो इन बिन्दुओं/ विवाद्यकों पर विचार किया जा सकता था कि क्या निकाह करने का वचन दिया गया था और साथ ही यह कि क्या निकाह के वचन के पश्चात् ही दोनों के बीच में लैंगिक मैथुन हुआ था । किन्तु किसी अप्राप्तवय पीड़ित लड़की की दशा में इस प्रकार का विचार करना अवश्यंभावी नहीं है । कोई अप्राप्तवय व्यक्ति ऐसे किसी कार्य के प्रति सम्मति देने में सक्षम नहीं है ।

प्रतिरक्षा साक्ष्य

13. प्रति. सा. 1 ने यह दावा किया है कि वह एक मौलवी है और उसने अपीलार्थी और पीड़ित लड़की के बीच निकाह संपन्न कराया था । प्रति. सा. 2 के संबंध में यह प्रयास किया गया है कि उसे उस काजी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिसने उक्त निकाह को रजिस्टर किया था । तथापि, अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि वह समुचित रूप से नियुक्त काजी नहीं है । प्रति. सा. 3, प्रति. सा. 1 का सहायक है । प्ररूप भरे जाने के सिवाय उसने किसी भी अन्य जानकारी से इनकार किया है । प्रति. सा. 2 द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान की गई स्वीकारोक्ति पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का समर्थन करती है और यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी और पीड़ित लड़की के बीच किसी प्रकार का निकाह संपन्न नहीं हुआ था । दूसरी ओर, अपीलार्थी ने इस पक्षकथन को स्थापित करने का प्रयास किया है कि उसके और पीड़ित लड़की के बीच निकाह संपन्न हुआ था, जिससे यह प्रतीत होता है कि उसने दोनों के बीच विद्यमान संबंधों को किसी रूप में स्वीकार किया है ।

14. अप्राप्तवय पीड़ित लड़की द्वारा प्रस्तुत अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन

लेखबद्ध कराए गए उसके कथन का समर्थन करता है, चिकित्सीय साक्ष्य और पीड़ित लड़की आयु से संबंधित अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश में कोई अविधिपूर्ण बात प्रतीत नहीं होती है ।

15. तद्नुसार, अपील को खारिज किया जाता है तथा दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की जाती है ।

16. यदि, जुर्माने की रकम की वसूली कर ली गई है तो विद्वान् विचारण न्यायालय उस रकम को पीड़ित लड़की तक पहुंचाने हेतु उपयुक्त उपाय करेगा ।

17. इस निर्णय और आदेश की एक प्रति को तुरंत निचले न्यायालय के अभिलेखों के साथ विद्वान् विचारण न्यायालय को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु एक विशेष संदेहशवाहक द्वारा वापस किया जाए ।

18. यदि पक्षकारों ने आदेश/निर्णय की फोटोस्टेट प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन किया है तो सभी औपचारिकताओं का अनुपालन किए जाने पर तुरंत उपरोक्त प्रतियों को पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को परिदत्त किया जाए ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

सिबा प्रसाद चक्रबोर्ती

बनाम

राज्य

(1994 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1108)

तारीख 11 जून, 2021

न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष

चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) – धारा 7 – अभियुक्त पर अभिकथित रूप से जनता के बीच बिना अनुज्ञप्ति के संदाय प्राप्त करने के बदले फीचर फिल्म का प्रदर्शन किया जाना – उक्त वीडियो फिल्म का प्रदर्शन एक पायरेटेड वीडियो कैसेट के माध्यम से किया जाना तथा उक्त फिल्म को सेंसर बोर्ड का किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त न होना – जहां तक वर्तमान याची द्वारा किए गए अपराध का संबंध है, उक्त निर्णय तथा दंडादेश में हस्तक्षेप करने हेतु सारवान् विवाद्यक अंतर्वलित नहीं है, इस प्रकार विचारण और अपीली न्यायालय द्वारा की गई याची की दोषसिद्धि सर्वथा उपयुक्त है, तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घटना को 29 वर्ष का लम्बा समय व्यतीत हो चुका है इसलिए इस प्रक्रम पर दंडादेश की अवधि को घटाते हुए जुर्माने की राशि में अभिवृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मामले के मूल तथ्य एक वीडियो शो से संबंधित है, जिसके द्वारा बिना किसी अनुज्ञप्ति के संदाय के बदले जनता में फिल्म का प्रदर्शन किया गया था । इसके अतिरिक्त, याची पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा प्रदर्शित वीडियो फिल्म में सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाण-पत्र को उपदर्शित नहीं किया गया था और उक्त वीडियो फिल्म पायरेटेड वीडियो कैसेट थी । मामले का अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष चलचित्र

अधिनियम की धारा 7 और प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1967 का 14) की धारा 63(क) के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अभियुक्त व्यक्ति ने स्वयं के दोषी न होने का दावा किया तथा स्वयं पर लगाए गए आरोपों को मिथ्या बताया तथा इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध विचारण आरंभ हुआ । विद्वान् विचारण न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् यह राय अभिव्यक्त की कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 63(क) के अधीन कोई मामला अभियुक्त के विरुद्ध सामने नहीं आता है और इस प्रकार विद्वान् न्यायालय ने याची को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया । तथापि, विद्वान् न्यायालय का यह मत था कि चलचित्र अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध को साबित किया गया है क्योंकि वर्तमान याची द्वारा किया गया कृत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 63(क) के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उक्त कृत्य के लिए उसे विहित दंड दिया जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप याची पर उक्त अपराध के लिए विहित न्यूनतम दंडादेश को अधिरोपित किया गया । अपीली न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन किया तथा उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिष्णुपुर द्वारा उपरोक्तानुसार पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की । उक्त निर्णय से व्यथित होकर याची ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका फाइल करके उन्हें चुनौती दी । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां तक वर्तमान याची द्वारा किए गए अपराध का संबंध है, उक्त निर्णय तथा दंडादेश में हस्तक्षेप करने हेतु सारवान् विवाद्यक अंतर्वलित नहीं है । इस प्रकार, विद्वान् विचारण न्यायालय और अपीली न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि की निर्णय की पुष्टि की जाती है तथा, मामले के अभिलेख से यह तथ्य उपदर्शित होता है कि यह घटना वर्ष 1992 की है तथा इस घटना को घटित हुए 29 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । इसलिए, इस

न्यायालय का विवेक उसे अभियुक्त को इस प्रक्रम पर, घटना के काफी लंबे समय पश्चात् अभिरक्षा में भेजे जाने की अनुमति नहीं देता है । इस परिस्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 482 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय की यह राय है कि जुर्माने की रकम में अभिवृद्धि की जानी चाहिए । याची को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिष्णुपुर के न्यायालय में जुर्माने के रूप में 35 हजार रुपए की रकम जमा करे । यदि, याची समयावधि के भीतर जुर्माने की रकम का निक्षेप कर देता है तो उस पर किसी प्रकार का दंडादेश अधिरोपित नहीं किया जाएगा और उसके बारे में यह माना जाएगा कि उसके दंडादेश को उस अवधि तक घटा दिया गया है, जितने समय का कारावास उसने पहले ही भोग लिया है । (पैरा 8 और 9)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1994 की दांडिक पुनरीक्षण याचिका सं. 1108.

वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान् उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिष्णुपुर द्वारा वर्ष 1994 की जी आर. सं. 39 से संबंधित मामले में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से श्री मलय भट्टाचार्या

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री सुकन्या भट्टाचार्या और मिर्जा फिरोज अहमद बेग

न्यायमूर्ति तीर्थांकर घोष – वर्तमान दांडिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान् उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिष्णुपुर द्वारा वर्ष 1994 की जी. आर. सं. 39 से संबंधित मामले में पारित दोषसिद्धि के उस निर्णय और दंडादेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई है जिसके माध्यम से विद्वान् न्यायालय ने याची को चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 7 के अधीन सिद्धदोष किया गया था और उसे तीन मास का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया था तथा उस पर पांच

हजार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था, जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर उसे एक मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा ।

2. उपरोक्त दोषसिद्धि के निर्णय तथा दंडादेश से व्यथित होकर याची ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बंकुरा के समक्ष एक अपील फाइल की थी तथा विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बंकुरा ने वर्ष 1993 की दांडिक अपील सं. 7 में पारित तारीख 28 मार्च, 1994 के निर्णय और आदेश द्वारा उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिष्णुपुर द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की ।

3. मामले के मूल तथ्य एक वीडियो शो से संबंधित है, जिसके द्वारा बिना किसी अनुज्ञप्ति के संदाय के बदले जनता में फिल्म का प्रदर्शन किया गया था । इसके अतिरिक्त, याची पर यह भी आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा प्रदर्शित वीडियो फिल्म में सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी प्रमाण-पत्र को उपदर्शित नहीं किया गया था और उक्त वीडियो फिल्म पायरेटेड वीडियो कैसेट थी । मामले का अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष चलचित्र अधिनियम की धारा 7 और प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 63(क) के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

4. अभियुक्त व्यक्ति ने स्वयं के दोषी न होने का दावा किया तथा स्वयं पर लगाए गए आरोपों को मिथ्या बताया तथा इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध विचारण आरंभ हुआ ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए आठ साक्षियों तथा अनेक दस्तावेजों का अवलंब लिया । कतिपय सामग्रियों को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित किया गया जिनमें टीवी सेट और वीसीपी तथा साथ ही पायरेटेड वीडियो कैसेट भी सम्मिलित थी जिन्हें उक्त मामले के संबंध में साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष रखा गया ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् यह राय अभिव्यक्त की कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की

धारा 63(क) के अधीन कोई मामला अभियुक्त के विरुद्ध सामने नहीं आता है और इस प्रकार विद्वान् न्यायालय ने याची को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया । तथापि, विद्वान् न्यायालय का यह मत था कि चलचित्र अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध को साबित किया गया है क्योंकि वर्तमान याची द्वारा किया गया कृत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 63(क) के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उक्त कृत्य के लिए उसे विहित दंड दिया जाना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप याची पर उक्त अपराध के लिए विहित न्यूनतम दंडादेश को अधिरोपित किया गया, जो तीन माह की अवधि का कठोर कारावास था तथा उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया था, जिसके संदाय में व्यतिक्रम पर उसे एक मास का अतिरिक्त कठोर कारावास भोगना होगा ।

7. अपीली न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन किया तथा उप मंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिष्णुपुर द्वारा उपरोक्तानुसार पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की पुष्टि की ।

8. मैंने उस रीति का विश्लेषण किया है, जिसमें विद्वान् विचारण न्यायालय और अपीली न्यायालय ने मामले से संबंधित साक्ष्य का विश्लेषण किया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जहां तक वर्तमान याची द्वारा किए गए अपराध का संबंध है, उक्त निर्णय तथा दंडादेश में हस्तक्षेप करने हेतु सारवान् विवाद्यक अंतर्वलित नहीं है । इस प्रकार, विद्वान् विचारण न्यायालय और अपीली न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय की पुष्टि की जाती है तथा, मामले के अभिलेख से यह तथ्य उपदर्शित होता है कि यह घटना वर्ष 1992 की है तथा इस घटना को घटित हुए 29 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । इसलिए, इस न्यायालय का विवेक उसे अभियुक्त को इस प्रक्रम पर, घटना के काफी लंबे समय पश्चात् अभिरक्षा में भेजे जाने की अनुमति नहीं देता है । इस परिस्थिति में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 482 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेरी यह राय है कि जुर्माने की रकम में अभिवृद्धि की जानी चाहिए ।

9. याची को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिष्णुपुर के न्यायालय में जुर्माने के रूप में 35 हजार रुपए की रकम जमा करे । यदि उक्त जुर्माने की रकम का संदाय तारीख 12 जुलाई, 2021 तक नहीं किया जाता है तो विद्वान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिष्णुपुर विधि की प्रक्रिया का अवलंब लेंगे और उसके अनुसार याची पर अधिरोपित पूर्ववर्ती दंडादेश, अर्थात् तीन मास के कठोर कारावास को पुन: जीवित करेंगे । यदि, याची समयावधि के भीतर जुर्माने की रकम का निक्षेप कर देता है तो उस पर किसी प्रकार का दंडादेश अधिरोपित नहीं किया जाएगा और उसके बारे में यह माना जाएगा कि उसके दंडादेश को उस अवधि तक घटा दिया गया है, जितने समय का कारावास उसने पहले ही भोग लिया है ।

10. विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माने के रूप में जमा की जाने वाली पैंतीस हजार रुपए की रकम को स्वीकार किया जाना चाहिए तथा उक्त जुर्माने की रकम के 90 प्रतिशत भाग को विकास हेतु स्वास्थ्य विभाग के पास जमा किया जाना चाहिए ।

11. वर्तमान आदेश इस मामले के तथ्यों तक निर्बंधित है और उसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा ।

12. विभाग को यह निदेश दिया जाता है कि वह इस आदेश की संसूचना संबंधित निचले न्यायालय को दे ।

13. सभी पक्षकार इस न्यायालय की शासकीय वेबसाइट से सम्यक् रूप से डाउनलोड किए गए इस आदेश की सर्वर प्रति के अनुसार कार्रवाई करेंगे ।

14. यदि आवेदन किया गया है तो इस आदेश की फोटोस्टेट प्रमाणित प्रतियों को तुरंत पक्षकारों को, उनके द्वारा सभी अध्यापेक्षित औपचारिकताओं का अनुपालन करने के पश्चात् उपलब्ध कराई जाएं ।

याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई ।

पु.

राजेन्द्र कुमार घिमिरे

बनाम

पश्चिमी बंगाल राज्य

(2015 की दांडिक अपील सं. 301)

तारीख 14 दिसंबर, 2021

न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 406 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45] – आपराधिक न्यासभंग – विशेषज्ञ का साक्ष्य – अभियुक्त राजस्व अधिकारी द्वारा सरकारी दर के अनुसार रैयतों का भूमि राजस्व और उपकर वसूल किया जाना किन्तु वसूल की गई राशि को कदाचार के माध्यम से सरकारी अभिलेख में घटाकर प्रदर्शित किया जाना – मूल किराया रसीदों तथा उनकी कुछ कार्बन प्रतियों की लिखावट का अभियुक्त के स्वीकार किए गए हस्ताक्षर से मेल खाना किन्तु हस्तलेख-विशेषज्ञ की परीक्षा न कराया जाना – अभियोजन पक्ष भूमि के किराए या किराए की राशि के किसी भाग का दुर्विनियोग किए जाने के विषय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है और न ही न्यायालय में हस्तलेख-विशेषज्ञ की परीक्षा कराई गई है, ऐसी स्थिति में अभिकथित दुर्विनियोग की राशि न्यायालय द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकी है, अतः निचले न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने और अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने का हकदार है ।

इस मामले में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी दार्जिलिंग जिले के गोरुबाथन स्थित ब्लॉक भूमि एवं भूमि राजस्व कार्यालय का कर्मचारी था । जिसमें उक्त कार्यालय से संबद्ध ग्रुप-डी कर्मचारी अशोक बिस्वकर्मा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ, यह अभिकथन किया गया कि उसने रैयतों से सरकारी दर के अनुसार भूमि राजस्व और उपकर वसूला था तथा अभिकथित रूप से अनाचार के माध्यम से किराएदारों से वसूल की गई राशि को सरकारी

रसीद में कम दर्शित किया था । इस प्रकार अपीलार्थी और उक्त अशोक बिस्वकर्मा द्वारा सरकारी कोष में कम राशि जमा की गई थी तथा शेष राशि का दुर्विनियोग किया गया था । अभियुक्तों द्वारा तारीख 15 अप्रैल, 2004 से 16 अक्तूबर, 2004 के बीच पुलिस थाना जलढाका के अंतर्गत पाटेनगोदक खास महल मौजा जेएल सं.-05 और टुडे-टंगटा खास महल मौजा जेएल सं.-04 में किराया वसूल करते समय निधि का ऐसा गबन किया गया था । बी. एल. एवं एल. आर. ओ. द्वारा पुलिस थाना जलढाका के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी और उक्त लिखित शिकायत के आधार पर औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार करके अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध तारीख 31 जनवरी, 2005 को दंड संहिता की धारा 409 के अधीन पुलिस थाना जलढाका में 2005 का मामला सं. 02 रजिस्ट्रीकृत किया गया । यहां यह बताना उचित होगा कि प्रारंभ में वर्तमान मामले के अन्वेषण का उत्तरदायित्व एम. पी. गुरुंग नामक पुलिस उपनिरीक्षक को सौंपा गया था । इसके पश्चात् उनके स्थानांतरण पर मामला उपनिरीक्षक हीरालाल रॉय को सौंपा गया लेकिन हीरालाल रॉय के भी स्थानांतरण पर मामला उपनिरीक्षक संतोष कुमार प्रधान को सौंपा गया जिन्होंने अपीलार्थी और उक्त अशोक बिस्वकर्मा के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 409/34 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया । चूंकि धारा 409 के अधीन अपराध विशेष रूप से विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होता है इसलिए मामला दार्जिलिंग में उनके न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया । विचारण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 409 के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने वर्तमान अपील फ़ाइल की है । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह ठीक ही इंगित किया गया है कि उपनिरीक्षक एम. पी. लिम्बू द्वारा किए गए कार्य को विधिसम्मत और वैध मानते हुए भी उपनिरीक्षक पप्पू कुमार काजूर अभि. सा. 10 किराया-रसीद की मूल प्रति साबित करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं । किराया-रसीद की मूल

प्रतियां उस व्यक्ति द्वारा साबित की जा सकती थीं जिसने उन्हें जारी किया था या जिसको वे रसीदें जारी की गई थीं या जिस व्यक्ति ने अभियुक्त को किराया रसीद तैयार करते हुए या लिखते हुए देखा था । लेकिन वर्तमान मामले के विचारण के दौरान उन किराएदारों या रैयतों में से किसी की भी परीक्षा नहीं कराई गई है जिनके पक्ष में किराया रसीद जारी की गई थी । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपना निर्णय और दंडादेश मात्र हस्तलेख-विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया था । अभिलेख से यह पता चलता है कि न्यायालय के आदेश के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की लिखावट और हस्ताक्षर के नमूने लिए गए थे तथा अपीलार्थी की स्वीकार की गई लिखावट और हस्ताक्षर को अभिगृहीत की गई किराया-रसीदों की मूल प्रतियों को उनकी कॉर्बन प्रतियों के साथ हस्तलेख-विशेषज्ञ द्वारा मिलान किए जाने के लिए भेजा गया था । हस्तलेख-विशेषज्ञ ने निश्चित रूप से यह राय व्यक्त की है कि किराया-रसीदों की मूल प्रतियों की लिखावट तथा उन रसीदों के काउंटरफॉइल की कुछ कार्बन प्रतियों पर पाई गई लिखावट, अपीलार्थी के स्वीकृत हस्ताक्षर से मेल खाती है । आपराधिक न्यासभंग का अर्थ संपत्ति का पृष्ठांकन और उसका बेईमानी से दुर्विनियोग किया जाना है । न्यस्त व्यक्ति स्वयं दुर्विनियोग कर सकता है या जानबूझकर अन्य किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश कर सकता है । वर्तमान मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से लेकर निर्णय की तारीख तक कार्यवाही के विभिन्न चरणों में किए गए दुर्विनियोग के बारे में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है । अभियोजन पक्ष भूमि के किराए या उसके किसी भाग की राशि, जिसका अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से दुर्विनियोग किया गया था, के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है । मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रदर्श-7 (श्रृंखला) पर विचार किया है । यह सभी भूमि के किराए की मूल रसीदें हैं । भूमि के किराए की मूल रसीदों में भूस्वामियों से किराए या उपकर के रूप में ली गई राशि की विभिन्न गणनाओं के संबंध में कुछ अलग से जोड़ा गया है या ओवर-

राइटिंग है लेकिन उक्त किराया-रसीदों की उसी के काउंटरफॉइल के साथ सावधानीपूर्वक मिलान करने पर न्यायालय यह पता नहीं लगा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा कितनी राशि का दुर्विनियोग किया गया था या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसके द्वारा धन का दुर्विनियोग किया भी गया था या नहीं । (पैरा 13 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1162 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 769 : **मलय कुमार गांगुली** बनाम **सुकुमार मुखर्जी और अन्य** ;	14
[2000]	ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1691 = 2000 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1617 = (2000) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1088 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **दामू गोपीनाथ शिन्दे** ;	16
[1999]	1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल (एस. सी.) 4294 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जय लाल और अन्य** ;	17
[1999]	(1999) 7 एस. सी. सी. 280 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3318 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जय लाल और अन्य** ;	14
[1999]	ए. आई. आर. 1989 पटना 66 : **मुसम्मात राजवती देवी और एक अन्य** बनाम **संयुक्त निदेशक चकबंदी, बिहार सरकार पटना और अन्य** ;	17
[1971]	ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1865 : **सैत ताराजी खिमचंद और अन्य** बनाम **येलामर्ती सत्यम और अन्य** ।	17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील सं. 301.

2006 के विशेष मामला सं. 4 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री बिप्लब मित्रा और सुश्री त्रिना मित्रा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री एन. अहमद और सुश्री अयंतिका रे

न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी – वर्तमान अपील 2006 के विशेष मामला सं. 4 में सिद्धदोषी (अपीलार्थी) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372(2) के अधीन उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके अनुसार अपीलर्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 409 के अधीन दोषसिद्ध ठहराते हुए दो वर्ष के कारावास तथा 3,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर दो मास के साधारण कारावास से दंडदिष्ट किया गया ।

2. निस्संदेह, अपीलार्थी दार्जिलिंग जिले के गोरुबाथन स्थित "ब्लॉक भूमि एवं भूमि राजस्व कार्यालय" का कर्मचारी था । उक्त कार्यालय से संबद्ध ग्रुप-डी कर्मचारी अशोक बिस्वकर्मा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ यह अभिकथन किया गया कि उसने रैयतों से सरकारी दर के अनुसार भूमि राजस्व और उपकर वसूला था तथा अभिकथित रूप से अनाचार के माध्यम से किराएदारों से वसूल की गई राशि को सरकारी रसीद में कम दर्शित किया गया था । इस प्रकार अपीलार्थी और उक्त अशोक बिस्वकर्मा द्वारा सरकारी कोष में कम राशि जमा की गई थी तथा शेष राशि का दुर्विनियोग किया गया । अभियुक्तों द्वारा तारीख 15 अप्रैल, 2004 से 16 अक्तूबर, 2004 के बीच की अवधि के दौरान पुलिस थाना जलढाका के अंतर्गत पाटेनगोदक खास महल मौजा जेएल सं. 05 और टुडे-टंगटा खास महल मौजा जेएल सं.-04 में किराया वसूलते समय निधि का ऐसा गबन किया गया था । बीएल एवं एलआरओ द्वारा पुलिस थाना – जलढाका के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी और उक्त शिकायत के आधार पर औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तैयार करके अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध तारीख 31 जनवरी, 2005 को दंड

संहिता की धारा 409 के अधीन पुलिस थाना – जलढाका में 2005 का मामला सं. 02 रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

3. यहां यह बताना उचित होगा कि प्रारंभ में वर्तमान मामले के अन्वेषण का उत्तरदायित्व एम. पी. गुरुंग नामक पुलिस उपनिरीक्षक को सौंपा गया था । इसके पश्चात् उनके स्थानांतरण पर मामला उपनिरीक्षक हीरालाल रॉय को सौंपा गया लेकिन हीरालाल रॉय के स्थानांतरण पर मामला उपनिरीक्षक संतोष कुमार प्रधान को सौंपा गया जिन्होंने अपीलार्थी और उक्त अशोक बिस्वकर्मा के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 409/34 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया ।

4. चूंकि धारा 409 के अधीन अपराध विशेष रूप से विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है इसलिए मामला दार्जिलिंग में उनके न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया । विचारण पूर्ण होने के पश्चात् अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 409 के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया । तद्नुसार, उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया । तथापि, अभियुक्त अशोक बिस्वकर्मा को उस पर लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया ।

5. प्रथम अपील न्यायालय होने के नाते इस न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या विद्वान् विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 409 के अधीन दोषसिद्ध ठहराना तथा तद्नुसार, उसके विरुद्ध दंडादेश पारित करना न्यायोचित था । दस साक्षियों में से अभि. सा. 2, अभि. सा. 8, अभि. सा. 9 और अभि. सा. 10 पुलिसकर्मी हैं । अभि. सा. 3 लच्छू ब्राह्मण ने अपने साक्ष्य में अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । वह विचारण के दौरान अपीलार्थी की पहचान करने में भी विफल रहा है । तथापि, अभियोजन पक्ष द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया है ।

6. पदम रॉय (अभि. सा. 6) के साक्ष्य से पता चलता है कि लगभग 7 या 8 वर्ष पूर्व अभियुक्त अशोक बिस्वकर्मा उनके ग्राम में आया था और भूमि का किराया वसूल किया था । इसके पश्चात् राजस्व

निरीक्षक उसके घर आया और उससे भूमि के किराए की मूल रसीद अपने साथ ले गया ।

7. कालू मुखिया (अभि. सा. 5), सीता नाथ दास (अभि. सा.-6), दिलबहादुर गुरुंग (अभि. सा. 7) अभिग्रहण के साक्षी हैं । उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य से ज्ञात होता है कि उन्होंने पुलिस द्वारा उनके कार्यालय में पूछे जाने पर अभिग्रहण सूची पर अपने हस्ताक्षर किए थे । उन्हें पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके कार्यालय से अभिगृहीत किए गए कागजात और दस्तावेजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

8. पुलिस निरीक्षक तपन कुमार भट्टाचार्य (अभि. सा.-1) इस मामले के रिकार्डिंग अधिकारी हैं । पुलिस उपनिरीक्षक हीरालाल रॉय (अभि. सा. 2) दूसरे अन्वेषण अधिकारी हैं । उनके साक्ष्य से यह पता चलता है कि अन्वेषण के दौरान उसने साक्षियों की उपस्थिति में बी. एल. और एल. आर. ओ. के कार्यालय से किराया रसीद पुस्तिका सं. 111701 से 111800 की कॉर्बन कॉपी अभिगृहीत की । अभि. सा. 2 के अनुसार उक्त किराया रसीद पुस्तिका के काउंटर-फॉइल (अधपन्ना) कथित रूप से अपीलार्थी द्वारा लिए गए थे ।

9. पुलिस उपनिरीक्षक पप्पू कुमार काजूर (अभि. सा. 10) के साक्ष्य से पता चलता है कि तारीख 3 मार्च, 2005 को एक पुलिस उपनिरीक्षक एम. पी. लिम्बू ने जय सिंह क्षेत्री से उसकी उपस्थिति में अभिग्रहण सूची के अधीन कर रसीद की मूल प्रति अभिगृहीत की थी । उक्त अभिग्रहण सूची पर प्रदर्श-6 चिह्नांकित था । उपनिरीक्षक पप्पू कुमार काजूर के हस्ताक्षर को अभिग्रहण सूची पर प्रदर्श 6/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया था और मूल कर रसीद तथा कार्बन छाप को सामूहिक रूप से विचारण के दौरान प्रदर्श-7 श्रृंखला के रूप में चिह्नांकित किया गया था ।

10. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह उचित रूप से इंगित किया गया है कि उपनिरीक्षक एम. पी. लिम्बू 2005 के पुलिस थाना जलढाका में दर्ज किए गए मामला सं. 2 के अन्वेषण अधिकारी नहीं थे । निचले न्यायालय का अभिलेख वर्तमान

मामले से जुड़े दस्तावेजों को अभिगृहीत करने के लिए पुलिस उपनिरीक्षक एम. पी. लिम्बू के अधिकार के विषय में बिल्कुल मौन है । पुलिस उपनिरीक्षक पप्पू कुमार जिन्होंने विचारण के दौरान अभि. सा. 10 के रूप में अभिसाक्ष्य दिया था । उन्होंने भी मामले के अन्वेषण में भाग नहीं लिया । इसलिए अभियोजन पक्ष की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि उन्होंने 2005 के पुलिस थाना जलढाका में दर्ज किए गए मामला सं. 2 के अन्वेषण के दौरान तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही किस प्रकार पूरी की ।

11. दंड संहिता की धारा 409 के अधीन आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्न संघटक साबित करने होंगे :–

(i) अभियुक्त कोई लोकसेवक, बैंकर, व्यापारी, एजेंट, फैक्टर, अभिकर्ता या अटर्नी (मुख्तार) है ।

(ii) अभियुक्त को इस हैसियत से कुछ संपत्ति सौंपी गई थी या उसने ऐसी संपत्ति पर अधिकार प्राप्त किया था जो उसकी स्वयं की नहीं थी ।

(iii) अभियुक्त ने ऐसी संपत्ति के संबंध में आपराधिक न्यासभंग किया है ।

12. इस मामले में, वास्तविक शिकायतकर्ता के अनुसार अपीलार्थी और अशोक बिस्वकर्मा को किराए की राशि पर अधिकार था जिसे उन्होंने एक विशेष अवधि के दौरान भूमि के किराए और उपकर के रूप में भूस्वामियों से वसूल किया था । इस प्रकार के भूमि किराए और उपकर को सरकारी लेखा में जमा करना आवश्यक था । अभियुक्तों ने इसका कुछ भाग जमा कर दिया तथा शेष धनराशि का दुर्विनियोग किया ।

13. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह ठीक ही इंगित किया गया है कि उपनिरीक्षक एम. पी. लिम्बू द्वारा किए गए कार्य को विधिसम्मत और वैध मानते हुए भी उपनिरीक्षक पप्पू कुमार काजूर अभि. सा. 10 किराया-रसीद की मूल प्रति साबित करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं । किराया-रसीद की मूल

प्रतियां उस व्यक्ति द्वारा साबित की जा सकती थीं जिसने उन्हें जारी किया था या जिसको वे रसीदें जारी की गई थीं या जिस व्यक्ति ने अभियुक्त को किराया रसीद तैयार करते हुए या लिखते हुए देखा था । लेकिन वर्तमान मामले के विचारण के दौरान उन किराएदारों या रैयतों में से किसी की भी परीक्षा नहीं कराई गई है जिनके पक्ष में किराया रसीद जारी की गई थी । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी के विरुद्ध अपना निर्णय और दंडादेश मात्र हस्तलेख-विशेषज्ञ की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया था । अभिलेख से यह पता चलता है कि न्यायालय के आदेश के अधीन अन्वेषण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की लिखावट और हस्ताक्षर के नमूने लिए गए थे तथा अपीलार्थी की स्वीकार की गई लिखावट और हस्ताक्षर को अभिगृहीत की गई किराया-रसीदों की मूल प्रतियों को उनकी कॉर्बन प्रतियों के साथ हस्तलेख-विशेषज्ञ द्वारा मिलान किए जाने के लिए भेजा गया था । हस्तलेख-विशेषज्ञ ने निश्चित रूप से यह राय व्यक्त की है कि किराया-रसीदों की मूल प्रतियों की लिखावट तथा उन रसीदों के काउंटरफॉइल की कुछ कॉर्बन प्रतियों पर पाई गई लिखावट, अपीलार्थी के स्वीकृत हस्ताक्षर से मेल खाती हैं ।

14. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले के विचारण के दौरान हस्तलेख-विशेषज्ञ की परीक्षा नहीं की गई थी । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने **मलय कुमार गांगुली** बनाम **सुकुमार मुखर्जी और अन्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है । उक्त निर्णय के पैरा 45 में माननीय न्यायालय ने **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जय लाल और अन्य**[2] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व निर्णय के पैरा 17 से 19 को पुन: उद्धृत किया है । उक्त निर्णय का पैरा 19 इस प्रकार है :–

---

[1] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 1162 = 2010 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 769 .

[2] (1999) 7 एस. सी. सी. 280 = ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 3318.

"किसी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट साक्ष्य में स्वतः ही स्वीकार नहीं की जा सकती है । उसकी न्यायालय में साक्षी के रूप में परीक्षा और प्रतिपरीक्षा कराई जानी चाहिए । इस न्यायालय ने हाजी मोहम्मद एकरामुल हक **बनाम** पश्चिम बंगाल राज्य (ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 488) वाले मामले में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की है कि किसी विशेषज्ञ साक्षी के साक्ष्य पर इस आधार पर कोई अवलंब नहीं लिया जाना चाहिए कि उसका साक्ष्य मात्र एक राय था जिसका किसी भी कारण से समर्थन नहीं किया गया था ।"

15. उपर्युक्त निर्णय के पैरा 49 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :–

"जो दस्तावेज अन्यथा अस्वीकार्य है उसे साक्ष्य के रूप में मात्र इस आधार पर नहीं लिया जा सकता कि उसकी स्वीकार्यता पर कोई आपत्ति नहीं की गई है । दांडिक मामले में, निश्चित रूप से सबूत के भार के स्थानांतरण के अध्यधीन जो कि कानूनों और या उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर निर्भर करता है, अभियुक्त के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार संरक्षित किया जाता है । इसलिए इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का कड़े रूप से पालन किया जाना चाहिए । मेरे विचार से, प्रदर्श-4, प्रदर्श-5 और प्रदर्श-6 दांडिक विचारण में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है ।"

16. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **दामू गोपीनाथ शिन्दे**[1] वाले मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए यह दलील दी है कि हस्तलेख-विशेषज्ञ की रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293 और धारा 294 के अनुसार स्वतः उपदर्शित नहीं की जाएगी ।

17. वर्तमान मामले के विचारण के दौरान हस्तलेख-विशेषज्ञ की परीक्षा कराए जाने की आवश्यकता पर अपीलार्थी की ओर से

[1] ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1691 = 2000 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 1617 = (2000) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1088.

हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित निर्णयों को भी निर्दिष्ट किया है : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **जय लाल और अन्य**[1], **सैत ताराजी खिमचंद और अन्य** बनाम **येलामर्ती सत्यम और अन्य**[2], **मुसम्मात राजवती देवी और एक अन्य** बनाम **संयुक्त निदेशक चकबंदी बिहार सरकार पटना और अन्य**[3] ।

18. भारतीय दंड संहिता की धारा 405 में आपराधिक न्यासभंग को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है :–

> "धारा 405. **आपराधिक न्यासभंग** – जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अखत्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह "आपराधिक न्यासभंग" करता है ।

19. आपराधिक न्यासभंग का अर्थ संपत्ति का पृष्ठांकन और उसका बेईमानी से दुर्विनियोग किया जाना है । न्यस्त व्यक्ति स्वयं दुर्विनियोग कर सकता है या जानबूझकर अन्य किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश कर सकता है । वर्तमान मामले में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से लेकर निर्णय की तारीख तक कार्यवाही के विभिन्न चरणों में किए गए दुर्विनियोग के बारे में कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है । अभियोजन पक्ष भूमि के किराए या उसके किसी भाग की राशि, जिसका अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से दुर्विनियोग किया गया था, के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है । मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रदर्श-7 (श्रृंखला) पर विचार किया है । यह सभी भूमि के किराए की

---

[1] 1999 क्रिमिनल ला जर्नल (एस. सी.) 4294.

[2] ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 1865.

[3] ए. आई. आर. 1989 पटना 66.

मूल रसीदें हैं । भूमि के किराए की मूल रसीदों में भूस्वामियों से किराए या उपकर के रूप में ली गई राशि की विभिन्न गणनाओं के संबंध में कुछ अलग से जोड़ा गया है या ओवर-राइटिंग है लेकिन उक्त किराया-रसीदों की उसी के काउंटरफॉइल के साथ सावधानीपूर्वक मिलान करने पर न्यायालय यह पता नहीं लगा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा कितनी राशि का दुर्विनियोग किया गया था या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसके द्वारा धन का दुर्विनियोग किया भी गया था या नहीं ।

20. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने कभी भी लोकसेवक द्वारा आपराधिक न्यासभंग के अपराध के आवश्यक संघटकों पर विचार नहीं किया है ।

21. उपरोक्त कारणों के आधार पर, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य हैं । तद्नुसार, वर्तमान अपील मंजूर की जाती है । 2005 के मामला सं. जी.आर. 16 के समवर्ती तारीख 31 जनवरी 2005 को पुलिस थाना जलढाका में दर्ज मामला सं. 2/2005 से उद्भूत विशेष मामला सं. 4/2006 में पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है ।

22. अपीलार्थी को जमानत पत्र से तत्काल उन्मोचित किया जाता है ।

23. इस निर्णय की एक प्रति विद्वान् निचले न्यायालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए ।

24. अपीलार्थी इस निर्णय की तामील की गई प्रति के आधार पर कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है ।

25. इस निर्णय की तत्काल फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति, यदि आवेदन किया गया है, पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को सामान्य औपचारिकताओं के पश्चात् दे दी जाएं ।

अपील मंजूर की गई ।

जा./अस.

धरा विशाल केशवाला

बनाम

गुजरात राज्य

(2019 का विशेष दांडिक आवेदन सं. 7708)

तारीख 6 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति गीता गोपी

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 406 [सपठित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 – नियम 14 का उपनियम 9] – याची द्वारा इस आधार पर अपने मामले को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किए जाने का अनुरोध किया जाना विचारण न्यायाधीश/न्यायिक मजिस्ट्रेट निष्पक्ष नहीं हैं और वे उस पर विवाद का समझौता करने हेतु दबाव बना रहे हैं – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के सुसंगत उपबंध यह अपेक्षा करते हैं कि मजिस्ट्रेट पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए यथा संभव प्रयास करेगा और इसके लिए वह पक्षकारों को एकल या संयुक्त रूप से परामर्श हेतु भेजने का निदेश भी जारी कर सकेगा, इस प्रकार मजिस्ट्रेट ने केवल उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन किया है और उसके द्वारा की गई कार्रवाई से याचिका पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, अतः, मामले को अंतरित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि याची ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के सुसंगत उपबंधों के अधीन वर्तमान आवेदन फाइल किया था और याची ने यह पाया कि उसके आवेदन पर सुनवाई करने वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट निष्पक्ष नहीं हैं और वे उसके प्रतिकूल हैं तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और जो पक्षकारों पर विवाद का समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे थे । याची की वांछा यह थी कि उसके मामले पर

शीघ्रातिशीघ्र विचारण करके उसे अनुतोष प्रदान करते हुए विनिश्चय किया जाए, जबकि विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने मामले को समझौते हेतु परामर्शी को निर्दिष्ट किया । याची ने यह कथन करते हुए इस तथ्य पर अपनी व्यथा दर्शित की है कि न्याय व्यवस्था का सर्वप्रथम अनिवार्य घटक निष्पक्ष विचारण का आश्वासन है और याची के अनुसार उससे किसी भी रीति में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए याची यह आशा करता है कि दांडिक विचारण निष्पक्ष, पक्षपात रहित तथा बाह्य प्रतिफलों के प्रभाव से मुक्त है । विचारण की निष्पक्षता के संबंध में जनता के विश्वास को उस समय गंभीर ठेस पहुंचेगी यदि विचारण उसके वर्तमान न्यायालय में चलाया जाता है । अत:, विद्वान् अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि मामले को समान अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को अंतरित किया जाए । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों और तर्कों को सुनने के पश्चात् याचिका को खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित – यह उल्लेखनीय है कि याची द्वारा अभिव्यक्त की गई व्यथा का मुख्य आधार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण है, जिसमें उन्होंने वैवाहिक विवाद में समझौता करने पर जोर दिया है । अधिनियम के अधीन उपबंधों को विशेष रूप से इसलिए प्रवृत्त किया गया है कि संविधान के अधीन प्रतिभू महिलाओं, जो कुटुम्ब के भीतर होने वाली हिंसा की पीड़ित हैं, के अधिकारों को और अधिक प्रभावी रूप से सुरक्षित करने तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध किया जा सके । अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अधिनियम के माध्यम से संरक्षा अधिकारियों तथा सेवा प्रदाताओं को विभिन्न शक्तियां सौंपी गई हैं और भिन्न-भिन्न कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं । अधिनियम के माध्यम से संरक्षा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को अधिकथित किया गया है । अधिनियम यह आज्ञापक बनाता है कि कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी या व्यथित पक्षकार को एकल या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी सदस्य, जिसके पास परामर्श से संबंधित ऐसी अर्हता और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए, से परामर्श करने का निदेश दे सकेगा । मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रक्रिया में कल्याण विशेषज्ञों की सहायता भी प्राप्त की जा

सकेगी । यदि मामले की परिस्थितियां यह अपेक्षा करती हैं तो कोई मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यवाहियों का संचालन गुप्त रीति में अलग कक्ष में किया जाएगा । इस प्रकार, इस तथ्य का मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है । विद्वान् मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य था कि वह व्यथित दंपत्ति के बीच समझौते की संभावनाओं का पता लगाने के लिए परामर्श की प्रक्रिया आरंभ करे । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याची ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए इन प्रयासों को उनकी सही भावना के अनुरूप स्वीकार नहीं किया है । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने जब पक्षकारों पर विवाद का समझौता करने के लिए दबाव बनाया था तो उस समय वे केवल अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे क्योंकि मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वे व्यथित व्यक्तियों के बीच समझौता कराने का प्रयास करे तथा मामले को अधिनियम के अधीन परामर्शी को निर्दिष्ट करें । विद्वान् मजिस्ट्रेट की उक्त कार्रवाई से याची पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । विद्वान् मजिस्ट्रेट ने किसी प्रकार का कोई पक्षपात दर्शित नहीं किया है, इसके बजाय वे केवल अधिनियम के उपबंधों की विस्तारक्षेत्र के भीतर अपना कार्य कर रहे थे । ऊपर किए गए संप्रेक्षणों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका पर आगे और विचार करना अपेक्षित नहीं है । अतः, वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है । (पैरा 3, 3.1, 3.2, 4, 5 और 6)

मूल (दांडिक) अधिकारिता : 2019 का विशेष दांडिक आवेदन सं. 7708.

वर्तमान आवेदन के माध्यम से आवेदक ने प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश, अहमदाबाद, ग्रामीण द्वारा वर्ष 2018 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 2802 में पारित तारीख 25 जून, 2019 के आदेश को अपास्त करने तथा वर्ष 2018 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 2150 को उसके वर्तमान न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने की प्रार्थना की है ।

आवेदक की ओर से श्री शैवाल एम. पटेल

प्रत्यर्थी की ओर से श्रीमती मोनाली भट्ट, अपर लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति गीता गोपी – आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री शैवाल एम. पटेल ने यह कथन किया है कि आवेदक ने प्रधान जिला और सेशन न्यायाधीश, अहमदाबाद, ग्रामीण द्वारा वर्ष 2018 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 2802 में पारित तारीख 25 जून, 2019 के आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया है और साथ ही वर्ष 2018 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 2150 को पांचवें अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय से समान प्रभाग में समान अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय में अंतरित करने की प्रार्थना की है ।

2. आवेदक की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री शैवाल एम. पटेल ने यह कथन किया है कि याची ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों के अधीन वर्तमान आवेदन फाइल किया था और याची ने यह पाया कि उसके आवेदन पर सुनवाई करने वाले विद्वान् मजिस्ट्रेट निष्पक्ष नहीं हैं और वे उसके प्रतिकूल हैं तथा पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और जो पक्षकारों पर विवाद का समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे थे । याची ने यह कथन करते हुए इस तथ्य पर अपनी व्यथा दर्शित की है कि न्याय व्यवस्था का सर्वप्रथम अनिवार्य घटक निष्पक्ष विचारण का आश्वासन है और याची के अनुसार उससे किसी भी रीति में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए याची यह आशा करता है कि दांडिक विचारण निष्पक्ष, पक्षपात रहित तथा बाह्य प्रतिफलों के प्रभाव से मुक्त है । श्री पटेल ने यह कथन किया है कि विचारण की निष्पक्षता के संबंध में जनता के विश्वास को उस समय गंभीर ठेस पहुंचेंगी यदि विचारण उसके वर्तमान न्यायालय में चलाया जाता है । अतः, विद्वान् अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि मामले को समान अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को अंतरित किया जाए ।

3. यह उल्लेखनीय है कि याची द्वारा अभिव्यक्त की गई व्यथा का मुख्य आधार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण है, जिसमें उन्होंने वैवाहिक विवाद में समझौता करने पर जोर दिया है । अधिनियम के अधीन उपबंधों को विशेष रूप से इसलिए प्रवृत्त किया गया

है कि संविधान के अधीन प्रतिभू महिलाओं, जो कुटुम्ब के भीतर होने वाली हिंसा की पीड़ित हैं, के अधिकारों को और अधिक प्रभावी रूप से सुरक्षित करने तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध किया जा सके ।

3.1 अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अधिनियम के माध्यम से संरक्षा अधिकारियों तथा सेवा प्रदाताओं को विभिन्न शक्तियां सौंपी गई हैं और भिन्न-भिन्न कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं । अधिनियम के माध्यम से संरक्षा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कृत्यों को अधिकथित किया गया है ।

3.2 अधिनियम का अध्याय 4 अनुतोष के आदेशों को अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया विहित करता है । अधिनियम की धारा 12 के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, सुनवाई की तारीख नियत करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा एक सूचना जारी की जाएगी, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा, जो उसकी ऐसे उपायों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, प्रत्यर्थियों को तामील करेगा तथा संरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सूचना की तामील से संबंधित विहित प्ररूप में की गई घोषणा को इस बात का सबूत माना जाएगा कि प्रत्यर्थियों को उक्त सूचना की तामील कर दी गई है । अधिनियम यह आज्ञापक बनाता है कि कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी या व्यथित पक्षकार को एकल या संयुक्त रूप से सेवा प्रदाता के किसी सदस्य, जिसके पास परामर्श से संबंधित ऐसी अर्हता और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए, से परामर्श करने का निदेश दे सकेगा । मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रक्रिया में कल्याण विशेषज्ञों की सहायता भी प्राप्त की जा सकेगी । यदि मामले की परिस्थितियां यह अपेक्षा करती हैं तो कोई मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यवाहियों का संचालन गुप्त रीति में अलग कक्ष में किया जाएगा ।

4. इस प्रकार, इस तथ्य का मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा कि विद्वान् मजिस्ट्रेट ने विधि के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है । विद्वान् मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य था कि वह व्यथित दंपत्ति के बीच समझौते की संभावनाओं का पता लगाने के लिए परामर्श की

प्रक्रिया आरंभ करे । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याची ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्‌वारा किए गए इन प्रयासों को उनकी सही भावना के अनुरूप स्वीकार नहीं किया है ।

4.1 संबद्‌ध मजिस्ट्रेट घरेलू घटना रिपोर्ट के माध्यम से मामले से सुपरिचित है और घरेलू घटना रिपोर्ट को अधिनियम के अधीन यथा विहित प्ररूप-1 के अनुसार फाइल किया गया है तथा अधिनियम की धारा 12 के अधीन मजिस्ट्रेट को किया गया आवेदन प्ररूप-2 के अनुरूप है । परामर्शी के समक्ष की जाने वाली कार्यवाहियां, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 के नियम 14 के अनुसार न्यायालय या संरक्षण अधिकारी या दोनों के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन होंगी । परामर्शी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम, 2006 के नियम 14 के उपनियम 9 में उपबंधित किए गए अनुसार व्यथित व्यक्तियों की शिकायतों का समाधान करने हेतु परामर्श के पक्षकारों द्‌वारा सुझाव दिए गए उपायों या उपचारों पर विचार करने के पश्चात् तथा जहां कहीं अपेक्षित था, समझौते के निबंधनों को पुन: सूत्रबद्‌ध करते हुए विवाद का समाधान उपलब्ध कराने के लिए यथासंभव प्रयास किए हैं । परामर्शी से यह अपेक्षित है कि वह उपयुक्त कार्यवाही हेतु यथासंभव शीघ्र मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस दशा में जब परामर्शी विवाद का समाधान करता है, वहां वह समझौते के निबंधनों को लेखबद्‌ध करेगा तथा उन्हें पक्षकारों द्‌वारा पृष्ठांकित कराएगा । इस प्रकार, परामर्शी को मामला निर्दिष्ट करने का मुख्य उद्‌देश्य यह है कि पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं का पता लगाया जा सके ।

5. विद्‌वान् मजिस्ट्रेट ने जब पक्षकारों पर विवाद का समझौता करने के लिए दबाव बनाया था तो उस समय वे केवल अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे क्योंकि मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वे व्यथित व्यक्तियों के बीच समझौता कराने का प्रयास करे तथा मामले को अधिनियम के अधीन परामर्शी को निर्दिष्ट करें । विद्‌वान् मजिस्ट्रेट की उक्त कार्रवाई से याची पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । विद्‌वान् मजिस्ट्रेट ने किसी प्रकार का कोई पक्षपात दर्शित नहीं किया है, इसके बजाय वे केवल अधिनियम के उपबंधों की विस्तार क्षेत्र के भीतर अपना कार्य कर रहे थे ।

6. ऊपर किए गए संप्रेक्षणों और चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान याचिका पर आगे और विचार करना अपेक्षित नहीं है । अतः, वर्तमान याचिका को खारिज किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

(2022) 2 दा. नि. प. 85 **गुवाहाटी**

गौतम चौधरी बर्मन

बनाम

असम राज्य और अन्य

(2019 की दांडिक याचिका सं. 98)

तारीख 27 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति रुमी कुमारी फूकन

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 216 और 217 – याची द्वारा पूर्व में रजिस्टर किए गए परिवाद में लगाए गए आरोपों में परिवर्तन/आरोपों को जोड़ने का अनुरोध किया जाना – मामला मूल रूप से चैक के अनादर से संबंधित होना – मामले के संज्ञान के पश्चात् विचारण की विधिक कार्यवाहियों के दौरान अंतिम बहस के प्रक्रम पर याची द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध छल किए जाने के अपराध संबंधी आरोप को सम्मिलित करने का अनुरोध करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जाना – विचारण और साथ ही पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा याची के अनुरोध को खारिज किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य रूप से यह संप्रेक्षण किया जाना कि वर्तमान मामला प्रथमदृष्ट्या चैकों के अनादर से संबंधित है और उसे अभियुक्त के विरुद्ध परिवाद के रूप में स्वीकार करके उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं तथा

वर्तमान मामले में चैक के अनादर से संबंधित अनिवार्य घटकों का गठन किया गया है, जो छल के अपराध से संबंधित अनिवार्य घटकों से पूर्णत: भिन्न हैं और इसके अतिरिक्त, परिवाद में इस प्रभाव का कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन नहीं किया गया है कि ऋण किसी उत्प्रेरण के अधीन प्राप्त किया गया था, अत:, वर्तमान प्रक्रम पर अभियुक्त के विरुद्ध अतिरिक्त आरोपों को विरचित नहीं किया जा सकता ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मामले के प्रत्यर्थी सं. 2 ने याची से कतिपय रकम ऋण स्वरूप प्राप्त की थी तथा उसने उक्त ऋण को चुकाने हेतु याची के पक्ष में दो चैकों को जारी किया, जिनका बैंक द्वारा इस आधार पर अनादर किया गया कि चैक पर मौजूद हस्ताक्षर प्रत्यर्थी सं. 2 के बैंक में मौजूद नमूना हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं । इसके उपरांत याची द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 को सम्यक् रूप से सूचना जारी की गई तथा याची ने अन्य विधिक अनिवार्यताओं का पालन करते हुए प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध चैक के अनादर से संबंधित मामला संस्थित करते हुए एक परिवाद रजिस्टर कराया । परिवाद जब अंतिम बहस के प्रक्रम पर था, उस समय याची ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किया कि प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध चैक के अनादर के आरोपों के अलावा छल का अपराध करने संबंधी आरोप को भी जोड़ा जाए । विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन पर विचार करने के पश्चात् उसे खारिज कर दिया । इससे व्यथित होकर याची ने विचारण न्यायालय के उक्त आदेश को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी । पुनरीक्षण न्यायालय ने भी विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया । इसके परिणामस्वरूप याची ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान दांडिक प्रकीर्ण याचिका प्रस्तुत करके उक्त दोनों न्यायालयों के आदेश को चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर विद्यमान सभी सामग्रियों का परिशीलन करने तथा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने के पश्चात् दांडिक प्रकीर्ण याचिका को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में न्यायालय की विनिर्दिष्ट राय यह थी

कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए हैं और यह चैक के अनादर से संबंधित एक विशेष कार्रवाई है, जबकि दंड संहिता की धारा 420 छल के अपराध से संबंधित है और इस प्रकार उसके अनिवार्य घटक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से काफी भिन्न हैं और स्वयं परिवाद में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन विद्यमान नहीं है कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई ऋण उपाबंध 1 के माध्यम से ऐसे किसी उत्प्रेरण आदि के अधीन प्राप्त किया गया था । परिवाद या याचिका ऐसे किसी उत्प्रेरण के संबंध में पूर्णतया मौन है और उसमें केवल साधारण रूप से इस प्रकथन को सम्मिलित किया गया है कि ऐसे चैकों को प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा परिवादी के पक्ष में, उससे लिए गए ऋण को चुकाने हेतु जारी किया गया था । उक्त चैकों को परिवादी को इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया था कि "आहरणकर्ता हस्ताक्षर प्राधिकार भिन्न है" । इस प्रकार न्यायालय ने प्रकथनों से सम्यक् रूप से सहमत होने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 420 को हटा कर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरोप विरचित किए थे । वर्तमान याची, जो मूल मामले का परिवादी है, द्वारा केवल इस प्रतिवाद को उठाया गया है कि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए अपने कथन में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि चैकों पर किए गए हस्ताक्षर उसके स्वयं के हस्ताक्षर हैं तथा बैंक के अधिकारियों ने यह कथन किया है कि चैकों पर विद्यमान हस्ताक्षर उसके नमूना हस्ताक्षरों से भिन्न हैं और इसलिए अभियुक्त/प्रत्यर्थी सं. 2 ने किसी प्रकार का छल किया है और इस अभिवाक् को परिवाद या साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय, यदि उसके समक्ष विचारण के अनुक्रम के दौरान ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर निर्णय से पूर्व किसी भी समय बिन्दु पर अभियुक्त के विरुद्ध अतिरिक्त आरोपों को विरचित किया जा सकता है या उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को परिवर्तित किया जा सकता है तो न्यायालय अपने विवेकानुसार आरोपों को परिवर्तित कर सकता है । उपाबद्ध दस्तावेजों, परिवाद आदि का परिशीलन करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि

विद्यमान विचारण न्यायालय ने सही रूप से याची द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार किया है और इस अस्वीकृति को विद्वान् पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पहले ही पुष्ट कर दिया गया है । इस प्रकार विद्वान् विचारण न्यायालय के आदेश में कोई अविधिपूर्ण बात और अनियमितता न होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने हेतु असाधारण शक्ति का अवलंब लेने की कोई गुंजाइश नहीं है । ऐसी किसी शक्ति का अवलंब उस समय लिया जाता है जब शक्ति का दुरुपयोग किया गया हो और/या न्याय को हानि पहुंचाई गई हो और उक्त शक्ति का प्रयोग प्रायिक रीति में उस समय नहीं किया जा सकता, जब आदेश में किसी प्रकार की कोई अविधिपूर्ण बात या अनियमितता नहीं पाई जाती है । परिणामत:, वर्तमान दांडिक याचिका का इस निदेश के साथ निपटारा किया जाता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय मामले की कार्रवाई को पूरा करे और विधि के अनुसार उसका निपटारा करे । (पैरा 11, 12, 13, 14, 15 और 16)

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2019 की दांडिक याचिका सं. 98.

वर्तमान दांडिक याचिका परिवादी द्वारा चैक के अनादर से संबंधित पूर्व में संस्थित परिवाद में अतिरिक्त आरोप जोड़ने हेतु प्रार्थना करते हुए फाइल की गई है ।

याची की ओर से श्री ए. के. जैन

प्रत्यर्थी की ओर से लोक अभियोजक, असम

न्यायमूर्ति रुमी कुमारी फूकन – दोनों पक्षकारों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

2. प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से इस तथ्य के बावजूद कि उसके नाम को वाद सूची में दर्शित किया गया था, कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ है ।

3. इस याचिका के माध्यम से की गई प्रार्थना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामला वर्ष 2019 से लंबित है और चूंकि प्रत्यर्थियों पर सूचना की तामील किए जाने के बावजूद वर्तमान मामले में विधिक कार्यवाहियां

आगे नहीं बढ़ सकी हैं, इसलिए मामले को ग्रहण किए जाने के प्रक्रम पर ही निपटान हेतु सुनवाई के लिए लिया जा रहा है ।

4. वर्तमान याची ने विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कामरूप (एम.), गुवाहाटी के न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 420 के साथ पठित परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 138 के अधीन एक परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसे आपराधिक मामला सं. 1000/2015 के रूप में रजिस्टर किया गया तथा विद्वान् विचारण न्यायालय ने विधि की उक्त धारा के अधीन अपराध का संज्ञान लिया ।

5. तथापि, विचारण के दौरान परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरोप विरचित किया गया क्योंकि उक्त मामला उन दो चैकों के अनादर का था जो प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी किए गए थे । उसके पश्चात्, मामले का विचारण प्रारंभ हुआ तथा अंतिम बहस के प्रक्रम तक की विधिक कार्यवाहियों को पूरा किया गया ।

6. अंतिम बहस के प्रक्रम पर याची ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 216 और 217 के अधीन उक्त मामले की कार्यवाहियों में दंड संहिता की धारा 420 को अतिरिक्त आरोप के रूप में सम्मिलित किए जाने हेतु एक याचिका फाइल की । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपने तारीख 17 अक्तूबर, 2017 के एक आदेश द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कतिपय निर्णयों का अवलंब लेते हुए याची द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया ।

7. उक्त आदेश को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई, किन्तु उक्त चुनौती को भी खारिज कर दिया गया । वर्तमान में याची ने इस न्यायालय के समक्ष यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के साथ पठित धारा 482 के अधीन यह प्रार्थना करते हुए फाइल किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित तारीख 17 अक्तूबर, 2017 के आदेश और साथ ही पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तारीख 6 अप्रैल, 2018 को पारित आदेश को अपास्त किया जाए ।

8. मैंने तद्नुसार दोनों मंचों द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों का परिशीलन किया है ।

9. यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान याची द्वारा संपूर्ण परिवाद ऐसे दो चैकों के अनादर के संबंध में फाइल किया गया था, जिन्हें प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा जारी किया गया था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने याची द्वारा फाइल की गई याचिका पर विचार करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का अवलंब लेते हुए यह संप्रेक्षण किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 में विद्यमान "धन की किसी राशि की अभिव्यक्ति ... अपर्याप्त है" एक वर्ग है तथा खाता बंद हो जाने, संदाय को रोक दिए जाने, आहरणकर्ता को निर्दिष्ट करने जैसे कारणों से चैक का अनादर उस वर्ग की उपश्रेणी है । जिस प्रकार किसी खाते को बंद कर दिए जाने के आधार पर किसी चैक का अनादर किया जाना धारा 138 में निर्दिष्ट प्रथम आकस्मिकता के अंतर्गत आने वाला अनादर है, उसी प्रकार हस्ताक्षरों के मेल न खाने या उसकी प्रतिकृति न पाए जाने के आधार पर चैक का अनादर भी आकस्मिकता के अंतर्गत आता है, जिससे यह अर्थ निकलता है कि बैंक में विद्यमान नमूना हस्ताक्षर, चैक पर किए गए हस्ताक्षरों से मेल नहीं खाते हैं और यह कारक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अर्थान्तर्गत चैक का अनादर गठित करता है ।

10. न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा यह संप्रेक्षण करते हुए पुष्ट किया गया था कि दंड संहिता की धारा 420 के अधीन अपराध का गठन करने के लिए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी प्रकार का छल किया जाना अनिवार्य है किन्तु यह तथ्य मूल परिवाद का पक्षकथन नहीं था ।

11. वर्तमान मामले में न्यायालय की विनिर्दिष्ट राय यह थी कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए हैं और यह चैक के अनादर से संबंधित एक विशेष कार्रवाई है, जबकि दंड संहिता की धारा 420 छल के

अपराध से संबंधित है और इस प्रकार उसके अनिवार्य घटक परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से काफी भिन्न हैं और स्वयं परिवाद में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट प्रकथन विद्यमान नहीं है कि अभियुक्त/प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई ऋण उपाबंध 1 के माध्यम से ऐसे किसी उत्प्रेरण आदि के अधीन प्राप्त किया गया था ।

12. परिवाद या याचिका ऐसे किसी उत्प्रेरण के संबंध में पूर्णतया मौन है और उसमें केवल साधारण रूप से इस प्रकथन को सम्मिलित किया गया है कि ऐसे चैकों को प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा परिवादी के पक्ष में, उससे लिए गए ऋण को चुकाने हेतु जारी किया गया था । उक्त चैकों को परिवादी को इस टिप्पणी के साथ लौटा दिया गया था कि "आहरणकर्ता हस्ताक्षर प्राधिकार भिन्न है" । इस प्रकार न्यायालय ने प्रकथनों से सम्यक् रूप से सहमत होने के पश्चात् दंड संहिता की धारा 420 को हटा कर परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन आरोप विरचित किए थे ।

13. वर्तमान याची, जो मूल मामले का परिवादी है, द्वारा केवल इस प्रतिवाद को उठाया गया है कि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दिए गए अपने कथन में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि चैकों पर किए गए हस्ताक्षर उसके स्वयं के हस्ताक्षर हैं तथा बैंक के अधिकारियों ने यह कथन किया है कि चैकों पर विद्यमान हस्ताक्षर उसके नमूना हस्ताक्षरों से भिन्न हैं और इसलिए अभियुक्त/प्रत्यर्थी सं. 2 ने किसी प्रकार का छल किया है और इस अभिवाक् को परिवाद या साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे किसी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

14. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि न्यायालय, यदि उसके समक्ष विचारण के अनुक्रम के दौरान ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत की जाती है, जिसके आधार पर निर्णय से पूर्व किसी भी समय बिन्दु पर अभियुक्त के विरुद्ध अतिरिक्त आरोपों को विरचित किया जा सकता है या उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को परिवर्तित किया जा सकता है तो न्यायालय अपने विवेकानुसार आरोपों को परिवर्तित कर सकता है ।

15. उपाबद्ध दस्तावेजों, परिवाद आदि का परिशीलन करने से यह तथ्य प्रकट होता है कि विद्यमान विचारण न्यायालय ने सही रूप से याची द्वारा किए गए अनुरोध को अस्वीकार किया है और इस अस्वीकृति को विद्वान् पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पहले ही पुष्ट कर दिया गया है । इस प्रकार विद्वान् विचारण न्यायालय के आदेश में कोई अविधिपूर्ण बात और अनियमितता न होने के कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने हेतु असाधारण शक्ति का अवलंब लेने की कोई गुंजाइश नहीं है । ऐसी किसी शक्ति का अवलंब उस समय लिया जाता है जब शक्ति का दुरुपयोग किया गया हो और/या न्याय को हानि पहुंचाई गई हो और उक्त शक्ति का प्रयोग प्रायिक रीति में उस समय नहीं किया जा सकता, जब आदेश में किसी प्रकार की कोई अविधिपूर्ण बात या अनियमितता नहीं पाई जाती है ।

16. परिणामत:, वर्तमान दांडिक याचिका का इस निदेश के साथ निपटारा किया जाता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय मामले की कार्रवाई को पूरा करे और विधि के अनुसार उसका निपटारा करे ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

लख्य ज्योति बोरा

बनाम

असम राज्य

(2019 की दांडिक अपील सं. 72)

तारीख 22 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति अजीत बोरयाकुर

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 326 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60] – खतरनाक आयुध से स्वेच्छया गम्भीर उपहति कारित किया जाना – अनुश्रुत साक्ष्य – अभियुक्त और उसकी माता के बीच कहासुनी होने का अभिकथन – परिणामस्वरूप अभियुक्त द्वारा लकड़ी के डंडे से अपनी माता पर हमला किए जाने का अभिकथन – परिणामस्वरूप माता की मृत्यु हो जाना – किसी भी साक्षी द्वारा हमले की वास्तविक घटना नहीं देखी गई है और मृतका की पुत्री घर में मौजूद थी जिसकी अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई है तथा चिकित्सा रिपोर्ट में यह कहा गया है कि क्षतियां किसी कठोर सतह पर गिरने के कारण हो सकती हैं, अतः निचले न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं है और अभियुक्त/अपीलार्थी दोषमुक्ति का हकदार है ।

इस मामले में अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में यह है कि तारीख 24 दिसम्बर, 2017 को राजीब लिखोक ने जो ग्राम कोलाखोवा का सरकारी गांवबूरा है, जोरहाट पुलिस थाने में भोगदोई ओ. पी. के भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक इज़हार दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ, यह अभिकथन किया गया कि घटना वाले दिन अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी माता गुणेश्वरी बोरा की हत्या करने का प्रयत्न किया । जब ग्रामवासियों ने देखा कि अभियुक्त अपनी माता पर हमला कर रहा है तभी लोग अभियुक्त के घर पहुंचे और उन्होंने उसकी

माता को उसके चंगुल से छुड़ाया । इसके पश्चात् कि उसकी माता को उपचार के लिए जोरहाट चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (जे.एम.सी.एच.) ले जाया गया । इसके आगे यह अभिकथन किया गया है कि घटना के पश्चात् अभियुक्त ने अपने घर और आसपास के स्थानों पर न्यूसेंस (उपताप) फैलाया है । उपरोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर भोगदोई पुलिस चौकी में तारीख 24 दिसंबर, 2017 को सामान्य डायरी प्रविष्टि सं. 397 के द्वारा दर्ज की गई तथा अग्रेषित किए जाने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 325/326 के अधीन पुलिस थाना मामला सं. 2711/2017 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 325/326/302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया क्योंकि घटना में कारित क्षतियों के परिणाम स्वरूप जे.एम.सी.एच. में उपचार के दौरान तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को गुणेश्वरी बोरा की मृत्यु हो गई थी । चूंकि वर्तमान मामला विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए विद्वान् मुख्य मजिस्ट्रेट, जोरहाट ने मामले को जोरहाट के विद्वान् सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द कर दिया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, जोरहाट द्वारा तारीख 18 मई, 2018 के आदेश द्वारा आरोप पत्र में उल्लिखित धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को सिद्ध करने के लिए 11 साक्षियों की परीक्षा कराई गई और 6 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए । अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया समाप्त होने पर तारीख 29 सितंबर, 2018 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त ने अपनी निर्दोषिता दोहराई और प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा कराए जाने से इनकार कर दिया । दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की दलीलों तथा साक्ष्यों के आधार पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने

अभियुक्त को दोषी पाया तथा उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 326 के अधीन 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया तथा 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर 6 माह की अवधि के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया । अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 325/302 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए उपरोक्त परिसाक्ष्य की संवीक्षा करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से किसी ने भी मृतका गुणेश्वरी, जो अभियुक्त की माता थी, पर हमले की वास्तविक घटना नहीं देखी थी जो उनके घर में घटित हुई थी । अभि. सा. 2 के साक्ष्य से यह पता चलता है कि घटना के सुसंगत समय पर मृतका की पुत्री अकोनी बोरा घर में उपस्थित थी किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी परीक्षा नहीं कराई गई । इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उसका साक्ष्य महत्वपूर्ण था और यदि उसकी परीक्षा कराई गई होती तो हमले की घटना के वास्तविक तथ्य और परिस्थितियां निश्चित रूप से सामने आ जाती । सभी गैर-शासकीय साक्षियों की बातें अनुश्रुत प्रतीत होती हैं और इस प्रकार उनके साक्ष्य को अस्वीकार्य पाया जाता है । शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 4) के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतका को कारित क्षति मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थी जो कुंद वस्तु से प्रहार किए जाने के परिणामस्वरूप कारित हुई थी, किन्तु आगे यह भी कहा गया कि उपरोक्त क्षतियां आंशिक रूप से ठीक हो गई थीं क्योंकि वे पुरानी थीं । उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि ऐसी क्षतियां किसी कठोर सतह पर गिरने से भी लग सकती हैं । अन्वेषण के दौरान वर्तमान घटना के संबंध में कोई भी धारदार आयुध अभिगृहीत नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि इस प्रकार के आयुध का प्रयोग इस अपराध में किया गया था । इसलिए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि चूंकि अभियोजन पक्ष किसी भी ऐसे साक्षी की परीक्षा कराने में विफल रहा है जिसने अभिकथित हमले की घटना को देखा हो, जो दिन के उजाले में हुई थी और वह भी

अभियुक्त के घर में, जो कई परिवारों से घिरा हुआ है, इसलिए सुरक्षित रूप से यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त ने ही स्वेच्छा से मृतका के शरीर पर जो गंभीर क्षति पहुंचाई थी और यह कि इस घटना में कारित क्षतियों से उसका प्रत्यक्ष या निकटतम संबंध था । (पैरा 19)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 72.

2018 के सेशन मामला सं. 61 (जे.जे.) में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, जोरहाट द्वारा तारीख 15 नवम्बर, 2018 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध जेल अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री ए. तिवारी, न्याय मित्र

प्रत्यर्थी की ओर से लोक अभियोजक, असम

न्यायमूर्ति अजीत बोरयाकुर – अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् न्यायमित्र श्री ए. तिवारी को सुना गया है तथा प्रत्यर्थी राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक, असम श्री बी. बी. गोगोई को भी सुना गया है ।

2. वर्तमान जेल अपील 2018 के सेशन मामला सं. 61 (जे.जे.) में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, जोरहाट द्वारा 15 नवंबर, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

3. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में यह है कि तारीख 24 दिसंबर, 2017 को राजीब लिखोक ने जो ग्राम कोलाखोवा का सरकारी गांवबूरा है, जोरहाट पुलिस थाने में भोगदोई ओ. पी. के भारसाधक अधिकारी के समक्ष एक इज़हार दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ यह अभिकथन किया गया कि घटना वाले दिन अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपनी माता गुणेश्वरी बोरा की हत्या करने का प्रयत्न किया । जब ग्रामवासियों ने देखा कि अभियुक्त अपनी माता पर हमला कर रहा है तभी लोग अभियुक्त के घर पहुंचे और उन्होंने उसकी माता को उसके चंगुल से छुड़ाया । इसके पश्चात् कि उसकी माता को उपचार के लिए जोरहाट चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल (जे.एम.सी.एच.) ले जाया गया । इसके आगे यह अभिकथन किया गया है कि घटना के पश्चात्

अभियुक्त ने अपने घर और आसपास के स्थानों पर न्यूसेंस (उपताप) फैलाया है ।

4. उपरोक्त प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर भोगदोई पुलिस चौकी में तारीख 24 दिसंबर, 2017 को सामान्य डायरी प्रविष्टि सं. 397 के द्वारा दर्ज की गई तथा अग्रेषित किए जाने पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 325/326 के अधीन पुलिस थाना मामला सं. 2711/2017 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 325/326/302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया क्योंकि घटना में कारित क्षतियों के परिणाम स्वरूप जे.एम.सी.एच. में उपचार के दौरान तारीख 28 दिसम्बर, 2017 को गुणेश्वरी बोरा की मृत्यु हो गई थी । चूंकि वर्तमान मामला विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए विद्वान् मुख्य मजिस्ट्रेट, जोरहाट ने मामले को जोरहाट के विद्वान् सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में विचारण हेतु सुपुर्द कर दिया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश, जोरहाट द्वारा तारीख 18 मई, 2018 के आदेश द्वारा आरोप पत्र में उल्लिखित धाराओं के अधीन आरोप विरचित किए गए । अभियुक्त ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को सिद्ध करने के लिए 11 साक्षियों की परीक्षा कराई गई और 6 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए । अभियोजन पक्ष के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया समाप्त होने पर तारीख 29 सितंबर, 2018 को दंड प्रक्रिया, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया गया । अभियुक्त ने अपनी निर्दोषिता दोहराई और प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी की परीक्षा कराए जाने से इनकार कर दिया । दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेलों की दलीलों तथा साक्ष्यों के आधार पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाया तथा उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 326 के अधीन 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया तथा 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर 6 माह की अवधि के अतिरिक्त कठोर

कारावास से दंडादिष्ट किया । अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 325/302 के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया ।

6. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर समुचित विचार किया है तथा विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश सहित अभिलेखों का परिशीलन किया है ।

7. अब हम अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करेंगे ।

8. राजीब लिखोक (अभि. सा. 1) इत्तिलाकर्ता है जो मृतका और अभियुक्त का पड़ोसी है । उसके वृत्तांत के अनुसार वर्तमान घटना लगभग 5 माह पूर्व घटित हुई थी। घटना के समय वह अपने घर में मौजूद था । उसे ग्रामवासियों ने घटना की सूचना 5 से 6 घंटे के पश्चात् दी, तत्पश्चात् वह अभियुक्त के घर गया । इसी बीच वहां पुलिस आ गई । घटना के संबंध में उसने प्रथम इत्तिला रिपोट (प्रदर्श-1) फाइल की । पुलिस ने अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-2) के माध्यम से अभियुक्त के घर से एक लकड़ी का डंडा (प्रदर्श-1) अभिगृहीत किया । उसने कथन यह किया है कि उसे ग्रामवासियों से पता चला था कि अभियुक्त और उसकी माता के बीच कहासुनी की घटना हुई है और अभियुक्त ने क्रोध में आकर अपनी माता पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने अन्य बातों के साथ यह भी कथन किया है कि अभियुक्त और ग्रामवासियों के बीच कोई भी तनावपूर्ण संबंध नहीं था । अभियुक्त और उसकी माता के बीच प्राय: कहासुनी होती रहती थी ।

9. देबेन बोराह (अभि. सा. 2) पड़ोसी है । उसने यह साक्ष्य दिया है कि मृतका उसकी भाभी है । उसने अभिमुक्त के घर में चीख-पुकार सुनी थी और अभियुक्त की माता को घर से भागते हुए तथा अपने घर के आंगन में गिरते हुए देखा था । इस घटना को देखकर वह 'नामघर' की ओर गया और ग्रामवासियों को घटना की सूचना दी । घटना के पश्चात् ग्रामवासी वहां पहुंचे । उसने घायलों को पुलिस द्वारा अभियुक्त के साथ पुलिस थाने ले जाते हुए देखा था । पुलिस ने उसकी उपस्थिति में लकड़ी का एक डंडा (तात्विक वस्तु-1) अभिगृहीत किया जिसके संबंध में अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-2) तैयार किया गया । प्रतिपरीक्षा में उसने अन्य बातों के साथ यह भी कथन किया कि उसने अभियुक्त द्वारा

मृतका पर हमला किए जाने की घटना नहीं देखी थी । मृतका की बड़ी पुत्री इकोनी बोरा घटना के उस सुसंगत समय पर घर में उपस्थित थी।

10. रुपेश्वर बोरा (अभि. सा. 3) ने कथन यह किया है कि घटना के समय वह नामघर में था और चीख-पुकार सुनकर उसे पता चला कि अभियुक्त ने अपनी माता की हत्या कर दी है । वह नामघर से बाहर नहीं आया । अगले दिन जब वह थाने गया तो अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श-2) पर उसके हस्ताक्षर लिए गए । उसे घटना के विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी ।

11. डॉ. वेद प्रकाश गुप्ता (अभि. सा. 4) वह चिकित्सक है जिन्होंने मृतका गुणेश्वरी बोरा, आयु लगभग 60 वर्ष के शव की मरणोत्तर परीक्षा की है और उन्होंने निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

> "मृतका की मृत्यु सिर पर कारित क्षति के उपरांत कोमा में जाने के कारण हुई थी, जैसा कि वर्णित है । सभी क्षतियां मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थीं जो कुंद वस्तु से कारित हुई हैं । मृत्यु हो जाने के पश्चात् का अनुमानित समय 4 से 8 घंटे है । चिकित्सक ने शवपरीक्षण रिपोर्ट की शनाख्त प्रदर्श-3 के रूप में की है ।"

12. प्रतिपरीक्षा में उसने अन्य बातों के साथ यह भी कथन किया है मृतका के शरीर पर जो क्षतियां पाई गई थीं, वे पुरानी थीं तथा आंशिक रूप से ठीक हो गई थीं । उक्त क्षतियों के साथ-साथ मृतका के सिर में गुम-चोट भी आई थी । यह क्षति किसी कठोर वस्तु पर गिरने के कारण भी पहुंच सकती है ।

13. रेबिका बोरा (अभि. सा. 5) भी पड़ोसी है । उसके द्वारा दिया गया वृत्तांत यह है कि तारीख 24 दिसम्बर, 2017 को घटना घटित हुई और उस समय वह गांव के नामघर में थी । उसने ग्रामवासियों की चीख पुकार सुनी और उसके पश्चात् वह नामघर से बाहर आई । उसे ग्रामवासियों से पता चला कि अभियुक्त ने अपनी माता को लकड़ी के डंडे से प्रहार करके उनकी हत्या कर दी है । इसके पश्चात् वह अभियुक्त के घर गई और देखा कि अभियुक्त की माता घर के भूमितल पर पड़ी हुई थी और उनके पूरे शरीर पर रक्त के धब्बे थे। तत्पश्चात् पुलिस ने

घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस साक्षी का पुत्र मंदीप कश्यप बोरा पुलिस के साथ अस्पताल गया । पुलिस अभियुक्त को भी थाने ले गई । उसने अभियुक्त से घटना के विषय में कुछ नहीं पूछा । उसने बताया कि अभियुक्त अपनी माता को जान से मारने की धमकी देता था । उसने अभियुक्त द्वारा अपनी माता पर किए गए हमले की घटना नहीं देखी थी ।

14. अबनिता बोराह (अभि. सा. 6) पड़ोसी है । उसने यह साक्ष्य दिया है कि यह घटना तारीख 24 दिसम्बर, 2017 को अपराह्न लगभग 12.30 बजे घटित हुई थी । घटना के समय वह गांव के नामघर में थी । उसने अभियुक्त के घर में चीख-पुकार सुनी । उसे ग्रामवासियों से पता चला कि अभियुक्त ने अपनी माता की हत्या कर दी है । इसके पश्चात् वह अभियुक्त के घर गई और देखा कि उसकी माता घर के भूमितल पर पड़ी हुई है । अभियोजन पक्ष ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया है ।

15. बुली बोरा (अभि. सा. 7) ने अन्य बातों के साथ यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना वाले दिन वह अपने घर पर मौजूद थी । अभियुक्त के घर में शोर होने पर भी वह घर से बाहर नहीं आई । जब वहां पुलिस पहुंची तो उसे अभियुक्त के घर पर एकत्र हुए ग्रामवासियों से पता चला कि अभियुक्त की माता को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है । कुछ समय पश्चात् उसे पता चला कि अभियुक्त ने अपनी माता की हत्या लकड़ी के डंडे से कर दी है । उसने अभियुक्त द्वारा अपनी माता पर हमला किए जाने की घटना नहीं देखी थी ।

16. मोनी बोराह (अभि. सा. 8) ने अन्य बातों के साथ यह भी कथन किया है कि अभियुक्त के घर में प्रायः झगड़ा होता रहता था । घटना वाले दिन जब वह अपने घर के आंगन में कपड़े धो रही थी, तो उसने अभियुक्त के घर में चीख पुकार सुनी और कुछ समय पश्चात् उसे ग्रामवासियों से पता चला कि अभियुक्त ने अपनी माता की हत्या कर दी है । अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया है ।

17. अभि. सा. 9 ने अन्य बातों के साथ यह भी कथन किया है कि घटना वाले दिन वह गांव के नामघर में था । घटना के पश्चात् वह

अभियुक्त के घर नहीं गया । उसे ग्रामवासियों से पता चला कि अभियुक्त ने अपनी माता पर लकड़ी के डंडे से हमला किया था जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई । उसने कथन किया कि अभियुक्त के घर में प्रायः झगड़ा होता रहता था । उसने हमले की वास्तविक घटना नहीं देखी थी ।

18. हिरेन बोरा (अभि. सा. 10) ने यह कथन किया कि घटना तारीख 24 दिसम्बर, 2017 को घटित हुई थी और तारीख 28 दिसंबर, 2017 को मृतका की जे.एम.सी.एच. में मृत्यु हो गई । उसने सुना था कि अभियुक्त ने अपनी माता के ऊपर हमला किया था । पुलिस उप निरीक्षक प्रदीप खनिकर (अभि. सा. 11) वर्तमान मामले में अन्वेषण अधिकारी है । उसने अन्वेषण के दौरान कई प्रक्रियाएं पूरी की हैं जिससे संबन्धित उसका साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है ।

19. अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए उपरोक्त परिसाक्ष्य की संवीक्षा करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से किसी ने भी मृतका गुणेश्वरी, जो अभियुक्त की माता थी, पर हमले की वास्तविक घटना नहीं देखी थी जो उनके घर में घटित हुई थी । अभि सा. 2 के साक्ष्य से यह पता चलता है कि घटना के सुसंगत समय पर मृतका की पुत्री अकोनी बोरा घर में उपस्थित थी किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी परीक्षा नहीं कराई गई । इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उसका साक्ष्य महत्वपूर्ण था और यदि उसकी परीक्षा कराई गई होती तो हमले की घटना के वास्तविक तथ्य और परिस्थितियां निश्चित रूप से सामने आ जाती ।

सभी गैर-शासकीय साक्षियों की बातें अनुश्रुत प्रतीत होती हैं और इस प्रकार उनके साक्ष्य को अस्वीकार्य पाया जाता है । शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक (अभि. सा. 4) के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतका को कारित क्षति मृत्यु-पूर्व प्रकृति की थी जो कुंद वस्तु से प्रहार किए जाने के परिणामस्वरूप कारित हुई थी, किन्तु आगे यह भी कहा गया कि उपरोक्त क्षतियां आंशिक रूप से ठीक हो गई थीं क्योंकि वे पुरानी थीं । उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि ऐसी क्षतियां किसी कठोर सतह पर गिरने से भी लग सकती हैं । अन्वेषण के दौरान वर्तमान घटना के संबंध में कोई भी धारदार आयुध अभिगृहीत

नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि इस प्रकार के आयुध का प्रयोग इस अपराध में किया गया था । इसलिए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि चूंकि अभियोजन पक्ष किसी भी ऐसे साक्षी की परीक्षा कराने में विफल रहा है जिसने अभिकथित हमले की घटना को देखा हो, जो दिन के उजाले में हुई थी और वह भी अभियुक्त के घर में, जो कई परिवारों से घिरा हुआ है, इसलिए यह सुरक्षित रूप से नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त ने ही स्वेच्छा से मृतका के शरीर पर जो गंभीर क्षति पहुंचाई थी और यह कि इस घटना में कारित क्षतियों से उसका प्रत्यक्ष या निकटतम संबंध था ।

20. इसलिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश, जोरहाट द्वारा पारित तारीख 15 नवम्बर, 2018 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है और तद्नुसार वर्तमान अपील मंजूर की जाती है । अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 326 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे स्वतंत्र किया जाता है ।

21. अभियुक्त को तुरंत जेल अभिरक्षा से उन्मुक्त किया जाए ।

22. दांडिक जेल अपील का निपटारा किया जाता है ।

23. निचले न्यायालय के अभिलेख को वापस भेज दिया जाए ।

24. अभिलेख का निपटारा करने से पूर्व यह न्यायालय विद्वान् न्यायमित्र श्री ए. तिवारी द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवा की सराहना करता है । तद्नुसार, यह निदेश दिया जाता है कि इस निर्णय और आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा उन्हें विधिक शुल्क के रूप में 7,500/- रुपए का संदाय किया जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

जाह./अस.

जम्मू-कश्मीर राज्य

बनाम

रवि कुमार

(2014 की दांडिक अपील सं. 224)

तारीख 25 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति ताशी रब्स्तान और न्यायमूर्ति संजय धर

रणबीर दंड संहिता, 1989 (1989 संवत् का 12) – धारा 366, 376 [सपठित जम्मू-कश्मीर साक्ष्य अधिनियम, 1977 की धारा 3] – व्यपहरण और बलात्संग – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से मूक-बधिर अभियोक्त्री का अपहरण और उसके साथ बलातसंग किया जाना – अभियोक्त्री, प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षियों तथा चिकित्सक द्वारा किए गए कथन से यह प्रकट होता है कि अभियोक्त्री एक प्राप्तवय महिला थी, जो सुसंगत समय पर स्वस्थचित्त थी तथा उसका अभियुक्त के साथ प्रेम-प्रसंग भी था, अतः अभियुक्त का यह कहना कि अभियोक्त्री अपनी इच्छा और सहमति से उसके साथ गई थी, न्यायोचित है तथा अभियोक्त्री के साथ बलपूर्वक मैथुन किए जाने का तथ्य चिकित्सीय साक्ष्य से भी मेल नहीं खाता है, इसलिए अभियुक्त की दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

इस मामले में, संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 20 अगस्त, 2012 को एक मूक-बधिर बालिका की निश्छलता और सादगी का अनुचित लाभ उठाकर अभियुक्त द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था जिसके पश्चात् उसे सदोष परिरोध में रखा गया तथा सात दिनों तक उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया गया । अभियोक्त्री के पिता देवराज द्वारा तारीख 20 अगस्त, 2012 के संबंध में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी । उक्त रिपोर्ट में अभियोक्त्री की आयु 16½ वर्ष लिखाई गई थी । तारीख 21 अगस्त, 2012 को शिकायतकर्ता ने पुनः

पुलिस को सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है । इस सूचना के आधार पर पुलिस ने रणबीर दंड संहिता की धारा 363 के अधीन मामला दर्ज करते हुए अन्वेषण प्रारंभ किया । मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया तथा टॉवर अवस्थिति के अनुसार उक्त मोबाइल गुलाब गढ़ क्षेत्र में परिचालित पाया गया । तद्नुसार, पुलिस उक्त क्षेत्र की ओर गई और तारीख 26 अगस्त, 2021 को पुलिस ने अभियुक्तों के पास से अभियोक्त्री को बरामद किया जबकि वे दोनों गुलाब गढ़ बाजार में खड़ी एक बस में सवार थे । उक्त बस जम्मू जाने वाली थी । अभियोक्त्री की बरामदगी के पश्चात् उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई गई । अभियुक्त की भी चिकित्सा परीक्षा कराई गई । अभियोक्त्री ने जिस विद्यालय में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी वहां से जारी प्रमाणपत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि 25 अक्तूबर, 1992 पाई गई जिसका अर्थ यह हुआ कि अभिकथित घटना के समय उसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी । अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि अभियोक्त्री को सदोष परिरोध में रखा गया था । इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध रणबीर दंड संहिता की धारा 366, 376 तथा धारा 343 के अधीन अपराध सिद्ध पाए गए और इसके पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तारीख 20 अक्तूबर, 2021 को अभियुक्त के विरुद्ध रणबीर दंड संहिता की धारा 366, धारा 376 और धारा 343 के अधीन आरोप विरचित किए गए तथा उसे विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया । वर्तमान मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल मिलकर आठ साक्षियों की परीक्षा कराई जबकि अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में चार साक्षियों की परीक्षा कराई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोक्त्री अपनी स्वयं की इच्छा से अभियुक्त के साथ भागी थी तथा इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण, बलात्संग और सदोष परिरोध से संबंधित आरोप साबित नहीं होते हैं और अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर राज्य ने प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उपरोक्त तर्क के गुणागुण का परीक्षण करने के लिए न्यायालय को अभियोक्त्री के कथन के विश्लेषण की आवश्यकता है और साथ ही किस प्रकार से विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करते समय उसका मूल्यांकन किया गया था । वर्तमान मामले में अभियोक्त्री मूक-बधिर है, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने दुभाषिया (अनुवादक) की सहायता से उसकी परीक्षा कराई है । विद्वान् विचारण न्यायालय के अभिलेख के अनुसार अभियोक्त्री का कथन अभिलिखित करने के लिए "ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डेफ, पंचकुइयां रोड़ दिल्ली" के श्री विजय कुमार छाबड़ा नामक दुभाषिए की सहायता ली गई थी । दुभाषिए को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा वह शपथ दिलाई गई जिसके अधीन उसने साक्षी द्वारा दिए गए संकेतों एवं चिह्नों को ईमानदारी से डिकोड करने का वचन दिया । दुभाषिए द्वारा डिकोड किए गए अभियोक्त्री के संकेतों के अनुसार, अभियोक्त्री ने यह बताया कि जब वह शौच के लिए बाहर गई थी, तभी अभियुक्त उसका मुंह बंद करके उसे बलपूर्वक उठा ले गया । इसके पश्चात् उसने यह बताया कि अभियुक्त ने उसके वस्त्र फाड़ दिए और उसके साथ बलात्संग किया । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त ने उसे मादक दवाएं भी दी थीं । तथापि, प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोक्त्री ने यह कथन किया कि अभियुक्त ने उसे सिंदूर भी लगाया था और उसे मंगलसूत्र भी पहनाया था । इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने उसे दो सूट भी दिए थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त को चूमा और उसके साथ अलग-अलग मुद्राओं में फोटो भी खिंचाए थे । उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि एक फोटो उसने पास में निवास करने वाली एक वृद्ध महिला के साथ भी खिचवाई थी । वास्तव में, जब उसे इन तस्वीरों के विषय में बताया गया तो उसने इन फोटो की सत्यता स्वीकार की है । रणबीर दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अभिलिखित कथन में अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में यह उल्लेख किया है कि अभियोक्त्री अपनी स्वेच्छा से मचैल माता की यात्रा करने उसके साथ गई थी । उसने प्रतिरक्षा में यह भी कथन किया है कि वापस आते समय अभियोक्त्री ने उसके साथ विवाह कर लिया था तथा उसने अभियोक्त्री को किसी भी चीज के लिए विवश नहीं किया था । अभियोजन पक्ष के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त ने यही

प्रतिरक्षा ली है । अपनी प्रतिरक्षा को पुख्ता करने के लिए अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ अपना फोटो भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया जिसे अभियोक्त्री ने प्रमाणिक माना है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने पूजा देवी, सोनू देवी, लक्ष्मी देवी और जोगिंदर शर्मा को भी प्रतिरक्षा साक्षियों के रूप में प्रस्तुत किया है । अभियोक्त्री द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह प्रतिरक्षा साक्षी सोनू देवी से सिलाई सीख रही थी और उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह प्रतिरक्षा साक्षी पूजा देवी को भी जानती है । प्रतिरक्षा साक्षी पूजा देवी और सोनू देवी ने यह संपुष्टि की है कि वह उनके साथ हस्तशिल्प केंद्र में काम करती थी । इसके आगे उसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री अभियुक्त से अत्यंत प्रेम करती थी । वास्तव में, दोनों प्रतिरक्षा साक्षी पूजा देवी और सोनू देवी ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री ने अपने बाएं हाथ पर अभियुक्त का नाम गुदवाया था और उससे कहा था कि वह उसके साथ भागना चाहती है । इसके अतिरिक्त न्यायालय के पास अभिलेख पर चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदर्श-9 भी है जो डा. निधि महाजन (अभियोजन साक्षी) द्वारा जारी किया गया है । उक्त प्रमाणपत्र में यह अभिलिखित है कि उसने उक्त चिकित्सक के समक्ष यह लिखकर दिया था कि वह 20 अगस्त, 2012 को किसी के साथ भाग गई थी और उसने उसी के साथ विवाह भी कर लिया है । इस चिकित्सक ने अपने कथन में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यद्यपि अभियोक्त्री द्वारा ऐसा कोई लिखित कथन नहीं दिया गया था फिर भी उन्होंने उसके हाव-भाव और लिखित में दी गई तारीखों से यह बात समझ ली थी । अभियोक्त्री, प्रतिरक्षा साक्षियों और चिकित्सक के पूर्वगामी कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोक्त्री, जो वयस्क महिला है, उस सुसंगत समय पर स्वस्थचित्त थी जब उसका अभियुक्त के साथ प्रेम-प्रसंग आरंभ हुआ था । अभियुक्त ने यह भी प्रतिरक्षा ली है कि अभियोक्त्री अपनी इच्छा से और बिना किसी बल प्रयोग के उसके साथ गई थी, जो कि उपरोक्त साक्ष्य से भी सिद्ध होता है । इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोक्त्री अपनी इच्छा और स्वीकृति से अभियुक्त के साथ भागी थी और यह बलपूर्वक मैथुन का मामला नहीं है और यह निष्कर्ष तर्कसंगत और पुष्ट प्रतीत होता है । अभियोजन पक्षकथन इस तथ्य से और भी कमजोर हो गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध

चिकित्सीय साक्ष्य से बलपूर्वक मैथुन किए जाने संबंधी वृत्तान्त का समर्थन नहीं होता है । अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा करने वाली चिकित्सक डा. निधि महाजन ने यह कथन किया है कि उनके द्‌वारा की गई चिकित्सा जांच के अनुसार अभियोक्त्री के साथ हाल ही में मैथुन नहीं किया गया था और उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान बताया कि हाल अर्थात् निकट भूतकाल से उनका अभिप्राय दो सप्ताह से अधिक समय से है । अभियोक्त्री का तारीख 26 अगस्त, 2012 को चिकित्सा जांच की गई अर्थात् जिस दिन उसे पुलिस ने बरामद किया था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियोक्त्री के साथ सात दिनों तक अनेक बार मैथुन किया गया था अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से उसके शरीर पर न केवल हिंसा के चिह्न होते बल्कि उसके शरीर पर मैथुन के कुछ साक्ष्य भी विद्‌यमान होते । उसकी जांच करने वाले चिकित्सक को ऐसा कुछ नहीं मिला । इस प्रकार, बलपूर्वक मैथुन किए जाने वाला तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य द्‌वारा अस्वीकार कर दिया गया है । यद्‌यपि, वर्तमान मामले में अभियोक्त्री मूक-बधिर है, फिर भी अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि वह स्वस्थचित्त नहीं थी । अभियोक्त्री के माता-पिता ने भी यह कथन नहीं किया है कि वह स्वस्थचित्त नहीं थी । इसलिए अभियोक्त्री के कथन का उसी तरह मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए जिस प्रकार न्यायालय किसी अन्य प्राप्तवय बालिका के कथन करते हैं । अभियोक्त्री द्‌वारा किया कथन एक विशेषज्ञ दुभाषिए की सहायता से अभिलिखित किया गया है जिसके बारे में कम से कम अपीलार्थी या अभियोजन पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अभियोक्त्री द्‌वारा किए गए कथन का मूल्यांकन जब अभिलेख पर सिद्‌ध की गई सुसंगत परिस्थितियों के प्रकाश में किया जाता है, तो न्यायालय केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से अभियुक्त के साथ गई थी । इस प्रकार अभियोक्त्री के कथन का विद्‌वान् विचारण न्यायालय द्‌वारा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के प्रकाश में विश्लेषण और मूल्यांकन ठीक ही किया गया है, जैसा कि पूर्व में भी चर्चा की गई है । इसलिए न्यायालय को ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि न्यायालय विद्‌वान् विचारण न्यायालय द्‌वारा लिए गए दृष्टिकोण से

पृथक् कोई दृष्टिकोण अपनाएं । यह एक प्रचलित विधि है कि अपील न्यायालय केवल ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियों में ही दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है जब आक्षेपित आदेश को अनुचित पाया जाए । अपील न्यायालय को अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा को ध्यान में रखना चाहिए और इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के आदेश से उसकी निर्दोषिता की उपधारणा को और बल मिलता है । इसलिए बिना किसी उचित कारण के नियमित तरीके से हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है । न्यायालय को इस पृष्ठभूमि में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । (पैरा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 और 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक अपील सं. 224.

विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उधमपुर द्वारा तारीख 30 अप्रैल, 2014 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री विशाल भारती (उप महाधिवक्ता)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री सचिन शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय धर ने दिया ।

न्या. धर – वर्तमान अपील तारीख 30 अप्रैल, 2014 को विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उधमपुर द्वारा पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है जिसके अधीन विद्वान् विचारण न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता, 1932 की धारा 366 और धारा 376 के अधीन कारित किए गए अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 141/2012 से उद्भूत आरोप पत्र को खारिज करते हुए प्रत्यर्थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अभियुक्त" कहा गया है) को दोषमुक्त कर दिया था ।

2. संक्षिप्त में, विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन का पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 20 अगस्त, 2012 को एक मूक-बधिर बालिका की निश्छलता और सादगी का अनुचित लाभ उठाकर अभियुक्त द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया था जिसके पश्चात् उसे सदोष परिरोध में रखा गया तथा सात दिनों तक उसके साथ बलपूर्वक मैथुन किया गया । अभियोक्त्री के पिता देवराज अभि. सा. द्वारा तारीख

20 अगस्त, 2012 के संबंध में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की गई थी । उक्त रिपोर्ट में अभियोक्त्री की आयु 16½ वर्ष लिखाई गई थी । तारीख 21 अगस्त, 2012 को शिकायतकर्ता ने पुनः पुलिस को सूचना दी कि अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री का बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया गया है । इस सूचना के आधार पर पुलिस ने रणबीर दंड संहिता की धारा 363 के अधीन मामला दर्ज करते हुए अन्वेषण प्रारंभ किया । मामले के अन्वेषण के दौरान अभियुक्त के मोबाइल को सर्विलांस पर रखा गया तथा टॉवर अवस्थिति के अनुसार उक्त मोबाइल गुलाब गढ़ क्षेत्र में परिचालित पाया गया । तद्नुसार, पुलिस उक्त क्षेत्र की ओर गई और तारीख 26 अगस्त, 2021 को पुलिस ने अभियुक्तों के पास से अभियोक्त्री को बरामद किया जबकि वे दोनों गुलाब गढ़ बाजार में खड़ी एक बस में थे । उक्त बस जम्मू जाने वाली थी ।

3. अभियोक्त्री की बरामदगी के पश्चात् उसकी चिकित्सा परीक्षा कराई गई । अभियुक्त की भी चिकित्सा परीक्षा कराई गई । अभियोक्त्री ने जिस विद्यालय में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई की थी वहां से जारी प्रमाणपत्र के अनुसार उसकी जन्मतिथि 25 अक्तूबर, 1992 पाई गई जिसका अर्थ यह हुआ कि अभिकथित घटना के समय उसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी । अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि अभियोक्त्री को सदोष परिरोध में रखा गया था । इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध रणबीर दंड संहिता की धारा 366, 376 तथा धारा 343 के अधीन अपराध सिद्ध पाए गए और इसके पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

4. तारीख 20 अक्तूबर, 2021 को अभियुक्त के विरुद्ध रणबीर दंड संहिता की धारा 366, धारा 376 और धारा 343 के अधीन आरोप विरचित किए गए तथा उसे विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया । वर्तमान मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर आठ साक्षियों की परीक्षा कराई जबकि अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में चार साक्षियों की परीक्षा कराई । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य का विश्लेषण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोक्त्री अपनी स्वयं की इच्छा से अभियुक्त के साथ भागी थी

तथा इस प्रकार अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण, बलात्संग और सदोष परिरोध से संबंधित आरोप साबित नहीं होते हैं ।

5. अपीलार्थी-राज्य की ओर से विद्वान् विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों के पक्ष में दोषमुक्त करने का निर्णय अभिलिखित करते समय साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अत्यंत तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है तथा अभिलेख पर पारिस्थितिक साक्ष्य को अनदेखा किया है । इसलिए आक्षेपित निर्णय विधि और तथ्यों के विरुद्ध है ।

6. हमने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना है तथा आक्षेपित निर्णय, अपील के आधारों तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया है ।

7. जैसा कि पूर्व में ही उल्लेख किया जा चुका है कि अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 20 अगस्त, 2012 को उसने अभियोक्त्री को अपने साथ चलने के लिए बहलाया फुसलाया था जिसके पश्चात् उसने उसे सात दिनों तक सदोष परिरोध में रखा और उसके ऊपर बलपूर्वक लैंगिक हमला किया । लैंगिक हमले से संबंधित मामलों में पीड़िता सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक साक्षी होती है । तथापि, वर्तमान मामले में पीड़िता एक मूक-बधिर बालिका है जो अभियोजन पक्षकथन के अनुसार उस सुसंगत समय पर लगभग 20 वर्ष की थी । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि वर्तमान मामले में पीड़िता एक मूक-बधिर बालिका है, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय से उसके कथन का विश्लेषण करने और मामले पर अधिक संवेदनशीलता के साथ विचार करने की अपेक्षा की गई थी और ऐसा करने में विद्वान् विचारण न्यायालय विफल रहा है ।

8. उपरोक्त तर्क के गुणागुण का परीक्षण करने के लिए हमें अभियोक्त्री के कथन के विश्लेषण की आवश्यकता है और साथ ही किस प्रकार से विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करते समय उसका मूल्यांकन किया गया था । वर्तमान मामले में

अभियोक्त्री मूक-बधिर है, इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय ने दुभाषिया (अनुवादक) की सहायता से उसकी परीक्षा कराई है । विद्वान् विचारण न्यायालय के अभिलेख के अनुसार अभियोक्त्री का कथन अभिलिखित करने के लिए "ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डेफ, पंचकुइयां रोड़ दिल्ली" के श्री विजय कुमार छाबड़ा नामक दुभाषिए की सहायता ली गई थी । दुभाषिए को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा वह शपथ दिलाई गई जिसके अधीन उसने साक्षी द्वारा दिए गए संकेतों एवं चिह्नों को ईमानदारी से डिकोड करने का वचन दिया ।

9. दुभाषिए द्वारा डिकोड किए गए अभियोक्त्री के संकेतों के अनुसार, अभियोक्त्री ने यह बताया कि जब वह शौच के लिए बाहर गई थी, तभी अभियुक्त ने उसका मुंह बंद करके उसे बलपूर्वक उठा ले गया । इसके पश्चात् उसने यह बताया कि अभियुक्त ने उसके वस्त्र फाड़ दिए और उसके साथ बलात्संग किया । उसने यह भी कथन किया कि अभियुक्त ने उसे मादक दवाएं भी दी थीं । तथापि, प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियोक्त्री ने यह कथन किया कि अभियुक्त ने उसे सिंदूर भी लगाया था और उसे मंगलसूत्र भी पहनाया था । इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने उसे दो सूट भी दिए थे । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त को चूमा और उसके साथ अलग-अलग मुद्राओं में फोटो भी खिंचाए थे । उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि एक फोटो उसने पास में निवास करने वाली एक वृद्ध महिला के साथ भी खिचवाई थी । वास्तव में, जब उसे इन तस्वीरों के विषय में बताया गया तो उसने इन फोटो की सत्यता स्वीकार की है ।

10. रणबीर दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अभिलिखित कथन में अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में यह उल्लेख किया है कि अभियोक्त्री अपनी स्वेच्छा से मचैल माता की यात्रा करने उसके साथ गई थी । उसने प्रतिरक्षा में यह भी कथन किया है कि वापस आते समय अभियोक्त्री ने उसके साथ विवाह कर लिया था तथा उसने अभियोक्त्री को किसी भी चीज के लिए विवश नहीं किया था । अभियोजन पक्ष के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा के दौरान अभियुक्त ने यही प्रतिरक्षा ली है । अपनी प्रतिरक्षा को पुख्ता करने के लिए अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ अपना फोटो भी अभिलेख पर प्रस्तुत किया जिसे अभियोक्त्री ने

प्रमाणिक माना है । इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने पूजा देवी, सोनू देवी, लक्ष्मी देवी और जोगिंदर शर्मा को भी प्रतिरक्षा साक्षियों के रूप में प्रस्तुत किया है ।

11. अभियोक्त्री द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि वह प्रतिरक्षा साक्षी सोनू देवी से सिलाई सीख रही थी और उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह प्रतिरक्षा साक्षी पूजा देवी को भी जानती है । प्रतिरक्षा साक्षी पूजा देवी और सोनू देवी ने यह संपुष्टि की है कि वह उनके साथ हस्तशिल्प केंद्र में काम करती थी । इसके आगे उसने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री अभियुक्त से अत्यंत प्रेम करती थी । वास्तव में, दोनों प्रतिरक्षा साक्षी पूजा देवी और सोनू देवी ने यह कथन किया है कि अभियोक्त्री ने अपने बाएं हाथ पर अभियुक्त का नाम गुदवाया था और उससे कहा था कि वह उसके साथ भागना चाहती है । इसके अतिरिक्त हमारे पास अभिलेख पर चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रदर्श-9 भी है जो डा. निधि महाजन (अभियोजन साक्षी) द्वारा जारी किया गया है । उक्त प्रमाणपत्र में यह अभिलिखित है कि उसने उक्त चिकित्सक के समक्ष यह लिखकर दिया था कि वह 20 अगस्त, 2012 को किसी के साथ भाग गई थी और उसने उसी के साथ विवाह भी कर लिया है । इस चिकित्सक ने अपने कथन में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि यद्यपि अभियोक्त्री द्वारा ऐसा कोई लिखित कथन नहीं दिया गया था फिर भी उन्होंने उसके हाव-भाव और लिखित में दी गई तारीखों से यह बात समझ ली थी ।

12. अभियोक्त्री, प्रतिरक्षा साक्षियों और चिकित्सक के पूर्वगामी कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोक्त्री, जो वयस्क महिला है, उस सुसंगत समय पर स्वस्थचित्त थी जब उसका अभियुक्त के साथ प्रेम-प्रसंग आरंभ हुआ था । अभियुक्त ने यह भी प्रतिरक्षा ली है कि अभियोक्त्री अपनी इच्छा से और बिना किसी बल प्रयोग के उसके साथ गई थी, जो कि उपरोक्त साक्ष्य से भी सिद्ध होता है । इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोक्त्री अपनी इच्छा और स्वीकृति से अभियुक्त के साथ भागी थी और यह बलपूर्वक मैथुन का मामला नहीं है और यह निष्कर्ष तर्कसंगत और पुष्ट प्रतीत होता है ।

13. अभियोजन पक्षकथन इस तथ्य से और भी कमजोर हो गया है

कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य से बलपूर्वक मैथुन किए जाने संबंधी वृत्तान्त का समर्थन नहीं होता है । अभियोक्त्री की चिकित्सा परीक्षा करने वाली चिकित्सक डा. निधि महाजन ने यह कथन किया है कि उनके द्वारा की गई चिकित्सा जांच के अनुसार अभियोक्त्री के साथ हाल ही में मैथुन नहीं किया गया था और उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान बताया कि हाल अर्थात निकट भूतकाल से उनका अभिप्राय दो सप्ताह से अधिक समय से है । अभियोक्त्री का तारीख 26 अगस्त, 2012 को चिकित्सा जांच की गई अर्थात् जिस दिन उसे पुलिस ने बरामद किया था । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार अभियोक्त्री के साथ सात दिनों तक अनेक बार मैथुन किया गया था अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से उसके शरीर पर न केवल हिंसा के चिह्न होते बल्कि उसके शरीर पर मैथुन के कुछ साक्ष्य भी विद्यमान होते । उसकी जांच करने वाले चिकित्सक को ऐसा कुछ नहीं मिला । इस प्रकार, बलपूर्वक मैथुन किए जाने वाला तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है ।

14. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल के इस तर्क को स्वीकार किया गया है कि चूंकि मामला एक मूक-बधिर लड़की पर लैंगिक हमला किए जाने से संबंधित था, इसलिए मामले पर विचार करते समय अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् उप महाधिवक्ता श्री विशाल भारती द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं हो सकता । तथापि, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सभी मामलों में जहां अभिकथित पीड़िता मूक-बधिर हो तो यह मान लिया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया ही है, भले ही इस तथ्य का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य विद्यमान हो या न हो ।

15. यद्यपि, वर्तमान मामले में अभियोक्त्री मूक-बधिर है, फिर भी अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि वह स्वस्थचित्त नहीं थी । अभियोक्त्री के माता-पिता ने भी यह कथन नहीं किया है कि वह स्वस्थचित्त नहीं थी । इसलिए अभियोक्त्री के कथन का उसी तरह मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए जैसे हम किसी अन्य प्राप्तवय बालिका के कथन का करते हैं । अभियोक्त्री द्वारा किया कथन

एक विशेषज्ञ दुभाषिए की सहायता से अभिलिखित किया गया है जिसके बारे में कम से कम अपीलार्थी या अभियोजन पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है । जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, अभियोक्त्री द्वारा किए गए कथन का मूल्यांकन जब अभिलेख पर सिद्ध की गई सुसंगत परिस्थितियों के प्रकाश में किया जाता है, तो हम केवल एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से अभियुक्त के साथ गई थी । इस प्रकार अभियोक्त्री के कथन का विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के प्रकाश में विश्लेषण और मूल्यांकन ठीक ही किया गया है, जैसा कि पूर्व में भी चर्चा की गई है । इसलिए हमें ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि हम विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पृथक् कोई दृष्टिकोण अपनाएं ।

16. यह एक प्रचलित विधि है कि अपील न्यायालय केवल ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियों में ही दोषमुक्त करने के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है जब आक्षेपित आदेश को अनुचित पाया जाए । अपील न्यायालय को अभियुक्त की निर्दोषिता की उपधारणा को ध्यान में रखना चाहिए और इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने के आदेश से उसकी निर्दोषिता की उपधारणा को और बल मिलता है । इसलिए बिना किसी उचित कारण के नियमित तरीके से हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है । हमें, इस पृष्ठभूमि में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

17. तदनुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है और विद्वान् सेशन न्यायाधीश, उधमपुर द्वारा पारित तारीख 30 अप्रैल, 2014 के आक्षेपित निर्णय को कायम रखा जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

जा./अस.

अब्दुल राशिद मीर और अन्य

बनाम

जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य

(2018 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 331)

तारीख 2 अप्रैल, 2021

न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 145 और 146 – स्थावर संपत्ति के हक और कब्जे से संबंधित विवाद में संपत्ति की कुर्की किया जाना – याचियों द्वारा उक्त कुर्की को चुनौती दिया जाना – विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले की जांच हेतु उसे सिविल न्यायालय को प्रतिनिर्दिष्ट किया जाना – सिविल न्यायालय द्वारा जांच के पश्चात् अपने निष्कर्षों और मामले के निर्णय को अभिलेख सहित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाना – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले को अंतिम विनिश्चय हेतु सुनवाई के लिए नियत किया जाना – इस प्रक्रम पर याचियों द्वारा यह अनुरोध करते हुए एक आवेदन फाइल किया जाना कि वर्तमान मामले में एसडीपीओ, चरारे-शरीफ की एक महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए – विद्वान् मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन को खारिज किया जाना – चुनौती – उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया जाना कि धारा 146 के उपबंधों के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी सिविल न्यायालय को मामले का प्रतिनिर्देश कर सकता है जो तीन मास की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा तथा निष्कर्षों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके पश्चात् ऐसा मजिस्ट्रेट धारा 145 के अधीन उक्त सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुरूप कार्यवाहियों का निपटारा करेगा – अत:, यह स्पष्ट है कि मजिस्ट्रेट ने याचियों के आवदेन को खारिज करके कोई अविधिपूर्ण कार्य नहीं किया है और वर्तमान याचिका अपास्त किए जाने की दायी है ।

वर्तमान याचिका के निपटारे हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में, इस

प्रकार हैं कि याचियों ने यह दावा किया है कि वे पिछले चार दशकों से अधिक समय से हजरत शेख नुरुद्दीन नूरानी (आर. ए.) की दरगाह की बगल में स्थित मुख्य पुराने बस अड्डे पर चरारे-शरीफ में स्थित ओकाफ भवन के भूतल पर स्थित दुकान सं. 3, 4 और 6 का कब्जा रखते हैं और वे उक्त अवधि के दौरान नियमित रूप से ओकाफ को उक्त दुकानों के किराए का संदाय कर रहे हैं और वे उक्त दुकानों के माध्यम से पट्टाधृत परिसरों में किराना, मनारी, प्रसाधन सामग्री, रेडीमेड वस्त्रों और अन्य संबद्ध मदों के विक्रय का कारबार चला रहे हैं । प्रत्यर्थियों ने बिना किसी न्यायौचित्य या पर्याप्त कारण से पूर्वोक्त दुकानों पर याचियों के कब्जे में अविधिपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण याची उप न्यायाधीश, बडगाम के न्यायालय में उनके विरुद्ध तारीख 28 सितम्बर, 2004 को स्थायी और आज्ञापक व्यादेश के लिए एक वाद फाइल करने पर मजबूर हुए और विद्वान् न्यायालय ने अपने तारीख 29 सितम्बर, 2004 के आदेश द्वारा पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निदेश जारी किया । उक्त आदेश के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने याचियों की दुकानों के निकट क्षेत्र में यातायात को रोकना प्रारंभ कर दिया तथा याचियों द्वारा पुलिस के माध्यम से न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के लिए आवेदन फाइल करने से पूर्व ही पुलिस ने स्वयं तारीख 27 दिसम्बर, 2004 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय से संपर्क किया और यह प्रार्थना की कि विद्वान् न्यायालय इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 145 के अधीन कार्यवाही करे । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडगाम के न्यायालय में तारीख 25 अप्रैल, 2005 को अपने आदेश द्वारा यह निदेश दिया कि प्रश्नगत दुकानों को कुर्क रखा जाए तथा एसडीपीओ-चरारे-शरीफ को यह निदेश दिया कि वह अगले आदेशों तक प्रश्नगत दुकानों को अपने कब्जे में ले लें और उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए एसडीपीओ, चरारे-शरीफ ने न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह कथन किया गया था कि याचियों की दुकानों का निरीक्षण करने पर यह पाया गया था कि उनमें 151 मदें विद्यमान थीं और उन दुकानों पर उसके द्वारा ताला लगाकर सीलबंद कर दिया गया है और इस सारी कार्यवाही की फोटोग्राफी भी की गई है । याचियों ने अपने लिखित कथन को

फाइल किया तथा विचारण न्यायालय ने मामले में विवाद्यकों को विरचित करने के पश्चात् पक्षकारों को यह निदेश दिया कि वे अपने पक्षकथन के समर्थन में अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें । पक्षकारों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन संस्थित कार्यवाहियों में अपने-अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम ने तारीख 20 अगस्त, 2007 को अपना यह निष्कर्ष लेखबद्ध किया कि मुकदमा लड़ने वाले पक्षकारों द्वारा वर्तमान मामले में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य पर्याप्त नहीं था और इसलिए न्यायालय मुकदमे की अगली तारीख से पूर्व दो मास की अवधि के भीतर प्रारंभिक आदेश विरचित करने के समय विवादित दुकान के संबंध में किसी पक्षकार के अनन्य कब्जे के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने या विधिक राय प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं था । तद्नुसार, न्यायालय ने प्रारंभिक आदेश की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ को रिसीवर नियुक्त किया तथा मामले को प्रधान जिला न्यायाधीश को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के निबंधनों के अनुसार, दुकानों के कब्जे के संबध में विधि के अनुसार जांच को किसी अन्य न्यायालय को सौंपा जाए तथा ऐसी जांच के परिणाम को आदेशों हेतु उक्त न्यायालय को अग्रेषित किया जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी कथन किया गया था कि प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने तारीख 19 सितम्बर, 2007 के आदेश द्वारा उक्त मामला मुंसिफ, चरारे-शरीफ को इस निदेश के साथ सौंप दिया या कि वह इस मामले की जांच करें तथा कब्जे के प्रश्न का विनिश्चय करने के पश्चात् अपने निष्कर्षों को तारीख 31 दिसम्बर, 2007 तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें । उसके पश्चात्, मुंसिफ, चरारे-शरीफ ने पक्षकारों को यह निदेश जारी किया कि वे मामले के संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें, किन्तु साक्ष्य अभिलिखित करने के अनुक्रम के दौरान प्रत्यर्थियों ने प्रधान जिला न्यायाधीश, बडगाम के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि उक्त मामले को मुंसिफ, चरारे-शरीफ के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय को अंतरित किया जाए । तद्नुसार, विद्वान् प्रधान जिला न्यायाधीश, बडगाम ने अपने तारीख 8 दिसम्बर, 2012 के आदेश द्वारा उक्त मामले को

मुंसिफ, चरारे-शरीफ के न्यायालय से उप न्यायाधीश, चदूरा को अंतरित कर दिया, जहां प्रत्यर्थियों, जो साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे, ने मामले के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य को प्रस्तुत किया और अंततोगत्वा उन्होंने तारीख 16 नवम्बर, 2013 को अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने का प्रक्रम समाप्त किया तथा उसके पश्चात् मामले को आगे और कार्यवाहियों हेतु तारीख 24 दिसम्बर, 2013 को सुनवाई हेतु लिया गया । उसके पश्चात्, विद्वान् उप न्यायाधीश ने अपने तारीख 29 दिसम्बर, 2017 के आदेश द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के समक्ष अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत किया और उसके पश्चात् से यह मामला उक्त न्यायालय में लंबित है । उप न्यायाधीश, चदूरा के न्यायालय से फाइल प्राप्त होने के पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम में मामले में बहस को नहीं सुना । तथापि, तारीख 11 अगस्त, 2018 को जब याची के विद्वान् काउंसेल ने यह पाया कि प्रत्यर्थियों का काउंसेल इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर रहा था, उस समय प्रत्यर्थियों के काउंसेल द्वारा अपने तर्क समाप्त करने के पश्चात् याचियों के काउंसेल ने न्यायालय के समक्ष मामले में याचियों की ओर से तर्क प्रस्तुत करने हेतु समय के लिए प्रार्थना की, किन्तु न्यायालय ने विद्वान् काउंसेल को मामले में अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया जिसमें यह निदेश दिया गया था कि पक्षकारों की सुनवाई की गई है और मामले में आदेश के लिए 20 अगस्त, 2018 की तारीख को नियत किया गया है । तारीख 13 अगस्त, 2018 को याचियों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि चूंकि एसडीपीओ, चरारे-शरीफ, जिसे तारीख 25 अप्रैल, 2005 के आदेश के माध्यम से न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया था और जिसने दुकान में पड़े माल की वस्तु-सूची तैयार करने के पश्चात् दुकान में ताला लगाकर उसे सीलबंद किया था तथा इस कार्यवाही की फोटोग्राफी भी की थी, एक महत्वपूर्ण साक्षी था और इसलिए मामले में कोई अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व उसके कथन को लेखबद्ध किया जाए क्योंकि ऐसा किया जाना मामले के निष्पक्ष और उचित निपटारे के लिए अपेक्षित था । तथापि, दूसरे पक्षकार को

आवेदन के संबंध में कोई सूचना जारी किए बिना तथा याची के काउंसेल की सुनवाई किए बिना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय ने उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायालय को उप न्यायाधीश, चदूरा के निष्कर्षों के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के निबंधनानुसार मामले का निपटारा करना है तथा उसे रिसीवर की परीक्षा करने या किसी सिविल न्यायालय को उसकी पुन: परीक्षा करने का निदेश देने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि सिविल न्यायालय द्वारा जांच पूरा करने के पश्चात् अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध कर लिया गया है और अब यह न्यायालय, सिविल न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए उन निष्कर्षों से आबद्ध है । याची ने उक्त आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने तथा विधि के सुसंगत उपबंधों को विचार में लेने के पश्चात् याचिका को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 12 स्थावर संपत्ति के विवादों से संबंधित है और उसकी धारा 145 से धारा 148 उस पद्धति और रीति को विहित करती है, जिसमें स्थावर संपत्ति के कब्जे से संबंधित विवाद का अवधारण किया जाता है । दंड प्रक्रिया संहिता का यह अध्याय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन यथा उल्लिखित भूमि आदि के संबंध में विवादों का निपटारा करने के लिए पद्धति विहित करता है । स्वीकार्य रूप से, मामले को सिविल न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया है तथा सिविल न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को अग्रेषित किया है और साथ ही मामले से संबंधित फाइल को विद्वान् मजिस्ट्रेट को लौटा दिया है और विद्वान् मजिस्ट्रेट को सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अग्रेषित करने के पश्चात्, याचियों ने एसडीपीओ, चरारे-शरीफ की परीक्षा करने का प्रस्ताव विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा है, जो उनके अनुसार मामले का एक महत्वपूर्ण साक्षी है । मामले के अभिलेख से यह तथ्य सामने नहीं आता कि यदि एसडीपीओ, चरारे-शरीफ इतना अधिक महत्वपूर्ण साक्षी था तो याचियों ने उसकी परीक्षा किए जाने से संबंधित उक्त प्रभाव का कोई प्रस्ताव उप न्यायाधीश चदूरा के समक्ष क्यों नहीं रखा था । अब जब सिविल

न्यायालय ने सम्यक् जांच के पश्चात् अपने निष्कर्षों को विद्वान् मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर दिया है और साथ ही अपने निर्णय को भी विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है तो मजिस्ट्रेट इस प्रक्रम पर किसी अन्य साक्षी की परीक्षा नहीं कर सकते । याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री कय्यूम द्वारा प्रस्तुत इस अभिवाक् में कोई दम नहीं है कि धारा 145 के अधीन किसी साक्षी की परीक्षा किए जाने के संबंध में कोई वर्जन मौजूद नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 की उपधारा (1ख) में निहित आज्ञा के अनुसार कोई सिविल न्यायालय यथाशक्य के रूप से, पक्षकारों के उसके समक्ष उपस्थित होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा तथा कार्यवाहियों के अभिलेख के साथ अपने निष्कर्षों को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष रखेगा जिसके द्वारा प्रतिनिर्देश किया गया था और मजिस्ट्रेट उक्त निष्कर्ष तथा अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाहियों का निपटारा करने हेतु अग्रसर होगा । इसके अतिरिक्त, उक्त धारा 146 की उपधारा (1घ) यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन यदि किसी सिविल न्यायालय को प्रतिनिर्देश किया जाता है तो सिविल न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के विरुद्ध न तो कोई अपील की जाएगी और न ही इस धारा के अधीन उक्त निष्कर्षों के किसी पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण को अनुज्ञात किया जाएगा । यदि इस प्रक्रम पर याचियों द्वारा एसडीपीओ, चरारे-शरीफ की परीक्षा किए जाने संबंधी आवेदन को स्वीकार किया जाता है तो यह उस विवाद को पुन: आरंभ के समान होगा, जिसका निपटारा सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा पहले ही कर दिया है तथा यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 की उपधारा (1घ) में उपबंधित आज्ञा के प्रतिकूल होगा । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान न्यायालय को विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम द्वारा पारित निर्णय में कोई अविधिपूर्ण बात प्रतीत नहीं होती है और इस प्रकार वर्तमान याचिका भ्रांतिपूर्ण है और तद्नुसार उसे खारिज किया जाता है । अंतरिम निदेश, यदि कोई हो, उसे भी अपास्त किया जाता है । (पैरा 9, 10, 11 और 12)

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2018 की दांडिक प्रकीर्ण याचिका सं. 331.

याचियों ने वर्तमान याचिका फाइल करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय से अपने मामले को सक्षम न्यायिक अधिकारिता रखने वाले श्रीनगर स्थित किसी अन्य न्यायालय को अंतरित करने का अनुरोध किया है और साथ ही तारीख 14 अगस्त, 2018 को पारित आदेश को चुनौती दी है ।

याची की ओर से श्री एम. ए. कय्यूम

प्रत्यर्थी की ओर से श्री शब्बीर अहमद बुड्र

न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल – याचियों ने वर्तमान याचिका फाइल करके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय से अपने मामले को सक्षम न्यायिक अधिकारिता रखने वाले श्रीनगर स्थित किसी अन्य न्यायालय को अंतरित करने का अनुरोध किया है और साथ ही तारीख 14 अगस्त, 2018 को पारित आदेश को चुनौती दी है ।

2. वर्तमान याचिका के निपटारे हेतु आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि याचियों ने यह दावा किया है कि वे पिछले चार दशकों से अधिक समय से हजरत शेख नुरुद्दीन नूरानी (आर. ए.) की दरगाह की बगल में स्थित मुख्य पुराने बस अड्डे पर चरारे-शरीफ में स्थित ओकाफ भवन के भूतल पर स्थित दुकान सं. 3, 4 और 6 का कब्जा रखते हैं और वे उक्त अवधि के दौरान नियमित रूप से ओकाफ को उक्त दुकानों के किराए का संदाय कर रहे हैं और वे उक्त दुकानों के माध्यम से पट्टाधृत परिसरों में किराना, मनारी, प्रसाधन सामग्री, रेडीमेड वस्त्रों और अन्य संबद्ध मदों के विक्रय का कारबार चला रहे हैं । प्रत्यर्थियों ने बिना किसी न्यायौचित्य या पर्याप्त कारण से पूर्वोक्त दुकानों पर याचियों के कब्जे में अविधिपूर्ण रूप से हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण याची उप न्यायाधीश, बडगाम के न्यायालय में उनके विरुद्ध तारीख 28 सितम्बर, 2004 को स्थायी और आज्ञापक व्यादेश के लिए एक वाद फाइल करने पर मजबूर हुए और विद्वान् न्यायालय ने अपने

तारीख 29 सितम्बर, 2004 के आदेश द्वारा पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निदेश जारी किया । उक्त आदेश के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने याचियों की दुकानों के निकट क्षेत्र में यातायात को रोकना प्रारंभ कर दिया तथा याचियों द्वारा पुलिस के माध्यम से न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन के लिए आवेदन फाइल करने से पूर्व ही पुलिस ने स्वयं तारीख 27 दिसम्बर, 2004 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय से संपर्क किया और यह प्रार्थना की कि विद्वान् न्यायालय इस मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 145 के अधीन कार्यवाही करे । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडगाम के न्यायालय में तारीख 25 अप्रैल, 2005 को अपने आदेश द्वारा यह निदेश दिया कि प्रश्नगत दुकानों को कुर्क रखा जाए तथा एसडीपीओ-चरारे-शरीफ को यह निदेश दिया कि वह अगले आदेशों तक प्रश्नगत दुकानों को अपने कब्जे में ले लें और उक्त आदेश का अनुपालन करते हुए एसडीपीओ, चरारे-शरीफ ने न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह कथन किया गया था कि याचियों की दुकानों का निरीक्षण करने पर यह पाया गया था कि उनमें 151 मदें विद्यमान थीं और उन दुकानों पर उसके द्वारा ताला लगाकर सीलबंद कर दिया गया है और इस सारी कार्यवाही की फोटोग्राफी भी की गई है ।

3. याचियों ने अपने लिखित कथन को फाइल किया तथा विचारण न्यायालय ने मामले में विवाद्यकों को विरचित करने के पश्चात् पक्षकारों को यह निदेश दिया कि वे अपने पक्षकथन के समर्थन में अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें ।

4. पक्षकारों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन संस्थित कार्यवाहियों में अपने-अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम ने तारीख 20 अगस्त, 2007 को अपना यह निष्कर्ष लेखबद्ध किया कि मुकदमा लड़ने वाले पक्षकारों द्वारा वर्तमान मामले में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य पर्याप्त नहीं था और इसलिए न्यायालय मुकदमे की अगली तारीख से पूर्व दो मास की अवधि के भीतर प्रारंभिक आदेश विरचित करने के समय विवादित दुकान के

संबंध में किसी पक्षकार के अनन्य कब्जे के संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने या विधिक राय प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं था । तद्नुसार, न्यायालय ने प्रारंभिक आदेश की पुष्टि करते हुए एसडीपीओ को रिसीवर नियुक्त किया तथा मामले को प्रधान जिला न्यायाधीश को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के निबंधनों के अनुसार, दुकानों के कब्जे के संबध में विधि के अनुसार जांच को किसी अन्य न्यायालय को सौंपा जाए तथा ऐसी जांच के परिणाम को आदेशों हेतु उक्त न्यायालय को अग्रेषित किया जाए । इसके अतिरिक्त, यह भी कथन किया गया था कि प्रधान जिला न्यायाधीश ने अपने तारीख 19 सितम्बर, 2007 के आदेश द्वारा उक्त मामला मुंसिफ, चरारे-शरीफ को इस निदेश के साथ सौंप दिया या कि वह इस मामले की जांच करें तथा कब्जे के प्रश्न का विनिश्चय करने के पश्चात् अपने निष्कर्षों को तारीख 31 दिसम्बर, 2007 तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें । उसके पश्चात्, मुंसिफ, चरारे-शरीफ ने पक्षकारों को यह निदेश जारी किया कि वे मामले के संबंध में अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें, किन्तु साक्ष्य अभिलिखित करने के अनुक्रम के दौरान प्रत्यर्थियों ने प्रधान जिला न्यायाधीश, बडगाम के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि उक्त मामले को मुंसिफ, चरारे-शरीफ के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय को अंतिरत किया जाए । तद्नुसार, विद्वान् प्रधान जिला न्यायाधीश, बडगाम ने अपने तारीख 8 दिसम्बर, 2012 के आदेश द्वारा उक्त मामले को मुंसिफ, चरारे-शरीफ के न्यायालय से उप न्यायाधीश, चदूरा को अंतरित कर दिया, जहां प्रत्यर्थियों, जो साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे, ने मामले के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य को प्रस्तुत किया और अंततोगत्वा उन्होंने तारीख 16 नवम्बर, 2013 को अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने का प्रक्रम समाप्त किया तथा उसके पश्चात् मामले को आगे और कार्यवाहियों हेतु तारीख 24 दिसम्बर, 2013 को सुनवाई हेतु लिया गया । उसके पश्चात्, विद्वान् उप न्यायाधीश ने अपने तारीख 29 दिसम्बर, 2017 के आदेश द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के

समक्ष अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत किया और उसके पश्चात् से यह मामला उक्त न्यायालय में लंबित है । उप न्यायाधीश, चदूरा के न्यायालय से फाइल प्राप्त होने के पश्चात् विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम में मामले में बहस को नहीं सुना । तथापि, तारीख 11 अगस्त, 2018 को जब याची के विद्वान् काउंसेल ने यह पाया कि प्रत्यर्थियों का काउंसेल इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर रहा था, उस समय प्रत्यर्थियों के काउंसेल द्वारा अपने तर्क समाप्त करने के पश्चात् याचियों के काउंसेल ने न्यायालय के समक्ष मामले में याचियों की ओर से तर्क प्रस्तुत करने हेतु समय के लिए प्रार्थना की, किन्तु न्यायालय ने विद्वान् काउंसेल को मामले में अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया जिसमें यह निदेश दिया गया था कि पक्षकारों की सुनवाई की गई है और मामले में आदेश के लिए 20 अगस्त, 2018 की तारीख को नियत किया गया है । तारीख 13 अगस्त, 2018 को याचियों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि चूंकि एसडीपीओ, चरारे-शरीफ, जिसे तारीख 25 अप्रैल, 2005 के आदेश के माध्यम से न्यायालय द्वारा रिसीवर नियुक्त किया गया था और जिसने दुकान में पड़े माल की वस्तु-सूची तैयार करने के पश्चात् दुकान में ताला लगाकर उसे सीलबंद किया था तथा इस कार्यवाही की फोटोग्राफी भी की थी, एक महत्वपूर्ण साक्षी था और इसलिए मामले में कोई अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व उसके कथन को लेखबद्ध किया जाए क्योंकि ऐसा किया जाना मामले के निष्पक्ष और उचित निपटारे के लिए अपेक्षित था । तथापि, दूसरे पक्षकार को आवेदन के संबंध में कोई सूचना जारी किए बिना तथा याची के काउंसेल की सुनवाई किए बिना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय ने उक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायालय को उप न्यायाधीश, चदूरा के निष्कर्षों के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के निबंधनानुसार मामले का निपटारा करना है तथा उसे रिसीवर की परीक्षा करने या किसी सिविल न्यायालय को उसकी पुनः परीक्षा करने का निदेश देने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि सिविल

न्यायालय द्वारा जांच पूरा करने के पश्चात् अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध कर लिया गया है और अब यह न्यायालय, सिविल न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए उन निष्कर्षों से आबद्ध है ।

5. याची तारीख 14 अगस्त, 2018 के उक्त आदेश से अत्यंत व्यथित हैं और वे उसे अपास्त करने की प्रार्थना करते हैं और साथ ही निम्नलिखित आधारों पर मामले को निपटारे हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम के न्यायालय से श्रीनगर स्थित सक्षम अधिकारिता रखने वाले किसी अन्य न्यायालय को अंतरित करने की भी प्रार्थना करते हैं :–

(क) विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 के अधीन उस समय कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता जब मामला हक और कब्जे के संबंध में अधिनिर्णय हेतु किसी सिविल न्यायालय के समक्ष लंबित हो । वर्तमान मामले में, याची ने वर्ष 2004 में उप न्यायाधीश, बडगाम के न्यायालय में एक सिविल वाद फाइल किया था, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया था । तथापि, वाद को न्यायालय द्वारा अपने तारीख 10 अक्तूबर, 2017 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था तथा याची ने उप न्यायाधीश, बडगाम द्वारा पारित उक्त निर्णय तथा डिक्री के विरुद्ध एक अपील फाइल की है । तथापि, यह अपील वर्तमान में जिला न्यायाधीश, बडगाम के न्यायालय के समक्ष लंबित है तथा दुकान के हक और कब्जे से संबंधित विवाद का अभी तक न्यायालय द्वारा विनिश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) ऊपर किए गए कथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह दलील प्रस्तुत की जाती है कि यदि यह उपधारणा कर ली जाए कि याचियों द्वारा दुकान के हक को कब्जे के संबंध में फाइल किए गए वाद के उप न्यायाधीश, बडगाम के न्यायालय के समक्ष लंबित रहने के दौरान, निचले न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146(1) के अधीन मामले को किसी सिविल न्यायालय को

निर्दिष्ट करने की शक्ति विद्यमान है फिर भी उप न्यायाधीश, चदूरा, जिसे मुंसिफ, चरारे-शरीफ के न्यायालय से वर्तमान मामला अंतरित किया गया था, के लिए यह अपेक्षित था कि वह मामले के साक्षी के रूप में एसडीपीओ, चरारे-शरीफ की परीक्षा करे और परीक्षा करने के पश्चात् ही फाइल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम को अग्रेषित करे ताकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मामले में आगे और आदेश पारित करने में समर्थ हो सके । अत:, विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम से युक्तियुक्त रूप से यह अपेक्षित था कि वे एसडीपीओ, चरारे-शरीफ के कथन को लेखबद्ध करने के निदेश के साथ फाइल उप न्यायाधीश, चदूरा के न्यायालय को लौटा दें । किन्तु, उन्होंने उप न्यायाधीश, चदूरा से फाइल प्राप्त होने के उपरांत याचियों और उनके काउंसेल की अनुपस्थिति में मामले में तर्कों/बहस को सुनने के पश्चात् तथा याचियों और उनके काउंसेल को मामले के संबंध में अपने तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना मामले में निर्णय को पारित करने का प्रयास किया । अत:, विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश हेतु मामले को आरक्षित रखा जाना अधिकारिता के बिना है और यह आदेश अपास्त किए जाने का दायी है ।

6. बहस के अनुक्रम में, श्री एम. ए. कय्यूम ने निम्नलिखित विवाद्यकों पर जोर-शोर से अपने तर्क प्रस्तुत किए : यदि एक बार सिविल न्यायालय किसी संपत्ति के संबंध में कब्जे से संबंधित निष्कर्षों को प्रस्तुत करता है तो धारा 145 के अधीन कब्जा स्वत: ही पुन: जीवित हो जाता है, अर्थात् धारा 145 के अधीन इस संबंध में कोई वर्जन विद्यमान नहीं है कि किसी साक्षी की विशिष्ट रूप से परीक्षा की जानी चाहिए या यह कि एसडीपीओ एक महत्वपूर्ण साक्षी है ।

7. इसके विपरीत, शबीर अहमद बुड्रू ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जब सिविल न्यायालय को यह निदेश दिया गया था कि वह कब्जे के संबंध में जांच का संचालन करे और उक्त निदेश के अनुसरण में सिविल न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर

दिया है तो मजिस्ट्रेट को सिविल न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार धारा 145 के अधीन कार्यवाहियों का निपटारा करना होगा ।

8. सुना और विचार किया ।

9. दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 12 स्थावर संपत्ति के विवादों से संबंधित है और उसकी धारा 145 से धारा 148 उस पद्धति और रीति को विहित करती है, जिसमें स्थावर संपत्ति के कब्जे से संबंधित विवाद का अवधारण किया जाता है । दंड प्रक्रिया संहिता का यह अध्याय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन यथा उल्लिखित भूमि आदि के संबंध में विवादों का निपटारा करने के लिए पद्धति विहित करता है ।

10. स्वीकार्य रूप से, मामले को सिविल न्यायालय को निर्दिष्ट किया गया है तथा सिविल न्यायालय ने अपने निष्कर्षों को अग्रेषित किया है और साथ ही मामले से संबंधित फाइल को विद्वान् मजिस्ट्रेट को लौटा दिया है और विद्वान् मजिस्ट्रेट को सिविल न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को अग्रेषित करने के पश्चात्, याचियों ने एसडीपीओ, चरारे-शरीफ की परीक्षा करने का प्रस्ताव विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा है, जो उनके अनुसार मामले का एक महत्वपूर्ण साक्षी है । मामले के अभिलेख से यह तथ्य सामने नहीं आता कि यदि एसडीपीओ, चरारे-शरीफ इतना अधिक महत्वपूर्ण साक्षी था तो याचियों ने उसकी परीक्षा किए जाने से संबंधित उक्त प्रभाव का कोई प्रस्ताव उप न्यायाधीश चदूरा के समक्ष क्यों नहीं रखा था । अब जब सिविल न्यायालय ने सम्यक् जांच के पश्चात् अपने निष्कर्षों को विद्वान् मजिस्ट्रेट को अग्रेषित कर दिया है और साथ ही अपने निर्णय को भी विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है तो मजिस्ट्रेट इस प्रक्रम पर किसी अन्य साक्षी की परीक्षा नहीं कर सकते ।

11. याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री कय्यूम द्वारा प्रस्तुत इस अभिवाक् में कोई दम नहीं है कि धारा 145 के अधीन किसी साक्षी की परीक्षा किए जाने के संबंध में कोई वर्जन मौजूद नहीं है ।

12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 की उपधारा (1ख) में निहित

आज्ञा के अनुसार कोई सिविल न्यायालय यथाशक्य के रूप से, पक्षकारों के उसके समक्ष उपस्थित होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा तथा कार्यवाहियों के अभिलेख के साथ अपने निष्कर्षों को उस मजिस्ट्रेट के समक्ष रखेगा जिसके द्वारा प्रतिनिर्देश किया गया था और मजिस्ट्रेट उक्त निष्कर्ष तथा अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात् सिविल न्यायालय के निर्णय के अनुरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन कार्यवाहियों का निपटारा करने हेतु अग्रसर होगा । इसके अतिरिक्त, उक्त धारा 146 की उपधारा (1घ) यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन यदि किसी सिविल न्यायालय को प्रतिनिर्देश किया जाता है तो सिविल न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के विरुद्ध न तो कोई अपील की जाएगी और न ही इस धारा के अधीन उक्त निष्कर्षों के किसी पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण को अनुज्ञात किया जाएगा । यदि इस प्रक्रम पर याचियों द्वारा एसडीपीओ, चरारे-शरीफ की परीक्षा किए जाने संबंधी आवेदन को स्वीकार किया जाता है तो यह उस विवाद को पुन: आरंभ के समान होगा, जिसका निपटारा सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा पहले ही कर दिया है तथा यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 146 की उपधारा (1घ) में उपबंधित आज्ञा के प्रतिकूल होगा । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान न्यायालय को विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बडगाम द्वारा पारित निर्णय में कोई अविधिपूर्ण बात प्रतीत नहीं होती है और इस प्रकार वर्तमान याचिका भ्रांतिपूर्ण है और तदनुसार उसे खारिज किया जाता है । अंतरिम निदेश, यदि कोई हो, उसे भी अपास्त किया जाता है ।

याचिका खारिज की गई ।

पु.

अरुण

बनाम

राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, सलेम नगर सर्व महिला पुलिस थाना, सलेम

(2019 की दांडिक अपील सं. 453)

तारीख 25 जनवरी, 2021

न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) – धारा 8, 7, 3 और 4 [सपठित भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 451 और 506(i) तथा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 1998 (1998 का तमिलनाडु राज्य अधिनियम सं. 44) की धारा 4] – अपीलार्थी द्वारा विवाह का मिथ्या वचन देकर अप्राप्तवय पीड़िता के साथ लैंगिक मैथुन किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता की अप्राप्तवयता के संबंध में उसका विद्यालय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना तथा चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा भी पीड़िता की आयु को 16 से 17 वर्ष के बीच में बताया जाना – लैंगिक मैथुन के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा पीड़िता से विवाह करने से इनकार किया जाना – उक्त धोखे से व्यथित होकर पीड़िता द्वारा विषपान कर लिया जाना – अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल होने के पश्चात् पीड़िता द्वारा यह कथन किया जाना कि अपीलार्थी ने विवाह का मिथ्या वचन देकर उसके साथ लैंगिक मैथुन किया था – पीड़िता को विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करके दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध किया जाना – पीड़िता का उपचार और चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टरों द्वारा पीड़िता के कथन की पुष्टि किया जाना – इस प्रकार पीड़िता द्वारा किए गए कथन की उसकी माता और डाक्टरों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से पुष्टि होना – अत: यह स्पष्ट है कि विद्वान् विचारण महिला न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराकर कोई त्रुटि नहीं की है और इसलिए निचले न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की जाती है और अपील खारिज की जाती है ।

वर्तमान मामले का निपटारा करने के लिए संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पीड़ित लड़की की आयु लगभग 16 वर्ष है तथा अपीलार्थी एक ऑटो रिक्शा चालक है । पीड़ित लड़की और अपीलार्थी एक ही स्थान पर आस-पास निवास कर रहे हैं । अपीलार्थी, पीड़ित लड़की पर उस समय बुरी नजर रखता था जब कभी वह कार्य पर जाती थी तथा वह पीड़ित लड़की पर आसक्त हो गया था और उसने उसके साथ लैंगिक मैथुन करने के आशय से बलपूर्वक उसका चुम्बन भी लिया था और यह घटना तीन बार घटित हुई थी और ऐसी एक घटना के दौरान अभियुक्त ने बलपूर्वक उसे गले लगाकर लैंगिक आशय रखते हुए उसे भींच लिया था तथा उसकी छाती को भी दबाया था तथा उसका चुम्बन लिया था और इस प्रकार अभियुक्त ने पीड़ित लड़की पर लैंगिक हमला करने का अपराध किया था, जिसमें बिना प्रवेशन के शारीरिक स्पर्श सम्मिलित था, जो दंड संहिता की धारा 451 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अधीन दंडनीय अपराध है । घटना की तारीख, अर्थात् तारीख 17 जनवरी, 2017 को अभियुक्त ने यह जानते हुए कि पीड़ित लड़की घर में अकेली है, उसके घर में प्रवेश किया, उसे गले लगाया, उसका चुम्बन लिया तथा उसके साथ लैंगिक मैथुन भी किया और इस प्रकार अभियुक्त ने पीड़िता पर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला किया, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 और दंड संहिता की धारा 506(i) के अधीन दंडनीय अपराध है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने पीड़ित लड़की को यह मिथ्या वचन देकर की कि वह उससे विवाह करेगा, उसका लैंगिक उत्पीड़न और प्रपीड़न जारी रखा तथा पीड़ित लड़की के साथ लैंगिक मैथुन का आनंद लेने के पश्चात् उसने उसे यह कठोर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया कि वह उसके पश्चात् उससे कभी भी संपर्क न करे तथा इस प्रकार उसने पीड़ित लड़की को धोखा दिया तथा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध किया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर विद्यमान सभी सामग्रियों पर विचार करने तथा दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दलीलों को सुनने के पश्चात् अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । विचारण न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् अपील को खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित – दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने वर्ष 2017 के विशेष सेशन मामला सं. 25 में अपने तारीख 9 नवम्बर, 2018 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया तथा उसे निर्णय में कथित किए गए अनुसार दंडादिष्ट किया । दोषसिद्धि के उक्त निर्णय तथा दंडादेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है । यद्यपि, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि पीड़ित लड़की के गुप्तांगों पर किसी प्रकार की कोई बाह्य क्षति विद्यमान नहीं है, किन्तु अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है । घटना की तारीख से लगभग 2 मास के पश्चात्, जब पीड़ित लड़की ने विषपान कर लिया था और उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया था तो उसे चिकित्सा परीक्षा हेतु डाक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उस समय पीड़ित लड़की ने यह कथन किया था कि अपीलार्थी ने उसके साथ लैंगिक मैथुन किया था । उसके पश्चात्, एक शिकायत फाइल की गई थी और तदुपरांत पीड़िता की डाक्टर द्वारा नैदानिक चिकित्सा परीक्षा की गई थी और इसलिए संभवतः, इतने समय के पश्चात् कोई बाह्य क्षति विद्यमान नहीं थी । इन परिस्थितियों के अधीन अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रतिवाद स्वीकार्य नहीं है । इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन के पठन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पीड़ित लड़की को विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और विद्वान् मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़ित लड़की के कथन को लेखबद्ध किया था तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन से यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी ने तारीख 17 जनवरी, 2017 को उससे विवाह करने का मिथ्या वचन देकर उसके साथ लैंगिक मैथुन किया था और चूंकि उसके पश्चात् अपीलार्थी ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया और वह अपने वचन को पूरा करने में असफल रहा इसलिए पीड़िता ने विषपान कर लिया था । अभि. सा. 2 पीड़िता और अभि. सा. 13 वह डाक्टर जिसने पीड़िता को

अस्पताल में दाखिल किया था तथा दुर्घटना रजिस्टर में उसके मामले को रजिस्टर किया था तथा अभि. सा. 16, वह डाक्टर जिसने पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की थी, द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़िता के कथन के संयुक्त परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष ने सभी सुसंगत संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित किया है । विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अपीलार्थी ने पूर्वोक्त अपराधों को किया है तथा इस प्रकार अपीलार्थी को सही रूप से निर्णय में कथित किए गए अनुसार सिद्धदोष ठहराकर दंडादिष्ट किया गया है । अत:, उच्च न्यायालय को निचले न्यायालय के निर्णय में प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों में किसी प्रकार का कोई दोष अथवा त्रुटि प्रतीत नहीं होती है और वर्तमान अपील में कोई गुण विद्यमान नहीं है और इसलिए उपरोक्त अपील खारिज किए जाने के लिए दायी है । परिणामत:, वर्तमान अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान् महिला न्यायाधीश (सेशन न्यायाधीश), सलेम द्वारा वर्ष 2017 के विशेष सेशन मामला सं. 25 में पारित तारीख 9 नवम्बर, 2018 के निर्णय की पुष्टि की जाती है । इसके परिणामस्वरूप संबद्ध प्रकीर्ण याचिका को भी समाप्त किया जाता है । (पैरा 13, 14, 17, 18, 19, 20 और 21)

दांडिक (अपीली) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 453.

वर्तमान दांडिक अपील विद्वान् महिला न्यायाधीश, सेशन न्यायालय द्वारा 2017 के विशेष सेशन मामला सं. 25 में तारीख 9 नवम्बर, 2018 को पारित निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री रेवती वी. नल्लीअप्पन

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आर. सूर्यप्रकाश, सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन – वर्तमान दांडिक अपील विद्वान् महिला न्यायाधीश, सेशन न्यायालय द्वारा 2017 के विशेष सेशन मामला सं. 25 में तारीख 9 नवम्बर, 2018 को पारित निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. मूल रूप से प्रत्यर्थी पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड

संहिता, 1860 (1860 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'दंड संहिता' कहा गया है) की धारा 506(i) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 और धारा 4 के साथ पठित धारा 3 के अधीन मामला रजिस्टर किया था तथा मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् उक्त मामले के संबंध में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, महालिर, निधिमंदरम् के समक्ष दंड संहिता की धारा 451, 506(ii) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 8 तथा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 1998 (1998 का तमिलनाडु राज्य अधिनियम सं. 44) की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया था । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने वर्ष 2017 के विशेष सेशन मामला सं. 25 को भी फाइल पर ग्रहण कर उस पर विचार किया था ।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्षकथन को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 से अभि. सा. 18 तक कुल 18 साक्षियों की परीक्षा की तथा 22 दस्तावेजों को प्रदर्श पी-1 से पी-22 के रूप में चिह्नित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा इसके अतिरिक्त, एक सारवान् वस्तु को भी चिह्नित किया गया था । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई और न ही किसी दस्तावेज को चिह्नित किया गया ।

4. विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभिलेख पर रखी सामग्री पर विचार करने तथा दोनों पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् अपने तारीख 9 नवम्बर, 2018 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 451 के अधीन अपराध करने के लिए दोषसिद्ध ठहराया तथा उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास भोगने हेतु दंडादिष्ट किया तथा उस पर 2,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसे दो मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा । इसके अतिरिक्त, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उसे सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया तथा उस पर

50,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसे छह मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा । इसके अतिरिक्त, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त को तमिलनाडु महिला उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 4 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया तथा उस पर 10,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया, जिसके संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसे तीन मास का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा ।

5. उक्त दोषसिद्धि के निर्णय से व्यथित होकर उसके विरुद्ध वर्तमान दांडिक अपील फाइल की है ।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी अभियोजन पक्ष द्वारा किए गए अभिकथन के अनुसार अपराध में सम्मिलित नहीं है और अभियोजन पक्ष के पास यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी ने अभिकथित अपराध को किया है । इसके अतिरिक्त, विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया कि अपराध के संबंध में शिकायत, अपराध के अभिकथित रूप से घटित होने की तारीख से दो मास पश्चात् प्रस्तुत की गई थी और शिकायत को फाइल करने में हुए विलंब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी उपलब्ध नहीं कराया गया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि पीड़ित लड़की ने, उसे अस्पताल में दाखिल कराए जाने के समय यह कथन किया था कि उसने उदर में पीड़ा होने के कारण विषपान कर लिया था तथा दुर्घटना रजिस्टर में कहीं भी इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा उसके साथ लैंगिक मैथुन किए जाने के कारण पीड़िता ने विषपान किया था ।

7. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि अभि. सा. 16, पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर ने भी यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की के गुप्तांगों पर किसी प्रकार की कोई बाह्य क्षति विद्यमान नहीं है और इसके अतिरिक्त, पीड़िता के गुप्तांगों पर किसी प्रकार के शुक्राणु भी नहीं पाए गए थे और इसलिए यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष सभी

सुसंगत संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि पीड़ित लड़की ने घटना की अभिकथित तारीख के तीन मास पश्चात् उदर पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण विषपान किया था, किन्तु विद्वान् न्यायाधीश इस तथ्य को विचार में लेने में असफल रहे और उन्होंने मात्र उपधारणा तथा संदेह के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया और इसलिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय अपास्त किए जाने का दायी है ।

8. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता (दांडिक पक्ष) द्वारा यह दलील प्रस्तुत की गई है कि पीड़ित लड़की की आयु घटना की समय मात्र 16 वर्ष थी और प्रदर्श पी-6 - विद्यालय प्रमाण पत्र के अनुसार पीड़ित लड़की की जन्म तिथि 20 मई, 2000 है तथा घटना की तारीख 17 जनवरी, 2017 है । विद्वान् सरकारी अधिवक्ता द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर-अभि. सा. 16, जिसने प्रदर्श पी-14 चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट तथा प्रदर्श पी-15 पीड़ित लड़की का एसओसी प्ररूप जारी किया है, ने अपनी यह राय अभिव्यक्त की है कि पीड़ित लड़की की आयु 16 से 17 वर्ष के बीच है । विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने यह दलील भी प्रस्तुत की है कि पीड़ित लड़की की अभि. सा. 2 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षा की गई थी और उसने स्पष्ट रूप से विद्वान् सेशन न्यायाधीश के समक्ष यह वर्णन किया है कि अपीलार्थी उसका पड़ोसी है तथा उसने उससे विवाह करने के मिथ्या वचन के अधीन घटना की तारीख, अर्थात् तारीख 17 जनवरी, 2017 को उसके साथ लैंगिक मैथुन किया और उसके पश्चात् उसने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया और इस कारणवश उसने विषपान कर लिया था और उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था और इसके पश्चात्, प्रत्यर्थी पुलिस के समक्ष एक शिकायत फाइल की गई थी तथा प्रत्यर्थी पुलिस ने मामले का अन्वेषण आरंभ किया तथा अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया । विद्वान् सरकारी अधिवक्ता द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि पीड़ित लड़की को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की

धारा 164 के अधीन उसके कथन को लेखबद्ध करने के लिए विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । इसके अतिरिक्त, विद्वान् सरकारी अधिवक्ता द्वारा यह दलील भी प्रस्तुत की गई है कि पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर-अभि. सा. 16 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की के साथ लैंगिक मैथुन किया गया था । विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने इसके पश्चात् यह दलील प्रस्तुत की है कि पीड़ित लड़की-अभि. सा. 2 द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अभिसाक्ष्य, पीड़ित लड़की द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध कराए गए कथन की पुष्टि करता है और इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने सभी सुसंगत संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित किया है और वर्तमान अपील में कोई गुण विद्यमान नहीं है तथा उक्त अपील खारिज किए जाने की दायी है ।

9. दोनों पक्षों को सुना तथा अभिलेखों का परिशीलन किया ।

10. अभियोजन का पक्षकथन मुख्य रूप से यह है कि पीड़ित लड़की की आयु लगभग 16 वर्ष है तथा अपीलार्थी एक ऑटो रिक्शा चालक है । पीड़ित लड़की और अपीलार्थी एक ही स्थान पर आस-पास निवास कर रहे हैं । अपीलार्थी, पीड़ित लड़की पर उस समय बुरी नजर रखता था जब कभी वह कार्य पर जाती थी तथा वह पीड़ित लड़की पर आसक्त हो गया था और उसने उसके साथ लैंगिक मैथुन करने के आशय से बलपूर्वक उसका चुम्बन भी लिया था और यह घटना तीन बार घटित हुई थी और ऐसी एक घटना के दौरान अभियुक्त ने बलपूर्वक उसे गले लगाकर लैंगिक आशय रखते हुए उसे भींच लिया था तथा उसकी छाती को भी दबाया था तथा उसका चुम्बन लिया था और इस प्रकार अभियुक्त ने पीड़ित लड़की पर लैंगिक हमला करने का अपराध किया था, जिसमें बिना प्रवेशन के शारीरिक स्पर्श सम्मिलित था, जो दंड संहिता की धारा 451 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अधीन दंडनीय अपराध है । घटना की तारीख, अर्थात् तारीख 17 जनवरी, 2017 को अभियुक्त ने यह जानते हुए कि पीड़ित लड़की घर में अकेली है, उसके घर में प्रवेश किया, उसे गले लगाया,

उसका चुम्बन लिया तथा उसके साथ लैंगिक मैथुन भी किया और इस प्रकार अभियुक्त ने पीड़िता पर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला किया, जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 और दंड संहिता की धारा 506(i) के अधीन दंडनीय अपराध है । इसके अतिरिक्त, अभियुक्त ने पीड़ित लड़की को यह मिथ्या वचन देकर की कि वह उससे विवाह करेगा, उसका लैंगिक उत्पीड़न और प्रपीड़न जारी रखा तथा पीड़ित लड़की के साथ लैंगिक मैथुन का आनंद लेने के पश्चात् उसने उसे यह कठोर चेतावनी देते हुए छोड़ दिया कि वह उसके पश्चात् उससे कभी भी संपर्क न करे तथा इस प्रकार उसने पीड़ित लड़की को धोखा दिया तथा तमिलनाडु महिला उत्पीड़न प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 के अधीन दंडनीय अपराध किया ।

11. अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अभि. सा. 1 से अभि. सा. 18 के रूप में कुल 18 साक्षियों की परीक्षा की तथा 22 दस्तावेजों को प्रदर्श पी-1 से प्रदर्श पी-22 के रूप में चिह्नित करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा इसके अतिरिक्त, एक सारवान् वस्तु को भी न्यायालय के अभिलेख पर रखा गया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से न तो किसी साक्षी की परीक्षा की गई और न ही किसी दस्तावेज को चिह्नित किया गया ।

12. अभियोजन साक्षियों की परीक्षा पूरा होने के पश्चात्, अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से सामने आई अपीलार्थी को अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों के बारे में अपीलार्थी को अवगत कराया गया और उसने उन्हें मिथ्या बताते हुए उनसे इनकार किया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से न तो मौखिक और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया ।

13. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने वर्ष 2017 के विशेष सेशन मामला सं. 25 में अपने तारीख 9 नवम्बर, 2018 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराया तथा उसे ऊपर कथित किए गए अनुसार दंडादिष्ट किया ।

14. दोषसिद्धि के उक्त निर्णय तथा दंडादेश को चुनौती देते हुए अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है ।

15. चूंकि यह न्यायालय एक अपीली न्यायालय होने के कारण सत्य की खोज करने वाला एक न्यायालय है और उसे स्वतंत्र रूप से संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् अपने स्वतंत्र निष्कर्ष प्रस्तुत करने हैं । तदनुसार, इस न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्यों का पुनः मुल्यांकन किया ।

16. अभिलेखों का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने से यह तथ्य दर्शित होता है कि अभि. सा. 2 पीड़ित लड़की है और अभियोजन पक्ष की ओर से उसकी न्यायालय के समक्ष परीक्षा की गई थी और उसने स्पष्ट रूप से अभिकथित अपराधों को किए जाने के संबंध में अपीलार्थी के आचार के संबंध में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया है । पीड़ित लड़की की माता की अभि. सा. 1 के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षा की गई है और उसने पीड़ित लड़की के कथन की पुष्टि की है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के पठन से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी भी उसी अवस्थान पर निवास कर रहा है, जहां पीड़ित लड़की निवास कर रही थी तथा पीड़ित लड़की ने सातवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की है और वह एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है । जब कभी वह कार्यवश घर से बाहर जाती थी तो अपीलार्थी उसका पीछा करता था और इस प्रकार अपीलार्थी उसके प्रेम में पड़ गया तथा उसने उससे यह मांग की कि वह उसका चुम्बन करे और जब पीड़ित लड़की ने उसे चुम्बन करने से इनकार कर दिया तो अपीलार्थी उसके घर में घुस गया तथा उसने उसका तीन बार चुम्बन किया और उसके पश्चात् तारीख 17 जनवरी, 2017 को जब पीड़ित लड़की घर में अकेली थी तो अपीलार्थी ने उसके घर में प्रवेश किया और उसके पश्चात् उसने उसका चुम्बन किया और उसके पश्चात् उसने पीड़ित लड़की से विवाह करने का मिथ्या वचन देकर उसके साथ लैंगिक मैथुन किया तथा अपनी इच्छापूर्ति हो जाने के पश्चात् उसने पूर्ण रूप से उसकी अनदेखी की । जब पीड़ित लड़की अपीलार्थी के पास जाती थी तो वह उसे नजरंदाज करते हुए उससे दूर चला जाता था तथा अपीलार्थी की इन हरकतों से व्यथित होकर घटना से दो माह पश्चात् पीड़ित लड़की ने विषपान कर लिया और इसके लिए उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया । अस्पताल में पीड़ित लड़की की

चिकित्सा परीक्षा करने वाले तथा दुर्घटना रजिस्टर-प्रदर्श पी-9 को लेखबद्ध करने वाले डाक्टर-अभि. सा. 13 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की को उसकी माता द्वारा अस्पताल में दाखिल कराया गया था क्योंकि उसने विषपान कर लिया था तथा पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा करने वाले डाक्टर-अभि. सा. 16 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि पीड़ित लड़की की आयु 16 से 17 वर्ष के बीच है और उसके साथ लैंगिक मैथुन किया गया था ।

17. यद्यपि, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील प्रस्तुत की है कि पीड़ित लड़की के गुप्तांगों पर किसी प्रकार की कोई बाह्य क्षति विद्यमान नहीं है, किन्तु अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है । घटना की तारीख से लगभग 2 मास के पश्चात्, जब पीड़ित लड़की ने विषपान कर लिया था और उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया था तो उसे चिकित्सा परीक्षा हेतु डाक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उस समय पीड़ित लड़की ने यह कथन किया था कि अपीलार्थी ने उसके साथ लैंगिक मैथुन किया था । उसके पश्चात्, एक शिकायत फाइल की गई थी और तदुपरांत पीड़िता की डाक्टर द्वारा नैदानिक चिकित्सा परीक्षा की गई थी और इसलिए संभवत:, इतने समय के पश्चात् कोई बाह्य क्षति विद्यमान नहीं थी । इन परिस्थितियों के अधीन अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिवाद स्वीकार्य नहीं है ।

18. इसके अतिरिक्त, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़ित लड़की के कथन के पठन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि पीड़ित लड़की को विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और विद्वान् मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन पीड़ित लड़की के कथन को लेखबद्ध किया था तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए कथन से यह तथ्य अत्यंत स्पष्ट हो जाता है कि अपीलार्थी ने तारीख 17 जनवरी, 2017 को उससे विवाह करने का मिथ्या वचन देकर उसके साथ लैंगिक मैथुन किया था और चूंकि उसके पश्चात् अपीलार्थी ने उससे विवाह करने

से इनकार कर दिया और वह अपने वचन को पूरा करने में असफल रहा इसलिए पीड़िता ने विषपान कर लिया था ।

19. अभि. सा. 2 पीड़िता और अभि. सा. 13 वह डाक्टर जिसने पीड़िता को अस्पताल में दाखिल किया था तथा दुर्घटना रजिस्टर में उसके मामले को रजिस्टर किया था तथा अभि. सा. 16, वह डाक्टर जिसने पीड़ित लड़की की चिकित्सा परीक्षा की थी, द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन लेखबद्ध किए गए पीड़िता के कथन के संयुक्त परिशीलन से यह तथ्य दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष ने सभी सुसंगत संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित किया है ।

20. विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अपीलार्थी ने पूर्वोक्त अपराधों को किया है तथा इस प्रकार अपीलार्थी को सही रूप से ऊपर कथित किए गए अनुसार सिद्धदोष ठहराकर दंडादिष्ट किया गया है । अतः, इस न्यायालय को निचले न्यायालय के निर्णय में प्रस्तुत किए गए निष्कर्षों में किसी प्रकार का कोई दोष अथवा त्रुटि प्रतीत नहीं होती है और वर्तमान अपील में कोई गुण विद्यमान नहीं है और इसलिए उपरोक्त अपील खारिज किए जाने के लिए दायी है ।

21. परिणामतः, वर्तमान अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान् महिला न्यायाधीश (सेशन न्यायाधीश), सलेम द्वारा वर्ष 2017 के विशेष सेशन मामला सं. 25 में पारित तारीख 9 नवम्बर, 2018 के निर्णय की पुष्टि की जाती है । इसके परिणामस्वरूप संबद्ध प्रकीर्ण याचिका को भी समाप्त किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

पु.

एस. जयासीलन

बनाम

राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, थाना हस्थाम्पत्ती, सालेम

(2019 की दांडिक अपील सं. 321)

तारीख 12 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति पी. वेलगुरुगन

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) – धारा 9(च) और धारा 10 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – पीड़िता पर गुरूतर लैंगिक हमला किया जाना – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा 12 वर्षीय पीड़िता को घर में बुलाकर उस पर लैंगिक हमला किया जाना – अभियुक्त का धार्मिक संस्था का प्रमुख होना पाया जाना – अभियुक्त के कृत्य की संपुष्टि पीड़िता की सहेली, माता-पिता और दादी द्वारा दिए गए साक्ष्य से होती है और अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अपीलार्थी ने गुरूतर लैंगिक हमला अर्थात् प्रवेशन किया था और यह कि पीड़िता को क्षति भी पहुंची थी, इसलिए पीड़िता की चिकित्सा परीक्षा न कराया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं हो सकता, अतः अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

इस मामले में प्रत्यर्थी पुलिस द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "पॉक्सो अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9(च) और धारा 10 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए 2013 का आपराधिक मामला सं. 396 रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्यर्थी पुलिस ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश (महिला न्यायालय), सालेम के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसे 2016 के विशेष सेशन विचारण मामला सं. 42 के रूप में प्रस्तुत किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों को सुनने तथा

अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात्, जैसाकि प्रथमदृष्ट्या मामला विदित है, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च) और धारा 10 के अधीन अपराध कारित करने के लिए आरोप विरचित किया । अभियोजन पक्षकथन साबित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 1 से अभि. सा. 13 तक तेरह साक्षियों की परीक्षा कराई गई और प्रदर्श-1 से प्रदर्श-11 को चिह्नित किया गया तथा कोई भी तात्विक वस्तु प्रदर्शित नहीं की गई । अभियोजन पक्ष के साक्षियों की परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात्, जब अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य से अपराधजन्य परिस्थितियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किए जाने के समय उसके समक्ष रखा गया तब उसने इसे मिथ्या बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक् किया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 की परीक्षा की गई और कोई भी दस्तावेज चिह्नित नहीं किया गया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश (महिला न्यायालय) सालेम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात् तारीख 8 मार्च, 2019 को पारित किए गए निर्णय में अभियुक्त/अपीलार्थी को सिद्धदोष पाया और उसके विरुद्ध पांच वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया और उस पर 25,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे छह माह की अवधि के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया तथा जुर्माने की राशि 25,000/- रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश किया । दोषसिद्धि और दंडादेश के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त ने यह दांडिक अपील फाइल की है । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – यह न्यायालय एक अपील न्यायालय होने के नाते तथ्यान्वेषण का अंतिम न्यायालय है जिसे आवश्यक रूप से संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना होगा तथा स्वतंत्र निष्कर्ष देना होगा । तद्नुसार, इस न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया है । पीड़िता ने, जिसकी परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में कराई गई है, यह कथन किया है कि घटना वाले दिन जब वह विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रही थी, जो चर्च के परिसर में स्थित है और अभियुक्त/अपीलार्थी उसी चर्च में पादरी था तब उसने

पीड़िता को अपने घर बुलाया और उस पर लैंगिक हमला किया, जैसाकि शिकायत (प्रदर्श-1) में वर्णित है । घटना के तुरंत पश्चात् पीड़िता कक्षा में गई और अपनी सहेली प्रियंका को इसकी सूचना दी जिसकी परीक्षा अभि. सा. 7 के रूप में कराई गई है । उसने अपीलार्थी द्वारा कारित किए गए अपराध के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जिसकी संपुष्टि अभि. सा. 2 के साक्ष्य से हो जाती है । अभि. सा. 3 पीड़िता की माता है एवं अभि. सा. 2 पीड़िता का पिता है तथा अभि. सा. 4 पीड़िता की दादी है । पीड़िता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसने इस कथन में घटना के विषय में स्पष्ट रूप से बताया है और उसके इस कथन को प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया गया है । प्रदर्श-3 तथा प्रदर्श-4 के अनुसार घटना के समय पीड़िता की आयु बारह वर्ष थी और इसलिए पीड़िता एक बालिका है जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)घ की परिभाषा के अंतर्गत आती है तथा अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया है । अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से दो आधार लिए गए हैं जिसमें एक है अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् तथा दूसरा आधार चर्च चुनाव को लेकर शत्रुता है जिसे साबित करने के लिए उसने अपनी पत्नी (प्रति. सा. 1) और अपने पुत्र (प्रति. सा. 2) की परीक्षा कराई है । संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है। किन्तु अभियुक्त/अपीलार्थी ने न तो किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा कराई है और न ही अपनी प्रतिरक्षा में कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 24 से धारा 27 का अनुपालन नहीं किया गया है किन्तु अभि. सा. 1 से अभि. सा. 7 के साक्ष्य और प्रदर्श-1 और प्रदर्श-2 पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अन्यथा भी वर्तमान मामले में हुए अन्वेषण में दोष है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से मात्र चूक के कारण उसे अकारण ही दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी

स्थिति में अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य तर्कपूर्ण होना चाहिए ताकि अभियोजन पक्ष से हुई चूक को माफ किया जा सके । इस मामले में पीड़िता का साक्ष्य तर्कपूर्ण और सुसंगत है । तथापि, कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, फिर भी अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा इस तथ्य की संपुष्टि हो जाती है कि पीड़िता उस दिन उपस्थित थी और उसने अभिकथित अपराध के विषय में उन्हें सूचित किया था । इसके पश्चात् सूचना मिलते ही उन्होंने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को भी इसकी सूचना दे दी थी । अपीलार्थी ने एक धार्मिक संस्था का प्रमुख होकर पीड़ित बालिका पर लैंगिक हमला किया है । घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 12 वर्ष थी इसलिए अपीलार्थी का कृत्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च) के अधीन दंडनीय है । पीड़िता के शरीर पर कोई क्षति विद्यमान नहीं है और प्रवेशन जैसा कोई लैंगिक हमला नहीं हुआ है, इसलिए महिला चिकित्सक द्वारा पीड़िता की चिकित्सा जांच न कराना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है । अभि. सा. 1 से अभि. सा. 7 के साक्ष्य और प्रदर्श-1 तथा प्रदर्श-2 का संयुक्त अध्ययन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह से परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है और अभियुक्त पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और धारा 30 के अधीन उपधारणा का खंडन करने में भी विफल रहा है । विद्वान् विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की उचित रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च) के अधीन अपराध कारित किया है जो धारा 10 के अधीन दंडनीय है । अंततः, इस न्यायलय का यह मत है कि वर्तमान अपील में कोई ठोस कारण विद्यमान नहीं है । तद्नुसार, यह दांडिक अपील खारिज की जाती है । विचारण न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को कारावास की शेष अवधि, यदि कोई है, भोगने के लिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करे । इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय का यह विचार है कि प्रायः छात्राएं अपने भविष्य और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लैंगिक अपराधों के बारे में विद्यालय के शिक्षक प्रबंधन के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने में भयभीत होती हैं । वे विद्यालय के प्रबंधन में किसी को भी लैंगिक हमले के बारे में आसानी से कुछ नहीं बताती हैं । इसलिए यह न्यायालय तमिलनाडु सरकार को

प्रत्येक विद्यालय में एक समिति बनाने की सिफारिश करता है जिसमें समाज कल्याण अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, महिला पुलिस अधिकारी (जो जिला पुलिस अधीक्षक के पद से न्यून न हो) सदस्य होंगे । साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी, महिला मनोचिकित्सक और सरकारी अस्पताल के चिकित्सक इस समिति में शामिल होंगे । जिला शिक्षा अधिकारी माह में एक बार विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं ताकि लैंगिक हमलों के संबंध में छात्राओं की शिकायतों को प्राप्त किया जा सके तथा छात्राओं पर लैंगिक हमले का कृत्य करने वाले अपराधियों, जो कि शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी और विद्यालय के प्रबंधन के सदस्य भी हो सकते हैं, के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए आगे आने का विश्वास दिलाया जा सके । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में एक शिकायत पेटी रखने का निदेश दिया गया है ताकि कोई भी पीड़िता लैंगिक हमले के विषय में स्वतंत्र रूप से शिकायत कर सकें । इस शिकायत पेटी की चाबियां सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में होनी चाहिए । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निदेश दिया जाता है कि वे जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ मिलकर सप्ताह में एक बार शिकायत पेटी का निरीक्षण करें तथा उसकी जांच करें । यदि प्रथमदृष्ट्या कोई लैंगिक अपराध सामने आता है तो उसे संबंधित थाना प्रभारी को अग्रेषित करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकें । (पैरा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 321.

2016 के एस. सी. सं. 42 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश (महिला न्यायालय) सालेम द्वारा तारीख 8 मार्च, 2019 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री एस. सैमुएल राजा

प्रत्यर्थी की ओर से एम. के. सेल्वा कुमार, टी. पी. सविथा, सरकारी अधिवक्ता (दांडिक पक्ष)

न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन – वर्तमान दांडिक अपील 2016 के सेशन विचारण सं. 42 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश (महिला न्यायालय) सालेम

द्वारा तारीख 8 मार्च, 2019 को पारित दोषसिद्धि और पारिणामिक दंडादेश के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. प्रत्यर्थी पुलिस द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "पॉक्सो अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9(च) और धारा 10 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए 2013 का आपराधिक मामला सं. 396 रजिस्ट्रीकृत किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्यर्थी पुलिस ने विद्वान् सेशन न्यायाधीश (महिला न्यायालय), सालेम के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया जिसे 2016 के विशेष सेशन विचारण मामला सं. 42 के रूप में प्रस्तुत किया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों को सुनने तथा अभिलेखों का परिशीलन करने के पश्चात्, जैसाकि प्रथमदृष्ट्या मामला विदित है, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च) और धारा 10 के अधीन अपराध कारित करने के लिए आरोप विरचित किया ।

3. अभियोजन पक्षकथन साबित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष अभि. सा. 1 से अभि. सा. 13 तक तेरह साक्षियों की परीक्षा कराई गई और प्रदर्श-1 से प्रदर्श-11 को चिह्नित किया गया तथा कोई भी तात्विक वस्तु प्रदर्शित नहीं की गई । अभियोजन पक्ष के साक्षियों की परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात्, जब अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य से अपराधजन्य परिस्थितियों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन अभिलिखित किए जाने के समय उसके समक्ष रखा गया तब उसने इसे मिथ्या बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक् किया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 की परीक्षा की गई और कोई भी दस्तावेज चिह्नित नहीं किया गया ।

4. विद्वान् सेशन न्यायाधीश (महिला न्यायालय) सालेम ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात् तारीख 8 मार्च, 2019 को पारित किए गए निर्णय में अभियुक्त/अपीलार्थी को सिद्धदोष पाया और उसके विरुद्ध पांच वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया और उस पर 25,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया । जुर्माने के संदाय

में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे छह माह की अवधि के अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया तथा जुर्माने की राशि 25,000/- रुपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का आदेश किया । दोषसिद्धि और दंडादेश के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त ने यह दांडिक अपील फाइल की है ।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च) के अधीन अपराध के लिए जो धारा 10 के अधीन दंडनीय है, अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य विद्यमान नहीं है, । अपीलार्थी सी.एस.आई. चर्च का पादरी है और उसका सी.एस.आई. होबर्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पीड़ित बालिका अध्ययन करती थी, के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है । अभिकथित घटना वाले दिन अपीलार्थी उस घर में निवास नहीं कर रहा था जहां अभिकथित घटना घटित हुई थी और इसे साबित करने के लिए उसे अपनी पत्नी की प्रति. सा. 1 और पुत्र को प्रति. सा. 2 के रूप में परीक्षा कराई है जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि वे अभिकथित घटना वाले दिन सालेम में उपस्थित नहीं थे । उन्होंने चर्च के चुनाव के संबंध में शत्रुता के विषय में भी स्पष्ट रूप से कथन किया है । इसलिए अभिकथित घटना अभियोजन पक्ष के बताए अनुसार नहीं हो सकती ।

5.1 विद्वान् काउंसेल ने आगे यह दलील दी है कि पीड़ित बालिका की चिकित्सा परीक्षा कराई गई है तथा यह अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक है । अभियोजन पक्ष पॉक्सो अधिनियम की धारा 24 से धारा 27 तक का अनुपालन करने में विफल रहा है ।

विचारण न्यायालय ने इस तथ्य को न समझकर गलती की है कि अभियोजन पक्ष पॉक्सो अधिनियम की धारा 24 से धारा 27 का अनुपालन करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है । विधि की यह स्थिर स्थिति है कि अभियोजन को अपने पक्षकथन को सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करना चाहिए तथा इस अधिनियम की धारा 29 के अधीन सृजित उपधारणा का खंडन किया जाना चाहिए । जब अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया हो, उसके पश्चात् ही अभियुक्त पर साबित करने का भार आएगा और तब

अभियुक्त अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर अपनी प्रतिरक्षा सिद्ध कर सकता है । वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल रहा है तथा अभियुक्त/अपीलार्थी ने प्रतिरक्षा में प्रति. सा. 1 और प्रति. सा. 2 की परीक्षा कराई है । इसके अतिरिक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कार्यवाही में अभियुक्त ने सभी अभिकथनों से पूर्णतया इनकार किया है तथा चर्च चुनाव के संबंध में शत्रुता के विषय में भी कथन किया है । विचारण न्यायालय अपीलार्थी द्वारा दिए गए साक्ष्यों और उसके द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को समझने में विफल रहा है तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 के अधीन उपधारणा और (शिकायतकर्ता के प्रति) सहानुभूति के आधार पर अपीलार्थी को मिथ्या रूप से दोषसिद्ध किया है । इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है ।

6. प्रत्यर्थी पुलिस की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् सरकारी अधिवक्ता (दांडिक पक्ष) द्वारा यह दलील दी गई है कि वर्ष 2013 में सुसंगत समय के दौरान पीड़िता सी.एस.आई. होबर्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी, जो कि सी.एस.आई. चर्च के परिसर में स्थित है, जहां अभियुक्त चर्च की ओर से प्रदान किए गए घर में ही निवास करता था । पीड़िता अपनी दादी के घर में रह रही थी तथा उसकी जन्मतिथि तारीख 14 जुलाई, 2001 के हिसाब से घटना के समय उसकी आयु बारह वर्ष थी । पीड़िता की अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा कराई गई तथा उसने घटना और अपीलार्थी द्वारा उसके साथ किए गए लैंगिक हमले के विषय में स्पष्ट रूप से बताया है जो कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च) के अधीन दंडनीय अपराध है ।

6.1 घटना के तुरंत पश्चात् पीड़िता कक्षा में गई और अपनी सहेली प्रियंका को लैंगिक हमले के विषय में बताया जिसकी परीक्षा अभि. सा. 7 के रूप में कराई गई है । उसने घटना के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है और दोनों ने कक्षा-शिक्षक अभि. सा. 6 को इसकी सूचना दी थी । इसके पश्चात् कक्षा समाप्त होने के बाद पीड़िता अपनी दादी के

घर पहुंची और उसने घटना का संपूर्ण विवरण दादी (अभि. सा. 4) को दिया और उन्होंने इसकी सूचना पीड़िता के माता-पिता को दी जिनकी परीक्षा अभि. सा. 3 और अभि. सा. 1 के रूप में कराई गई है । इसके पश्चात् अभि. सा. 1 ने प्रत्यर्थी पुलिस के समक्ष तुरंत शिकायत दर्ज कराई । इसके अतिरिक्त अभियोजन का पक्षकथन यह नहीं है कि अपीलार्थी ने गंभीर लैंगिक हमला अर्थात् प्रवेशन किया था और यह कि पीड़िता को क्षति भी पहुंची थी, इसलिए पीड़िता को चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सक के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था और चिकित्सक के समक्ष प्रस्तुत न किया जाना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक भी नहीं है ।

6.2 अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक् किया है तथा इसे सिद्ध करने के लिए उसने अपनी पत्नी (प्रति. सा. 1) और अपने पुत्र (प्रति. सा. 2) की परीक्षा कराई है । इसके अतिरिक्त उसने अपनी प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से चर्च के चुनाव को लेकर हुई शत्रुता का उल्लेख किया है किन्तु अभियुक्त/अपीलार्थी अन्यत्र उपस्थित होने और शत्रुता के तथ्य को अपनी प्रतिरक्षा के लिए साबित करने हेतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा कराने में विफल रहा है । अभियोजन पक्ष ने साक्षियों अभि. सा. 1 से अभि. सा. 13 तक की परीक्षा करने के उपरांत अपना पक्षकथन सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया है और जब एक बार अभियोजन पक्ष ने अपने प्रारंभिक भार का निर्वहन कर दिया है तब पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और 30 के अधीन उपधारणा लागू होगी और अभियुक्त/अपीलार्थी को इसका खंडन करना होगा । वर्तमान मामले में अभियुक्त/अपीलार्थी किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा करके इसका खंडन करने में विफल रहा है । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध किया है कि जिस विद्यालय में पीड़िता पढ़ती थी, वह चर्च प्रशासन के नियंत्रण में है और उसी चर्च में अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च) और धारा 10 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए विधिसम्मत आरोप विरचित करके उसे दोषसिद्ध किया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई भी हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।

7. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल तथा प्रत्यर्थी पुलिस की ओर से हाजिर होने वाले सरकारी अधिवक्ता (दांडिक पक्ष) को सुना गया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया है ।

8. अभियोजन पक्षकथन यह है कि घटना वाले दिन जब पीड़िता (अभि. सा. 2) अपीलार्थी के घर के निकट से होते हुए जा रही थी, उसी समय अभियुक्त/अपीलार्थी ने लैंगिक हमला करने के आशय से उसे अपने घर बुलाया और कहा कि वह उसे यीशु की कहानी सुनाएगा । उसने उसके शरीर के हर स्थान पर स्पर्श करते हुए लैंगिक हमला किया। इसके पश्चात् उसके द्वारा पहने हुए चूड़ीदार वस्त्र के निचले हिस्से को हटाकर उसकी लज्जाभंग की तथा लैंगिक आशय से उसके दाहिने गाल पर चुंबन लिया जिसमें प्रवेशन के बिना शारीरिक संपर्क शामिल है । इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने पीड़िता को उसके साथ ऐसा ही कृत्य करने के आशय से अपने घर पुन: आने के लिए कहते हुए धमकी दी । इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध वर्तमान मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

9. यह न्यायालय एक अपील न्यायालय होने के नाते तथ्यान्वेषण का अंतिम न्यायालय है जिसे आवश्यक रूप से संपूर्ण साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना होगा तथा स्वतंत्र निष्कर्ष देना होगा । तद्नुसार, इस न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत संपूर्ण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया है ।

10. पीड़िता ने, जिसकी परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में कराई गई है, यह कथन किया है कि घटना वाले दिन जब वह विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रही थी, जो चर्च के परिसर में स्थित है और अभियुक्त/ अपीलार्थी उसी चर्च में पादरी था तब उसने पीड़िता को अपने घर बुलाया और उस पर लैंगिक हमला किया, जैसाकि शिकायत (प्रदर्श-1) में वर्णित है । घटना के तुरंत पश्चात् पीड़िता कक्षा में गई और अपनी सहेली प्रियंका को इसकी सूचना दी जिसकी परीक्षा अभि. सा. 7 के रूप में कराई गई है । उसने अपीलार्थी द्वारा कारित किए गए अपराध के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जिसकी संपुष्टि अभि. सा. 2 के साक्ष्य से हो जाती है । अभि. सा. 3 पीड़िता की माता है एवं अभि. सा. 2 पीड़िता का पिता है तथा अभि. सा. 4 पीड़िता की दादी है । पीड़िता को दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 164 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसने इस कथन में घटना के विषय में स्पष्ट रूप से बताया है और उसके इस कथन को प्रदर्श-2 के रूप में चिह्नित किया गया है । प्रदर्श-3 तथा प्रदर्श-4 के अनुसार घटना के समय पीड़िता की आयु बारह वर्ष थी और इसलिए पीड़िता एक बालिका है जो पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(1)घ की परिभाषा के अंतर्गत आती है तथा अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा इस पर कोई विवाद नहीं किया गया है ।

11. अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से दो आधार लिए गए हैं जिसमें एक है अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक् तथा दूसरा आधार चर्च चुनाव को लेकर शत्रुता है जिसे साबित करने के लिए उसने अपनी पत्नी (प्रति. सा. 1) और अपने पुत्र (प्रति. सा. 2) की परीक्षा कराई है । संपूर्ण सामग्री का परिशीलन करने के पश्चात् यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है । किन्तु अभियुक्त/अपीलार्थी ने न तो किसी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा कराई है और न ही अपनी प्रतिरक्षा में कोई विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत किया है । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 24 से धारा 27 का अनुपालन नहीं किया गया है किन्तु अभि. सा. 1 से अभि. सा. 7 के साक्ष्य और प्रदर्श-1 और प्रदर्श-2 पर विचार करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि अन्यथा भी वर्तमान मामले में हुए अन्वेषण में दोष है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन पक्ष की ओर से मात्र चूक के कारण उसे अकारण ही दोषमुक्त नहीं किया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्य तर्कपूर्ण होना चाहिए ताकि अभियोजन पक्ष से हुई चूक को माफ किया जा सके । इस मामले में पीड़िता का साक्ष्य तर्कपूर्ण और सुसंगत है । तथापि, कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, फिर भी अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 द्वारा इस तथ्य की संपुष्टि हो जाती है कि पीड़िता उस दिन उपस्थित थी और उसने अभिकथित अपराध के विषय में उन्हें

सूचित किया था । इसके पश्चात् सूचना मिलते ही उन्होंने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को भी इसकी सूचना दे दी थी ।

12. अपीलार्थी ने एक धार्मिक संस्था का प्रमुख होकर पीड़ित बालिका पर लैंगिक हमला किया है । पीड़िता की घटना के समय आयु लगभग 12 वर्ष थी इसलिए अपीलार्थी का कृत्य पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च) के अधीन दंडनीय है ।

13. पीड़िता के शरीर पर कोई क्षति विद्यमान नहीं है और प्रवेशन जैसा कोई लैंगिक हमला नहीं हुआ है, इसलिए महिला चिकित्सक द्वारा पीड़िता की चिकित्सा जांच न कराना अभियोजन पक्षकथन के लिए घातक नहीं है ।

14. अभि. सा. 1 से अभि. सा. 7 के साक्ष्य और प्रदर्श-1 तथा प्रदर्श-2 का संयुक्त अध्ययन करने पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह से परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है और अभियुक्त पॉक्सो अधिनियम की धारा 29 और धारा 30 के अधीन उपधारणा का खंडन करने में भी विफल रहा है । विद्वान् विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की उचित रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च) के अधीन अपराध कारित किया है जो धारा 10 के अधीन दंडनीय है ।

15. अंतत:, इस न्यायलय का यह मत है कि वर्तमान अपील में कोई ठोस कारण विद्यमान नहीं है । तदनुसार, यह दांडिक अपील खारिज की जाती है । विचारण न्यायालय को निदेश दिया जाता है कि अभियुक्त/अपीलार्थी को कारावास की शेष अवधि, यदि कोई है, भोगने के लिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करे ।

16. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय का यह विचार है कि प्राय: छात्राएं अपने भविष्य और पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए लैंगिक अपराधों के बारे में विद्यालय के शिक्षक प्रबंधन के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने में भयभीत होती है । वे विद्यालय के प्रबंधन में किसी को भी लैंगिक हमले के बारे में आसानी से कुछ नहीं बताती हैं । इसलिए यह

न्यायालय तमिलनाडु सरकार को प्रत्येक विद्यालय में एक समिति बनाने की सिफारिश करता है जिसमें समाज कल्याण अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, महिला पुलिस अधिकारी (जो जिला पुलिस अधीक्षक के पद से अधीनस्थ न हो) सदस्य होंगे । साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी, महिला मनोचिकित्सक और सरकारी अस्पताल के चिकित्सक इस समिति में शामिल होंगे । जिला शिक्षा अधिकारी माह में एक बार विद्यालय का निरीक्षण कर सकते हैं ताकि लैंगिक हमलों के संबंध में छात्राओं की शिकायतों को प्राप्त किया जा सके तथा छात्राओं पर लैंगिक हमले का कृत्य करने वाले अपराधियों, जो कि शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारी और विद्यालय के प्रबंधन के सदस्य भी हो सकते हैं, के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए आगे आने का विश्वास दिलाया जा सके ।

17. इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय में एक शिकायत पेटी रखने का निदेश दिया गया है ताकि कोई भी पीड़िता लैंगिक हमले के विषय में स्वतंत्र रूप से शिकायत कर सकें । इस शिकायत पेटी की चाबियां सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में होनी चाहिए । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निदेश दिया जाता है कि वे जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ मिलकर सप्ताह में एक बार शिकायत पेटी का निरीक्षण करें तथा उसकी जांच करें । यदि प्रथमदृष्ट्या कोई लैंगिक अपराध सामने आता है तो उसे संबंधित थाना प्रभारी को अग्रेषित करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकें ।

अपील खारिज की गई ।

जा./अस.

वासु

बनाम

राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना तिरुत्तनी, तिरुवल्लूर

(2019 की दांडिक अपील सं. 758)

तारीख 22 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन

तमिलनाडु संपत्ति (नुकसान और हानि निवारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 59) – धारा 3 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – संपत्ति के संबंध में रिष्टि – अभियुक्तों द्वारा बस को क्षति पहुंचाए जाने का अभिकथन किया जाना – अभियोजन पक्ष द्वारा यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया गया है कि बस-चालक और परिचालक ने शिकायत तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियुक्तों के नाम दर्ज करने के लिए उनकी शनाख्त कैसे की और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने में जो दो दिन का विलंब हुआ है उसका उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है और साथ ही स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा भी नहीं कराई गई है, इसलिए अस्पष्टीकृत विलंब और स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराना अभियोजन पक्ष के लिए घातक है, अतः निचले न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

इस मामले में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 4 मार्च, 2014 को सायं 7.45 बजे तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की बस सं. टीएन-21, एन-1040 के वास्तविक शिकायतकर्ता (परिचालक) वी. गोपी और रामू चालक तिरुत्तनी से सोरक्कापेट्टई जा रहे थे और जब उन्होंने बस को कृष्णासुमित्रम बस स्टाप पर रोका तो अभियुक्त-अपीलार्थी जो कृष्णासुमित्रम का ही निवासी है, ने पत्थर से बस के पीछे वाले कांच को क्षतिग्रस्त कर दिया और इस प्रकार 16,000/- रुपए का नुकसान हुआ । इसलिए वास्तविक शिकायतकर्ता ने प्रत्यर्थी पुलिस के समक्ष शिकायत

(प्रदर्श-1) दर्ज करने के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी रजिस्ट्रीकृत कराई जिसे (प्रदर्श-7) के रूप में चिह्नित किया गया है । प्रत्यर्थी पुलिस ने तमिलनाडु संपत्ति (नुकसान और हानि निवारण) अधिनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "टी.एन.पी.पी.डी.एल., अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 और 3 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 147 और 109 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध मामला सं. 132/2014 दर्ज किया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्यर्थी पुलिस ने टी.एन.पी.पी.डी.एल., अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुत्तनी के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया और इसे 2014 के पी.आर.सी. सं. 26 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया । औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने के पश्चात् विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुत्तनी ने यह पाया कि अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अभिकथित अपराध विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 209 के अधीन विद्वान् प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश तिरुवल्लूर को सौंप दिया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने वर्तमान मामले को 2017 के एस. सी. सं. 115 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया और अपीलार्थी के विरुद्ध टी.एन.पी.पी.डी.एल., अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए आरोप विरचित किए । अभियोजन पक्षकथन को विचारण न्यायालय के समक्ष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से अभि. सा. 1 से लेकर अभि. सा. 8 तक कुल 8 साक्षियों की परीक्षा कराई गई और 11 दस्तावेजों अर्थात् प्रदर्श-1 से प्रदर्श-11 को चिह्नित किया गया । इसके अतिरिक्त दो तात्विक वस्तुओं को एमओ-2 के रूप में प्रदर्शित किया गया । अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् अभियोजन पक्ष के साक्षियों से प्राप्त अपराधजन्य परिस्थितियों को अभियुक्त/अपीलार्थी के समक्ष रखा गया और अभियुक्त/अपीलार्थी से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन पूछताछ की गई और उसने सभी अपराधजन्य परिस्थितियों को मिथ्या बताते हुए निर्दोष होने का अभिवाक् किया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । निचले न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त/अपीलार्थी टी.एन.पी.पी.डी.एल., अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का दोषी है और उसे एक वर्ष की अवधि के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने से दंदादिष्ट किया और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास की अवधि का अतिरिक्त कठोर कारावास अधिरोपित किया । दोषसिद्धि और दंडादेश के उक्त निर्णय से व्यतित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है ।

अभिनिर्धारित – यह न्यायालय, एक अपील न्यायालय होने के नाते, तथ्यान्वेषण करने वाला अंतिम न्यायालय है जिसे आवश्यक रूप से संपूर्ण साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करना होगा तथा स्वतंत्र निष्कर्ष निकालना होगा । वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के साक्ष्य को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर पता चलता है कि तारीख 4 मार्च, 2014 को सायं लगभग 7.10 बजे जब बस-चालक (अभि. सा. 2) बस रजिस्ट्रीकरण सं. टीएन-21, एन-1040 और मार्ग सं. 212/8 वाली बस को तिरुत्तनी से सोरक्कापेट्टई ले जा रहा था और जब उसने बस को कृष्णासुमित्रम बस स्टाप पर रोका तो बस में सवार दस व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गए और उसी समय अभियुक्त/अपीलार्थी जो कृष्णासुमित्रम निवासी है, ने पत्थर से बस के पीछे के कांच को क्षतिग्रस्त कर दिया और उस स्थान से फरार हो गया । यह सब बस के परिचालक (अभि. सा. 1) द्वारा देखा गया था । जब अभि. सा. 1 ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भाग गया और इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध तिरुत्तनी पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज की गई । बस के चालक की परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में कराई गई है और उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना वाले दिन जब बस कृष्णासुमित्रम बस स्टाप पर रुकी थी तो बीस लोग बस में घुसे और किसी को तलाश किया और तुरंत उतर गए । इसके पश्चात् उसने कांच के टूटने की आवाज पीछे से सुनी और बस रोक दी, उस समय परिचालक ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया था जिसने कांच को क्षतिग्रस्त किया था, तथापि, वह वहां से फरार

हो गया । इसके पश्चात्, उन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायज दर्ज कराई । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 2 ने भी अभियुक्त की शनाख्त की जो न्यायालय में उपस्थित था । अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 महजर साक्षी हैं जो पक्षद्रोही हो गए हैं, किन्तु फिर भी उन्होंने अवलोकन महजर और बरामदगी महजर में किए गए हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है । अभि. सा. 5 ने, जो तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम का शाखा प्रबंधक है, बस को हुए नुकसान की राशि 5,000/- रुपए निर्धारित की है और इस संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट भी दी है जिसे प्रदर्श-6 के रूप में चिह्नित किया गया है । यद्यपि बस को हुए नुकसान के मूल्यके संबंध में विसंगति है । तथापि अभि. सा. 5 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि बस को हुए नुकसान की राशि 5,000/- रुपए है । परिचालक (अभि. सा. 1), चालक (अभि. सा. 2), शाखा प्रबंधक (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से और नुकसान मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रदर्श-6) से अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रतिरक्षा में यह तर्क दिया गया है कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने शिकायत में मात्र अपीलार्थी के नाम का ही उल्लेख किया है जो अत्यधिक संदेहास्पद है । शिकायत विचार-विमर्श के पश्चात् दो दिन के विलंब से दर्ज कराई गई थी, अत: वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । यद्यपि यह बताया गया है कि यह घटना तारीख 4 मार्च, 2014 को सायं लगभग 7.10 बजे घटित हुई थी, जबकि शिकायत तारीख 6 मार्च, 2014 को दर्ज कराई गई थी, तथापि, अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि शिकायत देने में विलंब क्यों हुआ था । उन्होंने इसके आगे यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बस से दस यात्री उतरे थे, किन्तु शिकायत में उसने कथन किया है कि अपीलार्थी और बीस अन्य व्यक्ति बस से उतरे थे, जबकि आरोप पत्र केवल अपीलार्थी के विरुद्ध ही फाइल किया गया था । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 1) को अपीलार्थी का नाम का कैसे मालूम हुआ । अभि. सा. 2 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु बस-चालक के रूप में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने यह घटना

घटित होते हुए नहीं देखी है, किन्तु कांच टूटने की आवाज सुनने के पश्चात् वह वापस लौट आया था । इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है । महजर साक्षी ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । नुकसान मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदर्श-6 में कांच टूटने के नुकसान की राशि 16,000/- रुपए दिखाई गई है । तथापि, अभि. सा. 5 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि कांच के नुकसान की राशि 5,000/- रुपए है । अभियोजन साक्षियों में तात्विक विरोधाभास है और अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल रहा है । इस न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के द्वारा दिए गए साक्ष्य में कुछ संदेह है । अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से यह साबित नहीं किया है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने शिकायत और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपीलार्थी की शनाख्त कैसे की और उसका नाम किस आधार पर लिखा । इसके अतिरिक्त शिकायत घटना वाले दिन दर्ज नहीं अपितु घटना घटित होने के दो दिन पश्चात् दर्ज कराई गई थी और इस विलंब को अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है और इसलिए अस्पष्टीकृत विलंब अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है । अभियोजन पक्ष स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् बस में यात्रा करने वाले यात्रियों और अभिकथित घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने में विफल रहा जो अभियोजन पक्षकथन के लिए भी घातक है । इसलिए अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं और इस न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल रहा है । इसलिए, संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाता है । विचारण न्यायालय ने, सम्पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विफल रहते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है जिस कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो जाता है और इसलिए यह दांडिक अपील मंजूर किए जाने योग्य है । (पैरा 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 758.

2017 के एस. सी. सं. 115 में विद्वान् प्रधान सेशन न्यायाधीश तिरुवल्लूर, द्वारा तारीख 14 अक्तूबर, 2019 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दांडिक अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री शशि कुमार

प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री टी. पी. सविथा, सरकारी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति पी. वेलमुरुगन – वर्तमान दांडिक अपील, 2017 के सेशन मामला सं.115 में विद्वान् प्रधान सेशन न्यायाधीश, तिरुवल्लूर, द्वारा तारीख 14 अक्तूबर, 2019 को पारित के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है ।

2. अभियोजन पक्ष का पक्षकथन यह है कि तारीख 4 मार्च, 2014 को सायं 7.45 बजे तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की बस सं. टीएन-21, एन-1040 के वास्तविक शिकायतकर्ता (परिचालक) वी. गोपी और रामू चालक तिरुत्तनी से सोरक्कापेट्टई जा रहे थे और जब उन्होंने बस को कृष्णसामुतिरम बस स्टाप पर रोका तो अभियुक्त-अपीलार्थी जो कृष्णसामुतिरम का ही निवासी है, ने पत्थर से बस के पीछे वाले कांच को क्षतिग्रस्त कर दिया और इस प्रकार 16,000/- रुपए का नुकसान हुआ । इसलिए वास्तविक शिकायतकर्ता ने प्रत्यर्थी पुलिस के समक्ष शिकायत (प्रदर्श-1) दर्ज करने के साथ प्रथम इत्तिला रिपोर्ट भी रजिस्ट्रीकृत कराई जिसे (प्रदर्श-7) के रूप में चिह्नित किया गया है ।

3. प्रत्यर्थी पुलिस ने तमिलनाडु संपत्ति (नुकसान और हानि निवारण) अधिनियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "टी.एन.पी.पी.डी.एल., अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 और 3 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 147 औए 109 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध मामला सं. 132/2014 दर्ज किया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्यर्थी पुलिस ने टी.एन.पी.पी.डी.एल., अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुत्तनी के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया और इसे 2014 के पी.आर.सी. सं. 26 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

4. औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने के पश्चात् विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिरुत्तनी ने यह पाया कि अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अभिकथित अपराध विशेष रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, इसलिए मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 209 के अधीन विद्वान् प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश तिरुवल्लूर को सौंप दिया । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने वर्तमान मामले को 2017 के एस. सी. सं. 115 के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया और अपीलार्थी के विरुद्ध टी.एन.पी.पी.डी.एल., अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए आरोप विरचित किए ।

5. अभियोजन पक्षकथन को विचारण न्यायालय के समक्ष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से अभि. सा. 1 से लेकर अभि. सा. 8 तक कुल 8 साक्षियों की परीक्षा कराई गई और 11 दस्तावेजों अर्थात् प्रदर्श-1 से प्रदर्श-11 को चिह्नित किया गया । इसके अतिरिक्त दो तात्विक वस्तुओं को एमओ-2 के रूप में प्रदर्शित किया गया । अभियोजन पक्ष का साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् अभियोजन पक्ष के साक्षियों से प्राप्त अपराधजन्य परिस्थितियों को अभियुक्त/अपीलार्थी के समक्ष रखा गया और अभियुक्त/अपीलार्थी से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन पूछताछ की गई और उसने सभी अपराधजन्य परिस्थितियों को मिथ्या बताते हुए निर्दोष होने का अभिवाक् किया । प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6. निचले न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त/अपीलार्थी टी.एन.पी.पी.डी.एल., अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने का दोषी है और उसे एक वर्ष की अवधि के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास की अवधि का अतिरिक्त कठोर कारावास अधिरोपित किया । दोषसिद्धि और दंडादेश के उक्त निर्णय से व्यतित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील फाइल की है ।

7.1 अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभिकथित घटना तारीख 4 मार्च, 2014 को घटित हुई थी । विचार-विमर्श के पश्चात् अभि. सा. 1 (वास्तविक शिकायतकर्ता), जो बस का परिचालक है, ने दो दिन के पश्चात् अर्थात् तारीख 6 मार्च, 2014 को प्रत्यर्थी/पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई । इसलिए शिकायत दर्ज कराने और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत करने तथा मामले को न्यायालय भेजने में हुए विलंब का वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) द्वारा उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, इसलिए अस्पष्टीकृत अत्यधिक विलंब अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है । वास्तविक शिकायतकर्ता के अनुसार अभियोजन पक्षकथन यह है कि उक्त बस को अपीलार्थी और बीस अन्य व्यक्तियों द्वारा तारीख 4 मार्च, 2014 को क्षतिग्रस्त किया गया था, किन्तु अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायत तारीख 6 मार्च, 2014 को दर्ज कराई गई थी । उसने इसके आगे यह कथन किया है कि स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् बस में यात्रा करने वाले यात्रियों और अभिकथित घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा न कराना भी अभियोजन पक्ष के पक्षकथन के लिए घातक है । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं जो परिचालक और चालक के रूप में एक ही बस में यात्रा कर रहे थे । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 अत्यधिक हितबद्ध साक्षी हैं और उनके साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता तथा हितबद्ध साक्षियों के साक्ष्य भी विश्वसनीय नहीं हैं क्योंकि उनके साक्ष्य की संपुष्टि अन्य साक्ष्य से उस स्थिति में की जानी चाहिए थी जब घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे ।

7.2 अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इसके आगे यह दलील दी है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने शिकायत करने की प्रक्रिया में अपीलार्थी की पहचान कैसे की और उसे किस आधार पर नामित किया । अभियोजन पक्ष ने इस विषय में उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया है । महजर साक्षी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इसलिए अवलोकन महजर और बरामदगी महजर विधिसम्मत रूप से

साबित नहीं हुए हैं । पुलिस उपनिरीक्षक (अभि. सा. 7) का साक्ष्य विशेष पुलिस निरीक्षक (अभि. सा. 6) के साक्ष्य के प्रति पूर्णतया विरोधाभासी है । विचारण न्यायालय यह मूल्यांकन करने में विफल रहा है कि नुकसान मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रदर्श-6) में दो अलग-अलग राशियों का उल्लेख क्यों किया गया है । मूल्यांकन रिपोर्ट में 5,000/- रुपए की जगह 16,000/- रुपए के नुकसान के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष द्वारा नुकसान की राशि भी साबित नहीं किया गया है । इसलिए विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विफल रहा है और उसने अपीलार्थी को केवल अनुमान और अटकलों के आधार पर दोषसिद्ध करके गलत किया है और इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश का निर्णय अपास्त किया जाना चाहिए ।

8.1 विद्वान् सरकारी अधिवक्ता (दांडिक पक्ष) ने यह दलील दी है कि वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1), जो बस का परिचालक है और साथ ही आहत साक्षी भी है, ने शिकायत दर्ज कराई तथा यह अभिकथन किया है कि तारीख 4 मार्च, 2014 को लगभग 7.10 बजे सायं को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम की बस जिसकी रजिस्ट्रीकरण सं. टीएन-21,एन-1040 और मार्ग सं. 212/8 है, तिरुत्तनी से सोरक्कापेट्टई जा रही थी । जब बस को कृष्णसामुतिरम बस स्टाप पर रोका गया तो बस में सवार दस व्यक्ति तुरंत उतर गए । उस समय अभियुक्त/अपीलार्थी जो कृष्णसामुतिरम का निवासी है, ने पत्थर से बस के पीछे के कांच को क्षतिग्रस्त कर दिया और उस स्थान से फरार हो गया और उसे बस के परिचालक (अभि. सा. 1) ने देख लिया था । जब अभि. सा. 1 ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया तो वह वहां से भाग गया और इसलिए यह शिकायत तिरुत्तनी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई । शिकायत (प्रदर्श-1) प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी/पुलिस ने उसी दिन मामला रजिस्ट्रीकृत कर लिया । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 8) घटनास्थल पर गया और स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में अवलोकन महजर तैयार करके आरोप पत्र फाइल किया ।

8.2 विद्वान् सरकारी अधिवक्ता (दांडिक पक्ष) ने इसके आगे यह दलील दी है कि अभियोजन के पक्षकथन को विचारण न्यायालय के समक्ष साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से आठ साक्षियों की परीक्षा कराई गई जिनमें से वास्तविक शिकायतकर्ता, जो कि बस का परिचालक है, की भी अभि. सा. 1 के रूप में तथा बस के चालक की अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा कराई गई । उन्होंने स्पष्ट रूप से उक्त घटना का वर्णन किया है । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने अभियुक्तों की शनाख्त स्पष्ट रूप से की है और उनके नाम भी बताए हैं । महजर साक्षी अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । तथापि, शासकीय साक्षी अर्थात् अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है । उन्होंने इसके आगे यह दलील दी कि अपीलार्थी और अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के बीच पहले से कोई शत्रुता नहीं थी और इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध मिथ्या मामला दर्ज कराने का कोई औचित्य नहीं है । इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा बताए गए विरोधाभास, कोई तात्विक विरोधाभास नहीं हैं और इससे अभियोजन पक्षकथन किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं होगा । यद्यपि अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 को हितबद्ध साक्षियों के रूप में नामित किया है किन्तु अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी ने बस को नुकसान पहुंचाया है और स्वाभाविक रूप से परिचालक और चालक को, जो बस के संरक्षक हैं, उस व्यक्ति के विरुद्ध मामला साबित करना होगा जिसने बस को नुकसान पहुंचाया है । केवल इसलिए कि वे हितबद्ध साक्षी हैं उनके साक्ष्य को आसानी से त्यक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विश्वसनीयता पर संदेह न हो । इसलिए अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से अपना पक्षकथन सिद्ध कर दिया है कि बस के पीछे के कांच को अपीलार्थी द्वारा 16,000/- रुपए का नुकसान पहुंचाया गया था ।

8.3 तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम के शाखा प्रबंधक (अभि. सा. 5) ने बस के नुकसान के लिए प्रमाण पत्र (प्रदर्श-6) प्रस्तुत किया है । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 5 और प्रदर्श-6 के साक्ष्य से अभियोजन

पक्ष ने घटना के साथ-साथ बस को हुए नुकसान की राशि भी साबित कर दिया है । इसलिए विचारण न्यायालय ने टी.एन.पी.पी.डी.एल, अधिनियम की धारा 3(1)) के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी को ठीक ही दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है और इसलिए यह अपील खारिज किए जाने योग्य है ।

9. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल तथा प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् सरकारी अधिवक्ता (दांडिक पक्ष) को सुना गया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन भी किया गया है ।

10. यह न्यायालय, एक अपील न्यायालय होने के नाते, तथ्यान्वेषण करने वाला अंतिम न्यायालय है जिसे आवश्यक रूप से संपूर्ण साक्ष्य का पुन: मूल्यांकन करना होगा तथा स्वतंत्र निष्कर्ष निकालना होगा ।

11. वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के साक्ष्य को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर पता चलता है कि तारीख 4 मार्च, 2014 को सायं लगभग 7.10 बजे जब बस चालक (अभि. सा. 2) बस रजिस्ट्रीकरण सं. टीएन-21, एन-1040 और मार्ग सं. 212/8 वाली बस को तिरुत्तनी से सोरक्कापेट्टई ले जा रहा था और जब उसने बस को कृष्णासुमित्रम बस स्टाप पर रोका तो बस में सवार दस व्यक्ति तुरंत नीचे उतर गए और उसी समय अभियुक्त/अपीलार्थी जो कृष्णासुमित्रम निवासी है, ने पत्थर से बस के पीछे के कांच को क्षतिग्रस्त कर दिया और उस स्थान से फरार हो गया । यह सब बस के परिचालक (अभि. सा. 1) द्वारा देखा गया था । जब अभि. सा. 1 ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया तो वह भाग गया और इसलिए अपीलार्थी के विरुद्ध तिरुत्तनी पुलिस थाने में यह शिकायत दर्ज की गई ।

12. बस के चालक की परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में कराई गई है और उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना वाले दिन जब बस कृष्णासुमित्रम बस स्टाप पर रुकी थी तो बीस लोग बस में घुसे और किसी को तलाश किया और तुरंत उतर गए । इसके पश्चात् उसने कांच के टूटने की आवाज पीछे से सुनी और बस रोक दी, उस समय परिचालक ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया था जिसने कांच को क्षतिग्रस्त किया था, तथापि,

वह वहां से फरार हो गया । इसके पश्चात्, उन्होंने अपीलार्थी के विरुद्ध शिकायज दर्ज कराई । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 2 ने भी अभियुक्त की शनाख्त की जो न्यायालय में उपस्थित था ।

13. अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 महजर साक्षी हैं जो पक्षद्रोही हो गए हैं, किन्तु फिर भी उन्होंने अवलोकन महजर और बरामदगी महजर में किए गए हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है ।

14. अभि. सा. 5 ने, जो तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम का शाखा प्रबंधक है, बस को हुए नुकसान की राशि 5,000/- रुपए निर्धारित की है और इस संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट भी दी है जिसे प्रदर्श-6 के रूप में चिह्नित किया गया है । यद्यपि बस को हुए नुकसान के मूल्य के संबंध में विसंगति है । तथापि, अभि. सा. 5 ने अभिसाक्ष्य दिया है कि बस को हुए नुकसान की राशि 5,000/- रुपए है । परिचालक (अभि. सा. 1), चालक (अभि. सा. 2), शाखा प्रबंधक (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से और नुकसान मूल्यांकन रिपोर्ट (प्रदर्श-6) से अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है ।

15. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रतिरक्षा में यह तर्क दिया गया है कि वास्तविक शिकायतकर्ता ने शिकायत में मात्र अपीलार्थी के नाम का ही उल्लेख किया है जो अत्यधिक संदेहास्पद है । शिकायत विचार-विमर्श के पश्चात् दो दिन के विलंब से दर्ज कराई गई थी, अत: वास्तविक शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है । यद्यपि यह बताया गया है कि यह घटना तारीख 4 मार्च, 2014 को सायं लगभग 7.10 बजे घटित हुई थी, जबकि शिकायत तारीख 6 मार्च, 2014 को दर्ज कराई गई थी, तथापि, अभियोजन पक्ष ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि शिकायत देने में विलंब क्यों हुआ था । उन्होंने इसके आगे यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 ने अपने साक्ष्य में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि बस से दस यात्री उतरे थे, किन्तु शिकायत में उसने कथन किया है कि अपीलार्थी और बीस अन्य व्यक्ति बस से उतरे थे, जबकि आरोप पत्र केवल अपीलार्थी के विरुद्ध ही फाइल किया गया था । इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी (अभि. सा. 1) को अपीलार्थी का नाम कैसे मालूम हुआ। अभि. सा. 2

घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, किन्तु बस-चालक के रूप में उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने यह घटना घटित होते हुए नहीं देखी है, किन्तु कांच टूटने की आवाज सुनने के पश्चात् वह वापस लौट आया था । इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है । महजर साक्षी ने भी अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । नुकसान मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदर्श-6 में कांच टूटने के नुकसान की राशि 16,000/- रुपए दिखाई गई है । तथापि, अभि. सा. 5 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि कांच के नुकसान की राशि 5,000/- रुपए है । अभियोजन साक्षियों में तात्विक विरोधाभास है और अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल रहा है ।

16. इस न्यायालय ने स्वतंत्र रूप से संपूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के द्वारा दिए गए साक्ष्य में कुछ संदेह है । अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से यह साबित नहीं किया है कि अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 ने शिकायत और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अपीलार्थी की शनाख्त कैसे की और उसका नाम किस आधार पर लिखा । इसके अतिरिक्त शिकायत घटना वाले दिन दर्ज नहीं अपितु घटना घटित होने के दो दिन पश्चात् दर्ज कराई गई थी और इस विलंब को अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है और इसलिए अस्पष्टीकृत विलंब अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है । अभियोजन पक्ष स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् बस में यात्रा करने वाले यात्रियों और अभिकथित घटनास्थल पर उपस्थित व्यक्तियों की परीक्षा करने में विफल रहा जो अभियोजन पक्षकथन के लिए भी घातक है । इसलिए अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है और इस न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल रहा है । इसलिए, संदेह का लाभ अपीलार्थी को दिया जाता है । विचारण न्यायालय ने, सम्पूर्ण साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विफल रहते हुए अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया है जिस कारण इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो जाता है और इसलिए यह दांडिक अपील मंजूर किए जाने योग्य है ।

17. परिणामतः, दांडिक अपील मंजूर की जाती है । विचारण न्यायालय द्वारा 2017 के सेशन मामला सं. 115 में पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है । उसके द्वारा निष्पादित जमानत बंधपत्र रद्द किया जाता है । उसके द्वारा संदाय की गई जुर्माने की राशि को तत्काल वापस किए जाने का आदेश दिया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जा./अस.

(2022) 2 दा. नि. प. 167 **मद्रास**

श्रीनिवासन

बनाम

राज्य मार्फत पुलिस निरीक्षक

(2018 की दांडिक अपील सं. 288)

तारीख 2 सितंबर, 2021

न्यायमूर्ति आर. पोंगीअप्पन

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300, अपवाद 4, धारा 302 और 304 भाग II [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 और 14] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – ज्ञान या आशय – ऋण संबंधी विवाद को लेकर अभियुक्त रसोई में जाकर चाकू ले आया और मृतक की छाती पर वार कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई – घायल साक्षी द्वारा अभिसाक्ष्य दिया जाना कि अभियुक्त ने मृतक पर चाकू से वार किया – साक्षी द्वारा, अपराध कारित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले आयुध की पहचान किया जाना – अन्य साक्षियों का घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचना – मात्र इसलिए कि साक्षी पीड़ित का नातेदार है उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता – घटना के अन्य प्रतिभागियों द्वारा

अभियुक्त के पास चाकू होने के विषय में न बताया जाना, क्षतिग्रस्त साक्षी के साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए एक मात्र पर्याप्त आधार नहीं है – घटना का कहासुनी के परिणामस्वरूप घटित होना – चूंकि अभियुक्त द्वारा बिना किसी आशय के मृतक को क्षति पहुंचाई गई है, यद्यपि यह ज्ञात होते हुए कि इससे उसकी मृत्यु हो जाना संभाव्य है, इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 302 से धारा 304 भाग II में परिवर्तित किया जाना न्यायोचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 324 – स्वेच्छया साधारण क्षति कारित किया जाना – अपीलार्थी की ओर से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि अभियुक्त ने क्षतिग्रस्त साक्षी पर हमला नहीं किया था – घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से खतरनाक आयुध का उपयोग करके साक्षी पर हमला किया गया है, अतः अपीलार्थी साधारण क्षति कारित करने का भी दोषी है ।

इस मामले में मणिकंदन (अभि. सा. 1) कोरुक्कुपेट, चेन्नई का निवासी है । वह पेशे से वाहन चालक है मृतक जनार्धन उसका ज्येष्ठ भाई है । प्रेमा (अभि. सा. 2) मृतक और मणिकंदन (अभि. सा. 1) की माता है । रथिनासामी (अभि. सा. 3) अभि. सा. 2 का भाई है । सुशीला (अभि. सा. 4) और सेल्वी (अभि. सा. 5) मृतक के नातेदार हैं । अभियुक्त, प्रेमा (अभि. सा. 2) का भाई है और मृतक तथा अभि. सा. 1 का मामा है । तारीख 26 फरवरी, 2017 को अपराह्न लगभग 3.30 बजे अभियुक्त द्वारा अपनी चाची से लिए ऋण के विषय में पूछताछ करने के लिए मणिकंदन (अभि. सा. 1); प्रेमा (अभि. सा. 2), मृतक जनार्धन, सुशीला (अभि. सा. 4) और अभियुक्त को अपने साथ लेकर रथिनासामी (अभि. सा. 3) के घर गया । इस दौरान रथिनासामी (अभि. सा. 3), सेल्वी (अभि. सा. 5) तथा विनोद कुमार (अभि. सा. 9) और जो लोग वहां पहले से उपस्थित थे, उन्होंने भी यह बताया है कि अभियुक्त ने चिट की रकम और अग्रिम के तौर पर देय रकम वापस नहीं की । इस दौरान वहां उपस्थित सभी ने उसकी बात अनसुनी कर दी लेकिन अभियुक्त ने अपनी चाची को डांटा और इसके पश्चात् मृतक ने भी यही प्रश्न पूछा । इस बीच अभियुक्त रसोई में गया और चाकू लेकर आया

और मृतक की छाती और पसलियों में चाकू घोंप दिया, जिसके उपरांत मृतक भूमि पर गिर गया । तत्कालीन पुलिस निरीक्षक वीरा कुमार (अभि. सा. 19) जी-1 वेपरी पुलिस थाना ने तारीख 26 फरवरी, 2017 को अभि. सा. 1 से शिकायत प्राप्त की और दंड संहिता की धारा 341, 294(ख), 324, 307, 336, 427 और 506(ख) के अधीन 2017 का आपराधिक मामला सं. 304 दर्ज किया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की मुद्रित एक प्रति को प्रदर्श पी. 18 के रूप में चिह्नित किया गया था । मामले के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उन्होंने अन्वेषण का कार्य स्वयं ही किया । इसके पश्चात् आरोप पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया । दोषसिद्धि के इस निर्णय से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फ़ाइल की । अपील भागतः मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – सुसंगत अभिलेखों के साथ उक्त दलीलों पर विचार करने पर यह सत्य पाया गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष घटना को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से छह साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 से अभि. सा. 6 की परीक्षा घटना के साक्षी के रूप में परीक्षा कराई गई थी । दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि वे सभी एक दूसरे के नातेदार हैं । उक्त स्थिति में यह विवाद का विषय नहीं है कि अभिकथित घटना घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुई थी, विशेष रूप से उस समय जब मृतक और अभि. सा. 1 ने अभियुक्त से चिट और अग्रिम राशि वापस करने की मांग की थी । उक्त स्थिति में घटना के संबंध में अभि. सा. 1 ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे । तद्नुसार, अभि. सा. 1 द्वारा इस बाबत दिए गए साक्ष्य स्पष्ट और बारीक हैं कि उस सुसंगत समय के दौरान अभियुक्त ने मृतक को चाकू घोंपा था । अब घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की विधिमान्यता को चुनौती देने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा की गई पूर्ण प्रतिपरीक्षा को देखने पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त, घटना का वर्णन करने के पश्चात् अभि. सा. 1 ने उस आयुध की पहचान

की थी जिसका प्रयोग अपराध कारित करने के लिए किया गया था । इसलिए हमारी यह दृढ़ राय है कि अभिकथित घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण समर्थन होता है । जहां तक शेष साक्षियों का संबंध है, मृतक की माता की परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में कराई गई है, मुख्य परीक्षा के दौरान उसने अभियोजन पक्ष का पूर्ण समर्थन किया है लेकिन प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह साक्ष्य दिया है कि शोर-गुल सुनने के पश्चात् ही वह घटनास्थल पर गई थी । इसके अतिरिक्त उसने विशेष रूप से यह कथन किया है कि पालम्मल नामक व्यक्ति ने उसे घटना के संबंध में सूचना दी थी । इसलिए उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अभि. सा. 2 किसी अन्य व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् ही घटनास्थल पर गई थी, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उसने घटना घटित होते हुए देखी थी । तथापि, यह सुस्थापित विधि है कि मात्र इस कारण से कि साक्षी पीड़ित का नातेदार है, उसके साक्ष्य को इस खोखले आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता । एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय यदि चाहे तो एक साक्षी के परिसाक्ष्य पर भी कार्यवाही कर सकता है, भले ही उसकी संपुष्टि न की गई हो । जब तक कि कानून द्वारा संपुष्टि पर जोर न दिया जाए, न्यायालयों को संपुष्टि किए जाने पर जोर नहीं देना चाहिए, मात्र उन मामलों को छोड़कर जहां एकल साक्षी दिए गए परिसाक्ष्य की प्रकृति स्वयं प्रज्ञा के नियम की अपेक्षा करती है । तद्नुसार, अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है । यहां वर्तमान मामला यह है कि यद्यपि अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की संपुष्टि घटना के साक्षियों द्वारा नहीं की गई है, फिर भी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिया गया साक्ष्य से अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य का पूर्ण समर्थन होता है । इस संबंध में मृतक का आरंभिक उपचार करने वाले चिकित्सक ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य दिया है कि मृतक को भर्ती करते समय मृतक ने घटना के विषय में सूचना दी थी कि घटना के समय एक ज्ञात व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला किया था । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 16

ने, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की है यह साक्ष्य दिया है कि चूंकि छाती में मृत्यु-पूर्व एक घाव पाया गया था इसलिए उसने यह राय दी है कि मृतक की मृत्यु छाती में चाकू के घोपे जाने के कारण सदमे और रक्तस्राव से हुई प्रतीत होती है । तद्नुसार, यह स्पष्ट है कि घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की संपुष्टि, मृतक का उपचार करने वाले उस चिकित्सक के साक्ष्य से होती है जिसने मृतक का उपचार किया था और उस चिकित्सक के साक्ष्य से भी होती है जिसने मृत्यु के कारण के संबंध में अपनी राय दी थी । अब उक्त दलील और सुसंगत अभिलेख पर विचार करने पर यह सत्य पाया गया है कि आयुध रखने के संबंध में अभि. सा. 1 ने ही अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कहासुनी के दौरान अभियुक्त रसोई में गया और चाकू (तात्विक वस्तु-1) लेकर वहां आया और अपराध कारित किया । उक्त साक्ष्य तर्कपूर्ण है और इस न्यायालय के प्रति विश्वासोत्पादक है । अन्यथा मात्र यह कारण कि घटनास्थल पर उपस्थित साक्षियों ने अभियुक्त के पास चाकू होने के विषय में कथन नहीं किया है, अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है । वर्तमान मामले में उक्त परिस्थितियों को अनदेखा करते हुए अभि. सा. 1 ने घटना को टालने का प्रयास किया । इसलिए हमारा यह मत है कि मात्र इस कारण से कि घर के अन्य सदस्यों ने अभियुक्त द्वारा किए गए हमले को रोकने का प्रयास नहीं किया, हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सम्पूर्ण घटना असत्य है । सुसंगत अभिलेखों के साथ उक्त दलीलों पर निर्णय लेने के पश्चात् यह सत्य है कि घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त ने बिना किसी आशय के मृतक को क्षति पहुंचाई थी तथा यह ज्ञान रखते हुए कि इससे मृत्यु हो जाना संभाव्य है, भले ही प्रत्येक क्षति व्यक्तिगत रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त न हो । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उक्त क्षति अभियुक्त द्वारा बिना किसी आशय के पहुंचाई गई थी । हमारी यह राय है कि दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित करना आवश्यक है । (पैरा 11, 12, 16, 17, 20, 23 और 25)

न्यायालय की यह राय है कि उस सुसंगत समय के दौरान बिना किसी पूर्वचिंतन के अभियुक्त ने मृतक को चाकू घोंप दिया और उसे क्षतियां पहुंचाईं यह ज्ञान रखते हुए कि इससे उसकी मृत्यु संभाव्य है लेकिन उसका ऐसा करने का कोई आशय नहीं था और इसलिए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ख) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया जाता है । इसके अतिरिक्त, दंड संहिता की धारा 324 दंड संहिता के अधीन अपराध कारित करने के संबंध में, विशेष रूप से अभि. सा. 1 को साधारण उपहति पहुंचाने के लिए अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं सुझाया गया कि अभियुक्त ने अभि. सा. 1 पर हमला नहीं किया है । इसलिए इस संबंध में भी न्यायालय की यह राय है कि घटना के समय अभियुक्त ने खतरनाक आयुध का उपयोग करके अभि. सा. 1 पर स्वेच्छा से हमला किया था और साधारण उपहति पहुंचाई थी । इसलिए वह दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध कारित करने का भी दोषी है । (पैरा 26)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 288.

2017 के एस. सी. 166 में विद्वान् प्रधान सेशन न्यायाधीश, चेन्नई द्वारा तारीख 7 अप्रैल, 2018 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री आर. सी. पॉल कनगराज

प्रत्यर्थी की ओर से एम. बाबू मुथु मीरन (अपर लोक अभियोजक)

न्यायमूर्ति आर. पोंगीअप्पन – वर्तमान अपील, 2017 के सेशन मामला सं. 166 में विद्वान् प्रधान सेशन न्यायाधीश, चेन्नई द्वारा तारीख 7 अप्रैल, 2018 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अपील फाइल की गई है ।

2. विचारण न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302, 324, 427, 336 और 506(ख) के अधीन अपराध कारित

करने के लिए आरोपित किया गया । पूर्ण विचारण के पश्चात् विद्वान् प्रधान सेशन न्यायाधीश, चेन्नई ने अभियुक्त को धारा 302 और धारा 324 के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषी पाया और तद्नुसार उसे दोषसिद्ध ठहराते हुए उसके विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास का दंडादेश पारित किया तथा उसके ऊपर 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । इसके अतिरिक्त उसे दंड संहिता की धारा 324 के अधीन भी दोषसिद्ध ठहराया गया तथा उसके विरुद्ध तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया । जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है ।

3. अब उक्त दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को चुनौती देते हुए अभियुक्त ने वर्तमान दांडिक अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है ।

4. वर्तमान मामले के सुसंगत तथ्य, जिनके आधार पर यह अपील फाइल की गई है, इस अपील के निपटान हेतु उनका पुन: सार संक्षेप प्रस्तुत करना आवश्यक है :–

(i) मणिकंदन (अभि. सा. 1) कोरुक्कुपेट, चेन्नई का निवासी है । वह पेशे से चालक है मृतक जनार्धन उसका ज्येष्ठ भाई है । प्रेमा (अभि. सा. 2) मृतक और मणिकंदन (अभि. सा. 1) की माता है । रथिनासामी (अभि. सा. 3) अभि. सा. 2 का भाई है । सुशीला (अभि. सा. 4) और सेल्वी (अभि. सा. 5) मृतक के नातेदार हैं । अभियुक्त, प्रेमा (अभि. सा. 2) का भाई है और मृतक तथा अभि. सा. 1 का मामा है ।

(ii) तारीख 26 फरवरी, 2017 को अपराह्न लगभग 3.30 बजे अभियुक्त द्वारा अपनी चाची से लिए ऋण के विषय में पूछताछ करने के लिए मणिकंदन (अभि. सा. 1); प्रेमा (अभि. सा. 2), मृतक जनार्धन, सुशीला (अभि. सा. 4) और अभियुक्त को अपने साथ लेकर रथिनासामी (अभि. सा. 3) के घर गया । इस दौरान रथिनासामी (अभि. सा. 3), सेल्वी (अभि. सा. 5) तथा विनोद

कुमार (अभि. सा. 9) और जो लोग वहां पहले से उपस्थित थे, उन्होंने भी यह बताया है कि अभियुक्त ने चिट की रकम और अग्रिम के तौर पर देय रकम वापस नहीं की । इस दौरान वहां उपस्थित सभी ने उसकी बात अनसुनी कर दी लेकिन अभियुक्त ने अपनी चाची को डांटा और इसके पश्चात् मृतक ने भी यही प्रश्न पूछा । इस बीच अभियुक्त रसोई में गया और चाकू लेकर आया और मृतक की छाती और पसलियों में चाकू घोंप दिया, जिसके उपरांत मृतक भूमि पर गिर गया । यह देखते ही जब अभि. सा. 1 ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने उसी चाकू से अभि. सा. 1 के बाएं हाथ पर हमला किया और कांच की टूटी हुई बोतल का प्रयोग करके लोगों को डराने-धमकाने लगा । अंततः, इस घटना के पश्चात् मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहां डा. वीरालक्ष्मी (अभि. सा. 14) ने मृतक की चिकित्सा परीक्षा की और उन्होंने उसके शरीर पर निम्नलिखित क्षतियां पाईं –

> "रोगी सुस्त अवस्था में है तथा उसके शरीर के निचले हिस्से में 0.8 सेमी x 0.5 सेमी तथा छाती में 0.5 सेमी x 0.5 सेमी माप के कई छोटे-छोटे चाकू से घोंपे जाने के घाव विद्यमान हैं ।"

उक्त क्षतियों के लिए इस साक्षी ने उसका उपचार किया और मृतक को अंतः रोगी के रूप में भर्ती किया था । इस संबंध में, इस चिकित्सक ने दुर्घटना रजिस्टर कापी (प्रदर्श पी-8) जारी की । इसी प्रकार इसी चिकित्सक अर्थात् अभि. सा. 14 ने मणिकंदन (अभि. सा. 1) की चिकित्सा परीक्षा की और निम्नलिखित क्षतियां पाईं –

> "रोगी होश में है तथा उसके शरीर के निचले भाग पर 1.0 सेमी x 0.2 सेमी और बाएं हाथ पर 0.5 सेमी x 0.5 सेमी माप के चाकू से घोंपे जाने के घाव विद्यमान हैं ।"
> उनके अनुसार अभि. सा. 1 को पहुंची क्षति सामान्य प्रकृति की है । इस संबंध में भी उन्होंने दुर्घटना रजिस्टर कापी (प्रदर्श-9) जारी की । इस बीच स्टेनली मेडिकल कॉलेज

अस्पताल में उपचार कराने के पश्चात् अभि. सा. 1 ने पुलिस थाना में इस घटना की सूचना दी और प्रदर्श 1 के अधीन शिकायत दर्ज कराई ।

(iii) तत्कालीन पुलिस निरीक्षक वीरा कुमार (अभि. सा. 19) जी-1 वेपरी पुलिस थाना ने तारीख 26 फरवरी, 2017 को अभि. सा. 1 से शिकायत प्राप्त की और दंड संहिता की धारा 341, 294(ख), 324, 307, 336, 427 और 506(ख) के अधीन 2017 का आपराधिक मामला सं. 304 दर्ज किया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की मुद्रित एक प्रति को प्रदर्श-पी 18 के रूप में चिह्नित किया गया था । मामले के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् उन्होंने अन्वेषण का कार्य स्वयं ही किया ।

(iv) उसी दिन लगभग सायं 7.45 बजे अभि. सा. 19 घटनास्थल पर गया और चंद्रबोस (अभि. सा. 12) तथा (अभि. सा. 13) अथियाप्पन की उपस्थिति में अवलोकन महाजर (प्रदर्श-19) तैयार किया । उसने एक कच्चा नक्शा भी बनाया और उसे प्रदर्श-पी 20 के रूप में प्रदर्शित किया गया । घटनास्थल पर उसने दो अभिग्रहण महाजर अर्थात् पी-21 और पी-22 के अंतर्गत रक्त से सनी एक जोड़ी चप्पल और टूटी कांच की बोतल बरामद की । उसने साक्षियों से पूछताछ की और उनके बयान भी अभिलिखित किए । इसी बीच उसी दिन पूर्वाह्न लगभग 11.30 बजे आवश्यक उपचार दिए जाने के बाद भी घायल जनार्धन की मृत्यु हो गई । इसके संबंध में डा. चंद्रशेखर (अभि. सा. 15) ने प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी 10) जारी किया । इसके पश्चात् उसी दिन रात्रि के लगभग 11.30 बजे अभि. सा. 19 को जनार्धन की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई और उसके पश्चात् प्रदर्श पी-23 द्वारा परिवर्तन रिपोर्ट के अधीन दंड संहिता की धारा 307 को धारा 302 में परिवर्तित कर दिया गया और अन्य धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

(v) अन्वेषण जारी रखते हुए तारीख 27 फरवरी, 2017 को सुबह 8.00 बजे से 9.30 बजे के बीच साक्षियों की उपस्थिति में अन्वेषण अधिकारी ने पूछताछ की और प्रदर्श-पी 24 के अधीन

मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की । उन्होंने जनार्धन के शव की शव-परीक्षा कराने के लिए नवीन कुमार के माध्यम से अस्पताल के अधिकारियों को एक आवेदन प्रस्तुत किया ।

(vi) उक्त अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात् सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल से सम्बद्ध डा. प्रियदर्शिनी (अभि. सा. 16) ने शव-परीक्षा की और निम्नलिखित क्षतियां पाईं –

> "(1) छाती के मध्य में 2 सेमी x 0.1 सेमी माप का गुहा तक गहरा घोंपने से कारित हुआ क्षैतिज घाव तथा उरोस्थि में 10 सेमी नीचे और दाएं चूचुक के तल से 3 सेमी ऊपर विद्यमान तथा घोंपे जाने के घाव का बाहरी छोर तीव्र और आंतरिक छोर कुंद है । घोंपने के घाव की दिशा पीछे और नीचे की ओर है । इसके आगे विच्छेदन के पश्चात् पता चलता है कि कटाव दाएं तीसरे अंतर तटीय प्रसार तक है । दाएं फेफड़े के ऊपरी भाग के निचले हिस्से में घोंपे जाने के घाव रूप में समाप्त होता है । दायां फेफड़ा सिकुड़ गया है और दाएं वक्ष गुहा में 650 मिली लीटर तरल रक्त विद्यमान है ।
>
> (2) पेट के बाईं ओर 1 सेमी x 0.1 सेमी x 0.1 सेमी माप का तिरछे चाकू के घोंपे जाने का घाव पाया गया है, बाएं चूचुक से 16 सेमी नीचे विद्यमान है । चाकू के घाव का बाह्य सिरा तीव्र और भीतरी सिरा कुंद है ।
>
> (3) दाएं चौथे अंतर तटीय प्रसार पर 4 सेमी का टांका लगा हुआ घाव है । मध्य अक्षीय रेखा के साथ टांके हटाने के पश्चात् घाव के किनारे नियमित और खुले हुए हैं । ये इंटेर्कोस्टल (पसलियों के बीच का भाग) निकास घाव और उपचारात्मक घाव है ।
>
> उसने अंतड़ियों के अंशों को एकत्र किया और उन्हें रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा । परीक्षण के पश्चात् रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि विसरा (अंतड़ियों) में कोई

विषैला पदार्थ नहीं पाया गया है । इसे देखने के पश्चात् अभि. सा. 16 ने प्रदर्श-पी 12 के अधीन एक मरणोत्तर परीक्षा प्रमाणपत्र जारी किया, जिसमें यह कथन किया गया है कि मृतक की मृत्यु उसकी छाती में चाकू के घोंपे जाने के कारण सदमे और रक्तस्राव से हुई है ।'

(vii) अन्वेषण जारी रखते हुए तारीख 27 फरवरी, 2017 को अभि. सा. 19 अर्थात् अन्वेषण अधिकारी ने भारती नगर मुरुगन कोइल के पास अभियुक्त को गिरफ्तार किया और अनबझगन (अभि. सा. 17) और रवि चंद्रन की उपस्थिति में उसने अभियुक्त द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन को अभिलिखित किया । संस्वीकृति कथन में अभियुक्त ने अपराध कारित किया जाना स्वीकार किया था और वह चाकू प्रस्तुत करने के लिए तैयार था जिसका प्रयोग उसने घटना के समय किया था । संस्वीकृति कथन के अनुसार अभियुक्त ने अन्वेषण दल को भारती नगर, गली नं. 2 में लाया और चाकू (तात्विक वस्तु-1) की शनाख्त की । उसने रक्त से सनी शर्ट भी प्रस्तुत की जो घटना के समय उसने पहनी हुई थी । उक्त तात्विक सामग्री महाजर (प्रदर्श पी. 26) के अंतर्गत अभि. सा. 19 द्वारा बरामद की गई है । प्रकटीकरण कथन के स्वीकृत भाग को प्रदर्श-पी 25 के रूप में चिह्नित किया गया है ।

(viii) उपरोक्त के अनुसार बरामदगी करने के पश्चात् अभि. सा. 19 ने अन्वेषण के दौरान एकत्र की गई तात्विक सामग्रियों को न्यायालय भेज दिया और उन्हें रासायनिक परीक्षण हेतु भेजने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया । न्यायालय द्वारा जारी कार्यवाही के पश्चात् एम. श्रीनिवासन (अभि. सा. 18) तत्कालीन सहायक निदेशक, न्यायालयिक विज्ञान विभाग, चेन्नई को रासायनिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित वस्तुएं प्राप्त हुईं –

1. चप्पल

2. ट्राउजर

3. जत्ती

4. टी-शर्ट

5. चाकू

6. शर्ट ।

(ix) रासायनिक परीक्षण में एम. श्रीनिवासन (अभि. सा. 18) ने उपरोक्त सभी वस्तुओं में रक्त पाया । परिणामस्वरूप उसने उन तात्विक सामग्रियों की प्रकृति और समूह का पता लगाने के लिए सीरम विज्ञान विभाग को भेज दिया । परीक्षा पूर्ण होने के पश्चात् यह पाया गया कि वस्तु सं. 2 (ट्राउजर), वस्तु सं. 4 (टी-शर्ट) और वस्तु सं. 6 (शर्ट) में पाए गए सभी रक्त के धब्बे मानव रक्त हैं, तथापि, रक्त-समूह परीक्षण का परिणाम अनिश्चयात्मक था । जैविक रिपोर्ट और सीरमविज्ञान रिपोर्ट तथा रक्त-समूह परीक्षण के सभी परिणामों को क्रमश: प्रदर्श-पी 15 से प्रदर्श-पी 17 के रूप में चिह्नित किया गया है । रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 19) ने वैज्ञानिक विशेषज्ञों, डाक्टरों से पूछताछ की और उनद्वारा दिए गए बयान अभिलिखित किए । अंत में वह इस सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्त ने दंड संहिता की धारा 341, 294(ख), 324, 302, 336, 427 और 502(ख) के अधीन अपराध कारित किया है और तदनुसार अंतिम रिपोर्ट फाइल की है ।

5. उपरोक्त सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302, 324, 427, 336 और 506(ख) के अधीन आरोप विरचित किए । अभियुक्तों ने इसे मिथ्या बताते हुए इनकार कर दिया । इसलिए अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्षकथन साबित करने के लिए अभि. सा. 1 से अभि. सा. 19 तक 19 साक्षियों की परीक्षा कराई गई और तात्विक सामग्री (एम. ओ.-1) के अतिरिक्त प्रदर्श-1 से प्रदर्श-26 के रूप में 26 दस्तावेजों को चिह्नित किया गया :–

(i) उक्त साक्षियों में से मणिकंदन (अभि. सा. 1), मृतक जनार्धन का भाई है । उसने घटना का वर्णन इस प्रकार किया है कि उस सुसंगत समय पर कहासुनी के परिणामस्वरूप अभियुक्त

रसोई से चाकू ले आया और उसने मृतक की छाती और पसली पर हमला कर दिया । इसके आगे उसने यह कथन किया है कि घटना के समय अभि. सा. 2 से अभि. सा. 5 और अभि. सा. 9 घटनास्थल पर उपस्थित थे ।

(ii) प्रेमा (अभि. सा. 2) मृतक की माता है । उसका दावा है कि घटना के समय कहासुनी के परिणामस्वरूप अभियुक्त ने मृतक के घर से चाकू लिया और मृतक की छाती और पसलियों पर हमला किया । उसने इसके आगे भी यह कथन किया है कि घटना में अभियुक्त ने उसी चाकू का उपयोग करके अभि. सा. 1 के हाथ पर भी हमला किया है । उसके अनुसार घटना के पश्चात् मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया । जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया ।

(iii) रथिनासामी (अभि. सा. 3) अभि. सा. 2 का भाई है । अभियोजन पक्षकथन के अनुसार वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है । उसने घटना के विषय में यह बताया है कि तारीख 26 फरवरी, 2017 को अपराह्न लगभग 3.30 बजे जब वह अपने घर में उपस्थित था, तभी सुशीला (अभि. सा. 4) वहां आई और उससे पूछा कि क्या उसने श्रीनिवासन से प्रेमा (अभि. सा. 2) से लिए गए ऋण के विषय में पूछा था । इसी बीच अभियुक्त श्रीनिवासन वहां आया और कहा कि वह 5,000/- रुपए प्रति माह देने के लिए तैयार है । जब मणिकंदन (अभि. सा. 1) ने अभियुक्त से उसकी माता से लिए गए ऋण के बारे में पूछा तो मृतक जनार्धन ने अभि. सा. 1 को अभि. सा. 3 के घर से बाहर आने को कहा । बाद में पुलिस अधिकारियों द्वारा उससे पूछताछ की गई ।

(iv) सुशीला (अभि. सा. 4) अभियुक्त की बहिन है । उसने घटना के विषय में यह बताया है कि मृतक द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में अभियुक्त और मृतक दोनों में कहासुनी हो गई थी और ठीक उसी समय यह सब देखकर वह बेहोश हो गई थी । इसके पश्चात् उसे पता चला कि मृतक अस्पताल में भर्ती है ।

(v) सेल्वी (अभि. सा. 5), नागराजन (अभि. सा. 6) और श्रीनिवासन (अभि. सा. 7) एक ही मुहल्ले के निवासी हैं । अभियोजन पक्ष के अनुसार वे सभी अभिकथित घटना के साक्षी हैं, लेकिन साक्ष्य देने के समय उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । इसलिए उन सभी को पक्षद्रोही साक्षी माना गया है । विद्वान् लोक अभियोजक ने विचारण न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् उन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा कराई तथा इस दौरान भी उन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया ।

(vi) पांडियन (अभि. सा. 8) भी मृतक का नातेदार है । उसने दावा किया है कि घटना के पश्चात् मृतक ने अस्पताल में यह कथन किया था कि अभियुक्त ने उसके ऊपर हमला किया था ।

(vii) विनोद कुमार (अभि. सा. 9) जो घटना का साक्षी है, ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष घटना के विषय में कुछ भी कथन नहीं किया है । इसलिए उसे एक पक्षद्रोही साक्षी के रूप में माना गया है ।

(viii) महेश (अभि. सा. 10) मृतक का नातेदार है । उसने विचारण न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि घटना की सुनवाई के पश्चात् उसने और राजा ने मृतक को बचाने का प्रयास किया लेकिन अभियुक्त घटनास्थल से फरार हो गया । उसने इसके आगे कथन किया है कि अस्पताल में मृतक ने उसके समक्ष कथन किया था कि अभियुक्त ने उसके ऊपर हमला किया था ।

(ix) हरि (अभि. सा. 11), जो उसी मुहल्ले का निवासी है ने यह दावा किया है कि जब उस समय मृतक और अभियुक्त दोनों के बीच कहासुनी हुई तो उसने हस्तक्षेप किया और समझौता कराने का प्रयास किया ।

(x) चंद्रबोस (अभि. सा. 12) और अथियाप्पन (अभि. सा. 13) घटनास्थल पर अवलोकन महजर, कच्चा नक्शा और अभिग्रहण महजर तैयार किए जाने के साक्षी हैं । जबकि साक्षी के रूप में उनकी परीक्षा कराए जाने के समय उन्होंने उन दस्तावेजों की

तैयारी के विषय में कथन नहीं किया और इसलिए उन दस्तावेजों में पाए गए उनके हस्ताक्षरों को ही प्रदर्श-पी 4 से प्रदर्श-पी 7 के रूप में चिह्नित किया गया ।

(xi) डा. वीरलक्ष्मी (अभि. सा. 14) ने मृतक और अभि. सा. 1 को कारित हुई क्षतियों के विषय में बताया है । चंद्रशेखर (अभि. सा. 15) जो सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज अस्पताल से संबद्ध एक चिकित्सक है, का यह दावा है कि मृतक जनार्धन की मृत्यु तारीख 26 फरवरी, 2017 को सुबह 11.30 बजे हुई थी । प्रियदर्शिनी (अभि. सा. 16) ने, जो एक डॉक्टर भी है, मृतक जनार्धन की शव-परीक्षा संबंधी प्रक्रिया के विषय में साक्ष्य दिया है ।

(xii) अनबझगन (अभि. सा. 17), अभियुक्त द्वारा दिए गए संस्वीकृति कथन की प्रमाणिकता का साक्षी है । विचारण न्यायालय के समक्ष उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन भी नहीं किया है और इस प्रकार उसे एक पक्षद्रोही साक्षी माना गया है ।

(xiii) एम. श्रीनिवासन (अभि. सा. 18) न्यायालयिक विज्ञान विभाग में कार्यरत एक विशेषज्ञ है, जिसने उन तात्विक वस्तुओं की परीक्षा के विषय में बताया है जिन्हें अन्वेषण के समय एकत्र किया गया था ।

(xiv) टी. वीर कुमार (अभि. सा. 19) ने, जो पुलिस अधिकारी है, शिकायत प्राप्ति, अन्वेषण का विवरण, अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा अंतिम रिपोर्ट फाइल किए जाने के विषय में साक्ष्य दिया है ।

6. जब उपरोक्त अपराधजन्य सामग्री को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उसने इसे मिथ्या बताते हुए इनकार कर दिया । अभियुक्त ने अपनी ओर से तीन साक्षियों अर्थात् प्रति. सा. 1 से प्रति. सा. 3 को प्रस्तुत किया :–

(i) बालमुरुगन (प्रति. सा. 1) अपने साक्ष्य में कथन किया है कि घटना के समय तीन महिलाओं और एक पुरुष ने अभियुक्त को मृतक के घर से धक्के देकर बाहर किया था ।

(ii) इसी प्रकार देवराज (प्रति. सा. 2) ने भी अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उस सुसंगत समय के दौरान तीन महिलाओं और एक पुरुष ने अभियुक्त को मृतक के घर से धक्के देकर बाहर किया था ।

(iii) विनोद कुमार (प्रति. सा. 3) ने दावा किया है कि जब वह भारती नगर, क्रॉस स्ट्रीट-II में था, तभी अभियुक्त को एक ऑटोरिक्शा में ले जाया गया और पूछताछ करने पर उसे पता चला उनका पारिवारिक झगड़ा हुआ है ।

7. उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार करने के पश्चात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध किया और इस निर्णय के पैरा संख्या 2 के अनुसार उसके विरुद्ध दंडादेश पारित किया । इस निर्णय को चुनौती देते हुए अभियुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष अपील फ़ाइल की है ।

8. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री आर. सी. पॉल कनगराज और राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री बाबू मुथु मीरान को सुना। हमने अभिलेखों का भी 'ध्यानपूर्वक' परिशीलन किया है ।

9. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने दलील दी है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपना पक्षकथन साबित करने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष छह साक्षियों (अभि. सा. 1 से अभि. सा. 6) की घटना के साक्षी के रूप में परीक्षा कराई गई है, जिनमें से कुछ ने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । अभियोजन पक्षकथन का समर्थन करने वाले शेष साक्षियों ने अनेक विरोधाभासों के साथ साक्ष्य दिए हैं और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन ने अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित कर दिया है ।

10. इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक ने यह दलील दी है कि घटना के साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य में पाए गए मामूली विरोधाभासों को बहुत गंभीरता से

नहीं देखा जा सकता । उन्होंने आगे यह तर्क दिया है कि चूंकि घटना के साक्षियों ने घटना की तारीख से काफी समय बीत जाने के पश्चात् साक्ष्य दिया है, इसलिए उनके द्वारा मामूली विरोधाभासों के साथ साक्ष्य देना स्वाभाविक है और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों में इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है ।

11. सुसंगत अभिलेखों के साथ उक्त दलीलों पर विचार करने पर यह सत्य पाया गया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष घटना को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से छह साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 से अभि. सा. 6 की परीक्षा घटना के साक्षी के रूप में परीक्षा कराई गई थी । दोनों पक्षों द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि वे सभी एक दूसरे के नातेदार हैं । उक्त स्थिति में यह विवाद का विषय नहीं है कि अभिकथित घटना घनी आबादी वाले क्षेत्र में हुई थी, विशेष रूप से उस समय जब मृतक और अभि. सा. 1 ने अभियुक्त से चिट और अग्रिम राशि वापस करने की मांग की थी । उक्त स्थिति में घटना के संबंध में अभि. सा. 1 ने पुलिस अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। तद्नुसार, अभि. सा. 1 द्वारा इस बाबत दिए गए साक्ष्य स्पष्ट और बारीक हैं कि उस सुसंगत समय के दौरान अभियुक्त ने मृतक को चाकू घोपा था । अब घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की विधिमान्यता को चुनौती देने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष के काउंसेल द्वारा की गई पूर्ण प्रतिपरीक्षा को देखने पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ । इसके अतिरिक्त, घटना का वर्णन करने के पश्चात् अभि. सा. 1 ने उस आयुध की पहचान की थी जिसका प्रयोग अपराध कारित करने के लिए किया गया था । इसलिए हमारी यह दृढ़ राय है कि अभिकथित घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य से अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण समर्थन होता है ।

12. जहां तक शेष साक्षियों का संबंध है, मृतक की माता की परीक्षा अभि. सा. 2 के रूप में कराई गई है, मुख्य परीक्षा के दौरान उसने अभियोजन पक्ष का पूर्ण समर्थन किया है लेकिन प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह साक्ष्य दिया है कि शोर-गुल सुनने के पश्चात् ही वह घटनास्थल पर गई थी । इसके अतिरिक्त उसने विशेष रूप से यह कथन

किया है कि पालम्मल नामक व्यक्ति ने उसे घटना के संबंध में सूचना दी थी । इसलिए उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, चूंकि अभि. सा. 2 किसी अन्य व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के पश्चात् ही घटनास्थल पर गया था, इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उसने घटना घटित होते हुए देखी थी।

13. इसी प्रकार अभि. सा. 3 और अभि. सा. 4 ने भी अभियुक्त द्वारा किए गए हमले के बारे में कुछ नहीं कहा । इसके अतिरिक्त सेल्वी (अभि. सा. 5) और गुरुस्वामी (अभि. सा. 6) ने भी अभियुक्त का नातेदार होने के कारण अभियोजन पक्ष के समर्थन में कुछ भी कथन नहीं किया है और इस प्रकार उन्हें पक्षद्रोही साक्षी माना गया है ।

14. इसलिए उक्त परिस्थिति में अपील में उठाए गए मुद्दे को निर्धारित करने के लिए मात्र अभि. सा. 1 दिया गया परिसाक्ष्य ही उपलब्ध है । इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल द्वारा दिया गया विशिष्ट तर्क यह है कि मृतक का भाई होने के नाते अभि. सा. 1 ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में मिथ्या साक्ष्य दिया है ।

15. अब जैसा कि पूर्व में ही देखा जा चुका है, सुसंगत अभिलेखों और उक्त दलीलों पर विचार करने के पश्चात् यह पता चलता है कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा तैयार किए गए कच्चे नक्शे में उपलब्ध विवरण से यह स्थापित होता है कि अभिकथित घटना घनी आबादी वाले क्षेत्र, विशेष रूप से अभि. सा. 3 के घर के पास ही घटित हुई थी। दूसरी ओर यह विवाद का विषय नहीं है कि घटना से पूर्व दोनों पक्षों के सदस्य अभियुक्त द्वारा प्राप्त धन के संबंध में तर्क-वितर्क कर रहे थे। इस संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना से पूर्व उसने और वहां उपस्थित अन्य लोगों ने अभियुक्त से वह ऋण और अन्य राशि वापस करने की मांग की थी जो अभियुक्त प्राप्त की गई थी । अन्यथा यह सत्य है कि घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की संपुष्टि अन्य साक्षियों के माध्यम से नहीं की गई है ।

16. तथापि, यह सुस्थापित विधि है कि मात्र इस कारण से कि साक्षी पीड़ित का नातेदार है, उसके साक्ष्य को इस खोखले आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता । एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय यदि चाहे तो एक साक्षी के परिसाक्ष्य पर भी कार्यवाही कर सकता है, भले ही उसकी संपुष्टि न की गई हो । जब तक कि कानून द्वारा संपुष्टि पर जोर न दिया जाए, न्यायालयों को संपुष्टि किए जाने पर जोर नहीं देना चाहिए, मात्र उन मामलों को छोड़कर जहां एकल साक्षी दिए गए परिसाक्ष्य की प्रकृति स्वयं प्रज्ञा के नियम की अपेक्षा करती है । तद्नुसार, अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है ।

17. यहां वर्तमान मामला यह है कि यद्यपि अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की संपुष्टि घटना के साक्षियों द्वारा नहीं की गई है, फिर भी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा दिया गया साक्ष्य से अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य का पूर्ण समर्थन होता है । इस संबंध में मृतक का आरंभिक उपचार करने वाले चिकित्सक ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह साक्ष्य दिया है कि मृतक को भर्ती करते समय मृतक ने घटना के विषय में सूचना दी थी कि घटना के समय एक ज्ञात व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला किया था । इसके अतिरिक्त अभि. सा. 16 ने, जिसने मरणोत्तर परीक्षा की है यह साक्ष्य दिया है कि चूंकि छाती में मृत्यु-पूर्व एक घाव पाया गया था इसलिए उसने यह राय दी है कि मृतक की मृत्यु छाती में चाकू के घोंपे जाने के कारण सदमे और रक्तस्राव से हुई प्रतीत होती है । तद्नुसार, यह स्पष्ट है कि घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्वारा दिए गए साक्ष्य की संपुष्टि, मृतक का उपचार करने वाले उस चिकित्सक के साक्ष्य से होती है जिसने मृतक का उपचार किया था और उस चिकित्सक के साक्ष्य से भी होती है जिसने मृत्यु के कारण के संबंध में अपनी राय दी थी ।

18. वर्तमान मामले में एक और बात जो निश्चित की जानी आवश्यक है, वह यह है कि अन्वेषण के दौरान जो तात्विक वस्तुएं, जैसे चप्पल, ट्राउजर, टी-शर्ट और जत्ती, बरामद की गई थीं, में भी मानव

रक्त पाया गया था और इस तथ्य से अभियोजन पक्ष का समर्थन होता है ।

19. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले विद्‌वान्‌ काउंसेल ने यह दलील दी है कि घटना के साक्षियों द्‌वारा साक्ष्य दिए जाने के दौरान, अभि. सा. 1 को छोड़कर उस घर में जहां घटना घटित हुई थी, रहने वाले अन्य किसी भी सदस्य अर्थात्‌ अभि. सा. 2 से अभि. सा. 6 तक जो उस समय घर में उपस्थित थे ने अभियुक्त द्‌वारा रसोई से चाकू उठाने के विषय में कथन नहीं किया है और इसलिए इस घटना के संबंध में अभि. सा. 1 द्‌वारा दिए गए साक्ष्य का अवलंब अभियोजन पक्षकथन को स्वीकार करने के लिए नहीं लिया जा सकता है ।

20. अब उक्त दलील और सुसंगत अभिलेख पर विचार करने पर यह सत्य पाया गया है कि आयुध रखने के संबंध में अभि. सा. 1 ने ही अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कहासुनी के दौरान अभियुक्त रसोई में गया और चाकू (तात्विक वस्तु-1) लेकर वहां आया और अपराध कारित किया । उक्त साक्ष्य तर्कपूर्ण है और इस न्यायालय के प्रति विश्वासोत्पादक है । अन्यथा मात्र यह कारण कि घटनास्थल पर उपस्थित साक्षियों ने अभियुक्त के पास चाकू होने के विषय में कथन नहीं किया है, अभि. सा. 1 द्‌वारा दिए गए साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।

21. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित होने वाले काउंसेल द्‌वारा प्रस्तुत एक और दलील यह है कि घटना के समय अभि. सा. 1 से अभि. सा. 6, जो एक दूसरे के नातेदार हैं, घटनास्थल पर उपस्थित थे। लेकिन जब अभियुक्तों ने मृतक पर हमला किया, तो उनमें से किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया और अभियुक्तों द्‌वारा किए गए हमले से बचने के लिए नहीं रोका और इसलिए उक्त स्थिति अभियोजन के संपूर्ण पक्षकथन पर संदेह पैदा करती है ।

22. अब अभियोजन पक्षकथन में पाए गए अन्य पहलुओं के साथ उक्त दलील पर विचार करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त दलील में कोई विधिमान्य बल नहीं है । जैसा कि पूर्व में ही

कथन किया जा चुका है कि मात्र इस कारण से कि अभि. सा. 1 ने अभियुक्त द्वारा किए गए हमले को रोकने का प्रयास किया, इसलिए उसे क्षति पहुंची । इससे भी बड़ी बात यह है कि हत्या का साक्षी बनने वाला हर व्यक्ति अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है । कुछ लोग निस्तब्ध रह जाते हैं, और कुछ लोग अवाक् रह जाते हैं । कुछ लोग वहीं जड़वत होकर खड़े हो जाते हैं । कुछ लोग उन्माद में भी आ जाते हैं और चीखने-चिल्लाने लगते हैं । कुछ मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं । कुछ लोग स्वयं को घटनास्थल से जितना संभव हो सके दूर रखने के लिए भाग जाते हैं । वहीं कुछ लोग पीड़ित को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं और हमलावरों पर प्रत्याक्रमण करने की स्थिति तक चले जाते हैं । हर कोई अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है ।

23. वर्तमान मामले में उक्त परिस्थितियों को अनदेखा करते हुए अभि. सा. 1 ने घटना को टालने का प्रयास किया । इसलिए हमारा यह मत है कि मात्र इस कारण से कि घर के अन्य सदस्यों ने अभियुक्त द्वारा किए गए हमले को रोकने का प्रयास नहीं किया, हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि सम्पूर्ण घटना असत्य है।

24. अंततः, अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अभिकथित घटना धन के लेन-देन के कारण हुई कहासुनी के परिणामस्वरूप घटित हुई थी, तथा इस प्रकार उक्त स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का मृतक की हत्या करने का कोई हेतु नहीं था । इसके आगे उन्होंने यह भी दलील दी है कि अभियोजन का सम्पूर्ण पक्षकथन इस तथ्य को प्रकट करता है कि अभियुक्त और मृतक के बीच झगड़े में मृतक पर चाकू से हमला किया गया था और इस प्रकार मृतक को अभियुक्त द्वारा बिना किसी पूर्वचिंतन के क्षति पहुंचाई गई थी तथा क्रूर या असामान्य तरीके से कृत्य किए जाने संबंधी अभिकथन जैसे साक्ष्य का अभाव है ।

25. सुसंगत अभिलेखों के साथ उक्त दलीलों पर निर्णय लेने के पश्चात् यह सत्य है कि घटना के समय अपीलार्थी/अभियुक्त ने बिना किसी आशय के मृतक को क्षति पहुंचाई थी तथा यह ज्ञान रखते हुए कि

इससे मृत्यु हो जाना संभाव्य है, भले ही प्रत्येक क्षति व्यक्तिगत रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त न हो । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उक्त क्षति अभियुक्त द्वारा बिना किसी आशय के पहुंचाई गई थी । हमारी यह राय है कि दंड संहिता की धारा 304(ख) के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित करना आवश्यक है ।

26. अतः उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हमारी यह राय है कि उस सुसंगत समय के दौरान बिना किसी पूर्वचिंतन के अभियुक्त ने मृतक को चाकू घोंप दिया और उसे क्षतियां पहुंचाईं यह ज्ञान रखते हुए कि इससे उसकी मृत्यु संभाव्य है, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई आशय नहीं था और इसलिए अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ख) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया जाता है । इसके अतिरिक्त, दंड संहिता की धारा 324 दंड संहिता के अधीन अपराध कारित करने के संबंध में, विशेष रूप से अभि. सा. 1 को साधारण उपहति पहुंचाने के लिए अभि. सा. 1 की प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त की ओर से ऐसा कुछ भी नहीं सुझाया गया कि अभियुक्त ने अभि. सा. 1 पर हमला नहीं किया है । इसलिए इस संबंध में भी हमारी यह राय है कि घटना के समय अभियुक्त ने खतरनाक आयुध का उपयोग करके अभि. सा. 1 पर स्वेच्छा से हमला किया था और साधारण उपहति पहुंचाई थी । इसलिए वह दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध कारित करने का भी दोषी है ।

27 अंततः यह दांडिक अपील भागतः रूप से मंजूर की जाती है । विद्वान् प्रधान सेशन न्यायाधीश, चेन्नई द्वारा दंड संहिता की धारा 302 और 324 के अधीन कारित किए गए अपराधों के लिए तारीख 7 अप्रैल 2018 के निर्णय द्वारा 2017 के एस. सी. सं. 166 में अभियुक्त पर अधिरोपित की गई दोषसिद्धि और दंडादेश को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

(i) दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध कारित करने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है ।

(ii) अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 304(ख) के अधीन दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध सात वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश पारित करते हुए 1,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया जाता है । जुर्माने की राशि के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे छह माह की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा ।

(iii) उसे दंड संहिता की धारा 324 के अधीन अपराध कारित करने के लिए दोषी पाया जाता है और उसके विरुद्ध एक वर्ष के साधारण कारावास का दंडादेश पारित किया जाता है तथा 5,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया जाता है और जुर्माने की राशि के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे एक माह की अवधि का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा ।

(iv) दंडादेशों के संबंध में यह आदेश जारी किया जाता है कि वे एक साथ चलेंगे ।

(v) इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा पूर्व से भोगे गए दंडादेश को दंड प्रक्रिया संहिता धारा 428 के अधीन समायोजित किया जाता है ।

(vi) यदि अभियुक्त द्वारा पूर्व में कोई जुर्माना संदाय किया जा चुका है तो उसे भी अब अधिरोपित किए गए दंडादेश में समायोजित किया जाता है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

जा./अस.

फखरुद्दीन इस्माइल मंसूरी और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(2007 की दांडिक अपील सं. 1303)

तारीख 22 जुलाई, 2021

न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियुक्त की पत्नी के साथ मृतक के अवैध संबंध होने का संदेह – अभियुक्त द्वारा मृतक पर अन्य साथियों के साथ मिलकर हमला किया जाना – मृतक के गले में फंदा डालकर कर घसीटा जाना – परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु कारित होना – उसके गर्दन के पिछले भाग पर गुमचोट के चिह्न का पाया जाना – साक्षी द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य की अभिपुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से होना – घटनास्थल से जो चूड़ी बरामद हुई है वह सह-अभियुक्त की थी, यह तथ्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से साबित हो जाना – जिस रीति में मृतक को झोपड़ी के पीछे ले जाकर उसे घसीटने के साथ-साथ उसका गला घोंटा गया था उससे मृत्यु कारित करने के आशय का पता चलता है साथ ही अपीलार्थियों का कृत्य चिकित्सा साक्ष्य से मेल खाता है, इसलिए दंड संहिता की धारा 300 के उपबंध लागू होते हैं और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

इस मामले में, तथ्य इस प्रकार हैं कि तारीख 29 सितंबर, 2006 को देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-1), समरथ जाट (अभि. सा. 1) द्वारा पुलिस थाना पिपलौदा में निष्पादित की गई थी जिसे ओ.पी. शर्मा (अभि. सा. 13) उपनिरीक्षक द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि उसके भाई कैलाश (मृतक) ने अलग रहते हुए फखरुद्दीन अर्थात् अपीलार्थी सं. 1 को 2,000/- रुपए उधार दिए थे और इसके पश्चात् अपीलार्थी के घर प्राय: आने-जाने के कारण

फखरुद्दीन को यह संदेह हुआ कि कैलाश और फखरुद्दीन की पत्नी जमीला बी के बीच अवैध संबंध हैं । घटना वाले दिन ऋण का भुगतान न करने के संबंध में कैलाश और अपीलार्थी के बीच विवाद हुआ था । समरथ (अभि. सा. 1) ने अपनी देहाती नालिशी में यह कथन किया है कि नानालाल (अभि. सा. 7) ने उसे इस विवाद के बारे में बताया था । उसने यह भी बताया था कि अपीलार्थी ने कैलाश को अपने कुएं पर बांध दिया था । समरथ (अभि. सा. 1) अन्य ग्रामवासियों के साथ कैलाश को तलाश करने निकला और जाकर अपीलार्थियों से भिड़ गया जो पूछताछ किए जाने पर घबरा गए और मृतक कैलाश का गला घोंटने और उसकी मृत्यु कारित करने की बात स्वीकार की । कैलाश का शव अपीलार्थी के खेत में प्राप्त हुआ तथा उसके गले में कपड़े लिपटे हुए पाए गए जिनमें गांठ लगी हुई थी । वहां भूमि पर शव को घसीटने के चिह्न भी पाए गए थे । देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-1) के आधार पर शव का पंचनामा तैयार किया गया और उसे शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया । शेष अन्वेषण सहायक उपनिरीक्षक पी. एन. मालवीय (अभि. सा. 15) ने किया, जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा बनाया, अपीलार्थी सं. 1 का गिरफ्तारी ज्ञापन प्राप्त किया, घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े अभिगृहीत किए, अपीलार्थी सं. 2 द्वारा पहनी गई चूड़ियों को भी अभिगृहीत किया और अन्य साक्ष्यों के साथ चूड़ियों और टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया । अन्वेषण के पश्चात् भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 और 201 के अधीन आरोप-पत्र फाइल किया गया । आरोप पत्र को नियमित सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय को सुपुर्द किया गया । पीठासीन अधिकारी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक् किया । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 15 साक्षियों की परीक्षा कराई है जबकि प्रतिरक्षा पक्ष के किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है । विचारण न्यायालय ने पैरा 1 में यथावर्णित आदेश के अनुसार अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है । इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित – इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चेहरे, गर्दन, श्वास नली आदि पर उपस्थित सभी चिह्नों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु गर्दन पर दबाव पड़ने के कारण हुई है । ऐसा फांसी लगाने से नहीं हो सकता और न ही आत्महत्या से क्योंकि चिकित्सक ने स्वयं यह कथन किया है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना गला नहीं घोंट सकता । इसलिए एकमात्र संभावना यह है कि मृत्यु गला घोंटने से नहीं बल्कि हाथों से गला दबाने से हुई है । यद्यपि, गर्दन के आस-पास मौजूद बांधने का निशानों हाथों से गला घोंटने की संभावना खारिज हो जाती है और एकमात्र संभावना यह रह जाती है कि गला घोंटने का अन्य कोई तरीका अपनाया गया हो । राधेश्याम (अभि. सा. 4) का साक्ष्य विश्वसनीय पाया गया है जिसमें उसने यह कथन किया है कि कैलाश की गर्दन में फंदा लगाने के बाद उसे घसीटा गया था । गर्दन के पीछे खरोंचों और चोटों की संख्या से राधेश्याम के कथनों की अभिपुष्टि होती है । ये क्षतियां कैलाश को घसीटते समय कारित हुई होंगी । चूंकि घसीटते समय कैलाश की गर्दन पर दबाव पड़ा था इसलिए गला घोंटने से उसकी मृत्यु हो गई । इस रीति में चिकित्सक द्वारा दिया गया साक्ष्य, स्पष्टीकरण योग्य है । अब अभिलेख पर उपलब्ध अन्य पारिस्थितिक साक्ष्यों पर विचार करें तो पता चलता है कि अन्वेषण अधिकारी पी. एन. मालवीय (अभि. सा. 15) के कथन महत्वपूर्ण हैं । उन्होंने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-5) बनाया था और घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े अर्थात् प्रदर्श पी-12 भी अभिगृहीत किए थे । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि अभियुक्तों को प्रदर्श पी-15 और प्रदर्श पी-16 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था । अपने ज्ञापन कथनों अर्थात् प्रदर्श पी-17 में अपीलार्थी फखरुद्दीन ने अपनी लुंगी वापस लेने का निवेदन किया है जिसे उसने कपास की फसल के बीच अपने खेत में छिपा दिया था । यह लुंगी पुरानी लग रही थी जिस पर कई जगहों पर सिलाई के चिह्न और छेद थे । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि यह लुंगी पुराने फेंके हुए कपड़े से बनाई गई थी जिसका इस्तेमाल कैलाश का गला घोंटने के लिए किया गया होगा । राधेश्याम ने यह कथन किया है कि अपीलार्थियों ने कैलाश के गले में लुंगी लपेटी थी और उसे भूमि पर गिराकर घसीटा था । पी. एन. मालवीय ने आगे यह कथन किया है कि उसने एक महिला कांस्टेबल के माध्यम से जमीला बी द्वारा पहनी हुई दोनों हाथों की

चूड़ियों को बरामद कराया था और उन्हें प्रदर्श पी-19 के अधीन अभिगृहीत किया गया था । घटनास्थल से उठाए गए टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े और जमीला बी की कलाइयों से निकाली गई चूड़ियों को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रदर्श पी-29 के रूप में जिसमें वैज्ञानिक परीक्षण के पश्चात् यह पाया गया है कि चूड़ियों के टुकड़े आकार, रंग, विशिष्ट गुरुत्व और मोटाई की दृष्टि से साबुत चूड़ियों से मेल खाते हैं । अन्वेषण अधिकारी पी. एन. मालवीय ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-12 में, जो चूड़ियों का अभिग्रहण ज्ञापन है, नमूने को मुहरबंद करने का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है लेकिन इस बात से इनकार किया गया है कि चूड़ियों के टुकड़े मुहरबंद नहीं किए गए थे । घनश्याम अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-12) का एक अन्य साक्षी है जिसने टूटी हुई चूड़ियों के अभिग्रहण के तथ्य की अभिपुष्टि की है । उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसे अभिग्रहण के विषय में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है । इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि घटनास्थल से बरामद की गई टूटी हुई चूड़ियां जमीला बी (अपीलार्थी सं. 2) की हैं जिससे घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति साबित होती है । उमेश चंद्र फखरुद्दीन की सूचना के आधार पर बरामद की गई लुंगी के अभिग्रहण ज्ञापन का साक्षी है । उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है । अपील ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि शव 24 घंटे पूर्व देखा गया था लेकिन अन्वेषण अधिकारी ओ. पी. शर्मा द्वारा 24 घंटे तक शव को बरामद नहीं किया गया जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा होता है । इस संबंध में ओ. पी. शर्मा के साक्ष्य का परिशीलन किया गया । उसने यह कथन किया है कि वह तारीख 29 सितंबर, 2006 को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था और उसे इस मृत्यु के विषय में सूचना मिली थी और यह सूचना रोजनामचा सं. 1272 में रजिस्ट्रीकृत की गई थी । रोजनामचा अभिलेख पर प्रदर्श डी/2 के रूप में उपलब्ध है जिसमें सायं 6.00 बजे का समय दिखाया गया है । घटनास्थल पुलिस थाने से 12 से 15 किलोमीटर कि दूरी पर था, जैसा कि साक्षी द्वारा पैरा 9 में कथन किया गया है । पैरा 10 में उसने यह कथन किया है कि उसने शव को रात में ही देखा था लेकिन पंचनामा नहीं बनाया क्योंकि तब तक अंधेरा हो चुका था । यह स्पष्टीकरण

उचित है क्योंकि अंधेरे में शव पर निशान ठीक से नहीं देखे जा सकते थे और इसलिए अगले दिन सुबह 6.00 बजे पंचनामा तैयार किया गया था । इस प्रकार कोई असामान्य विलंब नहीं हुआ है और साथ ही इस विलंब का उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है । पी. एन. मालवीय द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल के नक्शे को देखने से पता चलता है कि इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है कि 'ऐ' से 'ए/1' तक बिंदीदार रेखा बनाई गई है जो घसीटने का मार्ग दर्शाती है । यह स्थान शकूर की झोपड़ी के पीछे स्थित है । शकूर जो कि बन्नो बी का पति है । घटनास्थल से चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े भी मिले हैं । कैलाश का शव घटनास्थल के स्थान 'बी' बिन्दु पर मिला था । घटनास्थल नक़्शे में दिखाया गया है कि बिन्दु 'ए/1' से बिन्दु 'बी' के बीच की दूरी 155 कदम है । बिन्दु 'बी' को अपीलार्थी का खेत दिखाया गया है । पुन: बिन्दु 'सी' से बिन्दु 'बी' तक घसीटने के चिह्न बिंदुदार लाल रेखाओं के माध्यम से दिखाए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि बिन्दु 'ए/1' पर गला घोंटकर हत्या करने के पश्चात् कैलाश के शव को बिन्दु 'सी' से बिन्दु 'बी' तक घसीट कर लाया गया था । उक्त स्थान अपीलार्थियों के स्वामित्व में था और यह स्पष्ट करना उनका कर्तव्य था कि कैलाश का शव, जिसके साथ उनका पूर्व में झगड़ा हुआ था, उनके खेत में कैसे मिला । इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन सबूत के भार की व्याख्या नहीं की गई है और अपीलार्थियों द्वारा भारमुक्त नहीं किया गया है । उमेश कुमार रावल पटवारी हैं जिसने अभिपुष्टि की है कि जिस स्थान से शव बरामद किया गया था वह सर्वेक्षण सं. 397 है और वह इस्माइल, जो फखरुद्दीन का पिता है, के स्वामित्व में है । इस साक्षी ने नक्शा ढूंढ कर निकाला है जो प्रदर्श पी-13 है और इससे संबन्धित खसरा पंचसाला प्रदर्श पी-14 है । इस साक्षी का साक्ष्य अटल है । इस प्रकार राधेश्याम और बन्नो बी द्वारा दिए गए साक्ष्य जिसकी पुष्टि डा. विवेक दुबे के साक्ष्य से होती है, अपीलार्थी से प्राप्त ज्ञापन और बदामदगी सहित पारिस्थितिक साक्ष्य को ध्यान में रखकर विचार करने के पश्चात् यह सच है कि घटना वाले दिन अपीलार्थी जमीला बी और कैलाश के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें हाथापाई भी शामिल थी और उसके बाद दूसरों के हस्तक्षेप पर कैलाश पीछे हट गया था और वापस जा रहा था और तभी अपीलार्थी फखरुद्दीन

नमाज पढ़कर वापस आया । घटना के बारे में पता चलने पर अपीलार्थी और कैलाश को वापस ले आए और फिर उसे शकूर की झोपड़ी के पीछे घसीटा गया और उसके गले में लुंगी बांधकर उसे जमीन पर घसीटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । इसके पश्चात् साक्ष्य नष्ट करने के लिए कैलाश के शव को घसीटते हुए ले जाकर अपने खेत में छिपा दिया था । प्रयुक्त साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि कैलाश की मृत्यु मानव वध की प्रकृति की है । जिस रीति में मृतक को झोपड़ी के पीछे ले जाकर उसे घसीटने के साथ-साथ गला घोंटा गया उससे मृत्यु कारित करने के आशय का पता चलता है, इसलिए प्रथमत: दंड संहिता की धारा 300 के उपबंध लागू होते हैं । जिस रीति में अपराध कारित किया गया था ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 300 के अधीन किसी भी अपवाद का लाभ प्रदान कर सके । परिणामस्वरूप, हमें दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई दंड संहिता की धारा 302 और धारा 201 के अधीन दोषसिद्धि के निष्कर्ष को अपास्त करने का कोई आधार दिखाई नहीं देता है । (पैरा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1998]	ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1978 : **एस. जी. पी. समिति** बनाम **एम. दी. दास चेला द्वारा विधिक प्रतिनिधि** ;	14
[1957]	ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 366 : **निसार अली** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ।**	14

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 1303.

2007 के सेशन विचारण मामला सं. 3 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, जावरा, रतलाम द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2007 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री मुकेश कुमावत

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अमित सिंह सिसोदिया, लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति शैलेन्द्र शुक्ला ने दिया ।

न्या. शुक्ला - वर्तमान अपील 2007 के सेशन विचारण मामला सं. 3 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, जावरा, जिला रतलाम द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2007 को पारित उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की 374 के अधीन फाइल की गई है जिसके अनुसार अपीलार्थी को निम्न प्रकार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया था :

दोषसिद्धि			दंडादेश
धारा और अधिनियम	कारावास	जुर्माना	जुर्माने के संदाय के बदले कारावास
दंड संहिता की धारा 302	आजीवन कारावास	5,000/- रुपए	6 मास का कठोर कारावास
दंड संहिता की धारा 201	3 वर्ष का कठोर कारावास	500/- रुपए	एक मास का कठोर कारावास

2. संक्षेप में, अभियोजन वृत्तान्त इस प्रकार है कि तारीख 29 सितंबर, 2006 को देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-1), समरथ जाट (अभि. सा. 1) द्वारा पुलिस थाना पिपलौदा में निष्पादित की गई थी जिसे ओ.पी. शर्मा (अभि. सा. 13) उपनिरीक्षक द्वारा अभिलिखित किया गया था जिसमें यह कथन किया गया था कि उसके भाई कैलाश (मृतक) ने अलग रहते हुए फखरुद्दीन अर्थात् अपीलार्थी सं. 1 को 2,000/- रुपए उधार दिए थे और इसके पश्चात् अपीलार्थी के घर प्राय: आने-जाने के कारण फखरुद्दीन को यह संदेह हुआ कि कैलाश और फखरुद्दीन की पत्नी जमीला बी के बीच अवैध संबंध हैं । घटना वाले दिन ऋण का भुगतान न करने के संबंध में कैलाश और अपीलार्थी के बीच विवाद हुआ था । समरथ (अभि. सा. 1) ने अपनी देहाती नालिशी में यह कथन किया है कि नानालाल (अभि. सा. 7) ने उसे इस विवाद के बारे में बताया था । उसने यह भी बताया था कि अपीलार्थी ने कैलाश को अपने कुएं पर बांध दिया था । समरथ (अभि. सा. 1) अन्य ग्रामवासियों के साथ कैलाश को तलाश करने निकला और जाकर अपीलार्थियों से भिड़

गया जो पूछताछ किए जाने पर घबरा गए और मृतक कैलाश का गला घोंटने और उसकी मृत्यु कारित करने की बात स्वीकार की । कैलाश का शव अपीलार्थी के खेत में प्राप्त हुआ तथा उसके गले में कपड़े लिपटे हुए पाए गए जिनमे गांठ लगी हुई थी। वहां भूमि पर शव को घसीटने के चिह्न भी पाए गए थे ।

3. देहाती नालिशी (प्रदर्श पी-1) के आधार पर शव का पंचनामा तैयार किया गया और उसे शव-परीक्षा के लिए भेज दिया गया । शेष अन्वेषण सहायक उपनिरीक्षक पी. एन. मालवीय (अभि. सा. 15) ने किया, जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा बनाया, अपीलार्थी सं. 1 का गिरफ्तारी ज्ञापन प्राप्त किया, घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े अभिगृहीत किए, अपीलार्थी सं. 2 द्वारा पहनी गई चूड़ियों को भी अभिगृहीत किया और अन्य साक्ष्यों के साथ चूड़ियों और टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़ों को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया । अन्वेषण के पश्चात् भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302 और 201 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । आरोप पत्र को नियमित सुनवाई के लिए विचारण न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

4. पीठासीन अधिकारी ने अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अधीन आरोप विरचित किए । अपीलार्थियों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक् किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 15 साक्षियों की परीक्षा कराई है जबकि प्रतिरक्षा पक्ष के किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है । विचारण न्यायालय ने पैरा 1 में यथावर्णित आदेश के अनुसार अपीलार्थियों को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया है ।

6. वर्तमान अपील में यह कथन किया गया है कि अन्वेषण अधिकारी ओ.पी. शर्मा (अभि. सा. 12) ने घटनास्थल पर पहुंचने और शव को वहां देखने के लगभग 24 घंटे बाद बरामद किया था और यह कि पूरा मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है जो कि असंगत है । राधेश्याम (अभि. सा. 4) द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य में गंभीर विरोधाभास

हैं जिसका अवलंब विचारण न्यायालय ने लिया है और यह कि शव-परीक्षा करने वाले चिकित्सक ने प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसा कथन दिया है कि इस बात पर संदेह होता है कि मृत्यु गला घोंटने से हुई है । इन आधारों पर, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के अपास्त किए जाने तथा अपीलार्थी के दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

7. विवादास्पद प्रश्न यह है कि अपील में लिए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के संबंध में निकाले गए निष्कर्ष उचित हैं या नहीं और यह कि अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने योग्य है या नहीं ।

8. राज्य के विद्वान् काउंसेल ने साक्ष्य के सुसंगत भाग की ओर ध्यान दिलाते हुए यह दावा किया है कि विचारण न्यायालय की ओर से निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई त्रुटि नहीं हुई है ।

9. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया तथा प्रस्तुत किए गए कथनों के आलोक में उन पर विचार किया गया । समरथ (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि उसके भाई ने अपीलार्थियों को 2,000/- रुपए का ऋण दिया था । इसके अतिरिक्त यह संदेह था कि कैलाश का अपीलार्थी सं. 2 के साथ अवैध संबंध था और इसी कारण कैलाश की हत्या हुई । इस प्रकार, इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने स्वयं घटना होते हुए नहीं देखी है । उसने यह कथन किया है कि नानालाल (अभि. सा. 7) ने उसे यह बताया था कि अपीलार्थियों ने कैलाश को उनके कुएं के पास बांध दिया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह आत्माराम रमेश और कालूलाल के साथ अपीलार्थियों के कुएं की ओर गया था । दोनों अपीलार्थी उदासीन (बहुत थके) हुए लग रहे थे । फखरुद्दीन ने अनभिज्ञता का अभिवाक् किया और वह घटनास्थल से फरार हो गया ।

10. आत्माराम रमेश शर्मा या करूलाल में से किसी भी व्यक्ति की परीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराई गई है । नानालाल (अभि. सा. 7) जिसने समरथ (अभि. सा. 1) के अनुसार उसे सूचित किया था, उसकी परीक्षा कराई गई है । उसने यह कथन किया है कि घटना के दिन जब वह अपने खेत में था, तभी फखरुद्दीन (अपीलार्थी सं. 1) की

भाभी अर्थात् बन्नो बी अपराह्न में वहां आई थी और उसने बताया था कि अपीलार्थी और मृतक कैलाश एक दूसरे के साथ बुरी तरह झगड़ा कर रहे हैं और उसने नानालाल (अभि. सा. 7) से बीच-बचाव करने के लिए कहा कि कहीं यह झगड़ा उनमें से किसी एक की मृत्यु का कारण न बन जाए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि इसके पश्चात् वह घटनास्थल पर गया लेकिन वहां कोई नहीं मिला लेकिन उसने समरथ (अभि. सा. 1) को इस झगड़े के बारे में बताया और फिर गांव वापस चला गया । अगले दिन वह ग्रामवासियों के साथ फखरुद्दीन (अपीलार्थी सं. 1) के खेत पर गया, जहां कपास की फसल में कैलाश का शव पड़ा हुआ मिला । इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है । उसने इस बात से इनकार किया है कि वह कालूलाल, आत्मराम और समरथ आदि के साथ फखरुद्दीन के कुएं पर गया था । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि फखरुद्दीन का आचरण संदिग्ध प्रतीत हो रहा था । उसने इस बात से इनकार किया है कि फखरुद्दीन ने संस्वीकृत किया है ।

11. इस प्रकार नानालाल (अभि. सा. 7) द्वारा दिए गए कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह एक अनुश्रुत साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में बन्नो बी (अभि. सा. 3) से झगड़े के बारे में सुनने के अतिरिक्त कुछ भी कथन नहीं किया है । उसके कथनों को ध्यान में रखते हुए बन्नो बी (अभि. सा. 3) के साक्ष्य पर विचार करना होगा ।

12. बन्नो बी (अभि. सा. 3) ने बताया है कि फखरुद्दीन उसका देवर है और फखरुद्दीन और उसके (बन्नो बी) के खेत पास-पास ही हैं । उसने यह बताया है कि घटना के दिन दोपहर करीब 12.00 बजे कैलाश ने जमीला बी (अपीलार्थी सं. 1) के साथ फखरुद्दीन के कुएं के पास झगड़ा किया जो नमाज पढ़ने गया था । इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है । इसने यह स्वीकार किया है कि करीब अपराह्न 12.00 बजे उसके पति और देवर फखरुद्दीन नमाज पढ़ने गए थे तथा यह साक्षी अपनी झोपड़ी के समीप स्नान कर रही थी । इसके पश्चात् मृतक कैलाश वहां धन के

विवाद को लेकर चीखने-चिल्लाने लगा । दोनों के बीच हाथापाई भी हुई और इसके पश्चात् जमीला बी ने जोर-जोर से चिल्लाते हुए इस साक्षी से उसे बचाने की याचना की । उसने इसके आगे यह भी स्वीकार किया है कि अपीलार्थियों और साक्षी के बीच 4 वर्ष पूर्व से ही विवाद चल रहा था इसलिए वह केवल देखती रही और उसने झगड़े में हस्तक्षेप नहीं किया । उसने यह कथन किया है कि जमीला बी की चीख-पुकार सुनकर मुकेश और राजमल वहां आए और उन्होंने जमीला बी को कैलाश से बचाया । इसके अतिरिक्त फखरुद्दीन द्वारा कैलाश की गला घोंटकर हत्या आदि के बारे में भी इस साक्षी को सुझाव दिए गए थे जिनके विषय में इस साक्षी ने अनभिज्ञता ही दर्शाई है ।

13. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने अभि. सा. 3 की परीक्षा कराई है । प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है कि उसे जमीला बी और कैलाश के बीच होने वाले झगड़े का कारण नहीं पता । उसने यह भी कथन किया है कि जिस स्थान पर वह स्नान कर रही थी, वहां से झगड़ा होने वाला स्थान दिखाई नहीं दे रहा था । उसने इसके आगे यह कथन किया कि झगड़ा हो रहा था लेकिन वह देख नहीं पाई थी और उसके बाद क्या हुआ, उसे ज्ञात नहीं है । इसके पश्चात्, उसने आगे यह कथन किया है कि 5 मिनट के बाद कैलाश उस स्थान से चला गया । वह कहां गया इसकी उसे जानकारी नहीं है ।

14. इस प्रकार, इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि उसने जमीला बी और कैलाश को झगड़ा करते हुए देखा था । लेकिन प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया है कि दोनों को उस स्थान से नहीं देखा जा सकता था जहां साक्षी मौजूद थी । तथापि, उसने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह भी कथन किया है कि झगड़ा होने के 5 मिनट पश्चात् कैलाश उस स्थान से चला गया था । इस प्रकार, इस साक्षी के साक्ष्य से यह साबित होता है कि दोपहर करीब 12.00 बजे कैलाश कुएं के पास मौजूद था और साक्षी ने कम से कम झगड़ा होने की आवाज़ सुनी थी । अब यह

निर्णीत हो चुका है कि जिस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, उसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती है । ऐसे साक्षी के साक्ष्य में जो साक्ष्य के अंश चुनौती रहित विद्‌यमान हैं उन्हें साक्ष्य माना जा सकता है । भारत में, "एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या" का सिद्‌धांत लागू नहीं होता है तथा न्यायालय को किसी भी साक्षी के अभिसाक्ष्य की जांच-परख करने और उसके एक हिस्से को स्वीकार करने तथा दूसरे हिस्से को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता है । इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय विद्‌यमान हैं । उदाहरण के लिए, **निसार अली** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] तथा **एस. जी. पी. समिति** बनाम **एम. दी. दास चेला द्‌वारा विधिक प्रतिनिधि**[2] ।

15**.** मुकेश (अभि. सा. 5) और राजमाल (अभि. सा. 6) जिनके संबंध में बन्नो बी (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि ये साक्षी घटनास्थल पर आए थे और यह कि इन्होंने जमीला बी को बचाया था, पूर्णतया पक्षद्रोही साक्षी हैं और इन्होंने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

16. दूसरा महत्वपूर्ण साक्षी के रूप में राधेश्याम (अभि. सा. 4) है जिसके साक्ष्य का अवलंब विचारण न्यायालय द्‌वारा लिया गया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि घटना वाले दिन अपराह्न करीब 12.00 बजे से 1.00 बजे के बीच जब वह अपने खेत पर काम कर रहा था और जब बद्रीलाल के कुएं से जल लेने गया तो उसने अपीलार्थी और कैलाश को धन के विवाद को लेकर लड़ते हुए देखा । मुकेश और राजमल के बीच-बचाव करने के पश्चात् कैलाश वहां से चला गया । कुछ समय के पश्चात् फखरुद्‌दीन अपने कुएं पर आया जिसे उसकी पत्नी जमीला बी ने घटना के विषय में बताया । इसके पश्चात् फखरुद्‌दीन ने जमीला बी से अपने साथ चलने को कहा और फिर वे कैलाश को अपने कुएं के समीप ले आए और इसके

[1] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 366.

[2] ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1978.

पश्चात् वे कैलाश को शकूर (बन्नो बी का पति) की झोपड़ी के पीछे ले गए । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे नहीं पता कि इसके पश्चात् वहां क्या हुआ । इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और फिर उसके बाद उसने स्वीकार किया कि उसने कैलाश को देखा था । अपीलार्थी ने कैलाश के गले में गांठ बांधी थी और उसे भूमि पर गिराकर घसीटा था । उसने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थियों ने कैलाश को घसीटते हुए अपने खेत तक ले गए जहां कपास की फसल उग रही थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि भय के कारण उसने घटना के विषय में किसी को नहीं बताया । इसके आगे उसने यह भी स्वीकार किया है कि शकूर खान की पत्नी भी वहां उपस्थित थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि भय के कारण वह हस्तक्षेप नहीं कर सका । उसने कैलाश और अपीलार्थियों के बीच धन के विवाद के तथ्य को भी स्वीकार किया है । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह कथन किया कि उनके बीच झगड़ा आधे घंटे तक चला था । पैरा 10 में उसने यह कथन किया था कि जमीला बी के साथ हुए झगड़े में हस्तक्षेप करने के पश्चात् कैलाश वहां से चला गया था लेकिन फखरुद्दीन 10 मिनट के अंतराल के पश्चात् साइकिल से कुएं पर आया और फखरुद्दीन एवं जमीला बी कैलाश के पीछे-पीछे गए और उसे वापस ले आए । उसने यह कथन किया है कि वह घटना को लगभग 300 फीट की दूरी से देखा था । उसने यह भी कथन किया है कि घटनास्थल से साक्षी देख रहा था, यहां तक कि शकूर खान की झोपड़ी के पीछे का हिस्सा भी दिखाई दे रहा था । पैरा 14 में उसने यह कथन किया है कि उसने घटनास्थल (झोपड़ी के पीछे) से पीड़ित की कोई चीख-पुकार नहीं सुनी । पैरा 15 में साक्षी ने यह कथन किया है कि जब ग्रामवासी 4 से 4.30 बजे के बीच वहां आए तो वह उन्हें घटना के बारे में नहीं बता सका लेकिन उसने पुलिस को घटना के विषय में बताया जो सायं 6.30 बजे वहां पहुंची थी ।

17. इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया है कि उसका अपीलार्थियों के साथ पहले से विवाद चल रहा था और वह मृतक का

मित्र था । इस साक्षी से कोई और महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछा गया है । राधेश्याम (अभि. सा. 4) ने कैलाश और जमीला बी को आपस में लड़ते हुए देखने के बारे में निर्भीक रूप से यह कथन किया है कि कैलाश बीच-बचाव के पश्चात् वापस चला गया था तथा अपीलार्थियों ने ही उसे शकूर की झोपड़ी के पीछे बुलाया था । जब उसने मृतक का गला घोंटने के विषय में कथन नहीं किया तभी उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और तब फिर उसने गला घोंटने और घसीटकर ले जाने के अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया है । पक्षद्रोही घोषित होने के पश्चात् इस प्रकार का कथन करना स्वयं भी साक्षी की विश्वसनीयता को कम नहीं करता है । यह देखा जा सकता है कि अपीलार्थियों ने प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी से ऐसी कोई बात नहीं निकलवाई है जिससे उसके पूर्ववर्ती कथनों पर कोई आंच आए ।

18. अब कैलाश की मृत्यु के कारण पर विचार करते हुए डा. विवेक दुबे (अभि. सा. 11) के साक्ष्य पर विचार किया जाएगा । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने 30 सितंबर, 2006 को सुबह लगभग 11 बजे कैलाश पुत्र कचरूलाल की शव-परीक्षा की थी । उसने यह पाया कि उसके मुख के दाएं कोने से झाग निकल रहे थे, जिह्वा दांतों के बीच फंसी हुई थी, जिह्वा और चेहरे का रंग नीला था और उसमें जकड़न थी । गले के सामने एक बांधे जाने का निशान था जो बाएं कान तक फैला हुआ था और गर्दन के पीछे और नाक पर भी क्षति और खरोंच के कई चिह्न विद्यमान थे । आंतरिक परीक्षा में यह पाया गया है कि श्वास नली की मांसपेशियां गहरे रंग की थीं और मृत्यु का कारण गला घोंटना था । इस संबंध में रिपोर्ट प्रदर्श पी-20 है । प्रतिपरीक्षा के दौरान पैरा 8 में उसने इस बात से इनकार किया है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना गला घोंट सकता है । अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पैरा 6 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया है, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि गला घोंटने के मामले में गले पर बांधने का चिह्न विद्यमान होना चाहिए । इसके आगे उसने यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान

मामले में गले पर बांधने का चिह्न विद्यमान नहीं था । इस प्रकार विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि यह अभिस्वीकृति ही गला घोंटने की राय के संबंध में संदेह उत्पन्न करती है ।

19. इन दलीलों पर विचार किया गया है ।

20. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि चेहरे, गर्दन, श्वास नली आदि पर उपस्थित सभी चिह्नों से यह निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु गर्दन पर दबाव पड़ने के कारण हुई है । ऐसा फांसी लगाने से नहीं हो सकता और न ही आत्महत्या से क्योंकि चिकित्सक ने स्वयं यह कथन किया है कि कोई व्यक्ति स्वयं अपना गला नहीं घोंट सकता । इसलिए एकमात्र संभावना यह है कि मृत्यु गला घोंटने से नहीं बल्कि हाथों से गला दबाने से हुई है । यद्यपि, गर्दन के आस-पास मौजूद बांधने का निशान हाथों से गला घोंटने की संभावना खारिज हो जाती है और एकमात्र संभावना यह रह जाती है कि गला घोंटने का अन्य कोई तरीका अपनाया गया हो । राधेश्याम (अभि. सा. 4) का साक्ष्य विश्वसनीय पाया गया है जिसमें उसने यह कथन किया है कि कैलाश की गर्दन में फंदा लगाने के बाद उसे घसीटा गया था । गर्दन के पीछे खरोंचों और चोटों की संख्या से राधेश्याम (अभि. सा. 4) के कथनों की अभिपुष्टि होती है । ये क्षतियां कैलाश को घसीटते समय कारित हुई होंगी । चूंकि घसीटते समय कैलाश की गर्दन पर दबाव पड़ा था इसलिए गला घोंटने से उसकी मृत्यु हो गई । इस रीति में चिकित्सक द्वारा दिया गया साक्ष्य, स्पष्टीकरण योग्य है ।

21. अब अभिलेख पर उपलब्ध अन्य पारिस्थितिक साक्ष्यों पर विचार करें तो पता चलता है कि अन्वेषण अधिकारी पी. एन. मालवीय (अभि. सा. 15) के कथन महत्वपूर्ण हैं । उन्होंने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-5) बनाया था और घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े अर्थात् प्रदर्श पी-12 भी अभिगृहीत किए थे । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि अभियुक्तों को प्रदर्श पी-15 और प्रदर्श पी-16 के अनुसार गिरफ्तार किया गया था । अपने ज्ञापन कथनों अर्थात् प्रदर्श पी-17 में अपीलार्थी फखरुद्दीन ने अपनी लुंगी वापस लेने का निवेदन किया

है जिसे उसने कपास की फसल के बीच अपने खेत में छिपा दिया था । यह लुंगी पुरानी लग रही थी जिस पर कई जगहों पर सिलाई के चिह्न और छेद थे । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि यह लुंगी पुराने फेंके हुए कपड़े में से बनाई गई थी जिसका इस्तेमाल कैलाश का गला घोंटने के लिए किया गया होगा । राधेश्याम (अभि. सा. 4) ने यह कथन किया है कि अपीलार्थियों ने कैलाश के गले में लुंगी लपेटी थी और उसे भूमि पर गिराकर घसीटा था । पी. एन. मालवीय (अभि. सा. 15) ने आगे यह कथन किया है कि उसने एक महिला कांस्टेबल के माध्यम से जमीला बी द्वारा पहनी हुई दोनों हाथों की चूड़ियों को बरामद कराया था और उन्हें प्रदर्श पी-19 के अधीन अभिगृहीत किया गया था । घटनास्थल से उठाए गए टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े और जमीला बी की कलाइयों से निकाली गई चूड़ियों को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया । न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रदर्श पी-29 हैं जिसमें वैज्ञानिक परीक्षण के पश्चात् यह पाया गया है कि चूड़ियों के टुकड़े आकार, रंग, विशिष्ट गुरुत्व और मोटाई की दृष्टि से साबुत चूड़ियों से मेल खाते हैं । अन्वेषण अधिकारी पी. एन. मालवीय (अभि. सा. 15) ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-12 में, जो चूड़ियों का अभिग्रहण ज्ञापन है, नमूने को मुहरबंद करने का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है लेकिन इस बात से इनकार किया गया है कि चूड़ियों के टुकड़े मुहरबंद नहीं किए गए थे । घनश्याम (अभि. सा. 8), अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-12) का एक अन्य साक्षी है जिसने टूटी हुई चूड़ियों के अभिग्रहण के तथ्य की अभिपुष्टि की है । उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान ऐसे अभिग्रहण के विषय में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है ।

22. इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि घटनास्थल से बरामद की गई टूटी हुई चूड़ियां जमीला बी (अपीलार्थी सं. 2) की हैं जिससे घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति साबित होती है । उमेश चंद्र (अभि. सा. 10), फखरुद्दीन की सूचना के आधार पर बरामद की गई लुंगी के अभिग्रहण ज्ञापन का साक्षी है । उसने अभियोजन पक्षकथन का समर्थन किया है ।

23. अपील ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि यद्यपि शव 24 घंटे पूर्व देखा गया था लेकिन अन्वेषण अधिकारी ओ. पी. शर्मा (अभि. सा. 13) द्वारा 24 घंटे तक शव को बरामद नहीं किया गया जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा होता है । इस संबंध में ओ. पी. शर्मा (अभि. सा. 13) के साक्ष्य का परिशीलन किया गया । उसने यह कथन किया है कि वह तारीख 29 सितंबर, 2006 को सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था और उसे इस मृत्यु के विषय में सूचना मिली थी और यह सूचना रोजनामचा सं. 1272 में रजिस्ट्रीकृत की गई थी । रोजनामचा अभिलेख पर प्रदर्श डी-2 के रूप में उपलब्ध है जिसमें सायं 6.00 बजे का समय दिखाया गया है । घटनास्थल पुलिस थाने से 12 से 15 किलोमीटर कि दूरी पर था, जैसा कि साक्षी द्वारा पैरा 9 में कथन किया गया है । पैरा 10 में उसने यह कथन किया है कि उसने शव को रात में ही देखा था लेकिन पंचनामा नहीं बनाया क्योंकि तब तक अंधेरा हो चुका था । यह स्पष्टीकरण उचित है क्योंकि अंधेरे में शव पर निशान ठीक से नहीं देखे जा सकते थे और इसलिए अगले दिन सुबह 6.00 बजे पंचनामा तैयार किया गया था । इस प्रकार कोई असामान्य विलंब नहीं हुआ है और साथ ही इस विलंब का उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है ।

24. पी. एन. मालवीय (अभि. सा. 15) द्वारा तैयार किए गए घटनास्थल के नक्शे को देखने से पता चलता है कि इसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है कि 'ऐ' से 'ए/1' तक बिंदीदार रेखा बनाई गई है जो घसीटने का मार्ग दर्शाती है । यह स्थान शकूर की झोपड़ी के पीछे स्थित है । शकूर जो कि बन्नो बी (अभि. सा. 3) का पति है । घटनास्थल से चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े भी मिले हैं । कैलाश का शव घटनास्थल के स्थान 'बी' बिन्दु पर मिला था । घटनास्थल नक्शे में दिखाया गया है कि बिन्दु 'ए/1' से बिन्दु 'बी' के बीच की दूरी 155 कदम है । बिन्दु 'बी' को अपीलार्थी का खेत दिखाया गया है । पुन: बिन्दु 'सी' से बिन्दु 'बी' तक घसीटने के चिह्न बिंदुदार लाल रेखाओं के माध्यम से दिखाए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि बिन्दु

'ए/1' पर गला घोंटकर हत्या करने के पश्चात् कैलाश के शव को बिन्दु 'सी' से बिन्दु 'बी' तक घसीट कर लाया गया था । उक्त स्थान अपीलार्थियों के स्वामित्व में था और यह स्पष्ट करना उनका कर्तव्य था कि कैलाश का शव, जिसके साथ उनका पूर्व में झगड़ा हुआ था, उनके खेत में कैसे मिला । इस प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अधीन सबूत के भार की व्याख्या नहीं की गई है और अपीलार्थियों द्वारा भारमुक्त नहीं किया गया है । उमेश कुमार रावल (अभि. सा. 9), पटवारी हैं जिसने अभिपुष्टि की है कि जिस स्थान से शव बरामद किया गया था वह सर्वेक्षण सं. 397 है और वह इस्माइल, जो फखरुद्दीन का पिता है, के स्वामित्व में है । इस साक्षी ने नक्शा ढूंढ कर निकाला है जो प्रदर्श पी-13 है और इससे संबन्धित खसरा पंचसाला प्रदर्श पी-14 है । इस साक्षी का साक्ष्य अटल है ।

25. इस प्रकार राधेश्याम (अभि. सा. 4) और बन्नो बी (अभि. सा. 3) द्वारा दिए गए साक्ष्य जिसकी पुष्टि डा. विवेक दुबे (अभि. सा. 11) के साक्ष्य से होती है, अपीलार्थी से प्राप्त ज्ञापन और बदामदगी सहित पारिस्थितिक साक्ष्य को ध्यान में रखकर विचार करने के पश्चात् यह सच है कि घटना वाले दिन अपीलार्थी जमीला बी और कैलाश के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें हाथापाई भी शामिल थी और उसके बाद दूसरों के हस्तक्षेप पर कैलाश पीछे हट गया था और वापस जा रहा था और तभी अपीलार्थी फखरुद्दीन नमाज पढ़कर वापस आया । घटना के बारे में पता चलने पर अपीलार्थी और कैलाश को वापस ले आए और फिर उसे शकूर की झोपड़ी के पीछे घसीटा गया और उसके गले में लुंगी बांधकर उसे जमीन पर घसीटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । इसके पश्चात् साक्ष्य नष्ट करने के लिए कैलाश के शव को घसीटते हुए ले जाकर अपने खेत में छिपा दिया था ।

26. प्रयुक्त साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि कैलाश की मृत्यु मानव वध परिणाम था । जिस रीति में मृतक को झोपड़ी के पीछे ले जाकर उसे घसीटने के साथ-साथ गला घोंटा गया उससे मृत्यु कारित करने के आशय का पता चलता है, इसलिए प्रथमत: दंड संहिता की धारा 300 के उपबंध लागू होते हैं । जिस रीति में अपराध कारित

किया गया था ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो अपीलार्थियों को दंड संहिता की धारा 300 के अधीन किसी भी अपवाद का लाभ प्रदान कर सके ।

27. परिणामस्वरूप, हमें दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई दंड संहिता की धारा 302 और धारा 201 के अधीन दोषसिद्धि के निष्कर्ष को अपास्त करने का कोई आधार दिखाई नहीं देता है । उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । दोनों अपीलार्थियों पर अधिरोपित दंडादेश की भी पुष्टि की जाती है तथा यह अपील खारिज की जाती है ।

28. अपीलार्थी सं. 2 वर्तमान में जमानत पर है । अपीलार्थी सं. 2 का जमानत पत्र रद्द किया जाता है । उसे निर्णय की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर दंडादेश के शेष भाग भोगने के लिए अभिरक्षा में लिया जाना चाहिए ।

29. वर्तमान मामले का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ संबंधित विचारण न्यायालय को परिशीलन और अनुपालन के लिए भेजा जाए ।

अपील खारिज की गई ।

जा./अस.

सिंजॉइट मैरंग

बनाम

मेघालय राज्य

(2019 की दांडिक अपील सं. 8)

तारीख 8 दिसंबर, 2021

मुख्य न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू. डिरंगदोह

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) – धारा 5 – गुरुतर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला – पांच वर्षीय पीड़िता के सौतेले पिता द्‌वारा उस पर लैंगिक हमला किया जाना – पीड़िता द्‌वारा किए गए कथनों में घटना का पर्याप्त और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जिसमें कोई विसंगति या भिन्नता दिखाई नहीं देती है और पीड़िता की नानी के कथन की अभिपुष्टि पीड़िता, उसकी माता और नानी के दो पुत्रों के साक्ष्य से भी होती है और इसके अतिरिक्त चिकित्सक के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पांच वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था और साथ ही यह आशा करना सामान्य नहीं है कि पांच वर्ष की कन्या की योनिच्छद विदीर्ण या फटी हुई प्रतीत हो, अतः निचले न्यायालय का दोषसिद्‌धि का निर्णय न्यायोचित है और उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

अपील का निपटारा करने हेतु अभियोजन का पक्षकथन संक्षिप्त में यह है कि वर्तमान घटना तारीख 27 जनवरी, 2017 को घटित हुई थी । उस समय पांच वर्ष की अप्राप्तवय पीड़िता ने तारीख 27 जनवरी, 2017 को अपनी नानी से शिकायत की । जब उस दिन अपराह्न में घर में कोई नहीं था तो उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया । नानी ने अपने पुत्रों को बुलाया और अगले दिन पीड़िता को डा. साइम के पास चिकित्सा परीक्षा के लिए ले गई । अभियोजन पक्षकथन यह भी है कि पीड़िता की माता को बहुत देरी से इस घटना की सूचना दी गई थी तथा पीड़िता की नानी के एक पुत्र (अर्थात् पीड़िता के मामा) के आने के

पश्चात् ही तारीख 18 फरवरी, 2017 को पीड़िता एक और बार परामर्श लेने के लिए चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए पक्षकथन से यह प्रकट होता है कि तारीख 18 फरवरी, 2017 को जब पीड़िता को पुनः डा. साइम के पास लाया गया था तो उसने स्थानीय पुलिस को सूचित किया था जिसके उपरांत अन्वेषण प्रारंभ हुआ । यद्यपि तब तक कोई औपचारिक शिकायत या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी । तारीख 18 फरवरी, 2017 को डा. साइम के चैंबर में जाने के पश्चात् नानी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । इसके पश्चात् मामले में अन्वेषण किया गया । अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 के अधीन दोषसिद्ध किया गया । विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित – अन्वेषण अधिकारी सहित औपचारिक साक्षियों की भी परीक्षा कराई गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि अन्वेषण में कोई भी लापरवाही नहीं हुई है, यद्यपि अन्वेषण औपचारिक रूप से शिकायत प्राप्त होने या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पूर्व ही प्रारंभ हो गया होगा । इस संदर्भ में विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 के उपबंधों और पुलिस के दायित्व का उल्लेख किया कि किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में कोई सूचना मिलने पर उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, भले ही उसके संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न की गई हो । विचारण न्यायालय के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने में हुए विलंब के विषय में बहुत कुछ अभिव्यक्त किया गया है तथा वर्तमान अपील में भी यही आधार दोहराया गया है । विचारण न्यायालय ने यह तर्क दिया है कि इसमें सम्मिलित लोगों की पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रमुख रूप से बालिका और नानी के अशिक्षित होने के कारण कोई अत्यधिक विलंब नहीं हुआ होगा जिससे अन्वेषण प्रभावित हो या अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की गंभीरता कम हो जाए । विचारण न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए कहा है कि ऐसे मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने या शिकायत दर्ज कराने में कुछ

दिनों या हफ्तों के विलंब से शिकायत के गुण-दोष में कमी नहीं आएगी परंतु उसे साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए । वर्तमान मामले में एक पांच वर्षीय पीड़िता ने अपने सौतेले पिता के विरुद्ध बलात्संग का आरोप लगाते हुए अपनी नानी से पेट और योनि में दर्द और बैचेनी की शिकायत की थी । प्रयुक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नानी ने पीड़िता की माता को तुरंत वर्तमान मामले के बारे में नहीं बताया था और पीड़िता की माता को घटना की जानकारी दिए जाने के पश्चात् ही चिकित्सक की राय के लिए दूसरी बार संपर्क किया गया और शिकायत दर्ज कराई गई थी क्योंकि चिकित्सक ने पहले ही पुलिस को वर्तमान मामले की सूचना दे दी थी । पीड़िता की नानी और अपीलार्थी के बीच संबंधों की नाजुक प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि पीड़िता की आयु पांच वर्ष की थी तथा इस विषय में अपने अधिकारों से अनभिज्ञ थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, लगभग 22 दिनों के नाममात्र विलंब को विचारण न्यायालय द्वारा कोई अधिक महत्व नहीं दिया गया है । वर्तमान अपील में मुख्य आधार यह है कि विचारण के दौरान अभिलिखित किया गया पीड़िता का कथन अस्वाभाविक प्रतीत होता है । यहां यह याद रखना चाहिए कि साक्षी से पूछे गए प्रश्न अभिलिखित नहीं किए जाते हैं तथा सामान्य रूप से मात्र उत्तर ही अभिलिखित किए जाते हैं । यह बहुत संभव है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का संदर्भ पीड़िता से पूछे गए प्रश्न में था तथा परिणामस्वरूप उचित उत्तर अभिलिखित करते समय उत्तर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का संदर्भ पाया जाता है । यद्यपि यह संभव है कि पीड़िता ने अपने द्वारा दिए गए उत्तर के दौरान उपबंध का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया हो । जो प्रथा अपनाई जाती है वह यह है कि प्रश्न और उत्तर का सार साक्षी के उत्तर या कथन के रूप में अभिलिखित किया जाता है । इस संबंध में, दूसरा आधार यह है कि अपीलार्थी को पीड़िता की प्रतिपरीक्षा कराने का कोई अवसर नहीं मिला और हो सकता है कि पीड़िता द्वारा दिया गया कथन अभियुक्त की अनुपस्थिति में अभिलिखित किया गया हो, क्योंकि 2012 के उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में किए गए विचारण के दौरान पीड़िता और अभियुक्त को अलग-अलग रखा जाता है । यहां भी यह अपीलार्थी पर निर्भर था कि वह चाहे तो पीड़िता की प्रतिपरीक्षा कर

सकता था और इस संबंध में कोई भी सामग्री प्राप्त न होने पर इस मुद्दे को फिर से उठाने के विलंबित प्रयास की अनुमति नहीं दी जा सकती । किसी भी तरह अपीलार्थी द्वारा धारा 313 के अधीन दिए गए कथन में कोई ठोस बात नहीं कही गई है । जैसा कि इस देश में आम चलन है कि अपीलार्थी ने केवल यह अभिवाक् किया कि वह दोषी नहीं है लेकिन अपने विरुद्ध दिए गए कथनों के सार से अवगत होने के बाद भी उसने कोई सकारात्मक पक्षकथन प्रस्तुत नहीं किया । इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलार्थी ने पीड़िता पर कोई हेतु आरोपित नहीं किया है । दिए गए साक्ष्य से यह पता नहीं चलता कि पांच वर्ष की बच्ची के पास अपने सौतेले पिता को बदनाम करने या उस घटना को बनावटी बनाने का कोई कारण था क्योंकि उसने कथन में बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है । अपीलार्थी की पत्नी ने भी अपनी पुत्री के वृत्तान्त का समर्थन किया है । एक परिपाटी के रूप से डा. साइम को साक्षी के रूप में बुलाया जाना चाहिए था । तथापि, इस साक्षी की अनुपस्थिति से अभियोजन पक्षकथन का महत्व कम हो जाता है । पीड़िता द्वारा किए गए कई कथनों में घटना का पर्याप्त और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । इस संबंध में कोई विसंगति या भिन्नता दिखाई नहीं देती है । जिस नानी को घटना के बारे में सबसे पहले बताया गया था उसने न्यायालय में अपने द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य के दौरान अपने मूल वृत्तान्त को सही-सही दोहराया है । नानी के कथन की अभिपुष्टि पीड़िता की माता और नानी के दो पुत्रों ने भी की है जिनकी परीक्षा अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 के रूप में कराई गई है । इसके अतिरिक्त चिकित्सक के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पांच वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था । यह आशा करना सामान्य नहीं है कि पांच वर्ष की कन्या की योनिच्छद विदीर्ण या फटी हुई होगी, चाहे वह क्षति कितनी भी बड़ी क्यों न हो । वर्तमान मामले में विशेषज्ञ साक्षी की चिकित्सीय राय यह है कि प्रवेशन का संकेत मिलता है । मामले का यह पहलू अपीलार्थी के समक्ष है और वह इसका खंडन नहीं कर पाया है । यह सच है कि पीड़िता के गुप्तांगों या अन्य किसी अंग पर किसी प्रकार की शारीरिक क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है । तथापि, वर्तमान मामले की परिस्थितियों को देखा जाना चाहिए । पीड़िता पांच वर्ष की थी और वह अपने सौतेले पिता से परिचित थी और जब उसके सौतेले पिता ने उसे कमरे में

बुलाया तो उससे विरोध करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी । यहां तक कि जब सौतेले पिता ने पीड़िता की "फुल-पैंट", जो उस समय उसने पहनी हुई थी, को उतारा तब भी पांच वर्ष की बालिका के मस्तिष्क में यह बात नहीं आई होगी कि आगे क्या होने वाला है । इसके अतिरिक्त, हालांकि प्रवेशन का साक्ष्य मौजूद है और पीड़िता का यह कथन भी है कि उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के पश्चात् उसकी योनि गीली हो गई थी लेकिन प्रवेशन की सीमा को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रवेशन के अतिरिक्त दीर्घकालिक मैथुन का कोई साक्ष्य नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई दीर्घकालिक मैथुन नहीं हुआ है तो पीड़िता को कारित क्षति गंभीर प्रकृति की नहीं रही होगी । दोषसिद्धि का निर्णय सभी सुसंगत सामग्रियों से मेल खाता है । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दलील पर सम्यक् रूप से विचार किया है । विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी की आयु को भी ध्यान में रखा है और अधिकतम संभव अवधि के बजाय चौदह वर्ष की अवधि के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया है । साक्ष्यों के समग्र पुनर्मूल्यांकन करने तथा दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश का परिशीलन करने पर ऐसी कोई कमी प्रकट नहीं होती है जिसके आधार पर इस अपील में हस्तक्षेप किया जा सके । (पैरा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 और 19)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 8.

विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 6 नवंबर, 2018 को पारित दोषसिद्धि तथा तारीख 14 नवंबर, 2018 को पारित दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री एस. डी. उपाध्याय (विधिक सहायता परिषद्)
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री के. खान लोक अभियोजक और श्री ए. खारवंलंग (सरकारी अधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी ने दिया ।

मु. न्या. बनर्जी – वर्तमान अपील तारीख 6 नवंबर, 2018 को

पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा तारीख 14 नवंबर, 2018 को पारित दंडादेश से उद्भूत हुई है।

2. अपीलार्थी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5 के अधीन दोषसिद्ध किया गया तथा धारा 6 के अधीन उसके विरुद्ध 14 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000/- रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दंडादिष्ट किया गया ।

3. वर्तमान घटना तारीख 27 जनवरी, 2017 को घटित हुई थी । उस समय पांच वर्ष की अप्राप्तवय पीड़िता ने तारीख 27 जनवरी, 2017 को अपनी नानी से शिकायत की । जब उस दिन अपराह्न में घर में कोई नहीं था तो उसके सौतेले पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया । नानी ने अपने पुत्रों को बुलाया और अगले दिन पीड़िता को डा. साइम के पास चिकित्सा परीक्षा के लिए ले गई । अभियोजन पक्षकथन यह भी है कि पीड़िता की माता को बहुत देरी से इस घटना की सूचना दी गई थी तथा पीड़िता की नानी के एक पुत्र (अर्थात् पीड़िता के मामा) के आने के पश्चात् ही तारीख 18 फरवरी, 2017 को पीड़िता एक और बार परामर्श लेने के लिए चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास किया गया ।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए पक्षकथन से यह प्रकट होता है कि तारीख 18 फरवरी, 2017 को जब पीड़िता को पुनः डा. साइम के पास लाया गया था तो उसने स्थानीय पुलिस को सूचित किया था जिसके उपरांत अन्वेषण प्रारंभ हुआ । यद्यपि तब तक कोई औपचारिक शिकायत या प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी । तारीख 18 फरवरी, 2017 को डा. साइम के चैंबर में जाने के पश्चात् नानी द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ।

5. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन अभिलिखित पीड़िता का कथन संक्षिप्त और स्पष्ट है । विचारण के दौरान पीड़िता ने अपनी परीक्षा के समय अपने उस कथन के सार को ही दोहराया है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस कथन को अन्वेषण अधिकारी के समक्ष सारभूत रूप से दोहराया गया है ।

6. अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई पीड़िता की नानी अपने इस कथन पर अडिग रही है कि उसे पीड़िता ने घटना के विषय में सूचित किया था, जिसके पश्चात् उसने अपने पुत्रों से संपर्क किया और अगले दिन पीड़िता को चिकित्सक के पास ले गई और उसके पश्चात् पीड़िता की माता को घटना के विषय में बताया । पीड़िता की माता ने, जिसकी परीक्षा अभि. सा. 3 के रूप में कराई गई है, यह भी संकेत दिया है कि उसे घटना के विषय में तुरंत पता नहीं चला था और वह तारीख 18 फरवरी, 2017 को डा. साइम के पास दूसरी बार परामर्श हेतु गई थी और तब तक डा. साइम ने वर्तमान मामले की सूचना पुलिस को दे दी थी ।

7. पीड़िता की नानी के दो पुत्रों की अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा कराई गई है तथा उन्होंने अभि. सा. 1 के वृत्तान्त की पर्याप्त रूप से अभिपुष्टि की है, जो पीड़िता द्वारा किए गए कथन के अतिरिक्त अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णायक सामग्री है । इसके अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य के दौरान यह भी सामने आया कि अपीलार्थी घटना के एक दिन पश्चात् तारीख 28 जनवरी, 2017 को वह परिसर छोड़कर अन्यत्र चला गया था । विचारण न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के इस प्रकार के आचरण से अपीलार्थी की ओर से अपराध कारित किए जाने का संकेत मिलता है ।

8. तारीख 18 फरवरी, 2017 को पीड़िता को सरकारी अस्पताल के जिस चिकित्सक के पास ले जाया गया था, उसकी परीक्षा अभि. सा. 6 के रूप में कराई गई है । अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान उसने यह उपदर्शित किया है कि उसे पीड़िता की योनिच्छद अविकल (अक्षत) नहीं मिली तथा उसने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह प्रवेशन का संकेत है । अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान इस चिकित्सक ने भी प्रकट किया है कि योनिच्छद पूर्ण रूप से विदीर्ण थी तथा यह दोहराया है कि इससे निश्चित रूप से प्रवेशन संकेत मिलता है ।

9. अन्वेषण अधिकारी सहित औपचारिक साक्षियों की भी परीक्षा कराई गई है । ऐसा प्रतीत होता है कि अन्वेषण में कोई भी लापरवाही नहीं हुई है, यद्यपि अन्वेषण औपचारिक रूप से शिकायत प्राप्त होने या

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने के पूर्व ही प्रारंभ हो गई होगी । इस संदर्भ में विचारण न्यायालय ने अन्य बातों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156 के उपबंधों और पुलिस के दायित्व का उल्लेख किया कि किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में कोई सूचना मिलने पर उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, भले ही उसके संबंध में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज न की गई हो ।

10. विचारण न्यायालय के समक्ष प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज किए जाने में हुए विलंब के विषय में बहुत कुछ अभिव्यक्त किया गया है तथा वर्तमान अपील में भी यही आधार दोहराया गया है । विचारण न्यायालय ने यह तर्क दिया है कि इसमें सम्मिलित लोगों की पृष्ठभूमि को देखते हुए प्रमुख रूप से बालिका और नानी के अशिक्षित होने के कारण कोई अत्यधिक विलंब नहीं हुआ होगा जिससे अन्वेषण प्रभावित हो या अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की गंभीरता कम हो जाए । विचारण न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए कहा है कि ऐसे मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने या शिकायत दर्ज कराने में कुछ दिनों या हफ्तों के विलंब से शिकायत के गुण-दोष में कमी नहीं आएगी परंतु उसे साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए ।

11. वर्तमान मामले में एक पांच वर्षीय पीड़िता ने अपने सौतेले पिता के विरुद्ध बलात्संग का आरोप लगाते हुए अपनी नानी से पेट और योनि में दर्द और बैचेनी की शिकायत की थी । प्रयुक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नानी ने पीड़िता की माता को तुरंत वर्तमान मामले के बारे में नहीं बताया था और पीड़िता की माता को घटना की जानकारी दिए जाने के पश्चात् ही चिकित्सक की राय के लिए दूसरी बार संपर्क किया गया और शिकायत दर्ज कराई गई थी क्योंकि चिकित्सक ने पहले ही पुलिस को वर्तमान मामले की सूचना दे दी थी । पीड़िता की नानी और अपीलार्थी के बीच संबंधों की नाजुक प्रकृति और इस तथ्य को देखते हुए कि पीड़िता पांच वर्ष की थी तथा इस विषय में अपने अधिकारों से अनभिज्ञ थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, लगभग 22 दिनों के नाममात्र विलंब को विचारण न्यायालय द्वारा कोई अधिक महत्व नहीं दिया गया है ।

12. वर्तमान अपील में मुख्य आधार यह है कि विचारण के दौरान अभिलिखित किया गया पीड़िता का कथन अस्वाभाविक प्रतीत होता है । यहां यह याद रखना चाहिए कि साक्षी से पूछे गए प्रश्न अभिलिखित नहीं किए जाते हैं तथा सामान्य रूप से मात्र उत्तर ही अभिलिखित किए जाते हैं । यह बहुत संभव है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का संदर्भ पीड़िता से पूछे गए प्रश्न में था तथा परिणामस्वरूप उचित उत्तर अभिलिखित करते समय उत्तर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 का संदर्भ पाया जाता है । यद्यपि यह संभव है कि पीड़िता ने अपने द्वारा दिए गए उत्तर के दौरान उपबंध का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया हो । जो प्रथा अपनाई जाती है वह यह है कि प्रश्न और उत्तर का सार साक्षी के उत्तर या कथन के रूप में अभिलिखित किया जाता है ।

13. इस संबंध में, दूसरा आधार यह है कि अपीलार्थी को पीड़िता की प्रतिपरीक्षा कराने का कोई अवसर नहीं मिला और हो सकता है कि पीड़िता द्वारा दिया गया कथन अभियुक्त की अनुपस्थिति में अभिलिखित किया गया हो, क्योंकि 2012 के उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में किए गए विचारण के दौरान पीड़िता और अभियुक्त को अलग-अलग रखा जाता है । यहां भी यह अपीलार्थी पर निर्भर था कि वह चाहे तो पीड़िता की प्रतिपरीक्षा कर सकता था और इस संबंध में कोई भी सामग्री प्राप्त न होने पर इस मुद्दे को फिर से उठाने के विलंबित प्रयास की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

14. किसी भी तरह अपीलार्थी द्वारा धारा 313 के अधीन दिए गए कथन में कोई ठोस बात नहीं कही गई है । जैसा कि इस देश में आम चलन है कि अपीलार्थी ने केवल यह अभिवाक् किया कि वह दोषी नहीं है लेकिन अपने विरुद्ध दिए गए कथनों के सार से अवगत होने के बाद भी उसने कोई सकारात्मक पक्षकथन प्रस्तुत नहीं बनाया । इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलार्थी ने पीड़िता पर कोई हेतु आरोपित नहीं किया है । दिए गए साक्ष्य से यह पता नहीं चलता कि पांच वर्ष की बच्ची के पास अपने सौतेले पिता को बदनाम करने या उस घटना को बनावटी बनाने का कोई कारण था क्योंकि उसने कथन में बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया है । अपीलार्थी की पत्नी ने भी अपनी पुत्री के वृत्तान्त का समर्थन किया है ।

15. अगला आधार, जिस पर बल दिया गया है, यह है कि चिकित्सक द्वारा दिए परिसाक्ष्य में विसंगति महसूस होती है । अपीलार्थी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सक ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि योनिच्छद अविकल नहीं थी किंतु उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि योनिच्छद पूर्ण रूप से विदीर्ण थी, इससे यह संकेत मिलता है कि उसने अभियोजन पक्षकथन को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है । अपीलार्थी इस प्रकार के तर्क से कुछ विशेष तथ्य प्राप्त नहीं होता है । योनिच्छद या तो अविकल थी या विदीर्ण थी । अगर यह पूर्ण रूप से अविकल थी तो यह विदीर्ण नहीं थी और अगर विदीर्ण थी तो मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता है कि यह किस सीमा तक विदीर्ण थी । ऐसा लगता है कि अपीलार्थी पूरी तरह डूब रहा है फिर भी तिनके का सहारा लेना चाहता है ।

16. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने इसके आगे यह अभिवाक् किया है कि डा. साइम की, जिनसे पीड़िता की नानी ने तारीख 28 जनवरी, 2017 को और फिर तारीख 18 फरवरी, 2017 को संपर्क किया था, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षा नहीं कराई गई है । इसके आगे उन्होंने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा डा. साइम को साक्षी के रूप में न बुलाए जाने के कारण नानी के वृत्तान्त का अधिकांश भाग संपुष्टि से वंचित रह गया है । अपीलार्थी ने यह भी दावा किया कि यदि पीड़िता को घटना के एक दिन बाद चिकित्सक के पास ले जाया गया होता तो उसे कोई सलाह अवश्य दी गई होती या उपचार का कोई तरीका सुझाया गया होता तथा इस पहलू को विचारण के दौरान स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता थी ।

17. एक परिपाटी के रूप से डा. साइम को साक्षी के रूप में बुलाया जाना चाहिए था । तथापि, इस साक्षी की अनुपस्थिति से अभियोजन पक्षकथन का महत्व कम हो जाता है । पीड़िता द्वारा किए गए कई कथनों में घटना का पर्याप्त और स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है । इस संबंध में कोई विसंगति या भिन्नता दिखाई नहीं देती है । जिस नानी को घटना के बारे में सबसे पहले बताया गया था उसने न्यायालय में अपने द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य के दौरान अपने मूल वृत्तान्त को

सही-सही दोहराया है । नानी के कथन की अभिपुष्टि पीड़िता की माता और नानी के दो पुत्रों ने भी की है जिनकी परीक्षा अभि. सा. 4 और अभि. सा. 5 के रूप में कराई गई है । इसके अतिरिक्त चिकित्सक के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पांच वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था । यह आशा करना सामान्य नहीं है कि पांच वर्ष की कन्या की योनिच्छद विदीर्ण या फटी हुई होगी, चाहे वह क्षति कितनी भी बड़ी क्यों न हो । वर्तमान मामले में विशेषज्ञ साक्षी की चिकित्सीय राय यह है कि प्रवेशन का संकेत मिलता है । मामले का यह पहलू अपीलार्थी के समक्ष है और वह इसका खंडन नहीं कर पाया है ।

18. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल की अंतिम दलील यह है कि यह कल्पना के परे है कि एक वयस्क व्यक्ति पांच वर्ष की बालिका के साथ प्रवेशात्मक मैथुन करेगा और अभिकथित पीड़िता पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

19. यह सच है कि पीड़िता के गुप्तांगों या अन्य किसी अंग पर किसी प्रकार की शारीरिक क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है । तथापि, वर्तमान मामले में आस-पास की परिस्थितियों को देखा जाना चाहिए । पीड़िता पांच वर्ष की थी और वह अपने सौतेले पिता से परिचित थी और जब उसके सौतेले पिता ने उसे कमरे में बुलाया तो उससे विरोध करने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी । यहां तक कि जब सौतेले पिता ने पीड़िता की "फुल-पैंट", जो उस समय उसने पहनी हुई थी, तब भी पांच वर्ष की बालिका के मस्तिष्क में यह बात नहीं आई होगी कि आगे क्या होने वाला है । इसके अतिरिक्त, हालांकि प्रवेशन का साक्ष्य मौजूद है और पीड़िता का यह कथन भी है कि उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के पश्चात् उसकी योनि गीली हो गई थी लेकिन प्रवेशन की सीमा को दर्शाने वाला कोई साक्ष्य नहीं है ।

20. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रवेशन के अतिरिक्त दीर्घकालिक मैथुन का कोई साक्ष्य नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई दीर्घकालिक मैथुन नहीं हुआ है तो पीड़िता को कारित क्षति गंभीर प्रकृति नहीं रही होगी ।

21. दोषसिद्धि का निर्णय सभी सुसंगत सामग्रियों से मेल खाता है । विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत दलील पर सम्यक् रूप से विचार किया है । विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी की आयु को भी ध्यान में रखा है और अधिकतम संभव अवधि के बजाय चौदह वर्ष की अवधि के कठोर कारावास का दंडादेश पारित किया है । साक्ष्यों के समग्र पुनर्मूल्यांकन करने तथा दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश का परिशीलन करने पर ऐसी कोई कमी प्रकट नहीं होती है जिसके आधार पर इस अपील में हस्तक्षेप किया जा सके ।

22. तद्नुसार, 2019 की दांडिक अपील सं. 8 खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जा./अस.

(2022) 2 दा. नि. प. 220 **सिक्किम**

केन्द्रप लेप्चा

बनाम

सिक्किम राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 41)

तारीख 1 जून, 2020

न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(च), (ढ), (झ) (2013 संशोधन से पूर्व) और धारा 354 [सपठित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(च), (झ), (ड) धारा 9 (च), (झ), (च)] – बलात्संग या गुरुतर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले का आरोप – अभियुक्त/अपीलार्थी (शिक्षक) द्वारा अभिकथित रूप से विद्यालय की अप्राप्तवय छात्रा पर लैंगिक हमला किया जाना – पीड़िता ने अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त वक्षस्थल को स्पर्श करता था तथा उसकी योनि पर भी हाथ रखता था – अप्राप्तवय पीड़िता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता,

1973 (1973 का 2) की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए कथन की अपेक्षाकृत प्रतिपरीक्षा के दौरान दिए गए कथन में सुधार किया जाना – चिकित्सा साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अभियुक्त द्‌वारा अप्राप्तवय पीड़िता पर प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला या उसके साथ बलात्संग किया गया है – अप्राप्तवय पीड़िता द्‌वारा प्रतिपरीक्षा के दौरान स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त ने न तो अपने वस्त्र खोले और न ही उसके, ऐसी परिस्थितियों में पीड़िता की योनिच्छद का अविकल न होना मात्र इस बात का प्रमाण नहीं है कि अभियुक्त द्‌वारा बलात्संग या प्रवेशनात्मक लैंगिक हमला किया गया है किन्तु पीड़िता का इस बात पर दृढ़ रहने से कि अभियुक्त ने उसके वक्षस्थल और योनि को स्पर्श किया था, अभियुक्त द्‌वारा अप्राप्तवय पीड़िता पर लैंगिक हमला किया जाना सिद्‌ध हो जाता है, अतः अभियुक्त की दोषसिद्‌धि की पुष्टि केवल पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च), 9(1) और 9(ड) के अधीन ही की जाती है ।

इस मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) तारीख 11 दिसंबर, 2016 को गांव के पंचायत सदस्य अप्राप्तवय पीड़िता की माता पीड़िता की बहिन, दूसरी बहिन, तीसरी बहिन और चौथी बहिन द्‌वारा दर्ज कराई गई थी जिन्हें सामूहिक रूप से प्रथम इत्तिलाकर्ता कहा गया है और ये पांचों कन्याएं की पुत्रियां हैं जो विद्‌यालय की छात्राएं हैं जिनकी आयु 7 से 11 वर्ष के बीच है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) में यह अभिकथन किया गया है कि विद्‌यालय की पांच छात्राओं में से एक "ओ" की माता अर्थात् कुछ दिन पूर्व उसे स्नान करा रही थी, तभी उसने उसके स्तनों पर लालिमा देखी । इसलिए उसने "ओ" से इस विषय में पूछा लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया । थोड़ी देर के पश्चात् "ओ" ने घटना के विषय में बताया और सूचित किया कि उसका और उसके विद्‌यालय की अन्य छात्राओं का उनके शिक्षक अर्थात् वर्तमान अपीलार्थी द्‌वारा लैंगिक हमला किया जा रहा है । प्रथम इत्तिला देने वालों ने यह भी अभिकथन किया कि विद्‌यालय की छात्राओं ने प्रथम सूचना देने वालों को यह बताया कि अपीलार्थी कक्षा में तथा कक्षा के बाहर उनके स्तनों को स्पर्श करता था । प्रथम इत्तिलाकर्ताओं के अनुसार विद्‌यालय की छात्राओं ने इसके आगे यह अभिकथन किया कि

अपीलार्थी उनके गुप्तांगों में अपनी उंगली डालता था और उनके समक्ष उसे चाटता भी था । वह उनके समक्ष लैंगिक इशारे भी करता था तथा उन्हें धमकी देता था कि अगर उन्होंने अपने माता-पिता या किसी को इस विषय में बताया तो वह उनके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर देगा । इस सूचना के आधार पर तारीख 11 दिसंबर, 2016 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 25(12)16 रजिस्ट्रीकृत की गई और इस मामले के अन्वेषण के लिए पुलिस निरीक्षक कर्मा यूडेन कालेऑन को सौंप दिया गया । इसके पश्चात् अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूरा किए जाने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र फ़ाइल किया गया और विचारण न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के पश्चात् अभियुक्त/अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376(2)(च), 376(ढ) और 376(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(च), 5(एल) और 5(ड) के अधीन और दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध कारित किए जाने का दोषी पाया गया । विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फ़ाइल की । अपील भागतः मंजूर करते हुए

अभिनिर्धारित – इस मामले चिकित्सा साक्ष्य ठोस नहीं है । डा. रोजीला भूटिया द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपीलार्थी ने अप्राप्तवय पीड़िता पर लैंगिक हमला या उसके साथ बलात्संग किया था । अप्राप्तवय पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने यह बताया था कि अपीलार्थी ने न तो अपने वस्त्र खोले थे और न ही उसके वस्त्र । इन परिस्थितियों में पीड़िता की योनिच्छद के अविकल न होने को केवल अपीलार्थी के कृत्य से जोड़ना संभव नहीं है । इसलिए अपीलार्थी को यौन उत्पीड़न या बलात्संग के लिए दोषी ठहराना अत्यंत कठिन होगा । तथापि, अप्राप्तवय पीड़िता ने अपीलार्थी द्वारा उसके वक्ष और योनि को स्पर्श किए जाने के बारे में सदैव ही कहा है । इस तथ्य की अभिपुष्टि उसके कथन (प्रदर्श 6) के साथ-साथ अभिसाक्ष्य से भी हुई है । घटना के समय अप्राप्तवय पीड़िता की आयु मात्र आठ वर्ष थी और इसलिए वह सभी प्रकार के दबावों और भ्रमों से प्रभावित रही होगी । तथापि, यह निश्चित है कि अपीलार्थी ने वास्तव में अप्राप्तवय पीड़िता पर लैंगिक हमला किया था ।

यह निश्चित है कि अपीलार्थी ने वास्तव में अप्राप्तवय पीड़िता पर लैंगिक हमला किया था । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भी यह साबित हुआ है कि अपीलार्थी ने लैंगिक हमला किया था । यह तथ्य कि अपीलार्थी अप्राप्तवय पीड़िता का शिक्षक था, अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा पर्याप्त रूप से साबित किया गया है जिनमें अप्राप्तवय पीड़िता, उसकी माता और सिक्किम सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग में कार्यरत दो कर्मचारी सम्मिलित हैं जो (उप सचिव) और (संयुक्त सचिव) हैं और इन्हीं साक्षियों ने अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश (प्रदर्श-8 और प्रदर्श-9) को साबित किया है । यद्यपि अप्राप्तवय पीड़िता की आयु को चुनौती नहीं दी गई है, फिर भी उसकी माता और पिता के साक्ष्य, जन्म प्रमाणपत्र (प्रदर्श-20), विद्यालय के भारसाधक प्रधानाचार्य द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य से उसकी आयु निर्णायक रूप से साबित हो गई है, प्रधानाचार्य ने विद्यालय-प्रवेश-रजिस्टर (प्रदर्श-14) में की गई प्रविष्टि को साबित कर दिया है जिसके अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 24 जून, 2008 दिखाई गई है जिसकी पुष्टि उसके जन्म प्रमाणपत्र (प्रदर्श 20) से भी हो जाती है । इस प्रकार अपराध के समय अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) की आयु बारह वर्ष से कम थी । परिणामस्वरूप, पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च), 9(झ) और 9(ड) के अधीन अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(च), 5(झ) और 5(ड) के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है । दंड संहिता की धारा 71 को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भी अपास्त किया जाता है । यद्यपि विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 के उपबंध को देखा था, फिर भी उन्होंने अपीलार्थी को दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडादिष्ट किया है । ऐसा करना त्रुटिपूर्ण और अवैध है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 में यह उपबंध है कि ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी या तो पॉक्सो अधिनियम या दंड संहिता के अधीन उत्तरदायी होगा जिसमें भी गुरुतर दंड के लिए जिसमें भी उपबंधित हो । विद्वान् विशेष न्यायाधीश को यह विचार करना था कि दोनों विधियों में

किस विधि के अधीन अपराध की मात्रा अधिक है और तद्नुसार ही अपीलार्थी को दंडादिष्ट किया जाना चाहिए था । तथापि, चूंकि हम अपीलार्थी के विरुद्ध प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले और बलात्संग के लिए दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, इसलिए हमें आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है । विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376(2)(च), 376(ढ) और 376(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(च), 5(एल) और 5(ड) के अधीन दंडादिष्ट किया है जिसे अपास्त किया जाता है । दंड संहिता की धारा 354 के अधीन पारित किए गए दंडादेश को भी अपास्त किया जाता है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च), 9(ठ) और 9(ड) के अधीन पारित किए गए दंडादेश को कायम रखा जाता है । (पैरा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2006]	(2006) 9 एस. सी. सी. 713 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2006 एस. सी. 409 : **येरु माउआ लचैया** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ।	8

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 41.

2017 के सेशन विचारण (पॉक्सो) मामला सं. 12 में विद्वान् विशेष न्यायाधीश, उत्तर सिक्किम द्वारा तारीख 31 मई, 2018 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री अजय राठी

प्रत्यर्थी की ओर से श्री हिसे ग्याल्टसेन, सुश्री मुकुन डोल्मा तमांग सहायक लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान ने दिया ।

न्या. प्रधान – अपीलार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत है जिसे अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5), जो एक विद्यालय की छात्रा है, के साथ बलात्संग, प्रवेशन के साथ गुरुतर लैंगिक

हमला कारित करने और उस पर लज्जाभंग करने के आशय से हमला करने के अपराध के लिए दोषसिद्ध तथा कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया था । वर्तमान अपील में तारीख 31 मई, 2018 के इसी दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को चुनौती दी गई है ।

2. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) तारीख 11 दिसंबर, 2016 को गांव के पंचायत सदस्य (अभि. सा. 6), अप्राप्तवय पीड़िता की माता (अभि. सा. 1), पीड़िता (अभि. सा. 5), पीड़िता की बहिन (अभि. सा. 7), दूसरी बहिन (अभि. सा. 9), तीसरी बहिन (अभि. सा. 10), और चौथी बहिन (अभि. सा. 14) द्वारा दर्ज कराई गई थी जिन्हें सामूहिक रूप से प्रथम इत्तिलाकर्ता निर्दिष्ट किया गया है और ये पांचों कन्याएं अभि. सा. 1 की पुत्रियां हैं जो विद्यालय की छात्राएं हैं जिनकी आयु 7 से 11 वर्ष के बीच है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) में यह अभिकथन किया गया है कि विद्यालय की पांच छात्राओं में से से एक "ओ" की माता अर्थात् अभि. सा. 14 कुछ दिन पूर्व उसे स्नान करा रही थी, तभी उसने उसके स्तनों पर लालिमा देखी । इसलिए उसने "ओ" से इस विषय में पूछा लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया । थोड़ी देर के पश्चात् "ओ" ने घटना के विषय में बताया और अभि. सा. 14 को सूचित किया कि उसका और उसके विद्यालय की अन्य छात्राओं का उनके शिक्षक अर्थात् वर्तमान अपीलार्थी द्वारा लैंगिक हमला किया जा रहा है । प्रथम इत्तिला देने वालों ने यह भी अभिकथन किया कि विद्यालय की छात्राओं ने प्रथम सूचना देने वालों को यह बताया कि अपीलार्थी कक्षा में तथा कक्षा के बाहर उनके स्तनों को स्पर्श करता था । प्रथम इत्तिलाकर्ताओं के अनुसार विद्यालय की छात्राओं ने इसके आगे यह अभिकथन किया कि अपीलार्थी उनके गुप्तांगों में अपनी उंगली डालता था और उनके समक्ष उसे चाटता भी था । वह उनके समक्ष लैंगिक इशारे भी करता था तथा उन्हें धमकी देता था कि अगर उन्होंने अपने माता-पिता या किसी को इस विषय में बताया तो वह उनके लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर देगा ।

3. इस सूचना के आधार पर तारीख 11 दिसंबर, 2016 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 25(12)16 रजिस्ट्रीकृत की गई और इस मामले के

अन्वेषण के लिए पुलिस निरीक्षक कर्मा यूडेन कालेऑन (अभि. सा. 17) को सौंप दिया गया ।

4. अन्वेषण के दौरान अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) की तारीख 11 दिसंबर, 2016 को डाक्टर रोजीला भूटिया (अभि. सा. 13) ने चिकित्सा जांच की और चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श 13) तैयार की । तारीख 11 दिसंबर, 2016 को डा. रोजीला भूटिया (अभि. सा. 13) ने अपीलार्थी की भी चिकित्सा परीक्षा की और चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श-13) तैयार की । अपीलार्थी की भी तारीख 11 दिसंबर, 2016 को डा. दावा डोलमा भूटिया (अभि. सा. 16) ने परीक्षा की और चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श-16) तैयार की । अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) का कथन (प्रदर्श-6) दंड संहिता, 1973 की धारा 164 के अधीन विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट (अभि. सा. 12) द्वारा तारीख 26 दिसंबर, 2016 को अभिलिखित किया गया ।

5. तारीख 28 अप्रैल, 2017 को अपीलार्थी के विरुद्ध उसी विद्यालय की पांच छात्राओं पर कारित किए गए अभिकथित अपराध के लिए एक समेकित आरोप पत्र फाइल किया गया जिस विद्यालय में वह शिक्षक था । आरोप विरचित करने के चरण में विद्यालय की पांचों अप्राप्तवय छात्राओं के साथ कारित किए गए अभिकथित अपराधों के विचारण को विभाजित किया गया और प्रत्येक छात्रा से संबन्धित विचारण पृथक् रूप से किया गया ।

6. तारीख 10 अक्तूबर, 2017 को विद्वान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) उत्तर सिक्किम मंगन (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "विशेष न्यायाधीश" कहा गया है) द्वारा 2017 के सेशन विचारण (पॉक्सो) मामला सं. 12 (सिक्किम राज्य बनाम केद्रप लेप्चा) ने अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) के विरुद्ध अभिकथित अपराध कारित किए जाने के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध दस आरोप विरचित किए । अपीलार्थी ने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 17) सहित अट्ठारह साक्षियों की परीक्षा कराई गई ।

7. तारीख 25 मई, 2018 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी की परीक्षा कराई गई । अपीलार्थी ने दावा किया कि

उसे मिथ्या फंसाया गया है क्योंकि वह एक सख्त (नियमनिष्ठ) शिक्षक था तथा विद्यालय की छात्राओं के माता-पिता उसे पंसद नहीं करते थे । जब अपीलार्थी ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी साक्षी प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया तो मामले की सुनवाई के दौरान विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने तारीख 31 मई, 2018 को दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश पारित किया ।

8. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अजय राठी ने यह दलील दी है कि अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) का अभिसाक्ष्य असंगत है । यह साबित करने के लिए उन्होंने अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) की प्रतिपरीक्षा की ओर हमारा ध्यान दिलाया है । यह दलील दी गई कि चिकित्सा साक्ष्य अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) के साक्ष्य से मेल नहीं खाता है । यह तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष ने अन्य विद्यालय की छात्राओं की परीक्षा नहीं कराई है । उन्होंने **येरु माउआ लचैया** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है तथा दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया है ।

9. विद्वान् सहायक लोक अभियोजक श्री हिसे ग्यालत्सेन ने अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) के परिसाक्ष्य का अवलंब लिया है और यह दलील दी है कि मामूली विरोधाभासों को छोड़कर उसका साक्ष्य तर्कपूर्ण है और इसीलिए इसे विश्वसनीय कहा जा सकता है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को साबित कर दिया गया है । दोषसिद्धि का निर्णय और दंडादेश दोनों ही उचित हैं ।

10. डा. रोजीला भूटिया (अभि. सा. 13) चिकित्सा अधिकारी है जिन्होंने तारीख 11 दिसंबर, 2016 को अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) की परीक्षा चिकित्सा जांच की थी और उसी दिन जब प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) दर्ज की गई थी । उस दिन उन्हें उसके शरीर पर कोई बाहरी क्षति नहीं मिली थी तथा योनि की जांच करने पर उन्हें दूधिया सफेद स्राव मिला जो सूख गया था । उन्होंने यह भी पाया कि योनिच्छद

---

[1] (2006) 9 एस. सी. सी. 713 = ए. आई. आर. ऑनलाइन 2006 एस. सी. 409.

अविकल नहीं था और उसमें एक अंगुली ही जा सकती थी । उसने उस स्थान पर कोमलता देखी और यह निष्कर्ष निकाला कि लैंगिक हमले के नैदानिक साक्ष्य थे । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने स्वीकार किया कि दूधिया सफेद स्राव एक सामान्य जैविक घटना है और योनिच्छद का फटना दृढ़ शारीरिक गतिविधि के कारण हो सकता है । उसने स्वीकार किया कि प्रवेशन के बिना भी योनि एक अंगुली के समान ढीली हो सकती है । उन्होंने इसके आगे यह भी स्वीकार किया कि लैंगिक हमले के नैदानिक साक्ष्य के विषय में उनका निष्कर्ष अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 17) द्वारा रिपोर्ट किए गए पूर्ववर्ती आचरण और अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) की चिकित्सा परीक्षा पर आधारित था । डा. दावा डोलमा भूटिया (अभि. सा. 16) को भी, जिन्होंने तारीख 11 दिसंबर, 2016 को अपीलार्थी की परीक्षा की थी उसके शरीर पर कोई भी क्षति दिखाई नहीं दी है ।

11. अभि. सा. 1 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसे कुछ सह-ग्रामवासियों से ज्ञात हुआ जिनके बच्चे अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) के साथ उसी विद्यालय में पढ़ते थे । उनके अनुसार अपीलार्थी पर भी लैंगिक हमला किया था । जब उसने अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) से प्रश्न किया तो उसने इस बात की पुष्टि की कि अपीलार्थी उसके वक्ष और योनि पर अपने हाथ रखता था । प्रतिपरीक्षा के दौरान उसने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी के अतिरिक्त विद्यालय में दो और शिक्षक थे । यह विद्यालय एक सह-शिक्षा (कोएजुकेशन) विद्यालय था जो गांव में ही स्थित था और कई घरों से घिरा हुआ था । इस इलाके के लोग प्राय: इस विद्यालय परिसर से गुजरते थे । अपीलार्थी एक सख्त शिक्षक था और वह हर माह हिन्दी और गणित विषय की लघु-परीक्षा आयोजित किया करता था ; उसकी पुत्री पढ़ाई में अच्छी नहीं थी; जब अपीलार्थी उस विद्यालय में शिक्षक था तब उसकी पुत्री नियमित रूप से विद्यालय जाती थी ; इस साक्षी को व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मालूम है कि उसकी पुत्री या अन्य विद्यालय की छात्राओं पर कोई लैंगिक हमला हुआ है या नहीं । इस मामले को लेकर गांव में उसके माता-पिता और ग्रामीणों के बीच एक बैठक हुई थी तथा उक्त बैठक से पूर्व उसकी पुत्री ने कभी-भी अपीलार्थी द्वारा लैंगिक हमला किए जाने या उसके

गुप्तांगों में किसी प्रकार के दर्द के विषय में शिकायत नहीं की थी । उसने सुसंगत अवधि के दौरान और उसके आस-पास अपनी पुत्री के अंत:वस्त्र में किसी प्रकार के रक्त के धब्बे नहीं देखे थे । इस बैठक का आयोजन एक पीड़िता की माता के कहने पर किया गया था जो विद्यालय में नहीं बल्कि गांव में किया गया था । उक्त बैठक से पूर्व उन्होंने कभी नहीं सुना था कि अपीलार्थी ने किसी भी विद्यालय की छात्रा पर किसी प्रकार का लैंगिक हमला किया है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) पर पीड़ितों में से एक की माता के आग्रह पर उनके द्वारा हस्ताक्षर कराए गए थे । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) उनके द्वारा नहीं लिखा गया था तथा इसकी अंतर्वस्तु के बारे में भी वह नहीं जानती थी जिसे पढ़कर भी उसे नहीं समझाया गया था ।

12. अन्य प्रथम इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 6, अभि. सा. 7, अभि. सा. 9 और अभि. सा. 10 ने अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने सुना था कि विद्यालय की छात्राओं पर अपीलार्थी द्वारा लैंगिक हमला किया गया था । उसके पश्चात्, बैठक आहूत की गई और फिर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) दर्ज किया गया था । सभी प्रथम इत्तिलाकर्ताओं ने अपीलार्थी की न्यायालय में पहचान की ।

13. प्रथम इत्तिलाकर्ता के द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य से यह ज्ञात होता है कि विद्यालय की पांचों छात्राओं में से प्रत्येक ने अपनी-अपनी माताओं अर्थात् प्रथम इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 1, अभि. सा. 7, अभि. सा. 9, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 14 को बताया था कि अपीलार्थी द्वारा उन पर लैंगिक उत्पीड़न किया गया था । विद्यालय की छात्राओं से जो कुछ भी सुना गया वह उनके द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के अनुसार हो सकता है । तथापि, विद्यालय की छात्राओं ने प्रथम इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 1, अभि. सा. 7, अभि. सा. 9, अभि. सा. 10 और अभि. सा. 14 को जो कुछ बताया था उसकी सच्चाई और सत्यता की पुष्टि तभी हो सकती थी जब उन छात्राओं की परीक्षा की गई होती । तथापि, अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) के अतिरिक्त किसी भी विद्यालय की छात्रा की परीक्षा नहीं कराई गई । इसलिए तारीख 11 दिसंबर, 2016 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श-1) में छहों प्रथम

इत्तिलाकर्ताओं द्वारा अभिकथन की सच्चाई और सत्यता मात्र अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) के साक्ष्य पर ही निर्भर करती है ।

14. अभिसाक्ष्य देने के दौरान पीड़िता (अभि. सा. 5) की आयु दस वर्ष थी । उसने न्यायालय में अपीलार्थी की शनाख्त की और उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह उनका शिक्षक हुआ करता था । उसने उसका नाम "केन्द्रप सर" भी बताया जो उन्हें अंग्रेजी, पर्यावरण विज्ञान और गणित पढ़ाता था । उसने यह भी प्रकट किया है कि जब वह तीसरी कक्षा में थी तो अपीलार्थी उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करने के बहाने उसके वक्ष पर हाथ लगाया करता था । उसके अनुसार अपीलार्थी ने ऐसा लगभग दो अवसरों पर किया होगा । उसने इसके आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि अपीलार्थी उसकी शर्ट/स्कर्ट को ठीक करने के बहाने से उसकी योनि में अपनी अंगुलियां प्रविष्ट करता था । उसने यह भी कहा कि वह कक्षा में और अपने घर में ट्यूशन पढ़ाते समय भी उपरोक्त कृत्य करता था । उसने यह सत्यापित किया है कि उसने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष यह कथन किया था कि अपीलार्थी ने अपने वस्त्र नहीं खोले थे । उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसने विद्वान् मजिस्ट्रेट को सूचित किया था कि वह अपीलार्थी का नाम नहीं जानती है । उसने यह स्वीकार किया है कि उसने विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष यह भी कथन नहीं किया था कि अपीलार्थी ने उसके साथ कितनी बार यह अभिकथित कृत्य किया था और साथ ही यह तथ्य भी नहीं बताया था कि अपीलार्थी अपने घर पर ट्यूशन के दौरान उसके साथ छेड़छाड़ करता था । उसने यह स्वीकार किया है कि अभिकथित घटनाएं विद्यालय की कक्षा में हुई थीं जहां विद्यालय की अन्य छात्राएं भी उपस्थित थीं । फिर उसने स्पष्ट यह किया है कि उस समय विद्यालय की अन्य छात्राएं कक्षा से बाहर चली जाती थीं । उसने यह स्वीकार किया है कि अपीलार्थी एक सख्त शिक्षक था ।

15. अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) की प्रतिपरीक्षा से यह पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए कथनों से अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) की कहानी में सुधार हुआ है । उसने यह कथन नहीं किया था कि

अपीलार्थी उसकी शर्ट और स्कर्ट को सही करने के बहाने उसकी योनि में हाथ डालता था जबकि उसने यह बात अपने अभिसाक्ष्य में बताई है । वास्तव में उसने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि अपीलार्थी ने न तो अपने वस्त्र खोले थे और न ही उसके वस्त्र । अपने कथन (प्रदर्श 6) में उसने यह प्रकट किया था कि अपीलार्थी उसकी छाती को स्पर्श करता था और उसकी योनि पर हाथ रखता था ।

16. इस मामले में चिकित्सा साक्ष्य ठोस नहीं है । डा. रोजीला भूटिया (अभि. सा. 13) द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि अपीलार्थी ने अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) पर लैंगिक हमला या बलात्संग किया था । अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसने यह बताया था कि अपीलार्थी ने न तो अपने वस्त्र खोले थे और न ही उसके वस्त्र । इन परिस्थितियों में पीड़िता की योनिच्छद के अविकल न होने को केवल अपीलार्थी के कृत्य से जोड़ना संभव नहीं है । इसलिए अपीलार्थी को यौन उत्पीड़न या बलात्संग के लिए दोषी ठहराना अत्यंत कठिन होगा ।

17. तथापि, अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) ने अपीलार्थी द्वारा उसके वक्ष और योनि को स्पर्श किए जाने के बारे में सदैव ही कहा है । इस तथ्य की अभिपुष्टि उसके कथन (प्रदर्श 6) के साथ-साथ अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य से भी हुई है । घटना के समय अप्राप्तवय पीड़िता की आयु मात्र आठ वर्ष थी और इसलिए वह सभी प्रकार के दबावों और भ्रमों से प्रभावित रही होगी । तथापि, यह निश्चित है कि अपीलार्थी ने वास्तव में अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) पर लैंगिक हमला किया था ।

18. यह निश्चित है कि अपीलार्थी ने वास्तव में अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) पर लैंगिक हमला किया था । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भी यह साबित हुआ है कि अपीलार्थी ने लैंगिक हमला किया था ।

19. यह तथ्य कि अपीलार्थी अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) का

शिक्षक था, अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा पर्याप्त रूप से साबित किया गया है जिनमें अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5), उसकी मां (अभि. सा. 1) और सिक्किम सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग में कार्यरत दो कर्मचारी सम्मिलित हैं जो अभि. सा. 3 (उप सचिव) और अभि. सा. 4 (संयुक्त सचिव) हैं और इन्हीं साक्षियों ने अपीलार्थी के नियुक्ति आदेश (प्रदर्श-8 और प्रदर्श-9) को साबित किया है ।

20. यद्यपि अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) की आयु को चुनौती नहीं दी गई है, फिर भी उसकी माता (अभि. सा. 1) और पिता (अभि. सा. 18) के साक्ष्य, जन्म प्रमाणपत्र (प्रदर्श-20), विद्यालय के भारसाधक प्रधानाचार्य (अभि. सा. 15) द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य से उसकी आयु निर्णायक रूप से साबित हो गई है, प्रधानाचार्य ने विद्यालय-प्रवेश-रजिस्टर (प्रदर्श-14) में की गई प्रविष्टि को साबित कर दिया है जिसके अनुसार पीड़िता की जन्मतिथि 24 जून, 2008 दिखाई गई है जिसकी पुष्टि उसके जन्म प्रमाणपत्र (प्रदर्श 20) से भी हो जाती है । इस प्रकार अपराध के समय अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) की आयु बारह वर्ष से कम थी ।

21. परिणामस्वरूप, पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च), 9(झ) और 9(ड) के अधीन अपराध कारित करने के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(च), 5(झ) और 5(ड) के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया जाता है । दंड संहिता की धारा 71 को ध्यान में रखते हुए दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भी अपास्त किया जाता है ।

22. यद्यपि विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 42 के उपबंध को देखा था, फिर भी उन्होंने अपीलार्थी को दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 के अधीन दंडादिष्ट किया है । ऐसा करना त्रुटिपूर्ण और अवैध है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 42 में यह उपबंध है कि ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी या तो पॉक्सो अधिनियम या दंड संहिता के अधीन उत्तरदायी होगा जिसमें भी गुरुतर दंड के लिए जिसमें भी उपबंधित हो । विद्वान् विशेष न्यायाधीश को यह

विचार करना था कि दोनों विधियों में किस विधि के अधीन अपराध की मात्रा अधिक है और तद्नुसार ही अपीलार्थी को दंडादिष्ट किया जाना चाहिए था । तथापि, चूंकि हम अपीलार्थी के विरुद्ध प्रवेशनात्मक लैंगिक हमले और बलात्संग के लिए दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप करना चाहते हैं, इसलिए हमें आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है ।

23. विद्वान् विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 376(2)(च), 376(ढ) और 376(2) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 2(च), 5(एल) और 5(ड) के अधीन दंडादिष्ट किया है जिसे अपास्त किया जाता है । दंड संहिता की धारा 354 के अधीन पारित किए गए दंडादेश को भी अपास्त किया जाता है । पॉक्सो अधिनियम की धारा 9(च), 9(एल) और 9(ड) के अधीन पारित किए गए दंडादेश को कायम रखा जाता है ।

24. जैसा कि विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा निदेश दिया गया है, पुष्टि किए गए सभी दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

25. परिणामस्वरूप विद्वान् विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए प्रतिकर को संशोधित किया जाता है और निदेश दिया जाता है कि अप्राप्तवय पीड़िता (अभि. सा. 5) को 50,000/- (पचास हजार) रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी ।

26. वर्तमान अपील भागत: मंजूर की जाती है ।

27. तारीख 31 मई, 2018 को पारित किया गया आक्षेपित दंडादेश उपरोक्त सीमा तक उपांतरित किया जाता है ।

28. निर्णय की प्रतिलिपि, अनुपालन हेतु विद्वान् विशेष न्यायाधीश, (पॉक्सो) उत्तरी सिक्किम, मंगन के न्यायालय को तथा दूसरी प्रतिलिपि, विद्वान् सदस्य सचिव, सिक्किम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, गंगटोक को प्रेषित की जाए ।

29. विद्वान् विचारण न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाए ।

अपील भागत: मंजूर की गई ।

जा./अस.

बुधी राम

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(2018 की दांडिक अपील सं. 51)

तारीख 16 अगस्त, 2021

कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति रवि वी. मलिमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 20 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 118 और 14] – चरस का अवैध कब्जा – अभियुक्त के मन और शरीर की स्थिति – अभियुक्त पर लगभग 2.522 किलोग्राम चरस पाए जाने का अभिकथन किया जाना – कांस्टेबल द्वारा इस प्रभाव का परिसाक्ष्य दिया जाना कि अन्य अधिकारी के साथ नियमित गश्त ड्यूटी के दौरान अभियुक्त की गतिविधि संदिग्ध पाए जाने पर उसके कब्जे से लगभग 2.522 किलोग्राम चरस बरामद की गई है और प्रतिवादी साक्षी द्वारा केवल यह साक्ष्य दिया जाना कि अभियुक्त और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था किन्तु झगड़े का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है और साथ ही जीप चालक द्वारा दिए गए साक्ष्य से भी चरस की बरामदगी का साबित होना, अत: मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् निराधार है और अभियुक्त की दोषसिद्धि न्यायोचित है ।

इस मामले में अभियोजन पक्षकथन यह है कि तारीख 24 फरवरी, 2016 को उप निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी धर्म सेन नेगी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राम लाल, कांस्टेबल अजय और कांस्टेबल सुरेश के साथ एक पुलिस दल नियमित गश्त और यातायात कार्य के लिए सायं 6.00 बजे के आस-पास पुलिस थाना, कोटखाई से निकला था । सायं लगभग 7.50 बजे जब पुलिस दल हुल्ली स्थान पर था तभी उन्होंने हुल्ली-घुंड-डासना मार्ग से एक व्यक्ति को अपने हाथ में एक थैला ले जाते हुए देखा । पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़ा और भागने

लगा । उसकी गतिविधि पर संदेह होने के पश्चात् उसे पकड़ लिया गया । पूछताछ करने के पश्चात् उसने अपना नाम बुधी राम पुत्र स्वर्गीय श्री रामदास शर्मा बताया । वह गांव कोठड़ी का निवासी था । उसके पास एक थैला था जिस पर मोहसेन नाम छपा था । थैले की जांच की गई तो उसमें छड़ी और गोल आकार का काला पदार्थ मिला । इस पदार्थ से चरस की गंध आ रही थी । स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् हुल्ली में स्थित देशी मदिरा की दुकान के सेल्समैन श्री राकेश कुमार और घुंडा गांव के श्री मोहम्मद अख्तर को इस अन्वेषण में सम्मिलित किया गया । उस थैले को पास की दुकान किमटा जनरल स्टोर में ले जाया गया जो मोहम्मद इकबाल की थी । उस पदार्थ का वजन किया गया जिसका भार 2 किलोग्राम और 522 ग्राम था । इसे थैले में डालकर अलग-अलग कपड़ों में रख कर 12 अलग-अलग मुहरें लगाई गईं । अन्य और सभी औपचारिकताएं भी पूर्ण कर ली गईं । अभियुक्त के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अन्वेषण प्रारंभ किया गया । इसके पश्चात् मामले को विचारण के लिए अग्रेषित कर दिया गया । अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए । उसने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर नौ साक्षियों की परीक्षा कराई और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा एक साक्षी की परीक्षा कराई गई । अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/जी तक का अवलंब लिया । विचारण के दौरान अभियुक्त को अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध और 10 वर्ष की कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया तथा उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह अपील फाइल की है । अपील खारिज करते हुए

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने प्रतिवादों तथा प्रतिरक्षा साक्षी-1 द्वारा दिए गए साक्ष्यों पर भी विचार किया है । प्रतिरक्षा साक्षी-1 का साक्ष्य इस

प्रकार का नहीं है कि वह अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् कांउसेल की दलीलों का समर्थन कर सके । प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य से मात्र यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था । झगड़ा किस-किस कारण से हुआ था तथा अभियुक्त और पुलिस के बीच शत्रुता किस प्रकार की थी, यह पुलिस द्वारा नहीं बताया गया है । अपीलार्थी और पुलिस के बीच शत्रुता या विद्वेष इस सीमा तक होना चाहिए कि पुलिस को अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए विवश होना पड़े । इस घटना ने पुलिस को इस सीमा तक आहत किया होगा कि उनके पास अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था । न्यायालय को ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि साक्ष्यों की संवेदनशीलता उस कोटि की है कि इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके । यह साक्ष्य से मात्र यह उपदर्शित होता है अभियुक्त और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था । न्यायालय के लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अभियुक्त और पुलिस के बीच इस व्यक्तिगत झगड़े के कारण अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया गया है। न्यायालय को ऐसा महसूस नहीं होता है कि अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने की दलील और प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य के बीच कोई संबंध है । इसलिए न्यायालय प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य को उस सीमा तक स्वीकार करने में असमर्थ है जिस सीमा तक तर्क दिये जाने की ईप्सा की गई है । सुश्री सीमा शर्मा, उप महाधिवक्ता ने अभि. सा. 6 अर्थात् हेड कांस्टेबल के साक्ष्य का अवलंब लिया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने ही प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/बी का प्रोफाइल तैयार किया है । न्यायालय ने उसी पर विचार किया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/ए तारीख 24 फरवरी, 2016 की रपट है और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/बी भी तारीख 24 फरवरी, 2016 की रपट है । न्यायालय ने उसी पर विचार किया है और इससे यह पता चलता है कि जिस दिन अपराध कारित हुआ था उस दिन अभि. सा. 1 और अन्य अधिकारी अपने अधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए थाने से रवाना हुए थे । अभि. सा. 1 का नाम पी. डब्ल्यू.-6/ए में दर्ज है, इसलिए इससे अभि. सा. 1 की उपस्थिति का संकेत मिलता है और इसलिए अपीलार्थी की यह दलील कि अभि. सा. 1 की उपस्थिति संदेहास्पद है, स्वीकार नहीं की जा सकती । यह मानते हुए भी कि अभि. सा. 1 यान

चालक नहीं हो सकता, अभि. सा. 1 को यह सुझाव नहीं दिया गया कि वह अभिग्रहण के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था । उससे एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया जाना चाहिए था कि वह वास्तविक अभिग्रहण के समय उपस्थित नहीं था । तथापि, न्यायालय को यह नहीं लगता है कि अभि. सा. 7 को ऐसा कोई सुझाव दिया गया था । प्रतिपरीक्षा के सार से यह पता चलता है कि अभि. सा. 1 यान का चालक नहीं था । अभि. सा. 1 से बार-बार यह पूछा गया है कि वह यान का चालक नहीं है । यह मान भी लिया जाए कि वह यान का चालक नहीं है तब भी अभियोजन पक्षकथन पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है । यह मान लेने पर कि वह यान का चालक नहीं है, यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि जब सामग्री का अभिग्रहण किया गया तो वह भी उपस्थित नहीं था । यह बरामादगी अभियुक्त से की गई थी । अभिग्रहण के समय अभि. सा. 1 उपस्थित था । प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/बी से भी यही बात सुस्पष्ट है । इसलिए, मात्र यह कारण कि लॉगबुक में अभि. सा. 1 का नाम नहीं है, अपने आप में उसकी अनुपस्थिति का संकेत नहीं हो सकता । इसलिए न्यायालय का मानना है कि इस तरह की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह कोई कड़ा नियम नहीं है कि शासकीय साक्षियों के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वे शासकीय साक्षी हैं । अंततः, साक्षियों के कथनों को नियमानुसार ही महत्व दिया जाना चाहिए । साक्षियों के साक्ष्य को युक्तियुक्त प्रतिपरीक्षा द्वारा परखा जाना चाहिए । इस मामले में न तो अभि. सा. 2 और न ही अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 को ऐसी किसी प्रतिपरीक्षा से गुजरना पड़ा है जिससे अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो सके । माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि एकमात्र साक्षी का साक्ष्य भी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है अगर ऐसा साक्ष्य सत्यनिष्ठ, भरोसेमंद और स्वीकार किए जाने योग्य हो और इसे प्रतिपरीक्षा के दौरान खरा उतरना चाहिए । अभि. सा. 2 के साक्ष्य जिसकी अभिपुष्टि अभि. सा. 8 के साक्ष्य से होती है, पर अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभि. सा. 2, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 द्वारा दिए गए साक्ष्य

सत्यनिष्ठ हैं और उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए । न्यायालय को अभियोजन पक्षकथन में कुछ विसंगतियां दिखाई देती हैं किन्तु अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्‌वान् काउंसेल द्‌वारा बताई गई विसंगतियां इतनी बड़ी नहीं है कि अभियोजन का पक्षकथन ही संदेहास्पद हो जाए । अधिनियम, 1985 के अधीन प्रतिबंधित पदार्थ के अभिग्रहण से संबंधित मामले में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिग्रहण प्रक्रिया है । अभिग्रहण को राज्य द्‌वारा सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए । इस मामले में अभिग्रहण को अभि. सा. 1 के साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है । उसका साक्ष्य अटल है और इसमें प्रतिपरीक्षा के दौरान भी विचलन नहीं आया है । एक बार अभिग्रहण साबित हो जाने के पश्चात् शेष साक्ष्य सहायक हो जाते हैं । बाकी साक्ष्य मात्र मामले के अन्वेषण से संबंधित हैं । अभियोजन पक्ष द्‌वारा सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे बरामदगी साबित किए जाने के पश्चात् हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्‌वान् विचारण न्यायालय द्‌वारा किया गया साक्ष्य का मूल्यांकन न्यायसंगत और उचित है । न्यायालय को विद्‌वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य या सामग्री के मूल्यांकन में कोई अनुचितता दिखाई नहीं देती है । यह न्यायसंगत और उचित है । न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि प्रतिपरीक्षा इस सीमा तक नहीं की गई है कि न्यायालय अभियोजन पक्ष द्‌वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए सहमत हो जाए । (16, 17, 19, 20 और 21)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2018 की दांडिक अपील सं. 51.

सेशन विचारण आर.बी.टी. (रिसीव्ड बाइ ट्रान्सफर अर्थात स्थानांतरण द्‌वारा प्राप्त) मामला सं. 10-एस/7/2016 में विद्‌वान विशेष न्यायाधीश (वन विभाग) शिमला द्‌वारा तारीख 20 जनवरी, 2018 को पारित दोषसिद्‌धि के निर्णय और आदेश के विरुद्‌ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री मनोज पाठक

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अशोक शर्मा (महाधिवक्ता), रंजन शर्मा, विकास शर्मा, सुश्री रीट्टा गोस्वामी महाधिवक्ता एवं सुश्री सीमा शर्मा (उप महाधिवक्ता)

न्यायालय का निर्णय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति रवि वी. मलिमठ ने दिया ।

का. मु. न्या. मलिमठ – अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 24 फरवरी, 2016 को उप निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी धर्म सेन नेगी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राम लाल, कांस्टेबल अजय और कांस्टेबल सुरेश के साथ एक पुलिस दल नियमित गश्त और यातायात कार्य के लिए सायं 6.00 बजे के आस-पास पुलिस थाना, कोटखाई से निकला था । सायं लगभग 7.50 बजे जब पुलिस दल हुल्ली स्थान पर था तभी उन्होंने हुल्ली-घुंड-डासना मार्ग से एक व्यक्ति को अपने हाथ में एक थैला ले जाते हुए देखा । पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़ा और भागने लगा । उसकी गतिविधि पर संदेह होने के पश्चात् उसे पकड़ लिया गया । पूछताछ करने के पश्चात् उसने अपना नाम बुधी राम पुत्र स्वर्गीय श्री रामदास शर्मा बताया । वह गांव कोठड़ी का निवासी था । उसके पास एक थैला था जिस पर मोहसेन नाम छपा था । थैले की जांच की गई तो उसमें छड़ी और गोल आकार का काला पदार्थ मिला । इस पदार्थ से चरस की गंध आ रही थी । स्वतंत्र साक्षियों अर्थात् हुल्ली में स्थित देशी मदिरा की दुकान के सेल्समैन श्री राकेश कुमार और घुंडा गांव के श्री मोहम्मद अख्तर को इस अन्वेषण में सम्मिलित किया गया । उस थैले को पास की दुकान किमटा जनरल स्टोर में ले जाया गया जो मोहम्मद इकबाल की थी । उस पदार्थ का वजन किया गया जिसका भार 2 किलोग्राम और 522 ग्राम था । इसे थैले में डालकर अलग-अलग कपड़ों में रख कर 12 अलग-अलग मुहरें लगाई गईं । अन्य और सभी औपचारिकताएं भी पूर्ण कर ली गईं ।

2. अभियुक्त के विरुद्ध स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम, 1985" कहा गया है) की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । अन्वेषण प्रारंभ किया गया । इसके पश्चात् मामले को विचारण के लिए अग्रेषित कर दिया गया । अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए । उसने निर्दोष होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की । अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर नौ साक्षियों की

परीक्षा कराई और प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा एक साक्षी की परीक्षा कराई गई । अभियोजन पक्ष ने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ए से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/जी तक का अवलंब लिया । विचारण के दौरान अभियुक्त को अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध और 10 वर्ष की कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया तथा उस पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर उसे एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया । इस आदेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने यह अपील फाइल की है ।

3. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री मनोज पाठक ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है । विचारण न्यायालय अभियोजन पक्षकथन में विसंगतियों पर विचार करने में विफल रहा है । अभियोजन पक्ष के साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं । विचारण न्यायालय अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध को साबित करने के लिए केवल अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साक्ष्य पर निर्भर नहीं रह सकता । स्वतंत्र साक्षियों की भी परीक्षा की जानी चाहिए । अभिग्रहण भी साबित नहीं हुआ है । अभि. सा. 1 की स्थिति के संबंध में विसंगति है । अभियोजन पक्ष का दावा है कि अभि. सा. 1 जीप का चालक है और यह बात की पुष्टि अभिलेख पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य से नहीं होती है । यह भी अभिवाक् किया गया है कि प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त अपने विरुद्ध अभिकथित किए गए अपराध में निर्दोष है । उसने आगे यह भी दलील दी है कि बीयर-बार में कहा-सुनी हो गई थी और यह कहा-सुनी पुलिस और अभियुक्त के बीच हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पुलिस ने उससे बदला लिया है और अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया है । अभियुक्त अपने विरुद्ध अभिकथित किए गए अपराध में निर्दोष है । इसलिए यह दलील दी गई है कि अभियुक्त को दोषमुक्त करते हुए यह अपील मंजूर की जाए ।

4. प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से हाजिर होने वाली उप-महाधिवक्ता सुश्री सीमा शर्मा ने इस पर प्रतिवाद किया है । उन्होंने यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपना पक्षकथन साबित कर दिया है । अभियुक्त से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी को

सिद्ध करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं । अपीलार्थी द्वारा अभि. सा. 1 की स्थिति के संबंध में बताई गई विसंगतियां अभि. सा. 6 के साक्ष्य से कमतर साबित होती हैं । अभि. सा. 6, कांस्टेबल डिंपल चंकरोला है जो पुलिस थाने में पुलिस डायरी लिखने का कार्य करती थी । उसके साक्ष्य के आधार पर, प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/बी, अभि. सा. 1 की उपस्थिति उपदर्शित होती है । इसलिए अपीलार्थी द्वारा किए गए अभिवाक् को स्वीकार नहीं किया जा सकता । जहां तक श्याम लाल (प्रतिरक्षा साक्षी-1) के साक्ष्य का प्रश्न है, उससे अभियुक्त के पक्षकथन का समर्थन नहीं होता है । यदि प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य को स्वीकार कर लिया जाए तब भी उससे अभियुक्त की निर्दोषिता उपदर्शित नहीं होती है । इसलिए उन्होंने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश और दोषसिद्धि के निर्णय को कायम रखते हुए वर्तमान अपील खारिज कर दी जाए ।

5. विद्वान् काउंसेलों को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन भी किया गया ।

6. अभि. सा. 1, कोटखाई पुलिस थाने में नियुक्त मानद हेड कांस्टेबल है । वह पुलिस थाने का सरकारी यान का चालक है । उसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 24 फरवरी, 2016 को वह निरीक्षक/थाना भारसाधक अधिकारी धरम सैन अर्थात् अभि. सा. 7, कांस्टेबल राम लाल, सुरेश कुमार और अजय कुमार के साथ सरकारी यान में नियमित गश्त पर गया था । सायं लगभग 7.50 बजे जब वे हुल्ली में उपस्थित थे और यानों की जांच कर रहे थे तब वहां एक व्यक्ति डासना घुंड मार्ग से हुल्ली की ओर आ रहा था । वह अपने दाएं हाथ में एक थैला लिए हुए था और पुलिस अधिकारियों को देखकर भागने लगा । पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया । पूछताछ करने के पश्चात् उसने अपना नाम बुधी राम बताया । उसके पास जो थैला था, उसकी तलाशी ली गई । उसमें गेंद और छड़ी के आकार का एक काले रंग का पदार्थ था । उस पदार्थ को पुलिस कर्मियों द्वारा अभिगृहीत कर लिया गया । इसके पश्चात् अभियुक्त के साथ वे किमटा जनरल स्टोर गए । वहां चरस को थैले से निकालकर उसका भार तौला गया । इसका भार लगभग 2 किलोग्राम और 522 ग्राम था ।

चरस को एक पार्सल में डालकर मुहरबंद कर दिया गया तथा उस पर बारह मुहरें लगा दी गईं तथा उसके नमूने को न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । उसका फोटो भी खींचा गया । स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 के अधीन अपराध कारित करने के लिए कोटखाई पुलिस थाने में एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । अभियुक्त द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गई । अपीलार्थी के काउंसेल ने अभि. सा. 1 को दिए गए इस सुझाव का अवलंब लेने की ईप्सा की है कि वह उक्त यान का चालक नहीं था । इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इनकार किया है । तथापि, अभियुक्त द्वारा दिए गए उक्त सुझाव को छोड़कर हमें अभि. सा. 1 के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला है । अभि. सा. 1 का साक्ष्य सुसंगत है । हमें इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में कोई भी ऐसा सार्थक तथ्य नहीं मिला है जो अभियोजन पक्षकथन को प्रभावित कर सके ।

7. अभि. सा. 2, अभि. सा. 8 तथा अभि. सा. 9 पक्षद्रोही साक्षी हो गए ।

8. अभि. सा. 3 उस समय पुलिस उपाधीक्षक/एसडीपीओ श्री रतन सिंह नेगी के रीडर के रूप में कार्यरत था । तारीख 25 फरवरी, 2016 को पुलिस उपाधीक्षक श्री रतन सिंह नेगी ने मामले से संबंधित एक विशेष रिपोर्ट एक रजिस्टर में प्रविष्टियां करने के लिए इस साक्षी को अग्रेषित की गईं । इस साक्षी द्वारा रजिस्टर में क्रम सं. 13 पर प्रविष्टि की गई थी । प्रतिपरीक्षा द्वारा ऐसा कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया जिससे उसके साक्ष्य पर विश्वास न किया जा सके ।

9. श्री तुलसीराम (अभि. सा. 4) जुलाई, 2015 से एमएचसी (मालखाना मुहर्रिर) के पद पर पुलिस थाना कोटखाई में तैनात था । तारीख 24 फरवरी, 2016 को कांस्टेबल सुरेश कुमार सं. 706 के माध्यम से थाने में रुक्का प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-4/ए प्राप्त हुआ । इस साक्षी ने इसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-4/बी दर्ज की । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट पर साक्षी के हस्ताक्षर विद्यमान हैं । पृष्ठांकन प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-4/सी जारी किया गया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् इस साक्षी ने वर्तमान मामला कांस्टेबल सुरेश

कुमार के माध्यम से थाना भारसाधक अधिकारी को अग्रेषित कर दिया गया । साक्षी शासकीय साक्षी है । प्रतिपरीक्षा के दौरान इस साक्षी से कुछ भी ऐसा निकलकर सामने नहीं आया है जिससे उस पर विश्वास न किया जा सके ।

10. कांस्टेबल श्री नवीन कुमार, अभि. सा. 5 है जो सितंबर, 2014 से उक्त पुलिस थाना में तैनात था । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि तारीख 25 फरवरी, 2016 को मालखाना मुहर्रिर तुलसीराम ने उन्हें आरसी सं. 19/16 द्वारा एक पुलंदा सुपुर्द किया, जिस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की "एच" छापे वाली 12 मुहरें लगी हुई थीं और साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक फॉर्म, नमूना मुहर, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रतिलिपि और अभिग्रहण ज्ञापन की प्रतिलिपि भी थी जिसे न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला जुंगा में जमा किया जाना था । उन्होंने इसे उसी दिन प्रयोगशाला में जमा कर दिया । प्रतिपरीक्षा के दौरान कुछ भी सार्थक निकलकर सामने नहीं आया ।

11. अभि. सा. 6, महिला हेड कांस्टेबल है जो फरवरी, 2016 में उक्त थाने में तैनात थी । तारीख 24 फरवरी, 2016 को वह थाने में मालखाना मुहर्रिर के पद पर कार्यरत थी । उसने रपट सं. 19 की प्रविष्टि की थी । कापी प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/ए है । उसी दिन उसने रपट सं. 27 की भी प्रविष्टि की थी जो प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/बी है । प्रतिपरीक्षा के दौरान कुछ भी सार्थक बात निकलकर सामने नहीं आई है ।

12. अभि. सा. 7, अन्वेषण अधिकारी है । उसने ही अन्वेषण किया और बताया कि अभिग्रहण से लेकर आरोप पत्र फाइल करने तक अन्वेषण किस प्रकार संपन्न हुआ है । प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी को यह सुझाव दिया गया था कि प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/सी से प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/एच तक के फोटो में अभि. सा. 1 दिखाई नहीं दे रहा है । उक्त सुझाव के अतिरिक्त साक्षी से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया जिससे साक्ष्य संदिग्ध हो सके ।

13. विद्वान् विचारण न्यायालय का साक्ष्य के आधार पर यह विचार था कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे अपना

पक्षकथन साबित कर दिया है । अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल की प्राथमिक दलील अभि. सा. 1 पर संदेह किए जाने से संबंधित है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अभि. सा. 1 पुलिस जीप का अधिकारिक चालक था । तथापि, ऐसा उपदर्शित करने के लिए कोई भी सामग्री नहीं है, इसलिए वह प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/आई का अवलंब लेता है जो लॉग बुक की प्रति है । हमने उसी पर विचार किया है । उसी का अवलंब लेते हुए उन्होने यह इंगित किया है कि अभि. सा. 1 का नाम उक्त लॉग बुक में नहीं दर्शाया गया है । जब साक्षी ने स्वयं यह कथन किया है कि वह घटनास्थल पर उपस्थित था तो इसकी अभिपुष्टि उचित साक्ष्य से की जानी चाहिए । प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-1/आई से अभि. सा. 1 की उपस्थिति साबित नहीं होती है, इसलिए उसकी उपस्थिति ही संदेहास्पद है । जब अभि. सा. 1 की उपस्थिति ही संदेहास्पद है तो यह कहा जा सकता है कि अभियोजन अपना पक्षकथन सिद्ध करने में विफल रहा है ।

14. प्रतिरक्षा पक्ष ने प्रतिरक्षा साक्षी-1 की परीक्षा कराई है । उसने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि हुल्ली में एक बीयर-बार था । माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश पर वर्ष 2017 में इसे बंद कर दिया गया था । इस बीयर-बार का स्वामी एस. के. मुन्ना था । यह पट्टे पर दी गई संपत्ति थी । यह साक्षी वर्ष 2002 से वर्ष 2017 तक इस बीयर-बार में प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा था । वह धन आदि का लेन-देन करता था । वह अभियुक्त को भी जानता था । अभियुक्त बीयर-बार में बीयर पीने आता था । फरवरी, 2016 में जब अभियुक्त बीयर-बार के केबिन में बैठा हुआ था तभी पुलिस अधिकारी जांच के लिए वहां आए । उसे स्मरण नहीं है कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारियों से क्या कहा था । उस दिन अभियुक्त और पुलिस अधिकारियों के बीच झगड़ा हुआ था । उस दिन दो पुलिस अधिकारी बीयर-बार की जांच करने आए थे । वह उन पुलिस अधिकारियों में से एक को जानता था, जो पुलिस थाना के सरकारी यान का चालक था । इसके पश्चात् पुलिस अधिकारी, अभियुक्त को अपने साथ ले गए । उस बीयर-बार में कोई कैमरा लगा हुआ नहीं था ।

15. अभियुक्त ने प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य का अवलंब लेते हुए यह उपदर्शित करने की ईप्सा की है कि उसे इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । बीयर-बार में अभियुक्त और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था । इसी कारण पुलिस ने उसे मिथ्या फंसाया है, अतः अभियुक्त निर्दोष है ।

16. हमने प्रतिवादों तथा प्रतिरक्षा साक्षी-1 द्वारा दिए गए साक्ष्यों पर भी विचार किया है । प्रतिरक्षा साक्षी-1 का साक्ष्य इस प्रकार का नहीं है कि वह अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् कांउसेल की दलीलों का समर्थन कर सके । प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य से मात्र यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था । झगड़ा किस-किस कारण से हुआ था तथा अभियुक्त और पुलिस के बीच शत्रुता किस प्रकार की थी, यह पुलिस द्वारा नहीं बताया गया है । अपीलार्थी और पुलिस के बीच शत्रुता या विद्वेष इस सीमा तक होनी चाहिए कि पुलिस को अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के लिए विवश होना पड़े । इस घटना ने पुलिस को इस सीमा तक आहत किया होगा कि उनके पास अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था । हमें ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि साक्ष्यों की संवेदनशीलता उस कोटि की है कि इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके । यह साक्ष्य से मात्र यह उपदर्शित होता है कि अभियुक्त और पुलिस के बीच झगड़ा हुआ था । हमारे लिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि अभियुक्त और पुलिस के बीच इस व्यक्तिगत झगड़े के कारण अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाया गया है । हमें ऐसा महसूस नहीं होता है कि अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाने की दलील और प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य के बीच कोई संबंध है । इसलिए हम प्रतिरक्षा साक्षी-1 के साक्ष्य को उस सीमा तक स्वीकार करने में असमर्थ हैं जिस सीमा तक तर्क दिये जाने की ईप्सा की गई है ।

17. सुश्री सीमा शर्मा, उप महाधिवक्ता ने अभि. सा. 6 अर्थात् हेड कांस्टेबल के साक्ष्य का अवलंब लिया है । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसने ही प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/बी का

प्रोफाइल तैयार किया है । हमने उसी पर विचार किया है । प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/ए तारीख 24 फरवरी, 2016 की रपट है और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/बी भी तारीख 24 फरवरी, 2016 की रपट है । हमने उसी पर विचार किया है और इससे यह पता चलता है कि जिस दिन अपराध कारित हुआ था उस दिन अभि. सा. 1 और अन्य अधिकारी अपने अधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए थाने से रवाना हुए थे । अभि. सा. 1 का नाम पी. डब्ल्यू.-6/ए में दर्ज है, इसलिए इससे अभि. सा. 1 की उपस्थिति का संकेत मिलता है और इसलिए अपीलार्थी की यह दलील कि अभि. सा. 1 की उपस्थिति संदेहास्पद है, स्वीकार नहीं की जा सकती । यह मानते हुए भी कि अभि. सा. 1 यान चालक नहीं हो सकता, अभि. सा. 1 को यह सुझाव नहीं दिया गया कि वह अभिग्रहण के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था । उससे एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया जाना चाहिए था कि वह वास्तविक अभिग्रहण के समय उपस्थित नहीं था । तथापि, हमें यह नहीं लगता है कि अभि. सा. 7 को ऐसा कोई सुझाव दिया गया था । प्रतिपरीक्षा के सार से यह पता चलता है कि अभि. सा. 1 यान का चालक नहीं था । अभि. सा. 1 से बार-बार यह पूछा गया है कि वह यान का चालक नहीं है । यह मान भी लिया जाए कि वह यान का चालक नहीं है तब भी अभियोजन पक्षकथन पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है । यह मान लेने पर कि वह यान का चालक नहीं है, यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि जब सामग्री अभिग्रहण किया गया तो वह भी उपस्थित नहीं था । यह बरामादगी अभियुक्त से की गई थी । अभिग्रहण के समय अभि. सा. 1 उपस्थित था । प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/ए और प्रदर्श पी. डब्ल्यू.-6/बी से भी यही बात सुस्पष्ट है । इसलिए, मात्र यह कारण कि लॉगबुक में अभि. सा. 1 का नाम नहीं है, अपने आप में उसकी अनुपस्थिति का संकेत नहीं हो सकता । इसलिए हमारा मानना है कि इस तरह की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

18. उन्होंने आगे यह दलील दी है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है । यद्यपि स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध थे फिर भी

उनकी परीक्षा नहीं कराई गई । जिन साक्षियों की परीक्षा कराई गई है वे पक्षद्रोही हो गए हैं जिनमें राकेश कुमार (अभि. सा. 2), मोहम्मद इकबाल (अभि. सा. 8) और मोहम्मद अख्तर (अभि. सा. 9) सम्मिलित हैं ।

19. यह कोई कड़ा नियम नहीं है कि शासकीय साक्षियों के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज कर दिया जाना चाहिए कि वे शासकीय साक्षी हैं । अंततः, साक्षियों के कथनों को नियमानुसार ही महत्व दिया जाना चाहिए । साक्षियों के साक्ष्य को युक्तियुत प्रतिपरीक्षा द्वारा परखा जाना चाहिए । इस मामले में न तो अभि. सा. 2 और न ही अभि. सा. 7 और अभि. सा. 8 को ऐसी किसी प्रतिपरीक्षा से गुजरना पड़ा है जिससे अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद हो सके ।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि एकमात्र साक्षी का साक्ष्य भी अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है अगर ऐसा साक्ष्य सत्यनिष्ठ, भरोसेमंद और स्वीकार किए जाने योग्य हो और इसे प्रतिपरीक्षा के दौरान खरा उतरना चाहिए । अभि. सा. 2 के साक्ष्य जिसकी अभिपुष्टि अभि. सा. 8 के साक्ष्य से होती है, पर अविश्वास करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है । हमारा यह निष्कर्ष है कि अभि. सा. 2, अभि. सा. 8 और अभि. सा. 9 द्वारा दिए गए साक्ष्य सत्यनिष्ठ हैं और उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए ।

21. हमें अभियोजन पक्षकथन में कुछ विसंगतियां दिखाई देती हैं किन्तु अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा बताई गईं विसंगतियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि अभियोजन का पक्षकथन ही संदेहास्पद हो जाए । स्वापक ओषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन प्रतिबंधित पदार्थ के अभिग्रहण से संबंधित मामले में सबसे महत्वपूर्ण तत्व अभिग्रहण प्रक्रिया है । अभिग्रहण को राज्य द्वारा सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए । इस मामले में अभिग्रहण को अभि. सा. 1 के साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है । साक्ष्य अटल है और इसमें प्रतिपरीक्षा के दौरान

भी विचलन नहीं आया है । एक बार अभिग्रहण साबित हो जाने के पश्चात् शेष साक्ष्य सहायक हो जाते हैं । बाकी साक्ष्य मात्र मामले के अन्वेषण से संबंधित हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे बरामदगी साबित किए जाने के पश्चात् हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा किया गया साक्ष्य का मूल्यांकन न्यायसंगत और उचित है । हमें विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य या सामग्री के मूल्यांकन में कोई अनुचितता दिखाई नहीं देती है । यह न्यायसंगत और उचित है । हमारा यह निष्कर्ष है कि प्रतिपरीक्षा इस सीमा तक नहीं की गई है कि हम अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अविश्वास करने के लिए सहमत हो जाएं ।

22. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध कर दिया है । अतः, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्ष में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

23. उपरोक्त सभी कारणों से यह कहा जा सकता है कि अपील में कोई सार नहीं है और यह खारिज की जाती है । सेशन विचारण आर.बी.टी.(रिसीव्ड बाइ ट्रान्सफर) मामला सं. 10-एस/7/2016 में विशेष न्यायाधीश (वन विभाग), शिमला द्वारा तारीख 20 जनवरी, 2018 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय की पुष्टि की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जा./अस.

संसद् के अधिनियम

शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923

(1923 का अधिनियम संख्यांक 19)[1]

[2 अप्रैल, 1923]

शासकीय गुप्त बातों से संबंधित विधि [2]* के समेकन और संशोधन के लिए**

अधिनियम

[3]* * * * *

यह समीचीन है कि [2]*** शासकीय गुप्त बातों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन किया जाए ;

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :–

[4][**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना** – (1) यह अधिनियम शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह सरकार के सेवकों और भारत के नागरिकों को भी जो भारत के बाहर हैं, लागू है ।]

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, –

(1) ऐसे स्थान के प्रति, जो सरकार का है, किसी निर्देश के अन्तर्गत ऐसा स्थान भी है जो सरकार के किसी विभाग के अधिभोग में है, भले ही वह स्थान सरकार में वास्तविक रूप में निहित हो या न हो ;

---

[1] इस अधिनियम का विस्तार 1941 के अधिनियम सं. 4 द्वारा बरार पर ; 1962 के विनियम सं. 12 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा गोवा, दमण और दीव पर ; 1963 के विनियम सं. 6 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 द्वारा दादरा और नागर हवेली पर ; 1963 के विनियम सं. 7 की धारा 3 तथा अनुसूची 1 द्वारा पाण्डिचेरी पर ; 1965 के विनियम सं. 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लक्षद्वीप पर किया गया है ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्तों में" शब्दों का लोप किया गया ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा के पैरा 1 और 2 का लोप किया गया ।

[4] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 2 द्वारा धारा 1 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]* * * *

(2) संसूचित करने या प्राप्त करने के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार संसूचित करना या प्राप्त करना है चाहे वह पूर्ण हो या आंशिक और चाहे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को ही अथवा उसके सार, आशय या वर्णन को संसूचित किया गया हो या प्राप्त किया गया हो ; किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज को अभिप्राप्त करने या प्रतिधृत रखने के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की पूरी या उसके किसी भाग की नकल करना या नकल करवाना भी है ; और किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज की संसूचना के प्रतिनिर्देश करने वाले पदों के अन्तर्गत उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज का अन्तरण या प्रेषण भी है ;

(3) "दस्तावेज" के अन्तर्गत दस्तावेज का भाग भी है ;

(4) "प्रतिमान" के अंतर्गत डिजाईन, पैटर्न और नमूना भी है ;

(5) "युद्ध सामग्री" के अन्तर्गत कोई पूरा पोत, पनडुब्बी, वायुयान, टैंक या सदृश इंजिन, आयुध और गोलाबारूद, तारपीडो या सुरंग, जो युद्ध में उपयोग के लिए आशयित या अनुकूलित हो या उसका कोई भाग तथा ऐसे उपयोग के लिए आशयित, चाहे वास्तविक या प्रस्थापित, कोई अन्य चीज, सामग्री या युक्ति है ;

(6) "सरकार के अधीन पद" के अन्तर्गत सरकार [2]*** के किसी विभाग में या उसके अधीन कोई पद या नियोजन है ;

(7) "फोटोग्राफ" के अन्तर्गत बिना धुली हुई फिल्म या प्लेट भी है ;

(8) "प्रतिषिद्ध स्थान" से अभिप्रेत है –

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा खण्ड (1क) अंत:स्थापित किया गया था जिसका विधि अनुकूलन आदेश, 1948 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 3 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

(क) कोई रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक, बल का संस्थापन या आस्थान, सुरंग, सुरंग-क्षेत्र, शिविर, पोत या वायुयान जो सरकार का है, या सरकार के या उसकी ओर से अधिभोग में है, कोई सैनिक तारयंत्र या टेलीफोन, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है, कोई बेतार या संकेत स्टेशन या कार्यालय, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है और कोई कारखाना, डाकयार्ड या अन्य स्थान, जो ऐसे उसका है या उसके अधिभोग में है, और जिसका उपयोग किसी युद्ध सामग्री के या तत्संबंधी किन्हीं रेखाचित्रों, रेखांकों, प्रतिमानों या दस्तावेजों के निर्माण, मरम्मत, बनाने या भंडार में रखने के प्रयोजन के लिए या युद्ध के समय किन्हीं उपयोगी धातुओं, तेल या खनिजों के प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किया जाता है ;

(ख) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार का नहीं है और जहां कोई युद्ध सामग्री या तत्संबद्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार के साथ, या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के साथ, संविदा के अधीन या अन्यथा सरकार की ओर से बनाई जा रही, मरम्मत की जा रही या प्राप्त की जा रही या भंडार में रखी जा रही है ;

(ग) कोई ऐसा स्थान, जो सरकार का है या सरकार के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है और जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने, इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसे नुकसान शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है ;

(घ) कोई रेल, सड़क, मार्ग या जलसरणी या भूमि मार्ग या जल मार्ग द्वारा संचार के अन्य साधन (जिनके अन्तर्गत उनके भागरूप या उनसे संबंधित कोई संकर्म या संरचनाएं भी

हैं) या गैस, जल या विद्युत संकर्मों या सार्वजनिक प्रकार के प्रयोजनों के लिए अन्य संकर्मों के वास्ते प्रयुक्त कोई स्थान या कोई स्थान जहां युद्ध सामग्री या तत्संबद्ध कोई रेखाचित्र, प्रतिमान, रेखांक या दस्तावेज सरकार की ओर से बनाए जाने से अन्यथा बनाए जा रहे, मरम्मत किए जा रहे या भंडार में रखे जा रहे हैं, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर कि उससे संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तत्समय यह घोषित कर दिया है कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रतिषिद्ध स्थान है और जहां उसकी बाबत अधिसूचना की प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जन भाषा में लगा दी गई है ;

(9) "रेखाचित्र" के अंतर्गत कोई फोटोग्राफ या किसी स्थान या चीज का प्रतिरूपण करने वाला अन्य ढंग है ; और

[1]* * * *

(10) "पुलिस अधीक्षक" के अंतर्गत समान या वरिष्ठ पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी और ऐसा कोई व्यक्ति भी है जिसे केन्द्रीय सरकार ने [2]*** पुलिस अधीक्षक की शक्तियां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रदत्त की हों ।

3. गुप्तचरी के लिए शास्तियां – (1) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए –

(क) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप जाएगा, उसका निरीक्षण करेगा, उस पर से गुजरेगा या उसके निकट होगा या उसमें प्रवेश करेगा ; या

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1950 द्वारा खण्ड (9क) अंत: स्थापित किया गया था जिससे 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा निरसित किया गया ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "या किसी स्थानीय सरकार द्वारा" शब्दों का लोप किया गया ।

(ख) कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान या टिप्पण बनाएगा या करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकता है, या होने के लिए आशयित है ; या

(ग) कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द, या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज या टिप्पण या अन्य दस्तावेज, या जानकारी अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या किसी अन्य व्यक्ति को संसूचित करेगा जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है, या होने के लिए आशयित है [1][या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता है] ;

तो वह कारावास से दण्डनीय होगा, जिसकी अवधि उस दशा में जिसमें वह अपराध किसी रक्षा संकर्म, आयुधशाला, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के स्थापन या आस्थान, सुरंग, सुरंग-क्षेत्र, कारखाने, डाकयार्ड, शिविर, पोत या वायुयान के संबंध में अथवा अन्यथा रूप से सरकार के नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक बल के कार्यों के संबंध में या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी के संबंध में किया जाता है चौदह वर्ष तक की तथा अन्य मामलों में तीन वर्ष तक की हो सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए [2]*** अभियोजन पर यह दर्शित करना आवश्यक नहीं होगा कि अभियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे विशिष्ट कार्य का दोषी है जिसकी प्रवृत्ति राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयोजन दर्शित करने की है, और इस बात के होते हुए भी कि उसके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य साबित नहीं होता है उसे सिद्धदोष ठहराया जा सकेगा यदि मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से, जैसा कि साबित हो, यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था ; और यदि, किसी प्रतिषिद्ध स्थान में प्रयुक्त या उससे संबद्ध अथवा ऐसे स्थान में कि किसी चीज से संबद्ध किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी अथवा संकेत शब्द को विधिपूर्ण प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया जाता है, और मामले की परिस्थितियों या उसके आचरण या उसके ज्ञात चरित्र से जैसा कि साबित हो यह प्रतीत होता है कि उसका प्रयोजन राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला प्रयोजन था तो ऐसे रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, [1][जानकारी, संकेतकी या संकेत शब्द की बाबत या उपधारित किया जाएगा] कि उसे राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन के लिए बनाया, अभिप्राप्त, संगृहीत, अभिलिखित, प्रकाशित या संसूचित किया गया था ।

4. विदेशी अभिकर्ताओं से सम्पर्क का कतिपय अपराधों के किए जाने का साक्ष्य होना – (1) धारा 3 के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में यह तथ्य कि वह, चाहे [2][भारत] के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है या उसने सम्पर्क करने का प्रयत्न किया है इस बात को साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत होगा कि उसने, राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी अभिप्राप्त की है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है जो शत्रु के लिए प्रत्यक्षत: या परोक्षत: उपयोगी होने के लिए प्रकल्पित है, हो सकती है या होने के लिए आशयित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए, किन्तु पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना –

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 4 द्वारा "या जानकारी जिसकी बाबत यह उपधारित किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) किसी व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह किसी विदेशी अभिकर्ता से सम्पर्क करता रहा है, यदि –

(i) वह या तो [1][भारत] के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता के ठिकाने पर गया है या विदेशी अभिकर्ता के साथ साहचर्य या सहयुक्ति करता रहा है, या

(ii) या तो [1][भारत] के भीतर या बाहर, किसी विदेशी अभिकर्ता का नाम या पता या उसके बारे में कोई अन्य जानकारी उसके कब्जे में पाई गई है या उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से अभिप्राप्त की गई है ;

(ख) "विदेशी अभिकर्ता" पद के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य [1][भारत] के भीतर या बाहर करने के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी विदेशी शक्ति द्वारा नियोजित है या रहा है या जिसकी बाबत यह प्रतीत होता है कि उसके ऐसा होने या रहने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है अथवा जिसने किसी विदेशी शक्ति के हित में ऐसा कोई कार्य [1][भारत] के भीतर या बाहर किया है या करने का प्रयत्न किया है या उसके ऐसा करने का युक्तियुक्त संदेह है ;

(ग) "किसी ऐसे पते" की बाबत चाहे वह [1][भारत] के भीतर हो या बाहर, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि उसके किसी विदेशी अभिकर्ता के लिए आशयित संसूचनाओं की प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पता होने का संदेह करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, अथवा किसी ऐसे पते की बाबत जिसमें कोई विदेशी अभिकर्ता निवास करता है या जिसमें वे संसूचनाएं देने या प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आता जाता है या जिसमें वह कोई कारबार करता है, यह उपधारित किया जाएगा कि वह विदेशी अभिकर्ता का पता है और ऐसे पते वाली संसूचनाएं विदेशी अभिकर्ता की संसूचनाएं हैं ।

---

[1] 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

5. जानकारी की सदोष संसूचना आदि – (1) यदि कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो किसी प्रतिषिद्‌ध स्थान से संबद्‌ध या उसमें प्रयुक्त की जाती है या ऐसे स्थान में की किसी चीज से संबद्‌ध है [1][अथवा जिससे शत्रु को प्रत्यक्षत: या परोक्षत: सहायता होनी सम्भाव्य है, या जो ऐसे मामले से संबंधित है जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रभावित होने की संभाव्यता है या जो इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है] अथवा जो उसे सरकार के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्‌वारा विश्वासपूर्वक सौंपी गई है अथवा जिसकी उसे अभिप्राप्ति या जिस तक उसकी पहुंच उसकी उस स्थिति के कारण हुई जो ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार के अधीन पद धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो सरकार की ओर से की गई किसी संविदा को धारण करता है या धारण कर चुका है या ऐसे व्यक्ति के रूप में है जो उस किसी व्यक्ति के अधीन नियोजित है या रह चुका है जो ऐसा पद या संविदा धारण करता है या कर चुका है –

(क) उस संकेतकी या संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी की संसूचना उस व्यक्ति से, जिसे उससे संसूचित करने को वह प्राधिकृत है, या किसी न्यायालय से, या उस व्यक्ति से, जिसको राज्य के हितों में, उसे संसूचित करना उसका कर्तव्य है, भिन्न किसी व्यक्ति को जानबूझकर संसूचित करेगा ; या

(ख) अपने कब्जे में की जानकारी का उपयोग किसी विदेशी शक्ति के फायदे के लिए या ऐसी किसी अन्य रीति में करेगा जो राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो ; या

(ग) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 5 द्‌वारा "या इस अधिनियम के उल्लंघन में बनाई या अभिप्राप्त की गई है" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

दस्तावेज को अपने कब्जे या नियंत्रण में प्रतिधृत रखेगा जब कि उसे उसको प्रतिधारित रखने का अधिकार नहीं है या जब कि उसे प्रतिधारित रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है या विधिपूर्ण प्राधिकारी द्वारा उसकी वापसी या व्ययन के संबंध में दिए गए सब निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल होगा ; या

(घ) उस रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या जानकारी की युक्तियुक्त संभाल करने में असफल होगा या ऐसे आचरण करेगा जिससे उसकी सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो जाए, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द या किसी रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी को स्वेच्छया प्राप्त करेगा जब कि उस समय जब वह उसे प्राप्त करता है वह जानता है या उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह संकेतकी, संकेत शब्द, रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी इस अधिनियम के उल्लंघन में संसूचित की गई है तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) यदि कोई व्यक्ति जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई ऐसा रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण, दस्तावेज या जानकारी है जो युद्ध सामग्री से संबद्ध है उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः किसी विदेशी शक्ति को, या किसी ऐसी अन्य रीति में जो राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो, संसूचित करेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

[1][(4) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।]

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 5 द्वारा (10-7-1968 से) पूर्ववर्ती उपधारा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

6. वर्दियों का अप्राधिकृत उपयोग, रिपोर्टों का मिथ्याकरण, कूटरचना, प्रतिरूपण और मिथ्या दस्तावेज – (1) यदि कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध स्थान में प्रवेश पाने के या प्रवेश पाने में किसी व्यक्ति को सहायता देने के प्रयोजन के लिए या राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी अन्य प्रयोजन के लिए –

(क) किसी नौसैनिक, सैनिक, वायुसैनिक, पुलिस या अन्य शासकीय वर्दी का या उससे लगभग उतनी मिलती-जुलती वर्दी का, कि उससे धोखा हो सकता है, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना उपयोग करेगा या पहनेगा, या अपने को ऐसा व्यक्ति मिथ्यारूपेण व्यपदिष्ट करेगा जो किसी भी ऐसी वर्दी का उपयोग करने या पहनने का हकदार है या हकदार रहा है ; या

(ख) मौखिक रूप से या किसी घोषणा या आवेदन में लिखित रूप में, या अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज में कोई मिथ्या कथन या कोई लोप जानबूझकर करेगा या करने में मौनानुकूल रहेगा ; या

(ग) किसी पासपोर्ट को या किसी नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक या पुलिस या शासकीय पास, अनुज्ञापत्र, प्रमाणपत्र, अनुज्ञप्ति या उसी प्रकार की अन्य दस्तावेज को (जो एतत्पश्चात् इस धारा में शासकीय दस्तावेज के रूप में निर्दिष्ट है) कूटरचित करेगा, बदलेगा या बिगाड़ेगा या ऐसी किसी कूटरचित, बदली हुई या अनियमित शासकीय दस्तावेज का जानबूझकर उपयोग करेगा या उसे अपने कब्जे में रखेगा ; या

(घ) सरकार के अधीन पद धारण करने वाला, या धारण करने वाले व्यक्ति के नियोजन में, व्यक्ति होने का या ऐसा व्यक्ति होने का या न होने का, जिसको शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द सम्यक् रूपेण दिया गया या संसूचित किया गया है, प्रतिरूपण करेगा या मिथ्या व्यपदेशन करेगा या किसी शासकीय दस्तावेज, गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अभिप्राप्त करने के आशय से कोई मिथ्या कथन जानबूझकर करेगा ; या

(ङ) किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को जो सरकार के किसी विभाग का या उसके स्वामित्वाधीन हो या जिसका प्रयोग, निर्माण या प्रदाय सरकार के विभाग द्वारा या किसी ऐसी राजनयिक, नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक प्राधिकारी द्वारा किया जाता हो जो सरकार द्वारा नियुक्त या उसके प्राधिकार के अधीन कार्यशील हो, सरकार के विभाग या संबंधित प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना, अथवा किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प से लगभग इतने मिलते-जुलते हैं कि उससे धोखा हो सके किसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा या किसी ऐसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को कूटकृत करेगा अथवा किसी ऐसी कूटकृत डाई, या मुद्रा या स्टाम्प को जानबूझकर प्रयुक्त करेगा या अपने कब्जे में या नियंत्रणाधीन रखेगा,

तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी प्रयोजन के लिए –

(क) किसी शासकीय दस्तावेज को, भले ही वह पूरी अथवा उपयोग के लिए जारी की गई हो या नहीं, प्रतिधारित रखेगा जब कि उसे प्रतिधृत रखने का उसे कोई अधिकार नहीं है, या जब कि उसको प्रतिधृत रखना उसके कर्तव्य के प्रतिकूल है, या सरकार के किसी विभाग या ऐसे विभाग के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उसके लौटाने या व्ययन के संबंध में दिए गए निदेशों का अनुवर्तन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ख) केवल अपने प्रयोग के लिए जारी की गई किसी शासकीय दस्तावेज पर कब्जा अन्य व्यक्ति को करने देगा या ऐसे जारी किए गए किसी गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को संसूचित करेगा, या विधिपूर्ण प्राधिकार अथवा प्रतिहेतु के बिना किसी ऐसी शासकीय दस्तावेज या गुप्त शासकीय संकेतकी या संकेत शब्द को जो उससे भिन्न किसी व्यक्ति के प्रयोग के लिए जारी किया गया हो अपने कब्जे में रखेगा या किसी शासकीय दस्तावेज को पाने पर

या अन्यथा अपने कब्जे में लेकर उस व्यक्ति या प्राधिकारी को, जिसके द्वारा या जिसके प्रयोग के लिए वह जारी की गई थी, या किसी पुलिस अधिकारी को उसे प्रत्यावर्तित करने में जानबूझकर असफल रहेगा, या

(ग) पूर्वोक्त जैसे किसी डाई, मुद्रा या स्टाम्प को विधिपूर्ण प्राधिकार या प्रतिहेतु के बिना विनिर्मित करेगा या विक्रय करेगा अथवा विक्रय के लिए अपने कब्जे में रखेगा,

तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि [1][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

(4) धारा 3 की उपधारा (2) के उपबंध, सरकार के नौसैनिक, सैनिक या वायुसैनिक मामलों से संबद्ध या किसी गुप्त शासकीय संकेतकी से संबद्ध इस धारा के अधीन अपराध के लिए किसी अभियोजन में राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के प्रयोजनार्थ वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस धारा के अधीन दंडनीय [2]*** अपराधों के अभियोजनों में राज्य की सुरक्षा या हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले प्रयोजन को साबित करने के लिए लागू होते हैं ।

7. पुलिस अधिकारियों या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों के काम में हस्तक्षेप करना – (1) किसी प्रतिषिद्ध स्थान के समीप कोई व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी, या [3][संघ के सशस्त्र बलों] के किसी सदस्य को, जो उसी प्रतिषिद्ध स्थान के सम्बन्ध में गार्ड, संतरी, पैट्रोल या वैसे ही अन्य कर्तव्य पर लगा हो, बाधित नहीं करेगा, जानबूझकर मार्ग भ्रष्ट नहीं करेगा या अन्यथा उसके काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा या अड़चन नहीं डालेगा ।

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 6 द्वारा "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 6 द्वारा कतिपय शब्दों का लोप किया गया ।

[3] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी के बलों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि [1][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

8. अपराधों के किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी देने का कर्तव्य – (1) प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को, जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है, या [2][संघ के सशस्त्र बलों] के किसी सदस्य को जो गार्ड, संतरी, पैट्रोल या वैसे ही अन्य कर्तव्य पर लगा हो, धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन किसी अपराध से यह संदिग्ध अपराध से संबद्ध ऐसी जानकारी, जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि उससे ऐसी अपेक्षा की जाए तो और उसके युक्तियुक्त व्ययों के निविदान पर ऐसे युक्तियुक्त समय और स्थान पर हाजिर हो जैसा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) यदि कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी देने में या पूर्वोक्त रूप से हाजिर होने से असफल होगा तो वह कारावास से, जो [3][तीन वर्ष] तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा ।

9. प्रयत्न, उद्दीपन आदि – जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा या उसका किया जाना दुष्प्रेरित करेगा वह ऐसे दंड से दंडनीय होगा और अपने विरुद्ध ऐसी रीति में कार्यवाही किए जाने का भागी होगा मानो उसने ऐसा अपराध किया हो ।

10. गुप्तचरों को संश्रय देने के लिए शास्ति – (1) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को संश्रय देगा जिसकी बाबत वह

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 7 द्वारा "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हिज मैजेस्टी के बलों" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 8 द्वारा "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

जानता है, या उसके पास इस अनुमान के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो धारा 3 के अधीन या धारा 9 के साथ पठित धारा 3 के अधीन अपराध करने वाला है या कर चुका है अथवा अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को जानबूझकर मिलने या समवेत होने देगा, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(2) उपरोक्त जैसे किसी व्यक्ति को संश्रय देने वाले या उपरोक्त जैसे किन्हीं व्यक्तियों को अपने अधिभोग में या अपने नियंत्रण के अधीन किन्हीं परिसरों में मिलने या समवेत होने देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पुलिस अधीक्षक को या अन्य पुलिस अधिकारी को जो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है और जो इस निमित्त पुलिस के महानिरीक्षक या आयुक्त द्वारा सशक्त किया गया है, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों संबंधी ऐसी जानकारी जो उसकी अपनी शक्ति में है, मांग किए जाने पर दे और यदि कोई व्यक्ति ऐसी किसी जानकारी को देने में असफल रहेगा तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी होगा ।

(3) इस धारा के अधीन अपराध का दोषी व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि [1][तीन वर्ष] तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा ।

11. तलाशी वारंट – (1) यदि किसी प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का समाधान शपथ पर जानकारी द्वारा करा दिया जाता है कि यह सन्देह किए जाने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है, तो वह एक तलाशी वारंट दे सकेगा जो उसमें नामित किसी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की पंक्ति से नीचे नहीं है, इसके लिए प्राधिकृत करेगा कि वह किसी भी समय किन्हीं परिसरों या स्थान में, जो वारंट में लिखित है,

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 9 द्वारा "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक प्रवेश करे और उन परिसरों या स्थान की और वहां पाए गए प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी ले और कोई रेखाचित्र, रेखांक, प्रतिमान, चीज, टिप्पण या दस्तावेज या वैसी ही कोई वस्तु, या ऐसी कोई चीज, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध का साक्ष्य है जो किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है और जो उसे उन परिसरों या स्थान या किसी ऐसे व्यक्ति के पास मिले, और जिसके बारे में या जिसके संबंध में उसके पास यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया जा चुका है या किया ही जाने वाला है, अभिगृहीत करे ।

(2) जहां किसी पुलिस अधिकारी को, जो अधीक्षक की पंक्ति से नीचे नहीं है, यह प्रतीत होता है कि मामला महान आपात का है, और राज्य के हितों में अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, वहां वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित आदेश से किसी पुलिस अधिकारी को वैसा ही प्राधिकार दे सकेगा जैसा मजिस्ट्रेट के वारंट के द्वारा इस अपराध के अधीन दिया जा सकता है ।

(3) जहां पुलिस अधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन कार्यवाही की गई है वहां वह, यथाशीघ्र ऐसी कार्यवाही की रिपोर्ट, प्रेसिडेंसी नगर में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को और ऐसे नगर के बाहर जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट को देगा ।

[1][**12. 1898 के अधिनियम सं. 5 की धारा 337 के उपबंधों की धारा 3, 5 और 7 के अधीन अपराधों को लागू होना** – दंड प्रक्रिया संहिता, 1898[2] की धारा 337 के उपबंध, धारा 3 के अधीन या धारा 5 के अधीन या धारा 7 के अधीन अथवा 9 के साथ पठित उक्त धारा 3, 5 और 7 में से किसी के अधीन दंडनीय अपराध के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे ऐसी अवधि के लिए जो सात वर्ष तक की हो सकेगी कारावास से दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लागू होते हैं ।]

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 10 द्वारा धारा 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 306 देखिए ।

13. अपराधों के विचारण पर निर्बन्धन – (1) [1][समुचित सरकार] द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई न्यायालय जो जिला या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए विचारणाधीन कोई व्यक्ति आरोप विरचित किए जाने से पहले किसी समय सेशन न्यायालय द्वारा विचारण का दावा करता है तो यदि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित नहीं करता तो वह मामले को उस न्यायालय द्वारा विचारणार्थ सुपुर्द कर देगा, भले ही वह ऐसा मामला नहीं है जो उक्त न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय हो ।

(3) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, [2][समुचित सरकार] [3]*** या इस निमित्त [1][समुचित सरकार] द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के आदेश से या उससे प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर करने के सिवाय नहीं करेगा ।

[4]* * * * *

(4) इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के प्रयोजनों के लिए वह अपराध या तो उस स्थान पर जहां वह वास्तव में किया गया था या [5][भारत] में किसी स्थान पर जहां अपराधी पाया जाए किया गया समझा जाएगा ।

[6][(5) इस धारा में समुचित सरकार से अभिप्रेत है –

---

[1] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "स्थानीय सरकार" शब्दों का लोप किया ।

[4] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 11 द्वारा परन्तुक का लोप किया गया ।

[5] 1951 के अधिनियम सं. 3 की धारा 3 तथा अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित ।

(क) धारा 5 के अधीन किन्हीं अपराधों के संबंध में जो किसी प्रतिषिद्ध स्थान या किसी विदेशी शक्ति से संबंधित नहीं हैं, राज्य सरकार ; और

(ख) किसी अन्य अपराध के संबंध में केन्द्रीय सरकार ।]

14. कार्यवाहियों से जनता का अपवर्जन – किन्हीं ऐसी शक्तियों के अतिरिक्त और उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो किन्हीं कार्यवाहियों से जनता का अपवर्जन करने का आदेश देने के बारे में न्यायालय को है, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए किसी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के या अपील में की कार्यवाहियों के दौरान या इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विचारण के दौरान इस आधार पर कि कार्यवाहियों के दौरान दिए जाने वाले किसी साक्ष्य के या किए जाने वाले किसी कथन के प्रकाशन से राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अभियोजन पक्ष द्वारा यह आवेदन किया जाए कि समस्त जनता या उसका कोई भाग सुनवाई के किसी भाग के दौरान अपवर्जित कर दिया जाए तो न्यायालय उक्त आशय का आदेश दे सकेगा, किन्तु किसी भी दशा में दंडादेश जनता के समक्ष दिया जाएगा ।

[1][**15. कम्पनियों द्वारा अपराध** – (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे तथा तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित ऐसे दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

---

[1] 1967 के अधिनियम सं. 24 की धारा 12 द्वारा धारा 15 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्‌वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा तथा तद्‌नुसार अपने विरुद्‌ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; तथा

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।]

16. [निरसन ।] – निरसन अधिनियम, 1927 (1927 का 12) की धारा 2 तथा अनुसूची द्‌वारा निरसित ।

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध पाठ्य पुस्तकों की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	विधि शास्त्र – डा. शिवदत्त शर्मा – 2004	501	580	145
2.	निर्णय लेखन – न्या. भगवती प्रसाद बेरी – 2019	190	175	–
3.	भारत का सांविधानिक इतिहास – (103वां संविधान संशोधन तक) – श्री चन्द्रशेखर मिश्र	340	325	–
4.	भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व – डा. प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी	906	750	–

अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन

1. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2024	कीमत रु. 2,500
2. भारत का संविधान (पाकेट एडीशन)	2024	कीमत रु. 325

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : www.lawmin.nic.in

Email : am.vsp-molj@gov.in

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – **उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका** का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें । साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन **https://bharatkosh.gov.in/product/product** पर प्राप्त किया जा सकता है ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in